खण्ड-439, अंक-9
शुक्रवार, 11 ज्येष्ठ, शक संवत् 1923
(1 जून, 2001 ई0)

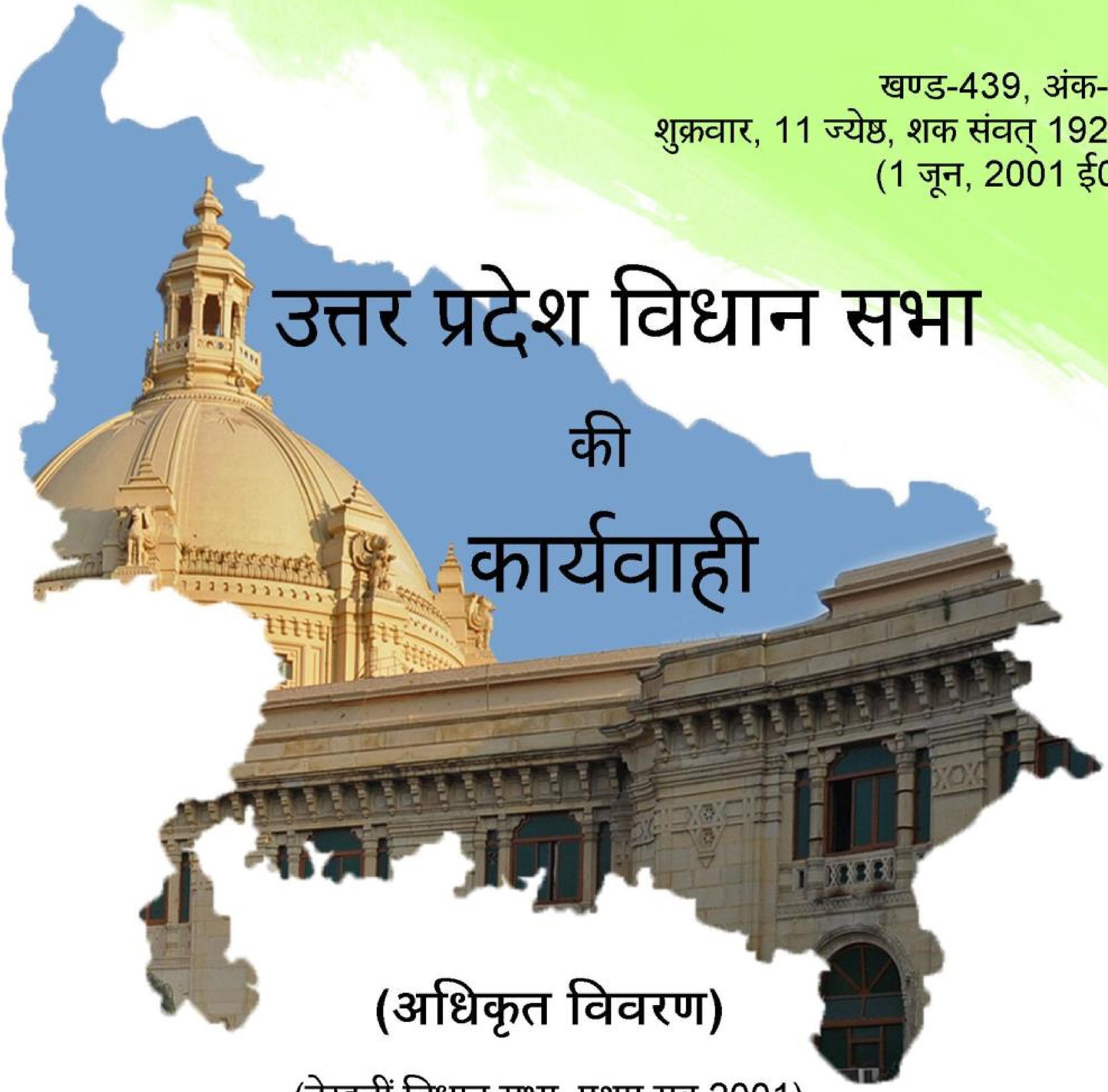

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 439 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–54
आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 65 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	54
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उमेश्वर प्रताप सिंह एवं श्री राम नाथ मुंशी के निधन पर शोकोद्गार	54-55
लखीमपुर में हुई दुर्घटना की सूचना को उठाने का प्रयास	55
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 (सदन के पटल पर रखा गया ।)	55-56
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	56
लखनऊ के कृष्णानगर में सहसापीर मन्दिर से आशुतोष नगर, न्यू सिन्धुनगर, भोला खेड़ा को जाने वाली सड़क के डामरीकरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56-57
जनपद हमीरपुर के राठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मेमना से ग्राम बिलगाय तक रोड निर्माण में घपले की जांच आदि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
जनपद महोबा के अन्तर्गत खनन पट्टा धारकों के साथ अनियमितता होने तथा उनका आर्थिक शोषण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .	57-58
जनपद गाजीपुर में जिला मुख्यालय रौजा रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
नव सृजित जनपद अम्बेडकर नगर के जिला मुख्यालय के निर्माण कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद बस्ती में गोविन्दनगर टिनिच मार्ग पर कुआनों नदी पर शीघ्र पुल निर्माण कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	59
जनपद संत रविदासनगर भदोही ज्ञानपुर क्षेत्रान्तर्गत गंगा की कटान को रोकने एवं छछुआ ग्राम सभा को कटान से बचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद मुरादाबाद में स्वास्थ्य केन्द्र फरीदपुर खुशहाल एवं बहापुर में डाक्टर एवं कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने तथा दवाएं उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59-60

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में गरीब परिवारों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित रायबरेली रोड स्थित शारदा नगर योजना के सेक्टर–3 में समस्त नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
सहायक लेखाकारों को भण्डार नायकों की भांति पदोन्नति/उच्च वेतनमान दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60-61
जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत गन्ना, बीज एवं गेहूं मूल्य का भुगतान किसानों को कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत खड्डा के सफाई कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	61-62
श्री रामवीर उपाध्याय सदस्य विधान सभा एवं उनकी पत्नी को सुरक्षा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
मेरठ में मलियाना एवं हाशिमपुर दंगे के दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
सिंचाई विभाग के लोअर कैनाल आगरा द्वारा कतिपय ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान कराने तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद फैजाबाद में रुदौली क्षेत्रान्तर्गत मड़हा ड्रेन की खुदाई कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद बुलन्दशहर में खुर्जा पाट्री उद्योग को एल० पी० गैस शीघ्र आपूर्ति कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण एवं लेपन कार्य में अनियमितता की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद बिजनौर में समस्त सीमाओं पर अवैध वसूली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
प्रदेश के आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों में पद और बजट स्वीकृत किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65-66
जिलाधिकारी आगरा द्वारा संग्रह सेवकों के साथ अनियमितता किये जाने की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66

अशोधित प्रतिलिपि

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मैनपुरी में बेवर शाखा के नहर सेवा मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद बरेली में अफसरैहा नदी के कटान से कनोलड़िया–भौआबाजार सड़क की सुरक्षा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	67
जनपद जालौन में कालपी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण में अनियमितताओं की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	67
जनपद सीतापुर में उ० प्र० वक्फ विकास निगम लि० के द्वारा लहरपुर में वक्फ की जमीन पर दुकानें बनाये जाने सम्बन्धी शिलान्यास के हटाये गये पत्थर को पुनः लगाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	67-68
जनपद कुशीनगर में लक्ष्मीगंज चीनी मिल की पेराई-क्षमता बढ़ाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड–खड्डा ग्राम सभा हथिया में लगे सूख रहे उद्यान को पुनः हरा-भरा करा कर उसे पुनः चालू कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
मोहम्मद हसन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज जौनपुर में बी० एड० के प्रवेश में अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	68-69
चिकित्सा शिक्षा विभाग में अतिथि–प्रवक्ताओं, अंशकालिक टीचिंग स्टाफ, तृतीय-चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थायी समायोजन की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद सीतापुर के लहरपुर नगर स्थित राजकीय बालिका हाईस्कूल विद्यालय को इण्टरमीडिएट हेतु उच्चीकरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
उ० प्र० कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लखनऊ द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाला किये जाने पर प्रभावी कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	69-70
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट 1997-98 (सदन के पटल पर रखी गयी ।)	70
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 1991-92 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा (सदन के पटल पर रखा गया ।) ...	70
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) त्रयोदश विधान सभा का सत्ताइसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया ।)	71

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) त्रयोदश विधान सभा का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया।)	71
मैनपुरी में महिला की सिर कटी लाश मिलने विषयक प्रकरण उठाने का प्रयास ...	71
न्यूजवीक में 28 मई, 2001 को हुई दुःखद घटना को टेलीविजन कम्पनी 'स्टार स्पोर्ट्स' द्वारा विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल किये जाने पर आपत्ति ...	71
दिनांक 31 मई, 2001 की कार्य-सूची की नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-1 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	71-72
प्रदेश में चीनी मिलों को गन्ने की सुचारु रूप से आपूर्ति एवं गन्ना विकास हेतु विभाग द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों के सम्बन्ध में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री का वक्तव्य	72-73
खीरी में रेल-बस दुर्घटना में मृतक परिवार जनों को समुचित मुआवजा दिये जाने की माँग विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	73-74
उर्दू अध्यापकों को, प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेशों में विसंगति होने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	74-75
महापुरुषों, देवी-देवताओं की छवि धूमिल करने वाली विदेशों से प्रकाशित पुस्तकों पर रोक लगाने तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की माँग विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	75
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित) ...	75-84
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित)... ...	84-92
भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित) ...	92-97
राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित) ...	97-102
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की माँगो पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग ... ... (जारी) ...	103-114
अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने की माँग ... (स्वीकृत)	114-117
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक प्रस्तुतीकरण का समय 4 बजे से बढ़ाकर 5 बजे किये जाने का प्रस्ताव ... ... (स्वीकृत) ...	117-118
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग ... ... (जारी) ...	118-134

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2001 के प्रस्तुतीकरण का समय साढ़े पाँच बजे किये जाने का प्रस्ताव ... ... (स्वीकृत)	134
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या–84, सामान्य प्रशासन विभाग ... ... (जारी) ...	134-140
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2001 को सम्पूर्ण अनुदान माँगों (1 से 28 तक) के पारित होने के उपरान्त लिये जाने का प्रस्ताव ... (स्वीकृत) ...	140
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान,–अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग ... . (स्वीकृत)	140-148
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) ... (स्वीकृत)	148
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण)... (स्वीकृत)	148-149
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) ... ... (स्वीकृत)	149
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–38–[illegible]क उड्डयन विभाग ... ... (स्वीकृत)	149
वित्तीय वर्ष 200[illegible]002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग ... ... (स्वीकृत)	149-150
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग ... ... (स्वीकृत)	150
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग ... ... (स्वीकृत)	150
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ... ... (स्वीकृत)	150-151
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग ... ... (स्वीकृत)	151
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग ... ... (स्वीकृत)	151

विषय		पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग	(स्वीकृत)	151-152
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग	(स्वीकृत)	152
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–67–विधान परिषद् सचिवालय	(स्वीकृत)	152
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय	(स्वीकृत)	152-153
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)...	(स्वीकृत)	153
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)...	(स्वीकृत)	153
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)...	(स्वीकृत)	154
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग...	(स्वीकृत)	154
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)... ...	(स्वीकृत)	154
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)... ...	(स्वीकृत)	155
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) ...	(स्वीकृत)	155
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) ...	(स्वीकृत)	155
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ...	(स्वीकृत)	156
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	(स्वीकृत)	156
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)...	(स्वीकृत)	156-157
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में अनुदान की माँग पर मतदान, अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) ...	(स्वीकृत)	157

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001... ...(पुरःस्थापित एवं पारित)	157-164
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	165-166
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के दस हजार पदों को समाप्त करने के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	167
प्रदेश में संचालित बस, टैम्पों आदि से वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे कुप्रभावों के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य ...	167-168
प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ–चण्डीगढ़, सहारनपुर–करनाल तथा सहारनपुर–लोनी मार्गों पर संचालित परिवहन निगम की बसों के साथ निजी बसों के संचालन को परिवहन विभाग द्वारा बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य	169-170
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत विकास–खण्ड छपिया के राजकीय कन्या हाई स्कूल को इण्टरमीडिएट तक की मान्यता शीघ्र दिलाए जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	170
प्रदेश में दूषित पेयजल की आपूर्ति से जन-स्वास्थ्य के लिये उत्पन्न गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	170-171
कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा में सचिव एवं व्यापारियों की सांठ-गांठ से किसानों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ...	172-173
जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्र के अन्तर्गत एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में श्री राम जग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	173-174
शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापकों को दिये जाने वाले बी० टी० सी० पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम को बीच में रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य	174-176

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा में अधिकारियों के संरक्षण में भू–माफियाओं द्वारा अवैधानिक रूप से भूमि हथियाये जाने तथा इनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	176-178
जनपद जालौन में आगजनी की घटनाओं में फसलों के जल जाने से पीड़ित किसानों को राहत व अनुदान न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामपाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ...	178
प्रदेश में 'अ' श्रेणी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान-सूची में सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	179
कृषि निदेशालय में कर्मचारियों द्वारा दोहरा आवास भत्ता लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	179-180
राष्ट्रीय धरोहर, नेताजी सुभाष चन्द्र स्मारक घण्टाघर, मेरठ की जर्मनी आयातित एक शताब्दी पुरानी एतिहासिक घड़ी की चोरी होने तथा पुलिस की लापरवाही के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	180-181
जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में जिला–योजना में स्वीकृत अधूरी पड़ी सड़कों को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती माया प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	181
जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत गेहूं खरीद में, की जा रही शासन के आदेशों की अवहेलना के सम्बन्ध में श्री ओंकार सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य	182
जनपद हरदोई में सवायजपुर एवं बरवन रजवाहों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बाबू खां द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	182-183
फैजाबाद जिले की विकास योजनाओं की हिस्सेदारी से सत्तारूढ़ तथा प्रतिपक्ष के विधायकों के मध्य विभेद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	183

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा मे चकबन्दी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	184-185
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियांवा में बरुना नदी पर गोपीपुर घाट के एप्रोच रोड के ध्वस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	185-186
जनपद अलीगढ़ में अपराध संख्या–435/90 कोतवाली अलीगढ़ में बरामद बाल विकास अधिकारी की जीप को बिना नीलामी बेचे जाने के संबंध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	186-187
प्रदेश में 11–11-97 के शिक्षण शुल्क सम्बन्धी शासनादेश तथा दि० 30–8–2000 के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से पूर्व के अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विषयों को अब स्ववित्त पोषित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	187-188
जनपद अम्बेडकर नगर में विद्युत परिषद् इण्टर कालेज, विद्युत नगर, टाण्डा के एल०टी० ग्रेड के शिक्षकों को देय समयबद्ध वेतनमान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य	188
जिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा ग्राम सभा सौज के प्रधान को कथित रुप से झूठे मुकदमें में फँसाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	188-189
जनपद फतेहपुर के धाता कस्बे में कुख्यात ददुआ के पुत्र की शादी में सत्तारूढ़ दल के कतिपय मंत्रियों तथा वरिष्ठ नेतागण के शामिल होने उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा नियम–51 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	189
जनपद चित्रकूट में थानाध्यक्ष मऊ द्वारा कथित रूप से की जा रही मनमानी तथा भ्रष्टाचार के संबंध में श्री ददूदू प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	189-190
राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुरवा, जनपद उन्नाव का वर्ष 1972 से अब तक विद्यालय भवन न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	190

विषय	पृष्ठ-संख्या.
मेरठ महानगर में पेयजल हेतु भोला नहर से भूतल जल आपूर्ति तथा जल निकासी हेतु नया कच्चा रिंग नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	190
जनपद अम्बेदकर नगर मुख्यालय स्थित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय की दयनीय स्थिति व अधिकारियों की लापरवाही के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ...	191
जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर व बीकापुर तहसीलों की कतिपय ग्राम पंचायतों में सरकारी व ग्राम समाज की भूमि तथा पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर अवैध कब्जेदारी के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	191
जनपद मिर्जापुर में आदर्श गृह निर्माण समिति पहड़िया, जनपद वाराणसी तथा कतिपय अधिकारियों द्वारा वाटर रोड योजनान्तर्गत लगभग 2.50 करोड़ रुपये हड़पने के सम्बन्ध में डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	191
प्रदेश के बिजली के देयों के दस मुख्य बकायेदार तथा उनसे बकाये की धनराशि की वसूली किये जाने विषयक दिनांक 4 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1, नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ...(जारी) ...	191-192
मण्डल/जिला अथवा विकास खण्ड को एक इकाई के रूप में मानकर प्रदेश के कृषकों के लिये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को स्वैच्छिक एवं व्यक्तिगत रूप में लागू किये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की निर्धारित चर्चा ... (जारी) ...	192
सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव ...(स्वीकृत)	192
सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों को श्री अध्यक्ष का धन्यवाद ...	192-199
राष्ट्रगान	200
नत्थी	201

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 01 जून, 2001

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अब्दुल सलाम, श्री	प्रतापगढ़
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमर मणि, श्री	महाराजगंज
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम, डा०	रायबरेली
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राघव, श्री	सहारनपुर
राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम औतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
रामआसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम जग, श्री	आजमगढ़
राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम पाल सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शरद वीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकर नगर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री	सहारनपुर
हरि प्रसाद उर्फ घमंड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 1 जून, 2001

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं वितरण में सुधार हेतु कार्य–योजना

**1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खस्ताहाल विद्युत उत्पादन एवं वितरण की दशा में सुधार के लिये सरकार के पास कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

श्रीमन्, इसको पढ़ा हुआ मान लें, बहुत लम्बा है ।

[जी हां ।

निम्नलिखित कारवाई प्रस्तावित है :–

नये पारेषण उपकेन्द्रों का निर्माण/नई पारेषण लाइनों का निर्माण/नये 33/11 के० वी० उपकेन्द्रों का निर्माण । अतिभारित 33/11 के० वी० उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि ।

20 बड़े शहरों में आन लाइन कम्प्यूटर बिलिंग जर्जर लाइनों को संसाधनों की उपलब्धता अनुरूप सुदृढ़ीकरण ।

समस्त 400, 220, 132, 33 के० वी० उपकेन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक मीटर की स्थापना ।

समस्त 11 के० वी० फीडरों पर इलेक्ट्रानिक मीटरों की स्थापना, इनर्जी आडिटिंग, लाइन हानियां कम करना तथा विद्युत चोरी पर कड़ा अंकुश ।

विद्युत मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार के मध्य दिनांक 25-2-2000 को किये गये एम० ओ० यू० के अन्तर्गत पी० एफ० सी० से प्राप्त होने वाली रु० 2000 करोड़ की ऋण सहायता से प्रदेश के ताप, विद्युत गृहों का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण प्रस्तावित है । इस हेतु ओबरा, पनकी, हरदुआगंज, आनपरा तथा पारीछा ताप विद्युत गृहों की आर० एण्ड एम०/रिफर्बिशमेन्ट योजनायें बनाकर पी० एफ० सी० को प्रेषित कर दी गयी है । इसमें रु० 1537 करोड़ लागत की आर० एण्ड एम० योजनाओं तथा रु० 875.99 करोड़ की ओबरा 5x200 मेगावाट रिफर्बिशमेन्ट योजना के विरुद्ध पी०एफ० सी० द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया गया है । अन्य योजनायें ऋण स्वीकृति हेतु अभी पी०एफ०सी० में लम्बित हैं । ये योजना 9वीं, एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना में धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यान्वित की जायेगी जिससे कि ताप विद्युत गृहों के उत्पादन में वृद्धि हो सकें ।

आनपरा "अ" एवं "ब" परियोजना आनपरा, सोनभद्र के विस्तार के रूप में 2x500 मेगावाट आनपरा "स" परियोजना प्रस्तावित है । इस परियोजना के निर्माण हेतु लगभग रु० 3350 करोड़ की आवश्यकता होगी तथा यह परियोजना निर्माण कार्य आरम्भ होने के बाद से लगभग 40 माह में बनकर पूरी हो जायेगी । परियोजना के लिये वित्त पोषण पावर फाइनेन्स कारपोरेशन अथवा जे० बी० आई० सी० "जापान" आदि से करवाने हेतु उ० प्र० सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश सरकार ने जनवरी, 1999 में घोषित प्रदेश की नई ऊर्जा नीति में निजी क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सितम्बर, 1999 में नई लघु जल विद्युत नीति भी बनाई है जिसमें 100 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ता का चयन प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के स्थान पर समझौता ज्ञापन (एम० ओ० यू० रूट) द्वारा किये जाने का प्राविधान है । यह भी सूचनीय है कि राज्य में स्थापित अनेक जल विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है जिसके संबंध में ऋण प्राप्त करने के कतिपय प्रस्ताव पावर फाइनेंस कारपोरेशन को उ० प्र० जल विद्युत निगम द्वारा प्रेषित किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।]

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, चौधरी साहब अनुपूरक प्रश्न करें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रदेश और माननीय सदन भी विद्युत की कमी के प्रति घोर चिन्तित है और बार-बार यह प्रश्न भी आते हैं कि सरकार विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये सुधार लाने के लिये क्या कर रही है, कितना संवेदनशील है ?. इसलिये यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो इन्होंने बताया है कि नये पारेषण उपकेन्द्रों का निर्माण, नई पारेषण लाइनों का निर्माण । सम्पूर्ण प्रदेश के साथ वाराणसी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी चिन्ता वाराणसी के प्रति भी है और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में होगा कि वाराणसी में भेलूपुर स्थित पावर हाउस, जो अब बन्द हो चुका है, उसके पास अपना बहुत बड़ा भूखण्ड है, मैंने निवेदन किया था और कई बार प्रश्नों के माध्यम से उठाया कि वहां एक 132 के०वी० का सब-स्टेशन निर्माण कराया जाय । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो निर्माण प्रस्तावित है, इस दिशा में क्या सरकार चिन्तित है और क्या वाराणसी में यह भेलूपुर स्थित भूखण्ड पर 132 के०वी० सब-स्टेशन का निर्माण करायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, भेलूपुर बनारस के बीच में है, वहां पर पावर कारपोरेशन ने इस तरह का निर्णय लिया है और हम 132 के०वी० सब-स्टेशन के लिये पी०एफ०सी० को भिजवा रहे हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि एक बहुप्रतीक्षित परियोजना अनपरा-सी है । जबसे मैं इस सदन में आया हूं, तबसे उसके बारे में सुन रहा हूं कि वह बनने वाली है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा और प्रदेश की जनता भी जानना चाहेगी कि इतने वर्षों से अनपरा-सी के निर्माण में कोई प्रगति क्यों नहीं हो रही है और कब तक उसका निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा ताकि उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में कोई सुधार परिलक्षित हो ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, जब ऊर्जा विभाग के बजट पर चर्चा हुई थी, उस समय भी मैंने सदन में स्पष्ट किया था कि अनपरा-सी योजना जापान सरकार बनाना चाहती है । तत्कालीन सरकार ने उस समय कुछ निजी कारणों से इसको निरस्त कर दिया था ।

नोट :– [ ] यह अंश पठ। हुा माना गया ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

यह निजी कारण क्या हो सकता है ? जनता का हित सर्वोपरि है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उसके बाद एटामिक विस्फोट हुआ, उसकी वजह से जापान ने प्रतिबन्ध लगा दिया और योजना पेण्डिंग हो गई । अब हम बराबर जापान सरकार से सम्पर्क किये हुये हैं, जापान इसको लगाने के लिये इन्ट्रस्टेड भी है । इस बीच हमने ग्लोबल वीडिंग दी थी, लेकिन उसमें एक ही वीडिंग आई थी, इसलिये उसको निरस्त करना पड़ा, अब जिस दिन सेक्शन खुल जायेगी, रास्ता साफ हो जायेगा । वैसे अवगत कराना चाहूंगा कि इस अनपरा-सी परियोजना पर 700 करोड़ रुपया पूर्व में खर्च भी हो चुका है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ निजी कारणों से, माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता का हित सर्वोपरि है । शासन को वह निर्णय लेना चाहिए जो जनता के हित में है । मैं जानना चाहता हूं कि वह निजी कारण क्या है जिसके कारण प्रगति नहीं हो पायी और आज भी वह लम्बित है ?

श्री अध्यक्ष–

निजी कारण निजी हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, उत्तर के अन्तिम भाग में है कि प्रदेश सरकार ने जनवरी, 1999 में घोषित प्रदेश की नई ऊर्जा नीति में निजी क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में लघु जल विद्युत परियाजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सितम्बर, 1999 में नई लघु जल विद्युत नीति भी बनाई है जिसमें 100 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ता का चयन प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के स्थान पर समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू० रूट) द्वारा किए जाने का प्राविधान है । यह भी सूचनीय है कि राज्य में स्थापित अनेक जल विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है जिसके संबंध में ऋण प्राप्त करने के कतिपय प्रस्ताव पावर फाइनेन्स कारपोरेशन को उ० प्र० जल विद्युत निगम द्वारा भेजे गये हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं । मान्यवर, सितम्बर, 1999 में नई लघु जल विद्युत नीति की घोषणा हुई, तो कितने ऐसे प्रस्ताव ऋण प्राप्त करने के लिए पावर फाइनेन्स कारपोरेशन को भेजे गये ? और मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सलावा और क्या भोला जैसी यूनिटों के नवीनीकरण का भी प्रस्ताव है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जो भी योजनाएं होती हैं उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें आर एण्ड एम में लेते हैं । भारत सरकार की गाइड लाइन्स में 100 मेगावाट तक की यूनिट को इसमें लेना है । इस बीच हमने बवेला आदि को कम्पलीट कर लिया है और 30 मेगावाट जो हाइड्रो की बचती है उन पर निर्माण कार्य चल रहा है । मनेरीभाली और लखवाड़ के बारे में उत्तरांचल से बातचीत चल रही है । उत्तरांचल राज्य बनने के कारण कुछ विवाद हो गया था और वित्त विभाग ने इस पर रोक लगा दी थी लेकिन अभी हम उत्तरांचल गये थे, कुछ विवाद उनके और हमारे बीच में थे । 5 तारीख को हम बैठेंगे और आपस की सहमति से विवाद दूर किया जायेगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत लम्बे समय से भोला और सलावा जो 5-5 टरबाइन की यूनिट हैं, 3 बन्द पड़ी हैं, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण की जो बात कही गयी है क्या भोला और सलावा जैसी लघु जल विद्युत परियोजनाएं जो बहुत समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली दे रही थी, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के प्रस्ताव में इन परियोजनाओं को भी शामिल करने पर विचार करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हम दिखवा लेंगे ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, दिन में तो विद्युत की कठिनाई हो ही जाती है, रात में भी होती है । मंत्री जी ने कहा कि इसमें सुधार की कोशिश की जा रही है । मान्यवर, विगत एक माह में जितने भी आंधी–तूफान आए हैं बहुत से खम्भे टूट गये हैं, तार टूट गये हैं और जो आपकी वितरण की व्यवस्था है, उत्पादन के बारे में कार्य योजना है, तो बिजली सबको मिलनी चाहिए, तो मान्यवर, जहां पर तार और खम्भे टूट गये हैं उन जगहों पर कितनी जल्दी आप आपूर्ति सुनिश्चित करा देंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

आदेश कर दिए गये हैं और वह ठीक हो रहे हैं ।

श्री राम कुमार एडवोकेट–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि विद्युत उत्पादन और वितरण की दशा में सुधार के लिए 33/11 केन्द्रों का निर्माण करायेंगे । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिन उप केन्द्रों का शिलान्यास विगत वर्ष हो चुका है लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । उदाहरण के लिए शुक्लागंज में एक विद्युत उपकेन्द्र का शिलान्यास हुआ था उसका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वित्त विभाग से वार्ता हुई है, कुछ सहमति हुई है कुछ धन उपलब्ध कराने को कहा है । धन उपलब्ध होते ही जो अधूरी हैं उनको प्राथमिकता पर पहले पूरी करेंगे ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जहां पर 33 के०वी०ए० सब स्टेशन का कार्य पूर्ण हो गया है और टेस्टिंग भी हो गयी है और स्टाफ की कमी की वजह से वह सब स्टेशन नहीं चालू हो पा रहे हैं । आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जालौन जनपद का बाबई सब-स्टेशन है या प्रदेश में जितने भी सब स्टेशन तैयार हो चुके हैं और स्टाफ की कमी से चालू नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें तत्काल स्टाफ की व्यवस्था करके चालू कराया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हमारी सूचना के अनुसार तो कोई ऐसा सब-स्टेशन नहीं है जो स्टाफ की कमी से चालू नहीं हो पा रहा है । अगर ऐसा है तो माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे ।

श्री राम प्यारे सिंह–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 33 के०वी०ए० के पुराने विद्युत उप केन्द्र हैं और जर्जर स्थिति में है वहां जो मांग बढ़ी है उसको देखते हुए क्या उसकी क्षमता बढ़ाने की आपकी कोई नीति है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

निरन्तर प्रक्रिया है लेकिन यह भी देखा जाता है कि क्षमता बढ़ती जाये और राजस्व न आये यह भी कारण देखते हैं । क्षमता बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो राजस्व आना चाहिए । जहां से राजस्व आता है, उसे प्राथमिकता पर ले लेते हैं । पिछली बार क्षमता बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च कर क्षमता बढ़ाया है । माननीय सदस्य राजस्व को भी देख लेंगे और यह भी देख लेंगे कि लोड कितना है ?

श्री अरविन्द गिरि–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वितरण के संबंध में जो उन्होंने कहा है । मैंने पहले भी सदन में रखा था और माननीय मंत्री जी को लिखकर भी दिया है । वितरण व्यवस्था के लिए एस०डी०ओ० और जे०ई० का जो मानक है वह पूरा नहीं है । हमारे क्षेत्र के लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी सब-स्टेशन और गोला के अन्दर जे०ई० और एस०डी०ओ० नहीं है, वितरण की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो पायेगी ? मान्यवर, हमारे यहां मोहम्मदी में एस०डी०ओ० और जे०ई० नहीं हैं उनको कब तक नियुक्त करने का कष्ट करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह बात सत्य है कि ए०ई० और जे०ई० की कमी है । पिछली बार हमने 500 भर्ती की थी उसमें 200 ए०ई० थे हमने पावर कारपोरेशन को निर्देश दे दिया है जितने रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह भरी जाये । इस कमी को पूरा करने के लिए पदोन्नति भी कर रहे हैं हमारा यह प्रयास है कि कोई भी सेक्शन खाली न रहे ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, एस०डी०ओ० मोहम्मदी का पद 6 महीने से रिक्त है वहां पर एस०डी०ओ० की नियुक्ति के लिए निर्देश दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इस पर विचार कर लीजिएगा ।

डा० वेद प्रकाश सिंह एम०एस०–

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब तक विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़े, उत्पादन गृह काम करना शुरू करें क्या दूसरी जगह से उधार लेकर बिजली की सप्लाई बढ़ाने का प्रयास करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन् मांग के अनुरूप केन्द्र सरकार से ज्यादा बिजली ले रहे हैं । 2500 मेगावाट सुबह ड्रा किया है । 300-400 मेगावाट की सुबह कटौती हुई है । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजली चाहे जितनी बढ़े बिल उतना ही आता रहे । इसमें भी सहयोग करायेंगे या नहीं । ऐसा नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखना चाहते हैं । मांग और उत्पादन को देखकर इम्पोर्ट कर रहे हैं । केन्द्र सरकार का बहुत उधार भी हो गया है परन्तु फिर भी हम केन्द्र सरकार से ज्यादा ड्रा कर रहे हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने वाराणसी में पावर हाउस के लिये जमीन देकर 132 के०वी० का पावर हाउस बनाने का आश्वासन दिया था । मान्यवर, जहां तक पावर स्टेशन के निर्माण के संबंध में बात है तो जो परियोजना हैं उसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ? उनका निर्माण कब तक संभव होगा ? अभी पिछले दिनों नरेश जी के स्थान पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया था तो उन्होंने कहा था कि प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में जितना ध्यान दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया गया है यह एक भूल हुई है तो मान्यवर, उस भूल को सुधारने के उद्देश्य से वर्तमान में जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में क्या कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, इसी उद्देश्य से पावर कारपोरेशन बनाया गया था जिससे हर क्षेत्र में इंडिपेंडेंट रूप से काम हो सके । मान्यवर, विष्णु प्रयाग और श्रीनगर विद्युत परियोजना लागू की जा रही है और अन्य भी बहुत सी परियोजनाओं पर काम किया गया है । मान्यवर, जल विद्युत परियोजना को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, हमारी जिज्ञासा है कि जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन पर सरकार अपनी कोई योजना बनाने का विचार करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, विष्णु प्रयाग और श्रीनगर की परियोजनाएं बड़ी परियोजनाएं हैं । मान्यवर, विष्णु प्रयाग परियोजना 440 मेगावाट और श्रीनगर की परियोजना 300 मेगावाट की है । इसके अतिरिक्त मनेरी-भाली सेकेण्ड एवं लखवाड़ व्यासी परियोजनाएं 300 मेगावाट की परियोजनाएं हैं जिन पर काम हो रहा है । मान्यवर, यह कोई छोटी परियोजनाएं नहीं हैं ।

प्रदेश में नई सिंचाई परियोजनायें आरम्भ करने विषयक नीति की जानकारी

**2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक या दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में नई सिंचाई परियोजनाओं को प्रारम्भ करने की विभाग द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उसमें सम्मिलित परियोजनाओं का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में (2001–2002) प्रारम्भ में चिन्हित शेष 5 परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा अन्य निर्माणाधीन परियोजना जो नवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण नहीं होंगी या कार्य स्थगित है, उन्हें दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता से पूर्ण करने की नीति है । वर्षा जल संचयी परियोजनाओं की प्राथमिकता होगी ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में वर्षा जल संचयी परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में 8 नई परियोजनायें तथा जनपद बलरामपुर में 4 नये जलाशयों के निर्माण का प्राविधान है। नई परियोजनाओं एवं जलाशयों का विवरण निम्न प्रकार है :–

अ–परियोजनायें :–

1–सिजार बांध

2–कुरार बांध

3–लखेरी बांध परियोजना

4–रंसिन बांध परियोजना

5–कचनौधा बांध परियोजना

6–भौरट उटारी बांध परियोजना

7–मध्य गंगा नहर परि० (द्वितीय चरण)

8–बदायूं सिंचाई परियोजना।

ब–जलाशयें :–

1–पकड़ी जलाशय

2–नवलगढ़ जलाशय

3–चितैया जलाशय

4–पटखोली जलाशय

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, सिंचाई व्यवस्था करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलायी जा रही हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन परियोजनाओं की बात की जा रही है वह परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में ही हैं या उत्तरांचल में चली गयी हैं। मान्यवर, सिंचाई क्षेत्र में संतुलन बनाये रखने के लिए, पूरे प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए जलाशय बनाने के बारे में भी सरकार ने निर्णय लिया है, तो इन जलाशयों द्वारा सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार किसी योजना पर कोई विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने अभी जिन योजनाओं के बारे में बताया है वह उत्तर प्रदेश में ही हैं, नयी परियोजनाएं भी इसी प्रदेश के लिए बनाई जा रही है जो परियोजनाएं उत्तरांचल में चली गयी हैं उनके बारे में हम यहां कोई विवरण नहीं दे रहे हैं।

मान्यवर, जो 25 साल से योजनाएं चल रही हैं इनमें से 26 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको 9वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था उसमें से 13 पूर्ण हो चुकी हैं, 5 इस वित्तीय वर्ष मार्च, 2002 तक पूर्ण हो जायेंगी। जैसा मैंने पहले बतलाया था कि आगे जो योजनाएं बने वह वर्षा जल स्रोत पर आधारित हों, हमारी नदियों में पानी कम है। जो चर्चा की गयी है। जो जल सिंचाई परियोजनायें हैं, मान्यवर, जो पुराने तालाब या नये तालाब बने, वर्षा के जल को संचय कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जो पुराने तालाब थे उनका जीर्णोद्धार करके पुनर्स्थापना करने का मुख्य लक्ष्य है और जो योजनायें 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थीं, उनमें से बहुत रुक गयी हैं उनको प्रारम्भ किया जा रहा है और उनमें से अनेक प्रारम्भ हो चुकी हैं, वह 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जायेंगी । तो इस तरह प्रदेश में सिंचन क्षमता बढ़ेगी और आगे के 2020 तक जो खाद्यान्न की आवश्यकता होगी उसके लिए सिंचाई का लक्ष्य रखकर सारी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं और यह विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में सिंचन क्षमता तुलनात्मक रूप से कम है जैसे पश्चिम में कृषि क्षेत्र 85 प्रतिशत और मध्य में 62 प्रतिशत, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 59 प्रतिशत और बुन्देलखण्ड में 34 प्रतिशत सिंचित हैं । बुन्देलखण्ड में अनेक परियोजनाएं पुरानी जो चल रही थी उनको तेजी से पूरा किया जा रहा है और अन्य जल संचय परियोजनाओं का परीक्षण किया जा रहा है । पूर्व में जो पम्प कैनाल है उनको जीर्णोद्धार करके सिंचन क्षमता स्थापित करके बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और योजनाओं का जल परीक्षण चल रहा है । प्रयास यह है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर उन परीक्षणों को पूरा करके धन भी प्राप्त कर लिया जाये और कार्य भी प्रारम्भ कर दिया जाये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों की सिंचन क्षमता गिरती जा रही है और केवल 60 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित हैं । माठ ब्रान्च है फिरोजाबाद एटा, आगरा जाती है । मान्यवर, 9वीं पंचवर्षीय योजना इसी साल जो खत्म होने जा रही है । क्या इन नहरों का सुदृढ़ीकरण करके टेल तक पानी पहुंचाने की सुनिश्चित करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो माठ का उल्लेख किया इससे अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा की सिंचाई होती है, इसी तरह से रामगंगा, फतेहपुर, आगरा का क्षेत्र हैं, शारदा नहर का उन्नाव, रायबरेली का क्षेत्र है तथा इलाहाबाद का क्षेत्र है । यहां इस तरह की समस्या है या तो टेल होने के कारण यह नहरें सिंचन क्षमता खो चुकी हैं या पुरानी होने के कारण जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं । मान्यवर, इन नहरों की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना को नाबार्ड को भेजा जा रहा है शीघ्र ही इनकी स्वीकृति मिल जायेगी और धन मिल जायेगा तो इन पर कार्य हम शुरू कर देंगे और जो जिले टेल पर हैं उनको पर्याप्त सिंचन सुविधा उपलब्ध हो जायेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि इलाहाबाद में नहरों का सुदृढ़ीकरण करने जा रहे हैं । इलाहाबाद में वाणसागर परियोजना के अन्तर्गत वेलन नहर प्रखण्ड में कार्य चल रहा है । इस समय तक नहरें बनकर तैयार हो जानी चाहिए लेकिन स्थिति है कि नहर जून तक कतई नहीं बन पायेगी और किसान अपनी बुवाई नहीं कर पायेंगे ? मैं आग्रह करूंगा कि इसके लिये तत्काल धन मुहैय्या कराया जाय । जिन लोगों ने वहां काम किया है वह कहते हैं कि उनको भुगतान नहीं किया गया है । इसी तरह टोंस नहर प्रखण्ड जर्जर हो गयी है उसको भी बाणसागर योजना के अन्तर्गत लेकर त्वरित गति से काम करायेंगे । मान्यवर, मैं इससे अलग एक प्रश्न कर रहा हूं । आज इस सत्र का अंतिम दिन है । जो लिफ्ट कैनाल हैं वह पूरे प्रदेश में जर्जर हो चुकी हैं । उनके लिये एक भी पैसा नहीं दिया गया है कि उनमें जो घास लगी है उसकी सफाई की जा सके । तो क्या इस संबंध में कोई व्यवस्था करायी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जहां तक बाणसागर परियोजना की बात है इस पर काम तेजी से चल रहा है और इसे समयावधि में पूरी कराने की योजना है । धन का अभाव नहीं है, कुछ भुगतान में विलम्ब होगा तो उसको दिखवा लेंगे । दूसरे जो टोंस की समस्या है उसके लिये परियोजना भेजी गयी है वह विचाराधीन है उस पर धन प्राप्त करके उसका कार्य किया जायेगा । इलाहाबाद बहुत महत्वपूर्ण जिला है । हर सरकार में वहां से कोई न कोई व्यक्ति मंत्री रहा है लेकिन पहले ध्यान नहीं दिया गया इसलिये दुर्दशाग्रस्त हो गया है । अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम प्रयास कर रहे हैं कि धन प्राप्त करके इसी वित्तीय वर्ष में वहां सुखद स्थिति उपलब्ध करवा दें । दूसरे आपने जो पम्प नहरों की बात कही तो 7-8 पम्प नहरें ऐसी हैं जिनकी कालावधि समाप्त हो चुकी है । इन सबको भी प्रोजेक्ट बनाकर नाबार्ड से पैसा लेने हेतु भेजा जा रहा है ताकि इनकी क्षमता बढ़ायी जाय । जहां तक नहरों की सफाई का सवाल है, चाहे पम्प नहर हो या सामान्य नहर हो नहरों की सफाई करायी गयी है अगर कहीं दिक्कत है तो वहां पर नहरों की सफाई करा दी जायेगी ।

श्री रामाधार सिंह–

मान्यवर, हमारे यहां हमीरपुर में जुलाई, 1998 में कल्याण सिंह जी गये थे और उन्होंने 3 लिफ्ट कैनालों की घोषणा की थी । मैंने उस दिन बजट भाषण में कहा था तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या बजट देकर इन नहरों का काम शुरू करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, भा०ज०पा० शासनकाल में किसी भी मुख्य मंत्री ने घोषणा की है तो निश्चित रूप से वह कार्यान्वित की जायेगी । नयी पम्प नहरों के बनाने की घोषणा पूर्व मुख्य मंत्री जी ने किया है तो यदि वह उनकी घोषणा में शामिल है तो उसका परीक्षण कराकर प्रोजेक्ट बनाने में 2-3 साल का समय लग जाता है । हम इसको दिखवा लेंगे कि वह घोषणा में शामिल है या नहीं । जो घोषणा की जाती है वह अंकित होती है, अंकित होगी तो वह हमारे ऊपर बाध्यता है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पूर्व में पम्प कैनालों की क्षमता बढ़ाने की बात आपने कही है । जनपद संत रविदास नगर, भदोही में ज्ञानपुर पम्प कैनाल है । नहर के टेल तक पानी कभी नहीं पहुंचता है जबकि जानकारी में आया कि उसको पूर्ण करके काम बन्द करने की व्यवस्था हो रही है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अपूर्ण कार्य हैं उसे पूर्ण कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था प्रदान करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, ज्ञानपुर पम्प कैनाल का इतिहास बिल्कुल उसी तरह है कि मुर्गी के अंडे से पेट नहीं भरा तो उसका पेट चीर डाला । वहां के किसानों ने कुछ जुगाड़ करके न्यायालय से 10 गुना, 20 गुना तक रेट कर लिया जितने की परियोजना थी उससे ज्यादा भूमि का मुआवजा ले लिया । कोर्ट के आदेश के नाम पर यह किया । यह संभव नहीं था कि परियोजना से सिंचाई का लाभ लेने की जगह परियोजना से जमीन का कई गुना लाभ लें इसलिये यह निर्णय किया गया । अब इस प्रक्रिया से परियोजना नहीं चलाई जा सकती क्योंकि धन हम मनमाने ढंग से किसानों को नहीं बांट सकते हैं । बन्द करने का निर्णय लिया गया लेकिन यह कहा गया कि जो नहरें खुद गयी हैं, वहां के किसान बीच-बीच में स्टे ले लिए हैं अगर वह किसान विभाग को बाजार दर पर जमीन देने पर सहमत हों तो एग्रीमेन्ट के द्वारा, समझौते के द्वारा

वह जमीन ले ली जाए और बीच के गैप खोद दिए जायं । यह प्रक्रिया चल रही है विधायक जी से इतना ही आश्वासन चाहता हूं कि अगर वह अपने प्रभाव का उपयोग करके जनता से मार्केट रेट से जमीन दिला दें तो वह नहर खुदवा कर पानी देंगे । अगर किसान शासन के धन का शोषण करेंगे तो अनुमति नहीं होगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में भूकम्परोधी आवास बनाये जाने की रूपरेखा

*1 श्री गोरखनाथ पाण्डेय, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री राम औतार शाक्य, श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी, तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी–

*1–क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में भूकम्परोधी आवास बनाये जाने के लिये सरकार द्वारा कोई रूपरेखा तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश के महानगरों में पहले से निर्मित बहुमंजिले भवनों को भूकम्प रोधी बनाये जाने पर भी विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

नये बहुमंजिले भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था करने के संबंध में शासनादेश संख्या–570/9–आ–1–2001–भूकम्परोधी/2001 (आ०ब०), दि० 03 फरवरी, 2001 एवं शासनादेश संख्या–772/9–आ–1-2001–भूकम्परोधी/2001 (आ०ब०), दिनांक 13 फरवरी, 2001 द्वारा आदेश निर्गत किये गये हैं । इनके प्रमुख प्राविधानों का उल्लेख संलग्नक में किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

निर्मित बहुमंजिले भवनों में भूकम्परोधी व्यवस्था करने के संबंध में इनके व्यवहारिक पहलुओं का विश्लेषण करने हेतु तकनीकी विशेषज्ञों की राय प्राप्त की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

अध्यक्ष जी, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है अभी पिछले दिनों प्रदेश ही नहीं, देश में कई जगह भूकम्प से तबाही हुई । मंत्री जी ने उत्तर में संलग्नक–1 में कहा नए तीन मंजिले अथवा 12 मीटर से ऊंचे भवन तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन वाले सभी महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था के प्राविधान किए गए । कुछ भवन पहले से बन चुके हैं जो 20-20, 18-18 मंजिले हैं उसके लिए आपने क्या व्यवस्था बनाई ? नवनिर्मित भवनों में कुछ भवन सरकार के हैं, लखनऊ महानगर में गोमती नदी के किनारे बहुखण्डी मंत्री आवास जो 14-15 मंजिल हैं यह बालू के ढेर पर है । जरा सा झटका लगने से यह धराशायी हो सकता है । इसी तरह से तमाम सार्वजनिक भवन राजधानी लखनऊ में निर्मित हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस भयावह तबाही को रोकने के लिए जो पहले से भवन निर्मित हो चुके हैं उनकी सुरक्षा के संबंध में कोई व्यवस्था करेंगे या नीति बना रहे हैं ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इस प्रकरण के संबंध में विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर रहे हैं । इस संबंध में श्री पी०एन० गुप्ता अधिशासी निदेशक निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी बिल्डिंग मैटीरियल काउन्सिल सलाहकार शहरी विकास, गरीबी उन्मूलन, भारत सरकार को इसके लिए निवेदन किया है । रुड़की विश्वविद्यालय की भूकम्परोधी विभाग के प्रोफेसर श्री एस०एस० आर्य से दो बातों पर बहुमूल्य राय देने के लिए अनुरोध किया है । जैसे ही सुझाव प्राप्त होंगे इस संबंध में आदेश जारी करेंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पहले तो पूर्व प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया कि मंत्री आवास आज बालू के ढेर पर खड़ा है या नहीं और मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 26 जनवरी को गुजरात में भूकम्प आया जिसके मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में भूकम्प की संभावनाओं को देखते हुए क्या जोनिंग कर ली गई है और किस प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा इसके लिए कोई योजना बनाई गई है ? माननीय मंत्री जी ने दो तकनीकी विशेषज्ञों का उल्लेख किया तो मैं जानना चाहता हूं कि इन विशेषज्ञों से राय प्राप्त करने का निर्णय कब हुआ ? इनको पत्र कब लिखा गया और राय प्राप्त करने की क्या सीमा है ?

श्री सतीश महाना–

कोई भी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके बेस को पहले देखा जाता है आप चिन्तित न हों मंत्री आवास सुरक्षित है । जहां तक भूकम्प से जुड़ा सवाल है कई जोन्स में प्रदेश को बांटा गया है अर्थक्वेक के स्केल्स होते हैं जो 9 और 6 स्केल नीचे होता है । हमने सर्वे करा लिया है वर्लिविलिटी ऐक्ट में इसका विवरण दिया है । पूरा विवरण हमारे पास है यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा । तीन-चार कैटेगरीज होती है बीबर्न सीबर्न कम्पलीट कंकरीट आदि मैं आपको जिलेवार पूरी जानकारी दे दूंगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या माननीय मंत्री जी ने सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारियों को हर जनपद के प्राधिकरणों में भिजवा दिया है ताकि नक्शा पास करने वाले लोग अथारिटीज आवश्यक ध्यान देकर कार्यवाही करें ?

श्री सतीश महाना–

निश्चित रूप से कोई भी निर्णय लिया जाता है तो जो शासनादेश हमने जारी किये हैं हर जगह भिजवा दिये हैं सारी जानकारी उपलब्ध है इनमें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, प्रकृति का सन्तुलन बिगड़ रहा है जिससे भूकम्प आ जाते हैं कहीं भू-स्खलन हो जाता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मंत्री जी ने जो नीति बताई है भवनों के निर्माण, आगे के भवन के लिए और पीछे के भवन के लिए और बहुमंजिला और 12 मीटर से ऊंचे भवनों के बारे में बताया तो जो नीति लागू हुई है आगे के निर्माणों के लिए तो जो भवन पूर्व में निर्मित हो चुके हैं उनके बारे में इस नीति के अनुसार कोई सर्वे कराया जायेगा कि पुराने मकानों पर कोई खतरा तो नहीं आयेगा इसके लिए कोई व्यवस्था की गई है ? भूकम्पों से सुरक्षा के लिए और अधिक नई तकनीकी बनाई जाय इसके लिए माननीय मंत्री जी कोई विचार करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे चुका हूं कि इस समस्या से बचने के लिए परीक्षण कराया जा चुका है जोंस बांट दिये गये हैं और यह सब नई तकनीकी के आधार पर किया जा रहा है विस्तृत डिटेल यदि माननीय सदस्य चाहे तो मुझसे ले सकते हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें बताई लेकिन जो विकास प्राधिकरण हैं वहां नक्शा पास कराने में पसीने छूट जाते हैं। एक नागरिक अधिकार पत्र निर्गत किया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो नागरिक अधिकार-पत्र है उसका असर यह देखा जा रहा है...

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

कोई व्यक्ति दो तीन चार कमरे का भवन बनाना चाहता है तो उसे नक्शा पास कराने में पसीने छूट रहे हैं और जो भूकम्प रोधी नियम लागू कर दिया है तो क्या सामान्य नागरिक इसे झेल पायेगा। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी जानकारी है कि कब भूकम्प आया कब आने की स्थिति है और कौन से क्षेत्र अतिसंवेदनशील हैं क्या इसका सर्वेक्षण कराया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से हटकर है, मंत्री जी चाहें तो अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री सतीश महाना–

अभी मैंने सारी जानकारी डिटेल में बताई कौन सर्वेक्षण हुआ। यदि माननीय सदस्य चाहें तो सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है हमसे ले सकते हैं।

प्रदेश में हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत कटौती से मुक्त करने की मांग

*2–श्री जगदम्बिका पाल (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत कटौती से मुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता मांग की तुलना में कम है। अतः ऐसा करना संभव नहीं है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं स्थापना खर्च की विसंगति को दूर करने के उपाय

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन निरन्तर घट रहा है और स्थापना आदि पर खर्च निरन्तर बढ़ रहा है ? यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने के लिये क्या सरकार ने कोई उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन तापीय विद्युत गृहों का उत्पादन घट नहीं रहा है बल्कि उत्पादन निगम लिमिटेड को हस्तान्तरण के बाद इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है । वर्ष 1999-2000 में जल विद्युत उत्पादन 5260 मि०यू० तथा वर्ष 2000-2001 में जल विद्युत उत्पादन 5251 मि०यू० हुआ । जल विद्युत उत्पादन की मात्र 9 मि० यू० की कमी माह फरवरी व मार्च, 2001 में विद्युत उत्पादन हेतु पानी की अत्यधिक कमी के कारण हुई । स्थापना आदि खर्चों में वेतन पुनरीक्षण, मंहगाई भत्ता पुनरीक्षण, वार्षिक वेतनवृद्धि, प्रोन्नति के फलस्वरूप एवं नए वेतनमान आदि के कारण ही नियमों के अन्तर्गत स्थापना व्यय में वृद्धि हो रही है । इसके अतिरिक्त अलग से स्थापना व्यय में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि उत्पादन बढ़ रहा है । उत्पादन एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ आउट पुट घट रहा है, जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है । माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि जबसे उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन आया है उत्पादन बढ़ा है, घटा नहीं है । 1999-2000 में तापीय विद्युत उत्पादन कितना था और 2000-2001 में यह बढ़कर कितना हुआ ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

1999-2000 में 18960 मिलियन यूनिट उत्पादन था और 2000-2001 में 19582 मिलियन यूनिट हो गया । हमने पूर्व में बजट में भी बताया था कि,हमारी प्लान्ट लोड फैक्टर 50 से 57 प्रतिशत हो गया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, कृपया करके प्रश्न और उसके उत्तर को देखने का कष्ट करें, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, प्रश्न पूछा गया था कि क्या विद्युत उत्पादन निरन्तर घट रहा है, उत्तर दिया गया है कि इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है । मान्यवर, यह उत्तर सरकार ने दिया है और आंकड़े भी दिये हैं जल विद्युत उत्पादन के । प्रश्न तापीय विद्युत का हो रहा है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, [× × ×]

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इनसे कह दें कि सदन में अपनी भाषा ठीक कर लें । इस प्रकार की भाषा बोलने का अधिकार किसी को नहीं है ...

श्री अध्यक्ष–

इसको कार्यवाही से हटा देंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

प्रश्न यह है कि जल विद्युत का उत्पादन तो इनका घटा है । 9 मिलियन यूनिट की कमी पानी की कमी के कारण हुई है । घटने के बाद भी यह कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है ।

*2–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 04-05-2001 को तारां० प्र० सं०–6 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में पेय जलापूर्ति हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं रख-रखाव हेतु प्रभावी कार्यवाही

*3–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लोगों को पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन पर प्रतिवर्ष बहुत बड़ी धनराशि व्यय की जाती है लेकिन कार्यदायी संस्था की जवाबदेही एवं दण्ड की व्यवस्था न रहने के कारण मानक की घोर अनदेखी की जाती है जिससे लगे हुये हैण्ड पम्प अल्प समय में ही खराब हो जाते हैं और पानी देना बन्द कर देते हैं ? क्या सरकार नये हैण्डपम्प लगाने में मानक की बाध्यता के साथ ही सही सामानों का उपयोग करने में पारदर्शिता तथा कार्यदायी संस्था की जवाबदेही को कड़ाई से लागू करने हेतु कोई प्रभावी प्रक्रिया अपनायेगी जिससे सार्वजनिक धन के अपव्यय को रोका जा सके ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

जी नहीं । मानक की अनदेखी नहीं की जा रही है । यदि कोई कमी पाई जाती है तो नियमानुसार जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया जाता है । लगाये गये हैण्डपम्प उचित गुणता के होते हैं । उनका रख-रखाव सुचारु रूप से होने पर अपनी पूरी अवधि तक कार्य करते हैं । इस संबंध में पूर्व से ही प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जा रही है ।

हैण्डपम्प के अधिष्ठापन में आई०एस०आई० विशिष्टियों की सामग्री प्रयुक्त की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न को, विभाग द्वारा पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था, मेरे आग्रह पर आपकी कृपा से यह पुनर्जीवित हो गया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैंने जो कुछ अपने प्रश्न के माध्यम से जानना चाहता था सारा सदन इससे परिचित है । अभी पिछले दिनों ही सारे सदन ने इस पर चिन्ता प्रकट की थी और अनुपूरक प्रश्न किये थे । सब जानते हैं कि एक नया हैण्ड पम्प स्थापित करने में जनता की गाढ़ी कमाई का 19-20 हजार रुपया व्यय हो जाता है और लगाकर जाने के तत्काल बाद महीने दो महीने में हैण्डपम्प खराब हो जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं और मुझे स्मरण है किसी माननीय सदस्य ने अनुपूरक किया था कि तत्काल खराब हो जाने पर उसे लगाने वाली एजेन्सी के वेतन से धनराशि आहरित की जाए, या सरचार्ज के रूप में वसूली की जाए इसमें आपकी सहमति थी, कि ऐसा होने लगे तो सब ठीक हो जाए । मैंने प्रश्न पूछा है कार्यदायी संस्था की जवाबदेही, दंड की व्यवस्था न रहने के कारण मानक की घोर अनदेखी, इन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया है लेकिन इन चीजों के बारे में कहीं नहीं

लिखा है मैं इस संवेदनशील सरकार से जानना चाहता हूं कि जो मानक को अनदेखा किया जाता है तो मानक क्या हैं मानक बताने का कष्ट करें, अभी ग्राम्य विकास मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में एक लाख 12 हजार 910 हैण्डपम्प खराब होने की सूचना है इसमें 57 हजार 793 हैण्डपम्प ठीक करा दिये गये हैं यह उसी प्रकार के आंकड़े हैं जिस प्रकार पुलिस में अपराधों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है और आंकड़े कम करके दिखाए जाते हैं मैं संरक्षण चाहता हूं इसमें आप भी अपने अधिकार का प्रयोग करें।

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मानक है, मानक के अनुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापित हो रहे हैं या नहीं ? जवाबदेही किस पर है ? अगर जवाबदेही पहले से सुनिश्चित है तो क्या अब तक किसी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? क्या किसी को अब तक दण्डित किया गया है। 57,793 हैण्डपम्पों को ठीक कराया गया, क्या इसकी जवाबदेही किसी पर है धन जो व्यय किया गया है क्या वह सरचार्ज में वसूला जाएगा ?

श्री सतीश महाना–

मैंने उत्तर में कहा है कि आई०एस० आई० विशिष्टियों के पाइप प्रयोग किए जाते हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

कितने लिंक पाइप खरीदने चाहिए कब तक उसको कार्य करना चाहिए कार्य नहीं कर रहे हैं पानी देना बन्द कर दिया है तो जवाबदेही किस पर है ? कितनों को दण्डित किया गया ?

श्री सतीश महाना–

पाइप की कम्पोजीशन वेट, साइज के हिसाब से खरीदी जाती है जल निगम के हिसाब से इसको परचेज किया जाता है जब परचेज किया जाता है, परचेज के स्थान पर, डिलीवरी के स्थान पर, चेकिंग होती है। जहां तक बोरिंग की बात है तो पानी का लेबल सब जगह अलग-अलग होता है इसी के हिसाब से बोरिंग की जाती है। माननीय सदस्यों ने जानकारी चाही है कि कितनों के खिलाफ कार्यवाही हुई तो कोई काम हो जिम्मेदारी तय की जाती है हमने जो कार्यवाही की है उसको बताना चाहूंगा 3 अधीक्षण अभियन्ताओं के खिलाफ, 29 अधिशासी अभियन्ताओं के खिलाफ और 38 सहायक अभियन्ताओं के खिलाफ, 33 जूनियर इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही की गई है। मैं जो बता रहा हूं यह हैंडपम्प से संबंधित बता रहा हूं।

(इस समय 11 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि जो हैण्डपम्प की बोरिंग की जाती है वह द्वितीय स्टेटा पर की जाती है और इसकी कार्यदायी संस्था जल निगम है। जल निगम में किस प्रकार हैण्डपम्प स्थापित किये जायेंगे इसके लिए हस्तपुस्तिका जो उनकी है उसमें दिया हुआ है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो पुस्तिका है इसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि मशीन कितने फुट गहराई तक लगायी जाती है, पाइप कितने फुट की गहराई पर गया है किस योजना के अन्तर्गत यह लगाया गया, किस दिनांक को यह स्थापित किया गया यह सब अंकित किया जायेगा ? एक बार भी इन स्थायी निर्देशों के अनुसार जो मानक के अन्तर्गत है, नहीं लगता है। सबसे मूल बात यह है कि करोड़ों नहीं अरबों रुपया इस पेयजल की आपूर्ति के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से मानक अंकित किये हैं पेयजल के लिए उपलब्ध कराने से पूर्व जो भी बोरिंग की जायेगी उसको सुनिश्चित करने के बाद उस जल में भारी लवण तो नहीं है या वह जहर युक्त तो नहीं है इसकी जांच कराने के बाद लगायेंगे। लेकिन बिल्कुल जांच भी नहीं करायी जाती है। वास्तव में जो पेयजल के पीछे मूल भावना है शुद्ध जल उपलब्ध हो। अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश है वह भारी जल न हो, जहर युक्त न हो जिससे गठिया रोग और भी रोग हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो जल निगम कार्यदायी संस्था

है उसमें निर्देश हैं एम्बोसिस कराने का प्राविधान नहीं कराया जा रहा है तो इसको कराने की कृपा करेंगे और जो दोषी पाये जाते हैं उनको दण्डित करने की कृपा करेंगे तथा इसका कोई स्थायी रूप से समाधान करने की कृपा करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, हैण्डपम्प पर लिखा जाता है कि किस दिन इन्स्टाल किया गया, । दूसरा जो आपने खारे पानी की बात कही है वह विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से होता है । एक एरिया के अन्तर्गत चेकिंग होती है लेकिन हैण्डपम्प टू हैण्डपम्प चेकिंग कराना संभव नहीं है ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, जो हस्तपुस्तिका जल निगम की है उसका वह स्वयं अध्ययन कर लें । उसमें यह है कि वे देखेंगे कि उसमें आरसेनिक या फास्फेट तो नहीं है उसके बाद घोषित करेंगे कि यह पानी पीने के लिए उपयुक्त है । चूंकि मानक के हिसाब से लगते नहीं है, कितनी गहराई तक जायेगी यह माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि द्वितीय स्टेटा तक जायेगा, लेकिन 120 फीट तक जायेगा, 130 फिट तक जायेगा, या फिर 135 फिट तक जायेगा, इम्बोसिंग करके लगाया जायेगा, कितने फिट तक जायेगा और यह पीने के लिए उपयुक्त है कि नहीं यह टेस्टिंग की जायेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की यह जिज्ञासा है कि जो मानक तय किये गये हैं उन मानकों का पालन हो रहा है कि नहीं यह सुनिश्चित कर लें ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, हम निश्चित रूप से किसी एरिया के अन्तर्गत उसकी पानी की टेस्टिंग तो करा सकते हैं लेकिन हर हैण्ड पम्प की हर स्थान की कराना संभव नहीं है । वह दो हजार रुपया ज्यादा लेते हैं तो यह शोर मचा देते हैं कि ज्यादा ले रहे हैं । प्रत्येक स्थान की ऐरियावाइज टेस्टिंग होती है उसके अनुरूप काम किया जाता है ।

श्री केशो मेहरा–

जल निगम की पुस्तिका है उसमें अंकित है जो कार्यदायी संस्था है प्रत्येक हैण्डपम्प पर जल जनता के लिए जब उपलब्ध कराया जायेगा तब उसकी जांच हो जायेगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि फिजिकल नहीं है प्रत्येक हैण्ड पम्प की जांच कराना तो जो यह कार्य पुस्तिका दी गयी है उसमें से इसे हटा देने का कष्ट करें ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, पेयजल में अगर आर्सेनिक होंगे फास्फेट होंगे तो वह पेयजल बीमारियों का कारण बनता है और 80 प्रतिशत वह ऐसा ही जल है ।

कुँवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जितना धन जल निगम को दिया गया है उससे तो पूरा प्रदेश संतृप्त हो जाता और कहीं जलाभाव न होता पीने के पानी का । मान्यवर, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी कह रहे थे कि डेढ़ लाख हैण्ड पम्प खराब है तो एक तरफ तो लगते हैं तो दूसरी तरफ खराब हो जाते हैं । मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यों ने जिज्ञासा प्रकट की है कि कोई सीमा हो, आपके यह हैण्ड पम्प 10 से 15 साल चलते हैं अब अगर एक हफ्ते के अन्दर खराब हो गये तो एक प्रतिशत, दो प्रतिशत खराब होने की बात समझ में आती है । लेकिन माननीय नेता विरोधी दल बता रहे थे कि 87 में से 23 हैण्डपम्प उनके यहां खराब हैं । आपकी क्या कोई कार्य योजना इस तरह की है कि सीधे जिम्मेवारी जो है अधिशाषी अभियन्ता की होगी अगर उसके इलाके में दो प्रतिशत से ज्यादा हैण्ड पम्प खराब होंगे तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, निश्चित रुप से हैण्डपम्प की संख्या जो निर्धारित थी दो सौ पचास की जनसंख्या पर एक की थी अब इसे डेढ़ सौ किया जा रहा है । जहां पर संतृप्त हैं, मान्यवर, जहां पर लाखों की संख्या में हैण्डपम्प लगे हुए हैं बहुत पुराने हैण्डपम्प भी लगे हुए हैं तो एक अवधि की जो बात कही है तो 10 से 15 साल की होनी चाहिए । मान्यवर, जो इस अवधि के खराब होते हैं वह बहुत हैं मान्यवर, खराब भी कई प्रकार से हो जाते हैं कई बार माइनर फाल्ट होता है तो माईनर फाल्ट को रिपेयर करने की एक सतत् प्रक्रिया है वह चलती रहती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का प्रश्न था कि 2 प्रतिशत से अधिक और समय से पहले जो खराब हो जायें उसमें जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की बात पूछी थी ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जो तत्काल हैण्डपम्प लगाये गये हैं और 2 प्रतिशत से अधिक खराब हों तब तो कार्यवाही संभव हो सकती है जो पुराने हैं उनमें तो संभव नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय केशो मेहरा के प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं मिल सका तो मैं उनकी पीड़ा देख रहा था वे सदन में हैं नहीं, चले गये । मान्यवर, जो उन्होंने चिन्ता व्यक्त की उसमें गम्भीरता से उत्तर नहीं दिया गया । मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि बलिया जनपद में हल्दी थाने के इलाके के आस–पास और दोआबा और बलिया विधान सभा क्षेत्र का जो मिला जुला इलाका है 15 किलोमीटर क्षेत्र में जिसमें हैण्डपम्प लगे हुये हैं इण्डिया मार्का 2 जो पानी निकलता हैं उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है । मान्यवर, लखनऊ मेडिकल कालेज में उस संबंध में जो शोध हुआ है उसमें यह बात आयी है कि स्किन पर पायी जाने वाली डिजीज वहां पर ज्यादा पनप रही है क्योंकि जो हैण्डपम्प का पानी आ रहा है उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है । अभी जो पुस्तिका दी गयी है उसमें यह बात है कि प्रत्येक हैण्डपम्प के पानी का परीक्षण कराया जायेगा । माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी उठकर चले गये, लेकिन मान्यवर, वह आर्सेनिक की वजह से पानी जहर है । मान्यवर, प्रत्येक हैण्डपम्प के परीक्षण कराये जाने के प्रश्न पर मैं एक इलाके का नाम लेना चाहता हूं जिसमें 10 किलोमीटर की लम्बाई और 3 किलोमीटर की चौड़ाई के इलाके की बाबत बता देना चाहता हूं कि एक की भी जांच नहीं करायी गयी । तो क्या जो आपने घोषणा की है, जो बजट साहित्य में जानकारी दी और अभी प्रकारान्तर में बताया कि प्रत्येक हैण्डपम्प का व्यवहारिक नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र की जांच कराई जायेगी । मेरी सूचना के आधार पर उसकी विस्तृत जांच कराकर जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनको दण्डित करने का काम करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, ग्राउण्ड वाटर की जिन स्थानों पर माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, कई ऐसे स्थान हैं, कुछ ऐसे जोन हैं स्थान हैं जैसा आपने बताया कि 10 किमी० के अन्दर ।

मान्यवर, अण्डर ग्राउण्ड वाटर दूषित है इसकी जांच कराई गई है कई स्थानों पर । और मेरा प्रयास है कि उन दूषित स्थानों पर हैण्डपम्प लगने न दिया जाय । अब इसको कैसे ठीक किया जाय यह देखना है । आज का प्रश्न हैण्डपम्प को लगाने और अनियमितताओं से संबंधित है । मान्यवर, उसकी जांच

कराकर अगर जानबूझकर जल निगम की किसी योजना के अन्तर्गत लगाया है, तो देखा जायेगा। कभी-कभी माननीय सदस्य अपनी निधि से लगवा देते हैं तो उसको देखा जायेगा किन परिस्थितियों में लगा है इसकी जांच करवाकर अगर कोई दोषी पाया जायेगा तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि जिन अपेक्षाओं से जनता की पीड़ा को इस प्रश्न के माध्यम से उपस्थित करना चाहते थे और सरकार द्वारा उस पर सम्वेदनशीलता से उसका निराकरण करने के लिए ठोस आश्वासन प्राप्त करना चाहते थे तो यह इस उत्तर से नहीं मिल रहा है मेरा साफ मानना है कि इन हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की आवश्यकता होती है आम नागरिकों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए लेकिन जो जल निगम या अन्य कार्यदायी संस्थाएं हैं हर एक रैकेट है एक तरफ माननीय सदस्य चिल्लाते हैं कि हैण्डपम्प 50-100 दे दिया जाए तो यह विभाग के लिए एक वरदान होता है। यह जे०ई०, ठेकेदार, ए०ई०, अधिशासी अभियन्ता के लिए यह वरदान होता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस लूट-खसोट को बन्द करके जो सही मानक है, मानक आपने नहीं बताया कहा कि सेकेण्ड स्टेटा पर है। अगर सेकेन्ड स्टेटा 50 फिट, 40 फीट पर आ जाये तो भी 19 हजार देंगे। अगर दो सौ फीट तक डीप बोरिंग करनी है तो भी, करेगा नहीं तो भी 19 हजार रुपया देंगे। तो इस लूट को रोकने के लिए सरकार कोई रास्ता बनायेगी और दूसरा यह है कि पूर्व में किसी माननीय सदस्य ने कहा था और उस पर माननीय अध्यक्ष जी ने भी सहमत व्यक्त की थी। इस तरह से जो गड़बड़ी जहां पाई जाती है हैण्डपम्प स्थापित करने में मान्यवर, दो माह के बाद काम करना बन्द कर दिया मंत्री जी कह रहे हैं कि वाशर खराब हो गया तो अधिष्ठान के एक दो तीन महीने के अन्दर अगर आई०एस०आई० हैण्डपम्प है तो वह खराब नहीं होना चाहिए।

मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जे०ई० के खिलाफ जो भी संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही के तहत क्या उनके वेतन से सरचार्ज के रूप में कुछ वसूली करने की दण्ड स्वरूप उनको देने की व्यवस्था करेंगे ताकि उनके ऊपर एक भय रहे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैंने बताया कि जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही होती है तो जो कार्यवाही होती है उसकी विस्तृत जानकारी मैंने दी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

चूँकि इस विषय पर इस सदन में कई बार यह बात उठ चुकी है कि हम उन्हें दंड देंगे, यह कहकर सरकार पल्ला झाड़ लेती है। अगर दंड दिया जाता है तो अब तक कितने दोषियों को दंड दिया गया, हालाँकि ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अधिष्ठापित करने के ठीक बाद नल खराब हो जाते हैं, उसकी मरम्मत और उसके अधिष्ठापित करने का जो भी खर्च होता है, उसको स्थापित करने वाले अधिकारी के वेतन से कम्पनसेट किया जाना चाहिये, तब उस पर अंकुश लगेगा, क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इसमें लोग दंडित हुये हैं और अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता अवर अभियन्ता आदि तमाम लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। अगर किसी की गलती पाई जाती है तो उसके लिये दंड का प्राविधान है, उसके अनुसार कार्यवाही करते हैं, तभी उनको दंडित किया गया।

जनपद फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के रोजाना कार्य समय के संबंध में जानकारी

*4–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद स्थित कांच एवं चूड़ी के उच्चतम तापमान की भट्ठियों पर और कारखानों में सेवारत श्रमिकों से रोजाना 8 घण्टे के स्थान पर 12 घंण्टे काम लिया जाता है और काम के मध्य कोई भोजन अवकाश नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

फिरोजाबाद स्थित कांच एवं चूड़ी उद्योगों के कारखानों में सेवारत श्रमिकों से रोजाना 8 घण्टे के स्थान पर 12 घण्टे तक काम लिए जाने के संबंध में कोई जानकारी सम्प्रति शासन के संज्ञान में नहीं है। समय-समय पर क्षेत्रीय श्रम कार्यालयों द्वारा सर्वेक्षण के माध्यम से विहित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि फिरोजाबाद में काम करने के घण्टे 8 की जगह 12 हैं और नियमों के अनुसार 8 घण्टे के काम के दौरान आधा घण्टे का अवकाश होता है, लेकिन फिरोजाबाद में इन कारखानों में न अवकाश दिया जाता है और न काम करने के घण्टे ही 8 हैं। क्या माननीय मंत्री जी आधे घण्टे का अवकाश की व्यवस्था करायेंगे ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने समय-समय पर परीक्षण किया, आपके अधिकारियों को कैसे मालूम हुआ कि कारखाने 8 घण्टे ही चल रहे हैं, क्या इसके लिये काम प्रारम्भ होने के समय सायरन और 8 घण्टे समाप्त होने के 15 मिनट पूर्व सायरन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे, क्योंकि वहां पर मजदूरों का बराबर शोषण हो रहा है और आये दिन वह आन्दोलन करते हैं, क्या इस पर गंभीरता से विचार करके इस व्यवस्था को सुनिश्चित करायेंगे ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, क्षेत्रीय कार्यालय से 12 घण्टे काम कराये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। माननीय सदस्य वर्मा जी जो बात संज्ञान में ला रहे हैं, यदि किसी कारखाने विशेष में 12 घण्टे काम कराया जाता हो, तो उसकी जांच करा लेंगे। इसके अलावा मध्यावकाश की बात कही है। समय-समय पर वहां निरीक्षण होते हैं, ऐसी कोई शिकायत वहां नहीं मिली।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, हमको तो फिरोजाबाद में 50 वर्ष हो गये और आधे घण्टे का अवकाश मैंने देखा नहीं। जो श्रम विभाग के अधिकारी/कर्मचारी वहां तैनात हैं उनकी चौथ बंधी है। अवकाश वहां दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इसकी जांच आप यहां से करा लें,, आप खुद चले जायें। दूसरी बात जो मैंने कही है कि वहां 240 कारखानों में से एक भी कारखाना ऐसा नहीं है जो 12 घण्टे न चलता हो, आप चाहें तो छापा डलवा लीजिये, इसके लिये कई बार मजदूरों का आन्दोलन हुआ है, आये दिन मजदूर हड़ताल करते हैं। मैं इतनी बड़ी सच्चाई को यहां कह रहा हूं, मेरी सुनिश्चित जानकारी है, तब भी उस पर कार्यवाही न हो, यह ठीक नहीं है। केवल अधिकारी की रिपोर्ट पढ़ दी जाय, यह चिन्ता की बात है, जो मैंने ऊपर कहा है क्या उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय वर्मा जी ने जो कहा है, यदि किसी स्पेसिफिक कारखाने को बतायेंगे तो हम विशेष जांच करवा लेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

सभी कारखाने इसी तरह चल रहे हैं ।

श्री धर्मपाल सिंह–

हम करवा लेंगे ।

प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या

श्री जगदम्बिका पाल (अनुपस्थित)–

*5–श्री क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कितने बाल श्रमिक नियोजित थे और अब उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गयी है ? क्या उन्हें पुनर्वासित कराने अथवा उनके उद्धार के लिए सरकार कोई कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

नियोजित बाल श्रमिकों की संख्या वर्ष 2000 की जनगणना की रिपोर्ट में प्राप्त नहीं हुई है । विभागीय सर्वेक्षण द्वारा प्रदेश में बाल श्रमिकों के चिन्हांकन की कार्यवाही की गई । सर्वेक्षण के दौरान खतरनाक उद्योग में 27,276 गैर खतरनाक उद्योग में 29,304 एवं मुरादाबाद डी०पी०ई०पी० (कामकाजी) बच्चों की संख्या 6099 चिन्हित किए गए हैं । इस प्रकार अद्यतन कुल चिन्हांकित बाल श्रमिकों की संख्या 62,679 है ।

जी हां ।

कार्य-योजना का प्रारूप निम्नवत् है :–

1–सर्वेक्षण/निरीक्षणों के माध्यम से बाल श्रमिकों का चिन्हांकन ।

2–खतरनाक उद्योगों में चिन्हित बाल श्रमिकों के नियोजकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही ।

3–मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10-12-96 में दिये गये निर्देशानुसार खतरनाक नियोजनों में चिन्हित बाल श्रमिकों की संख्या के सापेक्ष उनके नियोजकों से प्रति बाल श्रमिक रु० 20,000 की वसूली की कार्यवाही ।

4–चिन्हित बाल श्रमिकों को शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित कराया जाना ।

5–चिन्हित बाल श्रमिकों के अभिभावकों को शासन की विभन्न रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जाना ।

6–प्रदेश के 11 जनपदों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अन्तर्गत एन०सी०एल०पी० स्कूलों के माध्यम से बाल श्रमिकों को शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना ।

7–जनसामान्य में जनजागरण के माध्यम से बाल श्रमिकों के नियोजन पर रोक हेतु प्रयास ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विद्युत विभाग में हो रही बिजली चोरी को रोकने के उपाय

*6–डा० वकार अहमद शाह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ऊर्जा विभाग में निरन्तर करोड़ों के घाटे का मुख्य कारण क्या इसकी व्यापक स्तर पर हो रही चोरी है ? क्या इसकी समीक्षा में यह बात प्रकाश में आई है कि 90 प्रतिशत के लगभग चोरी इनके स्थानीय कर्मियों के मिली-भगत से होती है ? यदि हां, तो क्या इसकी रोकथाम हेतु कोई रूपरेखा शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पारेषण एवं वितरण प्रणाली में इस समय लगभग 40 प्रतिशत लाइन हानियां है । जिसमें लगभग 25 प्रतिशत तकनीकी लाइन हानियां हैं । जिसका मुख्य कारण अधिभारित एवं पुरानी लाइनें, पुराने उपसंस्थान एवं संयंत्र है ।

शेष लगभग 15 प्रतिशत वाणिज्यिक हानियां हैं जिसमें ऊर्जा मापक खराब होना भी एक कारण है, जिसके कारण ऊर्जा का सही आंकलन नहीं हो पाता है ।

अन्य कारणों में कुछ चोरी के मामले हैं जिसकी चेकिंग हेतु पुलिस प्रवर्तन दल, इक्वेटर रेड टीम, मुख्यालय वाणिज्यिक रेड टीम, आंचल रेड टीमें तथा क्षेत्रीय रेड टीमें विभिन्न स्तरों पर गठित है, जो समय-समय पर सघन चेकिंग करती हैं और जो उपभोक्ता चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, विद्युत विभाग में जो घाटा हो रहा है उसका मुख्य कारण चोरी है और उसमें स्थानीय कर्मचारियों का हाथ है । जो 90 प्रतिशत घाटा है वह इन्हीं के कारण हो रहा है । मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उन्होंने इस बात पर ज्यादा बल नहीं दिया है कि विभागीय कर्मचारियों के कारण कितनी चोरी हो रही है । मान्यवर, हम बहराइच की बात कर रहे हैं, कई मिलें ऐसी-ऐसी हैं चल रही हैं जिनमें बकायदा उत्सर्जन के तौर पर बिजली की लाइन से काटकर के डाइरेक्ट लाइन ले ली जाती है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में, मिलों में इस तरह का षड़यंत्र होता है और यह चोरी विभागीय कर्मचारियों की मदद से होती है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें आप कार्यवाही करें । मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने इसमें क्या कार्यवाही की है, कितने छापे डाले गये और सजा दी ?

(इस समय 12 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैं इन्कार भी नहीं करता हूं और सदैव इस बात को कहता भी रहा हूं कि सुनियोजित ढंग से चोरी हो रही है । इसके लिए इलेक्ट्रानिक मीटिरिंग की लेकिन उसके बाद भी कुछ शिकायतें आयीं कि रिमोट से मीटर रोक दिए गये । लेकिन सुधार के लिए कार्यक्रम चल रहा है । केन्द्र सरकार ने भी घोषणा की है कि ऊर्जा चोरी के लिए संज्ञेय अपराध के लिए एक कानून नया बना रहे हैं । इसके लिए सरकार भी और केन्द्र सरकार भी जागरूक है और इसमें सबको मिल करके काम करना पड़ेगा । हमारे विभाग के

अधिकारी भी इसमें कुछ शामिल हैं । लेकिन जो शामिल हैं उन मिलों पर हम स्पेशल रेड करा देंगे । मान्यवर, पिछले वर्ष 99 में 83382 रेड हुई और 2000-2001 में 98784 रेड हुई, इसमें प्रयास किया जा रहा है और जो लाइन लास है उसको रोकने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करूंगा कि जो इनके रेड फोर्सेस हैं, जो चोरी पकड़ते हैं, उनको रात के लिए कर दें क्योंकि सारी चोरी रात में 11 बजे के बाद होती है । उस समय न कोई कर्मचारी आता है न कोई अधिकारी आता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर रात में छापे डाले जायें तो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े-बड़े चोर मिलेंगे और यदि उनमें से 2-4 को भी सजा मिल जाए तो छोटे चोर अपने आप बिजली की चोरी करना बन्द कर देंगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इसको हम स्वीकार करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न सं०–7, श्री शिव सिंह चक अनुपस्थित हैं ।

प्रदेश में डिप्लोमाधारी शिशुक्षुओं (अप्रेन्टिस छात्रों) व शिक्षित मजदूरों को अनुमन्य न्यूनतम मजदूरी की दरों की जानकारी

*7–श्री शिवसिंह चक (अनुपस्थित)–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डिप्लोमाधारी शिशुक्षुओं (अप्रेन्टिस छात्रों) को वर्तमान में कितना रुपया प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि यह दी जाने वाली दर सरकार द्वारा शिक्षित मजदूरों को अनुमन्य न्यूनतम मजदूरी से भी कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे संशोधित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

प्रदेश में डिप्लोमाधारी शिशुक्षुओं (अप्रेन्टिस छात्रों) को वर्तमान में रु० 1160/–प्रतिमाह की दर से स्टाइपेंड दिया जा रहा है ।

"शिक्षित मजदूरों" के नाम से कोई श्रेणी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गयी है । अतः इस प्रकार की कोई तुलना नहीं की जा सकती है । उल्लेखनीय है कि राज्य में मजदूरी की दरें परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते सहित निम्नवत् हैं :–

	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल
दुकान वाणिज्यिक अधिष्ठानों में नियोजन	रु० 2002.99	रु० 2350.18	रु० 2700.04
50 से कम श्रमिक नियोजित करने वाली अभियंत्रण उद्योग की इकाइयों में	रु० 1960.00	रु० 2187.00	रु० 2418.00
50 से अधिक किन्तु 500 तक श्रमिक नियोजित करने वाली अभियंत्रण उद्योग इकाइयां/स्थापना	रु० 2654.00	रु० 2832.00	रु० 3235.07

प्रश्न नहीं उठता ।

खण्ड "ख" में उल्लिखित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद देवरिया; चेयरमैन नगर पंचायत लार द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच विषयक कार्यवाही की जानकारी

1–श्री मुराद लारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चेयरमैन, नगर पंचायत लार, देवरिया द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में उपजिलाधिकारी, सलेमपुर, देवरिया द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 1997 को चेयरमैन के विरुद्ध मुकदमा सं०–362/97 धारा–467, 468, 471, 409, 419, 420, 120 आई०पी०सी० थाना लार, जनपद देवरिया में पंजीकृत कराया था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

आवास, नगर भूमि, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण की जांच विवेचक एस०आई० श्री राम व्यास द्वारा करायी गयी ।

दिनांक 20-5-2000 को अंतिम रिपोर्ट एफ०आर० 12 द्वारा विवेचना समाप्त कर दी गयी । सम्प्रति प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम बिरौरी के मजरा मुशर्फाबाद का विद्युतीकरण

2–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बिरौरी का चयन वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम बिरौरी के मजरा मुंशर्फाबाद का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरे का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित आदेश वर्ष 1995-96 के चयनित ग्रामों एवं उसके मजरों पर लागू नहीं होता है ।

वित्तीय संसोधनों की कमी के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

नोट :–नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न सं०–7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम सेउडही के कतिपय मजरों के विद्युतीकरण की मांग

3–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सेउडही का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम सेउडही के मजरा ओयलपुरवा, गोसाई मढिया, लखाही तथा देवीदीन पुरवा का विद्युतीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम इस्लामपुर जगतई के कतिपय मजरों के विद्युतीकरण की मांग

4–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम इस्लामपुर जगतई का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम इस्लामपुर जगतई के मजरा गोपलिया का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरे का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम शहब्दा के कतिपय मजरों के विद्युतीकरण की मांग

5–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम शहब्दा का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम शहब्दा के मजरा माधोपुरवा रूद्दीखेड़ा, ममकरा, बरबटापुर तथा बसन्तपुरवा एवं नरायनपुरवा का विद्युतीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम इकसई के विद्युतीकरण की मांग

6–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम इकसई का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के आधार पर ग्राम इकसई का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम जरौली शेरपुर का विद्युतीकरण कराने की मांग

7–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जरौली शेरपुर का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में किया गया था ? क्या ग्राम जरौली शेरपुर का विद्युतीकरण पूर्ण रूप से करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों की अवैध परिसम्पत्तियों की जांच

8–श्री मुराद लारी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हरदेव सिंह सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 23-12-2000, जोकि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ० प्र० को सम्बोधित है और जो पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों की अवैध परिसम्पत्तियों की जांच के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान (विद्युत प्रकोष्ठ), 8/9, डालीबाग, लखनऊ को जांच सौंपी गई ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो दोषीजनों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी, हां ।

सन्दर्भित पत्र श्री परशुराम सिंह, तत्कालीन सचिव, पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद् के विरुद्ध उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान विद्युत प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही जांच सं०–315/99 से सम्बन्धित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही गुण-दोष के आधार पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी ।

जनपद प्रतापगढ़, नगर पंचायत पट्टी में उपलब्ध पेयजल सुविधा

9–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके आदेश एम–152/9-5-2000, दिनांक 27-6-2000 तथा एम–91/9-5-2001–7 पी०/2/2000, दिनांक 27-3-2001 तथा नगर विकास–5 का पत्र दिनांक 27-3-2001 जो प्रबन्ध निदेशक जल निगम लखनऊ को भेजे गये हैं, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या आदेशों का पालन करते हुए नगर पंचायत पट्टी प्रतापगढ़ में पेयजल हेतु 2 नलकूप तथा 50 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से अधिष्ठापित करने के लिए धनराशि के आवंटन हेतु शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रस्तावित धनराशि का आवंटन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मानक के अनुसार नगर पंचायत, पट्टी प्रतापगढ़ में पेयजल सुविधा उपलब्ध है ।

जनपद प्रतापगढ़ में 33/11 के० वी० ए० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना

10–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० मुख्य मंत्री जी के आदेश संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2/44940/प्रतापगढ़ 2001 दिनांक 19-4-2001 जो जनपद प्रतापगढ़ में विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के०वी० की स्थापना हेतु मानापुर ब्लाक आसपुर देवसरा, फेन्हा ब्लाक मगरौरा तथा विरौती ब्लाक पट्टी की तकनीकी साम्यता तथा प्रस्ताव प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो किस तिथि को ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक साम्यता प्राप्त कर ली जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मा० मुख्य मंत्री जी का संदर्भगत पत्र प्राप्त हुआ है किन्तु संदर्भगत नये 33 के०वी० उपकेन्द्रों के निर्माण की तकनीकी सम्भाव्यता तथा प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संदर्भगत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु क्षेत्र की वर्तमान विद्युत व्यवस्था तथा भविष्य में बढ़ने वाले भार की संभावना का तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है ।

दिनांक 30 जून, 2001 तक सम्भाव्यता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद प्रतापगढ़ में पूर्वांचल विकास निधि से आई०टी०आई० पट्टी के भवन निर्माण हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था

11–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से क्या आई०टी०आई० पट्टी का भवन निर्माण कराये जाने हेतु धन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

पूर्वांचल विकास निधि की निधि नियमावली में उन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था है जिन्हें राज्य/जिला योजना में लिया जाना संभव न हो ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम मझिया जाफरपुर के कतिपय मजरों में विद्युतीकरण की मांग

12–डा० धर्मज्ञ मिश्र

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मझिया जाफरपुर का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम मझिया जाफरपुर के मजरा जमलापुर एवं तरहेटिया तथा भुलभुलिया खेड़ा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

13–श्री हरदेव सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ विकास प्राधिकरण कानपुर रोड योजना के प्रयोगार्थ जगत जननी सहकारी आवास समिति लि० ग्राम बरगवां परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की भूमि के मुआवजे की मांग

14–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पांचवें शुक्रवार के अता० प्र० सं०–5 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड प्रसार योजना भाग–5 के प्रयोगार्थ जगत जननी सहकारी आवास समिति की खसरा सं०–459 ग्राम बरगवां, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की भूमि की अर्जन की कार्यवाही वर्ष 1987 में निष्प्रभावी होने के बाद अब 13 वर्षों बाद पुनः अर्जित कर ली गयी है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार उक्त भूमि अर्जन से मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्ष 87 से 2001 तक की अवधि में भूमि की दरों में हुई बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए मुआवजे का भुगतान वर्तमान दर पर किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत भूमि कानपुर रोड योजना भाग–6 में अर्जन हेतु पुनः प्रस्तावित है । योजना के एकजाई सुनियोजित विकास हेतु योजना की छूटी हुई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अर्जित भूमि के प्रतिकर का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा–11 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत घोषित अभिनिर्णय के अनुसार किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ के ग्राम बेगमबाग बस्तौली वार्ड हसनगंज स्थित प्लाट नं० 75 बिना मानचित्र स्वीकृत भवन को शासन द्वारा ध्वस्तीकरण के विरुद्ध यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश

15–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे शुक्रवार के अता० प्रश्न सं०–100 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम बेगमबाग बस्तौली, वार्ड हसनगंज स्थित फ्लाट नं०–75 पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनाधिकृत निर्माण न गिराये जाने

संबंधी स्थगनादेश अभी प्रभावी है ? यदि हां, तो स्थगनादेश निरस्त कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । संदर्भित उत्तर में उल्लिखित स्थगनादेश अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था, जो विचाराधीन अपील के दिनांक 17-5-2000 को खारिज हो जाने के कारण समाप्त हो चुका है । परन्तु मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 17-5-2000 के विरुद्ध पक्ष द्वारा शासन के समक्ष उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–41(3) के अन्तर्गत पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर शासन द्वारा ध्वस्तीकरण के विरुद्ध यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सहारनपुर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना की जानकारी

16–श्री संजय गर्ग

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर में विद्युत उपकेन्द्रों की कमी होने के कारण विद्युत की आपूर्ति शहर व ग्रामीण अंचलों में बाधित रहती है ? यदि हां, तो क्या नये विद्युत उपकेन्द्र खोल कर विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से किए जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विभिन्न 33 के०वी० उपकेन्द्रों की अतिभारिता के कारण पहले विद्युत आपूर्ति बाधित थी । किन्तु वर्ष 2000–2001 में विद्युत प्रणाली में सुधार हेतु कई कार्य किये गये जिससे जनपद मुख्यालय में 18–20 घंटे, तहसील मुख्यालय में 16–18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों मे 8–10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है । विद्युत की मांग निरन्तर बढ़ती रहती है । उसको दृष्टिगत रखते हुए संसाधन की उपलब्धता के अनुसार नये 33 के०वी० उपकेन्द्रों का निर्माण तथा वर्तमान 33 के०वी० उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का कार्य किया जाता है ।

गत वर्ष 2 नये 33 के०वी० उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया था । सात उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की गयी ।

वर्ष 2001–2002 में निम्न कार्य प्रगति पर है :–

मंडी समिति रोड, सहारनपुर में 33 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण, क्षमता 2×3 एमबीए ।

132/33 के०वी० उपकेन्द्र ननौता की क्षमता वृद्धि 1×20 से 2×20 एमबीए कराई जा रही है ।

इसके अतिरिक्त वेहटरोड तथा गागलहेडी में नये 33 के०वी० उपकेन्द्रों का निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है ।

धन तथा सामग्री की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कराया जाता है । अतः कार्य पूरा कराने की अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम मझिया जाफरपुर के मजरों में विद्युतीकरण की मांग

17–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मझिया जाफरपुर का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम मझिया जाफरपुर के मजरा जमलापुर एवं तराटिया का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम तेजीपुर पट्टी के मजरों के विद्युतीकरण की मांग

18–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तेजीपुर-पट्टी का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम तेजीपुर पट्टी के मजरा कबीरपुर एवं सोतहइया का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया । समय सीमा निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड हरगांव के ग्राम इस्माइलपुर में पुराने विद्युत तारों को बदलवाने की मांग

19–श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के ग्राम इस्माईलपुर में वर्ष 1970 में विद्युतीकरण कराया गया था ? क्या यह सही है कि वहां बिजली के तार काफी पुराने हो जाने के कारण टूट कर गिर गये है जिससे कई जाने जा चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बिजली के तार बदले जाने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

3 माह पूर्व इस ग्राम की लाइन का तार टूटा था, परन्तु इसके कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई । इस ग्राम की लाइन में लगे कुछ पोलों पर पुराने तारों को शीघ्र बदला जाना प्रस्तावित है । इस कार्य को मास जून, 2001 तक किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड महोली के ग्राम अठौरा में विद्युत आपूर्ति की जानकारी

20–श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के ग्राम अठौरी में छः माह से बिजली का ट्रान्सफारमर जल जाने से बिजली की आपूर्ति बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार ट्रान्सफारमर बदले जाने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के ग्राम अढोरी में छः माह से विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं है । गत वर्ष मास अक्टूबर–नवम्बर, 2000 में ट्रांसफार्मर जल गया था जिसे बदल कर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की नगर पालिका परिषद् के अधिशाषी अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत की जांचोपरान्त कृत कार्यवाही

21–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद् उन्नाव के अधिशासी अधिकारी द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में की गयी भारी अनियमितता विषयक श्री लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, जिला शासकीय अधिवक्ता (माल) जनपद उन्नाव का पत्र दिनांक 28-12-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव से प्राथमिक जांच करायी गई । मुख्य विकास अधिकारी की जांच आख्या प्राप्त हो गई है, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद उन्नाव नगर पालिका परिषद् के विकास कार्यों की जांच में फर्जी भुगतान की कथित शिकायत

22–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद् उन्नाव द्वारा वर्ष 2000 में कराये गये विकास कार्यों की जांच में 93141/- रुपये का फर्जी भुगतान पाया गया ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव द्वारा उपलब्ध कराई गई प्राथमिक जांच आख्या में रुपये 93141/– का दुरुपयोग सिद्ध पाया गया है । जांच आख्या का परीक्षण कराया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

23–श्री नवाब सिंह नागर–

[6ठें मंगलवार में अता० प्र० सं०–48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा के विद्युत सब स्टेशन पर तैनाती विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र पर कृत कार्यवाही

24–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा विद्युत सब स्टेशन 33/11 के०वी० पर तैनाती करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी–एम–/वि०को०/एम–44–457.मथुरा/2001 दिनांक 31-3-2001 प्रबन्ध निदेशक पावर कारपोरेशन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित पत्र श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद की नियुक्ति के संबंध में है, जिन्हें नियमानुसार नियुक्त करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जल संस्थान में सेवारत अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों का विवरण

25–श्री राम प्यारे सिंह, श्री वसीम अहमद तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जल संस्थान लखनऊ में विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जाति/जनजाति के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? रिक्त पदों को भरे न जाने का कारण क्या है ? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

लखनऊ जल संस्थान मे अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों का विवरणं निम्नवत् है:–

पदनाम	अनु०जा०	अनु० जनजाति
पी०एस०एस०	02	----------
स० लेखाधिकारी	02	-------
लेखाकार	02	-----
आशुलिपिक	01	-----
प्र० क्षे० लिपिक	01	-----
द्वि श्रे० लिपिक	01	01
मीटर रीडर	01	----
फिटर	02	01
फिटर अटेंडेंट	01	----
फिल्टर आपरेटर	01	----
पम्प चालक	55	12
योग	69	14

पद भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम शुक्लापुर भगत के मजरों में विद्युतीकरण की मांग

26–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शुक्लापुर भगत का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार शुक्लापुर भगत के मजरा शिवनीपुरवा, दाने पुरवा, मुहेला, इन्द्रपुरवा, तकिया उसरही एवं अटिया बाजार का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां .

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया । समय सीमा निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम शुक्लापुर भगत के मजरों में विद्युतीकरण की मांग

27–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मलावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शुक्लापुर भगत का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम शुक्लापुर भगत के मजरा पिलखना एवं मजरा हरिहरपुर का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया । समय सीमा निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

28–श्री रमेश राही–

[6ठें सोमवार में अता० प्र० सं०–4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

29–श्री राम कुमार एडवोकेट–

[दिनांक 30-5-2001 को अता० प्र० सं०–38 द्वारा उत्तरित]

जनपद बाराबंकी के मदरसा दारुल उलूम पीर बटावन की दुकानों का किराया बैंक खाते में जमा होने व जमा धनराशि के व्यय आदि के विवरण की जानकारी

30–श्री अफजाल अहमद–

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदरसा दारूल उलूम पीर बटावन बाराबंकी सम्पत्ति उन दुकानों का किराया प्रबन्धक के पदनाम से पंजाब नेशनल बैंक बाराबंकी में खोले गये बचत खाता सं०–14656 में निरन्तर जमा हो रहा है ? यदि हां, तो अप्रैल, 1991 से मार्च, 2001 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खाते में जमा होने वाली किराये की धनराशि का विवरण क्या है ? उक्त अवधि में कितनी-कितनी धनराशि आहरित की गयी और इसे किन मदों पर व्यय किया गया है ?

अल्प संख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (राजा गजनफर अली)––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

31–श्री रमेश राही–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्रामगंज जलालाबाद के समस्त मजरों में विद्युतीकरण की मांग

32–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्रामगंज जलालाबाद का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन के पत्रांक–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम गंज जलालाबाद के समस्त मजरों का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम गंज जलालाबाद का चयन अम्बेदकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 में किया गया है । वर्ष 2001–2002 के चयनित अम्बेदकर ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है । अतः चयनित ग्राम व उनके मजरों को विद्युतीकरण करना संभव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम कुतुवापुर के समस्त मजरों के विद्युतीकरण की मांग

33– डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कुतुवापुर का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन के पत्रांक–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम कुतुवापुर के समस्त मजरों का भी विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जी नहीं।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता है।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम शाहपुर पवांर के कतिपय मजरों में विद्युतीकरण की मांग

34–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शाहपुर पवांर का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन के पत्रांक–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम शाहपुर पवांर के मजरा बहादुरपुर तथा लोकइयापुरवा एवं लोनार तथा अन्य मजरों का भी विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जी नहीं।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है।

जनपद उन्नाव में घोषित अम्बेडकर ग्रामों के पूर्ण विकास की मांग

35–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में ब्लाकवार किन-किन ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया है ? इनमें से कितने अम्बेडकर ग्रामों का पूर्ण विकास हो चुका है तथा कितने अम्बेडकर ग्राम अब भी पूर्णरूप से विकसित नहीं हो पाये हैं ? उन्हें कब तक विकसित कर दिया जायेगा ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवा योजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)–

जनपद उन्नाव मे प्रारम्भ से लेकर वर्ष 99–2000 तक कुल 505 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है, जिसकी ब्लाकवार सूची संलग्न है।† उक्त 505 अम्बेडकर ग्रामों में से 292 अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है तथा 213 अम्बेडकर ग्राम धनाभाव के कारण संतृप्त नहीं हो पाये हैं। धनाभाव के कारण अवशेष ग्रामों को संतृप्त करने हेतु समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर सरोरी के परियर फीडर विद्युत लाइन में पुनः तार लगवा कर विद्युत आपूर्ति की मांग

36–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर सरोरी अन्तर्गत परियर फीडर विद्युत लाइन के तार कट जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः तार लगवाकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जी हां।

चोरी गये तारों को बदलने हेतु 3.52 किलोमीटर ए०ए०ए०सी० वीजल कंडक्टर की आवश्यकता है जिसके लिए प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है। धन एवं सामग्री की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक वरीयता के अनुसार तार लगवाने का कार्य शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद उन्नाव के कतिपय गांवो में 400 के०वी० की लाइन के मध्य पड़ने वाले पेड़ों के स्वामियों को मुआवजा दिलाये जाने की मांग

37–श्री राम कुमार एडवोकेट

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत प्रेषण उप–खण्ड प्रथम, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् विद्युत कालोनी, गोविन्द नगर, कानपुर द्वारा निर्मित 400 के०वी० उन्नाव, आगरा लाइन के मध्य पड़ने वाले ग्राम भतावां के मजरा बाबूखेड़ा को किन-किन व्यक्तियों के पेड़ों को काटने की नोटिस वर्ष 1998 में दी गयी थी ? क्या उक्त व्यक्तियों के वृक्षों का उद्यान अधिकारी, उन्नाव से मूल्यांकन कराकर उनका मूल्य अदा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

400 के०वी० उन्नाव–आगरा लाईन के ग्राम भतावां के मजरा बाबूखेड़ा के निम्न छः व्यक्तियों को पेड़ काटने की नोटिस दी गयी थी :–

(1) श्री मोती लाल
(2) श्री श्याम लाल
(3) श्री राम नारायन लोध
(4) श्री काली चरन
(5) श्री जगरुप
(6) श्री राम सजीवन ।

निम्न व्यक्तियों को उद्यान अधिकारी, उन्नाव से मूल्यांकन के पश्चात् मुआवजे संबंधी प्रपत्र प्राप्त होने पर भुगतान चेक द्वारा निम्नानुसार कर दिया गया है :–

(1) श्री मोती लाल रु० 6,158
(2) श्री श्याम लाल रु० 13,286.50
(3) श्री राम नारायन लोध रु० 29,282

श्री काली चरन, श्री जगरुप एवं श्री राम सजीवन के संबंध में उद्यान अधिकारी की संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है जिसे प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं । उद्यान अधिकारी, उन्नाव की संस्तुति प्राप्त होने पर मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम बरौना के कतिपय मजरों में विद्युतीकरण की मांग

38–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बरौना का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में किया गया था ? यदि हां, तो क्या शासन के पत्रांक–2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम बरौना के मजरा सुल्तानपुर एवं नटपुरवा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया । समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम कुरसठ बुजुर्ग के कतिपय मजरों के विद्युतीकरण की मांग

39–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कुरसठ बुजुर्ग का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 में किया गया था ? यदि हां, तो क्या शासन के पत्रांक 2240/रेप्सो/ग्रा०वि० वि० दिनांक 10-4-1997 के अनुसार ग्राम कुरसठ बुजुर्ग के मजरा बेनीपुरवा, रुद्रपुरवा, तकिया भभूती, देवियापुर, टेठई पुरवा, मिर्जागंज एवं परौली का विद्युतीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया । समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ क्षेत्र पट्टी में लकड़ी के क्षतिग्रस्त पोलों को बदलने की मांग

40–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के दूसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित अता०प्र०संख्या 92 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के लगभग 771 लकड़ी के क्षतिग्रस्त पोलों को बदलने हेतु अब तक कितना कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? शेष कार्य को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के क्षतिग्रस्त समस्त 771 लकड़ी के पोलों के बदलने का कार्य मई, 2000 तक पूर्ण कर दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम नेवादा के कतिपय मजरों के विद्युतीकरण की मांग

41–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नेवादा परस का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेप्सो/ग्रा०वि० दिनांक 10–4–1997 के अनुसार ग्राम नेवादा परस के मजरा जमलापुर एवं दीनाखेड़ा का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया । समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम बावट मऊ के कतिपय मजरों में विद्युतीकरण की मांग

42–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बावट मऊ का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998–1999 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10–4–1997 के अनुसार ग्राम बावट मऊ के मजरा भूड मड़ैया एवं वैसनपुरवा तथा भूड्डनपुरवा का विद्युतीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया गया । समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम बावट मऊ के कतिपय मजरों के विद्युतीकरण की मांग

43–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बावट मऊ का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998–1999 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10–4–1997 के आधार पर ग्राम बावट मऊ के मजरा धनीगंज, लक्ष्मणपुरवा तथा भुप्पापुरवा का विद्युतीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया । समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम सोनहार के मजरा महुआ पुरवा में विद्युतीकरण की मांग

44–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सोनहार का चयन अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 में किया गया था ? क्या शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10–4–1997 के अनुसार ग्राम सोनहार के मजरा महुआ पुरवा का विद्युतीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मजरों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया । समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

लखनऊ, अमौसी रजबहा तक केसरी खेड़ा पुलिया तक सौन्दर्यीकरण/पटरियों को पक्का करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

45–श्री राम शंकर पाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कैन्ट जनपद लखनऊ अमौसी रजबहा (शारदा नहर खण्ड–2) का सौन्दर्यीकरण तथा केसरी खेड़ा पुलिया तक कच्ची पटरियों को पक्का कर उनका डामरीकरण विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक 596/ वी०आई०पी०, दिनांक 24-2-2001 मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित कार्य नगर निगम, लखनऊ से सम्बन्धित नहीं है । यह कार्य सिंचाई विभाग से सम्बन्धित होने के कारण पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सिंचाई विभाग को संदर्भित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० जल निगम सी० एण्ड डी० एस० शाखा, लखनऊ में वाहनों पर होने वाले व्यय के भुगतान की जानकारी

46–श्री श्याम किशोर यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के संबंध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नगत बारह वाहनों की व्यवस्था एवं उस पर होने वाला व्यय सी०एण्ड डी०एस० द्वारा पहले किया गया है ? यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त वाहन मालिकों से महाप्रबन्धक द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुबन्ध नहीं किया जाता है, उन्हें केवल कायदिश ही निर्गत किया जाता हैं तथा भुगतान प्रतिमाह प्रत्येक वाहन के वास्तविक प्रयोग, जिसका ब्योरा लागबुक में होता है, के अनुसार किया जाता है । भुगतान कभी भी पहले नहीं किया गया है । अतएव इस सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

47–श्री यशपाल सिंह चौहान–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

लखनऊ पुराना टिकैतगंज के डा० ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा अवैध कब्जा की गयी भूमि का न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

48–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० ओम प्रकाश पाण्डेय, निवासी–347/280, पुराना टिकैतगंज, जनपद लखनऊ द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीन से अवैध कब्जा हटाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/ 33629/ मथुरा/2000, दिनांक 6-5-2000 आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

प्रकरण मा० मुंसिफ उत्तरी के न्यायालय में वाद संख्या–244/93 विचाराधीन है जिसमें मा० न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये हैं।

जनपद शाहजहांपुर में पांच गांवों का विद्युतीकरण कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

49–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-4-2000 को या इसके आस पास जो वर्ष 1999-2000 में विद्युतीकरण हेतु दिये गये ग्रामों में अभी तक विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में था,उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

वर्ष 99-2000 के लिए माननीय विधायक द्वारा संस्तुति निम्नलिखित पांच ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	विद्युतीकरण को तिथि
1	जिगनिया	31-3-2000
2	भरैना	30-6-2000
3	भूरियापुर	15-10-2000
4	पलिया पट्टी	31-3-2000
5	पलिया नरेन्द्र	31-3-2000

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र किशुनपुरा में अनुसूचित जाति मुहल्लों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

50–श्री मुरलीधर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर जनपद फतेहपुर में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? क्या यह सही है कि विद्युतीकृत ग्रामों में अनुसूचित जाति के मुहल्ले

छोड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त मुहल्लों का विद्युतीकरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर के कुल 232 ग्रामों में से 124 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ।

अनुसूचित जाति के बस्तियों/मुहल्लों का विद्युतीकरण शासन/कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुरूप किया गया है । विद्युतीकृत ग्रामों के सभी अनुसूचित जाति के मोहल्लों का विद्युतीकरण नहीं हो सका है ।

समय सीमा निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

प्रहन नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के गुरूबक्शगंज विद्युत सब स्टेशन में पांच वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को स्थानान्तरण करने की मांग

51–श्री शिव गणेश लोधी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–रायबरेली के अन्तर्गत गुरूबक्शगंज विद्युत सब स्टेशन में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जो विगत पांच वर्षों या अधिक समय से उक्त सब स्टेशन पर ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद–रायबरेली के बाहर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्न में उल्लिखित विद्युत सब-स्टेशन पर मात्र 5 कर्मचारी पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ।

सामान्यतः स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ही अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाते हैं, किन्तु कतिपय अवसरों पर कार्यहित में अनुभवी एवं कुशल कर्मियों का एक मुश्त स्थानान्तरण सम्भव नहीं हो पाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के क्षेत्र किशुनपुर में पांच ग्रामों का ऊर्जीकरण किये जाने की जानकारी

52–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर जनपद फतेहपुर में वर्ष 1999-2000 में प्रश्नकर्ता द्वारा पांच ग्राम ऊर्जीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनमें से अभी कोई ग्राम ऊर्जीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कर चयनित ग्रामों को ऊर्जीकृत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

यह सही नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1999-2000 के चयनित ग्रामों को ऊर्जाकृत किया जा रहा है । जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर ब्लाक धाता के ग्राम गुरसण्डी में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किये जाने का आश्वासन

53–श्री मुरलीधर–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–गुरसण्डी, ब्लाक–धाता, जनपद फतेहपुर के विद्युतीकृत किये जाने हेतु जनपद फतेहपुर मुख्यालय द्वारा ट्रान्सफार्मर, खम्भे एवं केबिल आदि उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त कार्य अभी तक पूर्ण न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर सम्बन्धित कर्मचारी एवं अधिकारियों को दण्डित करेगी एवं अधूरा कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

कार्य प्रगति पर है ।

कार्य प्रगति पर है । इसमें कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । अतः दण्ड दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य दिनांक 30-6-2001 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर, ब्लाक धाता के ग्राम रेहुआ, मजरे चिरईगांव का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

54–श्री मुरलीधर–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 31-10-1981 कोड नं०–4790 डिस्पैच पत्र संख्या–1076 द्वारा ग्राम–रेहुआ, मजरे चिरई गांव, ब्लाक धाता, जनपद–फतेहपुर को ऊर्जीकृत घोषित किया गया था ? क्या उक्त ग्राम अभी तक ऊर्जीकृत नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार विलम्ब के लिये दोषियों को दण्डित करते हुये उक्त गांव को ऊर्जीकृत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

जी हां ।

जनपद फतेहपुर में ग्राम रेहुआ मजरे चिरईगांव 1991 की जनगणना पुस्तिका में अंकित नहीं है और न ही ऊर्जीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है ।

मा० क्षेत्रीय विधायक द्वारा उक्त ग्राम चयनित न किए जाने के कारण विद्युतीकरण सम्भव नहीं हैं । इसके लिए कोई दोषी नहीं है । अतः दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

वित्तीय संसाधन की कमी के कारण उक्त ग्राम का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है ।

जनपद फतेहपुर, क्षेत्र किशुनपुर के कतिपय गांवों का विद्युतीकरण

55–श्री मुरलीधर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति के अन्तर्गत विधायकों से पांच-पांच ग्रामों की सूची विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1999-2000 में मांगी गयी थी ? यदि हां, तो किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद फतेहपुर में कौन-कौन से ग्राम सूची में सम्मिलित हैं ? क्या सम्मिलित सभी ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र के निम्न ग्राम सम्मिलित हैं :–

1–वेलवा

2–शाहपुर-हरदासपुर

3–अकबरपुर बड़वा

4–गोविन्दपुर

5–संगोली मजरे गढ़ा

जी नहीं ।

तीन ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है शेष दो ग्रामों का विद्युतीकरण शीघ्र पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जनपद मथुरा, ब्लाक गोवर्धन के ग्राम कोथरा का विद्युतीकरण

56–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ब्लाक गोवर्धन के ग्राम कोथरा का विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–/31366/मथुरा/2000, दिनांक 15-2-2000 प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

ब्लाक गोवर्धन के ग्राम कोथरा का विद्युतीकरण माननीय सांसद श्री तेजबीर सिंह के कोटे के अन्तर्गत दिनांक 8-10-99 को किया जा चुका है ।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के गम्भीर अनियमितताओं की जांच

57–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत दिनांक 20-4-2000 को कितने अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) एवं अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को निलम्बित किया गया है ? क्या निलम्बन के पूर्व उनके विरुद्ध प्रारम्भिक जांच कराई गई है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

एक अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) एवं एक अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को निलम्बित किया गया।

जी हां। जांच में उक्त अधिकारियों को अनेक गम्भीर अनियमितता के लिए प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के पुनर्गठन के बाद एवं एस०सी०/एस०टी० के अधिकारियों/कर्मचारियों को आरक्षण देने विषयक पत्र पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश

58–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के पुनर्गठन के बाद एस०सी०/एस०टी० के अधिकारियों/ कर्मचारियों को आरक्षण देने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–/31364/मथुरा/2000, दिनांक 15 फरवरी, 2000, प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

उक्त पत्र पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में कार्यरत कर्मचारी द्वारा जिला कारागार में निरुद्ध के दिनों का अवकाश स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानकारी

59–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड मैनपुरी में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके विरुद्ध अपराधिक मौमले दफा 363/366 में जिला कारागार मैनपुरी में निरुद्ध रहने पर भी 17-12-99 से 22-12-99 तक का अवकाश स्वीकृत किया गया ? क्या इस सम्बन्ध में श्री सर्वेश चन्द्र द्विवेदी, अध्यक्ष उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र 5-2-2001 जो कि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

केवल एक कर्मचारी श्री नन्द किशोर कार्यालय सहायक है।

जी हां।

धोखा देकर अवकाश स्वीकृत कराने वाले उक्त कर्मचारी को निलम्बित करके मामले की जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम अमरेही, समआझाला में विद्युतीकरण कराने विषयक प्राप्त प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

60–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-9-2000 जो ग्राम अमरेही व ग्राम समआझाला जनपद शाहजहांपुर में अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण अम्बेदकर योजना के अन्तर्गत ग्राम समआझाला का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका । परन्तु ग्राम अमरेही का चयन सामान्य ग्रामों के अन्तर्गत मा० सांसद द्वारा संस्तुति किये जाने पर उक्त ग्राम का विद्युतीकरण दि० 31-1-2001 को कर दिया गया है ।

वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण ग्राम समआझाला का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है ।

जनपद शाहजहांपुर क्षेत्र तिलहर के पांच गांवों का विद्युतीकरण

61–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 23-3-2000 या इसके आसपास जो प्रश्नकर्ता के क्षेत्र तिलहर शाहजहांपुर के 5 ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद आगरा विकास खण्ड शमसाबाद व फतेहाबाद के चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

62–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ताजमहल के 20 कि०मी० की परिधि में आने वाले विकास खण्ड शमसाबाद व फतेहाबाद के चयनित सभी ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनका विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

जनपद आगरा में ताजमहल के 20 कि० मी० की परिधि में आने वाले विकास खण्ड शमसाबाद के चयनित 12 ग्रामों में से 10 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। शेष दो ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

जनपद आगरा में ताजमहल के 20 कि० मी० की परिधि में विकास खण्ड फतेहाबाद में कोई भी चयनित ग्राम नहीं आता।

शेष दो ग्रामों का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

जनपद कुशीनगर, विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया ग्राम खानूछपरा गांधी ग्राम में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत पोल आदि अभियन्ता द्वारा बेचे जाने की शिकायत की जांच

63–श्री दीपलाल भारती–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–कुशीनगर के विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया अन्तर्गत ग्राम खानूछपरा गांधी ग्राम में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत विद्युत तार व 20 पोल तत्कालीन अवर अभियन्ता द्वारा बेच दिया गया जिसकी पुष्टि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–कसया (कुशीनगर) के पत्रांक सं० 165/वि०वि०ख०क० (कु०)/दिनांक 22-1-2001 द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अवर अभियन्ता द्वारा पोल बेचने की प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच की गयी है।

जांच समिति की आख्या के अनुसार कथित 20 पोल पूर्व प्रधान द्वारा ही छिपाकर रख लिया गया था जो अब श्री दिनेश साहनी वर्तमान प्रधान को प्राप्त हो गया है।

जिसे ग्राम खानूछपरा के विद्युतीकरण के कार्य में लगाया जा रहा है। पोल बेचने का आरोप जांच में सत्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

क्योंकि जांच में पोल बेचने का आरोप सही नहीं पाया गया है।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के जिला मुख्यालय भवन निर्माण में कथित धांधली की जांच कराने की मांग

64–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सी० एण्ड डी० एस० कार्यदायी संस्था निर्माण इकाई संस्था के रूप में कार्य कर रही ? यदि हां, तो जनपद संत रविदास नगर भदोही जिला मुख्यालय भवन के निर्माण कार्यों की जांच तथा इस इकाई द्वारा कराये गये कार्यों में धांधली एवं हेराफेरी की जांच जिलाधिकारी स्तर से करायी जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हा।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रश्नगत कार्य की जांच करायी जा चुकी है, इसलिये जिलाधिकारी द्वारा पुनः जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ऊर्जा विभाग में कार्यरत उच्च अधिकारियों की सतर्कता जांच के सम्बन्ध में जानकारी

65–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में ऊर्जा विभाग में कितने अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य उच्च अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच चल रही है ? कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध सतर्कता विभाग ने विभागीय कार्यवाही करने के लिये प्रस्ताव भेजा है ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद, क्षेत्र रुदौली के ग्रामसभा बहोरिकपुर कसारी बनमऊ का विद्युतीकरण कराने की मांग

66–आचार्य रामदेव वैश्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र रूदौली जनपद फैजाबाद के ग्राम सभा बहोरिकपुर कसारी, बनमऊ का विद्युतीकरण विद्युत विभाग द्वारा किया गया है किन्तु कुछ हिस्सों का विद्युतीकरण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है ? क्या सरकार अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण करायेगी तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

ग्राम कसारी का विद्युतीकरण मा० विधायक जी द्वारा चयन करने के पश्चात् कराया गया है । इसके अन्य मजरों (10 दस) का विद्युतीकरण धनाभाव के कारण नहीं हुआ । धनाभाव के कारण पूर्ण कराना सम्भव नहीं है । इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मथुरा, क्षेत्र गोवर्धन में विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

67–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक–क–1-200595 एवं क–1-200597 दिनांक 6 सितम्बर, 2000 सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

पत्रांक–क–1–200595 एवं क –1–200597 दिनांक 6 सितम्बर, 2000 के स्थान पर पत्रांक–क–1–200594 एवं क–1-200596 दिनांक 6 सितम्बर, 2000 प्राप्त हुआ है ।

उपरोक्त पत्रों पर क्षेत्रीय अधिकारियों को कार्य पूर्ण कराकर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की विद्युत आपूर्ति सुचारु करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अवर अभियन्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार/भारी अनियमितता सम्बन्धी प्राप्त शिकायती-पत्र

68–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत लेसा, लखनऊ के अधीन 12 वितरण खण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 8-4-2000 जो कि मुख्य महाप्रबन्धक, लेसा, लखनऊ को सम्बोधित है तथा जो अवर अभियन्ताओं द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं भारी अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इसकी सी०बी०आई० जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

उक्त पत्र में मुख्य रूप से मुख्य महाप्रबन्धक (लेसा) लखनऊ की कार्य प्रणाली एवं व्यवहार के प्रति असन्तोष होने व उनके कार्यालय में भ्रष्टाचार होने आदि की शिकायत की गयी थी, जो जांच से सही नहीं पायी गयी, फिर भी उन्हें अधीनस्थों के साथ व्यवहार में संयम बरतने आदि की सलाह दे दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, विभागीय जांच को ही पर्याप्त पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के अधिशासी अभियन्ता विद्युत जनपद निर्माण खण्ड का स्थानीय कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों की धन की ए० टी० सी०/ए०टी०डी० निर्गत करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

69–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण खण्ड, इलाहाबाद का पत्र संख्या 1910 दिनांक 16-12-2000 एवं पत्र संख्या 84 दिनांक 22-1-2001 जो क्रमशः उपमुख्य लेखाधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता नगरीय विद्युत वितरण मण्डल, तृतीय केसा, कानपुर को सम्बोधित थे और जो स्थानान्तरित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा की गई धनराशि की ए०टी०सी०/ए०टी०डी० निर्गत करने से सम्बन्धित है, प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

स्थानान्तरित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की गयी धनराशि की ए०टी०सी०/ए०टी०डी० निर्गत कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा० उच्च न्यायालय के अनुसार निर्णय तिथि से वेतन भुगतान के प्रकरण की जानकारी

70–श्री छब्बू पटेल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा० उच्च न्यायालय में दाखिल स्पेशल अपील संख्या–35/93, 39/93 एवं 47/94 में कुल कितने परिवादी हैं ? इनमें से कितने को एकल बेंच के निर्णय के अनुसार निर्णय की तिथि से वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? क्या शेष परिवादी को निर्णय के अनुसार निर्णय की तिथि से वेतन का भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचनानुसार मा० उच्च न्यायालय में दाखिल स्पेशल अपील संख्या–35/93 में 03 परिवादी एवं 47/94 में 27 परिवादी तथा 39/93 में 10 परिवादी हैं । उक्त विशेष अपीलों में कुल 40 परिवादी हैं ।

उपर्युक्त स्पेशल अपीलों में से केवल 02 परिवादी को प्राधिकरण द्वारा वेतन का भुगतान आदि दिनांक 14-11-95 से किया जा रहा है ।

उक्त स्पेशल अपील संख्या–47एसबी/94 में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा दिनांक 23-11-95 को पारित स्थगन आदेश के कारण शेष परिवादियों को वर्तमान में वेतन भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज के अम्बेदकर ग्राम कलीचाबाद में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराने की मांग

71–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेदकर ग्राम, कलीचाबाद, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ में विद्युतीकरण के लिये प्राक्कलन में कुल कितने पोल तथा ट्रान्सफार्मर स्वीकृत हुये थे ? क्या सरकार को जानकारी है कि स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पोल न लगाकर कम पोल लगाकर विद्युतीकरण के कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कलीचाबाद के कार्य की जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह ग्राम सी० ई० ए० परिभाषा के अनुसार वर्ग 1967-68 में तथा एल० टी० मेन्स द्वारा वर्ष 1971-72 में विद्युतीकृत किया गया था । वर्ष 1971-72 में इस ग्राम के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत आंकलन विद्युत ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड–आजमगढ़ के समाप्त होने के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । जिसके कारण ग्राम के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत आंकलन में प्रस्तावित खम्भों की संख्या, ट्रांसफार्मरों की क्षमता, 11 केवी लाइन व एल० टी० लाइन की लम्बाई देना इस समय संभव नहीं है । स्थलीय जांच से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में ग्राम में एलटी के 31 खम्भे लगे हैं तथा एलटी लाइन की लम्बाई 2.47 किमी है । 11 केवी लाइन में 13 खम्भे लगे हैं तथा लाइन की लम्बाई 0.97 किमी है एवं 2 सबस्टेशन हैं जिनमें 63 केवीए के कुल दो परिवर्तक लगे हैं ।

प्राक्कलन उपलब्ध न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि विद्युतीकरण का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा० उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार एरियर के भुगतान किये जाने की जानकारी

72–श्री शेर बहादुर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा० उच्च न्यायालय में दाखिल स्पेशल अपील सं०–35/93 एवं 39/93 में सम्मिलित परिवादी को एकल बेंच के निर्णय के अनुसार कुल कितना धन तथा प्रत्येक को कितना धन एरियर के रूप में फरवरी, 2001 तक वेतन के रूप में दिया गया ?

श्री लाल जी टण्डन–

लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचनानुसार प्राधिकरण द्वारा मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में दाखिल स्पेशल अपील सं०–35/93 में तीन परिवादी एवं 39/93 में 10 परिवादी हैं । इस प्रकार उक्त स्पेशल अपीलों में कुल 13 परिवादी हैं । उक्त स्पेशल अपील सं०–35/93 में सम्मिलित तीन परिवादियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश/निर्णय दिनांक 19-8-92 के अनुपालन में वेतन भुगतान किये जाने हेतु तत्कालीन उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रत्यावेदन दिया गया था ।

प्राधिकरण द्वारा परिवादियों के प्रत्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त तीनों परिवादियों को मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-8-92 से 30-9-98 तक अवशेष वेतन एरियर रुपया 6, 96, 580.00 (छः लाख छियान्बे हजार पांच सौ अस्सी मात्र) का भुगतान किया गया उक्त तीनों परिवादियों में से एक परिवादी का विनियमितीकरण शासन द्वारा कर दिये जाने के फलस्वरूप उन्हें अन्यत्र विकास प्राधिकरण में तैनात कर दिया गया । शेष दो परिवादियों को दिनांक 01-10-98 से फरवरी, 2001 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में रु० 5,96.865.00 (पांच लाख छियान्बे हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है । स्पेशल अपील में स्थागनादेश दिनांक 23-11-95 अभी भी प्रभावी है एवं जानकारी होने पर सम्बन्धित परिवादियों को प्राधिकरण द्वारा वसूली हेतु कारण बताओ नोटिस दी गयी है ।

उक्त के अतिरिक्त रिट याचिका सं०–6384/89 में सम्मिलित 10 परिवादियों के द्वारा मा० उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19-8-92 को पारित निर्णय के क्रम में वेतन भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित परिवादियों द्वारा प्राधिकरण में प्रत्यावेदन दिया गया ।

उक्त प्रत्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14-2-2000 को आदेश पारित किये गये । उपाध्यक्ष के आदेश का सही अर्थ न लगाते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चारों परिवादियों को नवीन वेतनमान में वेतन का निर्धारण करते हुए एरियर के रूप में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-8-92 से 31-1-2000 तक कुल रुपये 10,52,500.00 (दस लाख बावन हजार पांच सौ मात्र) का भुगतान किया गया है । उक्त धनराशि के भुगतान की जानकारी होने पर उपाध्यक्ष द्वारा गम्भीर दृष्टिकोण अपनाते हुए दिनांक 01-3-2000 को वेतन निर्धारण की कार्यवाही को निरस्त करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

इस बीच 26 अन्य परिवादियों द्वारा भी न्यूनतम वेतन देने हेतु अपना प्रत्यावेदन लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिया गया । प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रत्यावेदन के परीक्षण के दौरान स्पेशल अपील सं० 39/93 के अन्तर्गत स्थगनादेश संज्ञान में आने के कारण परिवादियों द्वारा उक्त भुगतान के सम्बन्ध में दिया गया प्रत्यावेदन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा 04 परिवादियों को जिनको भुगतान हो गया था, को प्राधिकरण द्वारा कारण बताओ नोटिस देते हुए पूर्व में हुए भुगतान की

वसूली करने की नोटिस दी गयी । कारण बताओ नोटिस पर प्राप्त परिवादियों के उत्तर पर प्राधिकरण द्वारा विधिक राय प्राप्त की गयी । विधिक राय के अनुसार धनराशि की वसूली मा० उच्च न्यायालय में दाखिल स्पेशल अपील में अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखी गयी । इस बीच उक्त परिवादियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल कर दी गयी, जो मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में चारों परिवादियों को फरवरी, 2000 से दैनिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

जनपद चन्दौली, क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराने की मांग

73–श्री छब्बू पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि 240 मुगलसराय विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद चन्दौली में ग्राम सभा बौरी व ग्राम सभा कटेसर, विकास क्षेत्र नियामताबाद में उपभोक्ताओं द्वारा विगत दो–तीन वर्ष पूर्व ही विद्युतीकरण के स्टीमेट का पैसा जमा कर दिया गया था, किन्तु अभी तक विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

240 मुंगलसराय विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद–चन्दौली और ग्राम सभा बौरी और ग्राम सभा कटेसर, विकास क्षेत्र नियामतावाद में उपभोक्ताओं द्वारा विशेष कटिया अभियान के दौरान 40 मीटर से कम दूरी बताये जाने के अनुसार पैसा जमा करा लिया गया था, ताकि उनके संयोजन का नियमितीकरण किया जा सके, परन्तु जांचोपरांत पाया गया कि विद्युत पोल से उपभोक्ताओं के आवास 40 मीटर से अधिक की दूरी पर हैं । परिणाम स्वरूप उनके संयोजनों को नियमित नहीं किया जा सका । जमा की गयी धनराशि को वापस लेने हेतु आवेदकों को सूचित किया जा रहा है । इसके लिए कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है अतः दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

74–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने सम्बन्धी 6 सूत्रीय पत्र दिनांक 29-7-2000 जो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित 6 सूत्रीय मांग-पत्र पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर निम्नानुसार कार्यवाही की गयी :–

1–132 के० वी० मंडुवाडीह उपकेन्द्र से 33 केवी वाराणसी–111 तथा 33 केवी भदैनी फीडर सुन्दरपुर पेट्रोल पम्प तक एक ही पोल पर है । सुन्दरपुर पेट्रोल पम्प तक एक नई लाइन का निर्माण प्रस्तावित है जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होने जा रहा है । अतः रैकून कंडक्टर को डाग कंडक्टर से बदलने तथा 132 केवी स्विच यार्ड से प्रथम फोर पोल तक पेन्थर तार खींचने की भी आवश्यकता नहीं है ।

2–वर्तमान में इस लाइन के तारों को पैंथर कंडक्टर से बदलना व्यवहारिक नहीं है ।

3–11 केवी दशाश्व मेघ फीडर को दो भागों में बांट कर नया पाण्डे हवेली फीडर बनाने का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है, जिसे निकट भविष्य में पूरा कर लिया जायेगा ।

4–भदैनी उपकेन्द्र पर एक नया ओ० सी० बी० लगाकर भदैनी रवीन्द्रपुरी तक एक नई 11 केवी लाइन के निर्माण सम्बन्धी प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव बनाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

5–11 केवी शिवाला फीडर पर 300 एमएम केबिल लगाकर सोनारपुरा तथा हरिशचन्द्र घाट इत्यादि क्षेत्रों का लोड लिया जा चुका है ।

6–भदैनी उपकेन्द्र पर लगे पुराने 33/11 केवी 10 एमवीए परिवर्तक के साथ 11 केवी "वीको" मेक ओ० सी० वी० लगाये गये थे तदोपरान्त नये 8 एमवीए परिवर्तक के साथ सीजीएल मेक ओसीवी उपलब्ध थे अतः उनको स्थापित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त करने की जानकारी

75–श्री राम शंकर पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव की सातों विधान सभा क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2000-2001 में प्रति विधान सभा क्षेत्र के पांच गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव प्राक्कलन सहित अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव द्वारा शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो प्रस्तावित प्राक्कलन की धनरशि से अब तक कितनी धनराशि जनपद उन्नाव के लिए अवमुक्त की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के प्रस्तावित पांच गांवों की धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

अभी तक कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है ।

वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण ।

समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद बांदा, विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में नहर पुलिया से सम्पर्क मार्ग के निर्माण की धनराशि के गबन की जांच की मांग

76–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द अन्तर्गत ग्राम मवई बुजुर्ग में नहर पुलिया से पचुल्ला सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बुन्देल खण्ड विकास निधि से वर्ष 1998-99 में 2.00 लाख रुपया कार्यदायी संस्था कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विस जल निगम बांदा को अवमुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ न कराये जाने के कारण क्या हैं ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा कार्य न कराकर अवैधानिक तरीके से सरकारी धन का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों से धन की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश खन्ना)–

जी हां ।

उक्त धनराशि को व्यय करके मिट्टी का कार्य कराया जा चुका है ।

कराये गये निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन एवं तकनीकी परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।

उक्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर आवश्यकतानुसार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम तेरही माफी में तालाब की सीढ़ी आदि के निर्माण में निम्नस्तरीय सामग्री की जांच

77–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम तेरही माफी में बड़ा तालाब के सीढ़ी व रिटर्निंग वाल निर्माण हेतु बुन्देल खण्ड विकास निधि से वर्ष 1998-99 में कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विस जल निगम बांदा को 2.00 लाख रुपये अवमुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो प्रदत्त धनराशि से कुल कितना निर्माण कराया गया ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा कराये गये कार्य में निर्माण सामग्री निम्न स्तर की प्रयोग की गयी है ? यदि हां, तो क्या कराये गये निर्माण कार्य की टी०ए०सी० से जांच कराकर दोषियों से धन की वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां ।

19.50 मी० लम्बाई की रिटर्निंग वाल/घाट बनाया गया है ।

कराये गये कार्य का भौतिक सत्यापन एवं तकनीकी परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।

उक्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर आवश्यकतानुसार दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के अतरहर कालेश्वर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की मांग

78–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में अतरहर कालेश्वर सम्पर्क मार्ग से झण्डू वर्मा के दरवाजे तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बु०ख०वि० निधि से वर्ष 1998-99 में 1.00 लाख रुपया कान्सट्रक्शन खण्ड डिजाइन सर्विस जल निगम बांदा को अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विभाग द्वारा निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है तथा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कार्य की टी०ए०सी० से जांच कराकर दोषी से धन की वसूली तथा मजदूरों की मजदूरी के भुगतान कराये जाने एवं अधूरे कार्य को पूरा करने हेतु प्रभावी आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां ।

अवमुक्त किये गये रुपये 1.00 लाख के सापेक्ष रु० 0.85 लाख व्यय करके पुलिया का निर्माण कराया जा चुका है, परन्तु मिट्टी का कार्य त्रुटिपूर्ण होने के कारण ठेकेदार का भुगतान रोक दिया गया है । 15 दिन के अन्दर त्रुटिपूर्ण कार्य को ठीक कराने हेतु ठेकेदार को आदेशित किया गया है । मजदूरों को मजदूरी के भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदारों की है ।

कराये गये कार्य का भौतिक सत्यापन एवं तकनीकी परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है । उक्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर आवश्यकतानुसार दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही भी की जायेगी ।

भौतिक सत्यापन एवं तकनीकी परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में ग्राम भुजौली मुख्य सड़क से निर्गत सम्पर्क मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

79–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में ग्राम भुजौली में मुख्य सड़क से श्याम लाल कोरी के दरवाजे तक अ०जा० बस्ती सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि से वर्ष 1998-99 में कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विस जल निगम बांदा को 2.00 लाख रुपये अवमुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो प्रदत्त धनराशि से कुल कितना निर्माण कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा सम्पर्क मार्ग निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग करते हुये निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण कार्य की जांच कराकर दोषियों से धन की वसूली व अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां ।

रु० 2.00 लाख की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रु० 0.75 लाख मात्र सामग्री की आपूर्ति में व्यय किये गये हैं । रु० 1.25 लाख कार्यदायी संस्था के पास अवशेष है ।

स्थानीय लोगों द्वारा विवाद उत्पन्न किये जाने के कारण कार्य अवरुद्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में कयसा मार्ग से सम्पर्क मार्ग के निर्माण में कथित अनियमितता की जांच की मांग

80–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में बांदा कयसा मार्ग से गोयरा मुगली सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु बुन्देल खण्ड विकास निधि से वर्ष 1999-2000 में कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विस जल निगम बांदा को 8.00 लाख रुपये अवमुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो प्रदत्त धनराशि से कुल कितना निर्माण कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि सड़क निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री प्रयोग की गयी है तथा सड़क अधूरी छोड़ दी गयी है ? क्या सड़क निर्माण में की गयी अनियमितताओं की टी० ए० सी० से जांच कराकर दोषियों से धन की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां ।

अवमुक्त धनराशि रु० 8.00 लाख के सापेक्ष रु० 6.05 लाख व्यय किया गया है एवं 1555 मी० लम्बी सड़क की कुटाई स्तर तक का कार्य किया जा चुका है ।

पेंटिंग का कार्य शेष है, जो प्रगति पर है । रु० 1.95 लाख कार्यदायी संस्था के पास अवशेष है ।

कराये गये कार्य का भौतिक सत्यापन एवं तकनीकी परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है । जिसके पूर्ण होने पर आवश्यकतानुसार दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में ग्राम मवई बुजुर्ग में व्यायामशाला की बाउण्ड्रीवाल निर्माण में शासकीय धनराशि के दुरुपयोग की जांच की मांग

81–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में ग्राम मवई बुजुर्ग में व्यायामशाला की बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि से वर्ष 1998-99 में कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विस जल निगम बांदा को 1.00 लाख रुपया अवमुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा निर्माण कार्य न कराकर सरकारी धन का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी से धन की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां ।

जी नहीं । अवमुक्त धनराशि 1.00 लाख रुपये के सापेक्ष 0.50 लाख रुपये कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय किया गया है तथा 0.50 लाख रुपये इस कार्य में व्यय हेतु कार्यदायी संस्था के पास अवशेष है ।

कराये गये निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन एवं तकनीकी परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है । उक्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर आवश्यकतानुसार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

कराये गये निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन एवं तकनीकी परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० शासन कार्मिक अनुभाग के शासनादेश का पालन आवास एवं विकास परिषद् द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

82–श्री सुशील शाक्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर समूह ग के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण करने हेतु नियमावली, 1998 को उ० प्र० शासन कार्मिक अनुभाग–2 सं०–20/1/47–का०–2 लखनऊ दिनांक 9 जुलाई, 1998 द्वारा शासनादेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस शासनादेश का अनुपालन आवास एवं विकास परिषद् द्वारा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी आवास एवं

विकास परिषद् में भी इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

उक्त नियमावली राज्याधीन कार्मिकों पर ही लागू होने के कारण, परिषद्, जो एक निगमित निकाय है, के कर्मचारियों पर लागू नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–65 का उत्तर सुसंगत न दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–65 पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैंने पूछा था कि क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में ऊर्जा विभाग में कितने अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य उच्च अधिकारी हैं, जिनके विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच चल रही है ? कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध सतर्कता विभाग ने विभागीय कार्यवाही करने के लिये प्रस्ताव भेजा है ? क्या उनका विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यह प्रश्न हमने दिया था 26-2-2001 को, उसके बाद आया 18-5-2001 को और स्थगित हुआ और आज इस प्रश्न का उत्तर आया कि "सूचना एकत्रित की जा रही है ।" मान्यवर, यह मात्र बिजलेंस से सम्बन्धित है, यह तो बहुत सीमित दायरे का प्रश्न था । स्थगित होने के बाद दोबारा सूचना एकत्रित करने का औचित्य नहीं है । मान्यवर, एक तरफ सरकार पारदर्शिता की बात करती है और दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में जब सूचना मांगी जाती है तो सरकार उन्हें बचाने का काम करती है । मान्यवर, हम इसमें आपकी व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इसका हम परीक्षण कर लेंगे ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उमेश्वर प्रताप सिंह एवं श्री राम नाथ मुंशी के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना प्राप्त हुई है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उमेश्वर प्रताप सिंह का 27 मई, 2001 को लम्बी बीमारी के बाद अपने पैतृक निवास स्थान, भभुआ, जनपद गोण्डा में निधन हो गया । वे लगभग 69 वर्ष के थे । श्री उमेश्वर प्रताप सिंह का जन्म 6 फरवरी, 1933 को ग्राम भभुआ, जनपद गोण्डा में हुआ था । उन्होंने हाईस्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी । श्री उमेश्वर प्रताप सिंह सर्वप्रथम 1980 में निर्वाचन क्षेत्र करनैलगंज, गोण्डा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे । तत्पश्चात् वे पुनः 1985 में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । श्री उमेश्वर प्रताप सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत सरपंच के चुनाव से प्रारम्भ की थी । इसके बाद वे दो बार जिला परिषद् के सदस्य रहे, एक बार जिला

पंचायत के उपाध्यक्ष रहे तथा एक बार विकास खण्ड करनैलगंज के ब्लाक प्रमुख रहे । वे गन्ना विकास समिति जरवल रोड, बहराइच के अध्यक्ष के रूप में 1972 से 1986 तक पदासीन रहे, उपाध्यक्ष, चीनी मिल्स संघ बहराइच, मंत्री किसान इण्टर कालेज, आजीवन, उपाध्यक्ष, किसान इण्टर कालेज जरवल रोड, बहराइच रहे । सदस्य विधान सभा रहते हुए उनके सहयोग से तहसील करनैलगंज, सरकारी गन्ना विकास समिति भभुआ की स्थापना हुई एवं करनैलगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण इनके सहयोग से सम्पन्न हुआ । उनके राजनीतिक जीवन काल में विधान सभा करनैलगंज की जनता का पर्याप्त उत्थान हुआ तथा घाघरा नदी से सम्बन्धित कटी नाला पर बन्धे का निर्माण करवाकर उन्होंने विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज को बाढ़ से सदा-सदा के लिये मुक्ति दिलायी है । कृषि, समाजसेवा एवं साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी । श्री उमेश्वर प्रताप सिंह के निधन से जनपद गोण्डा ने एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम नाथ मुंशी का 29 मई, 2001 को वाराणसी में निधन हो गया । वे लगभग 72 वर्ष के थे । श्री रामनाथ मुंशी का जन्म 26 जून, 1929 को ग्राम सादात, जिला गाजीपुर में हुआ था । उन्होंने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की थी । श्री राम नाथ मुंशी सर्वप्रथम 1985 में निर्वाचन क्षेत्र सादात, अनुसूचित जाति, गाजीपुर से कांग्रेस दल से उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । श्री रामनाथ मुंशी प्रारम्भ में प्राइमरी पाठशाला एवं मिडिल स्कूल सादात में सहायक अध्यापक के पद पर रहे थे । तत्पश्चात् वे त्याग-पत्र देकर राजनीति में आये । वे सहकारिता आन्दोलन से भी जुड़े थे । वे स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री थे । उन्हें समाज सेवा, अध्ययन, बच्चों के साथ खेलना तथा निर्धनों एवं निर्बलों की सहायता करने में विशेष रुचि थी । श्री रामनाथ मुंशी के निधन से जनपद गाजीपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

मैं इन दोनों दिवंगत पूर्व सदस्यों के प्रति अपनी ओर से और सदन की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं । उनकी आत्मा की शान्ति के लिए हम दो मिनट खड़े होकर मौन धारण करेंगे तत्पश्चात् शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचा देंगे ।

(सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।)

लखीमपुर में हुई दुर्घटना की सूचना को उठाने का प्रयास

(मद संख्या–4 पुकारे जाने पर श्री अरविन्द गिरि खड़े हो गये ।)

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, जो लखीमपुर में दुर्घटना हुई है उस पर दो मिनट का समय दे दें । बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष–

सामान्य चर्चा पर आप को अवसर दे देंगे उसमें आप अपनी बात कह लीजिएगा ।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98†

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 को, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की

---

† छापा नहीं गया ।

धारा–12 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–23 के अधीन सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, सैकड़ों परिवार भुखमरी की कगार पर हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसे बाद में ले लूंगा।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 01 जून, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 52 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं उनके नाम–चौधरी श्री मस्त राम, श्री रामाधार सिंह, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री राजेन्द्र यादव, श्री राम अचल राजभर, श्री राम ललित चौधरी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री राम प्यारे सिंह एवं श्री वसीम अहमद, श्री लालजी वर्मा, श्री गोमती यादव, श्री गोपाल कृष्ण, श्री दीप लाल भारती, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री आलमबदी, श्री अजय कुमार पोइया, श्री आचार्य राम देव वैश्य, श्री हरपाल सिंह, श्री प्रेम पाल सिंह यादव, श्री मूलचन्द, डा० वकार अहमद शाह, श्री जय प्रकाश, श्री रामवीर सिंह यादव, मास्टर छोटे लाल गंगवार, श्री श्रीराम पाल, श्री अब्दुल मन्नान, श्री बनवारी लाल दोहरे, श्री शिवपूजन राम, श्री अफजाल अहमद, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री मुराद लारी, श्री राम औतार शाक्य है।

जिन मा० सदस्यों के नाम जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं, उनके नाम श्री दद्दू प्रसाद, श्री विजय पाल सिंह, श्री हरदेव सिंह, डा० अशोक बाजपेयी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम नरेश यादव, श्री राम चन्द्र यादव, श्री लवकुश कुमार, डा० कौशल किशोर, श्री राम कुमार एडवोकेट, श्री उदयराज यादव, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती उर्मिला यादव, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री सूर्यभान सिंह, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री चौधरी बाबूलाल, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

लखनऊ के कृष्णानगर में सहसापीर मन्दिर से आशुतोष नगर, न्यू सिन्धुनगर, भोलाखेड़ा को जाने वाली सड़क के डामरीकरण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मस्तराम–

[महोदय, निवेदन है कि लखनऊ के कृष्णानगर में सहसापीर मन्दिर से आशुतोष नगर, न्यू सिन्धुनगर, भोलाखेड़ा को जाने वाली सड़क जो लगभग 400 मीटर है, विगत 7 वर्ष पूर्व पक्की हुई थी। इसके बाद उस सड़क की मरम्मत तक नहीं हुई है जिस कारण जगह-जगह गड्ढे बन गये हैं और जल भराव के कारण लोगों का आना जाना कठिन हो गया है। मरम्मत नहीं होने के कारण इस सड़क पर किया गया खर्च व्यर्थ हो रहा है और समय के साथ-साथ देरी होने पर खर्च भी बढ़ता जा रहा है। कई बार रिक्शा और गाड़ियां इन गड्ढों में गिरने से लोगों को चोटें तक आ गयी हैं। जल भराव से बरसात में बीमारी फैलने का भी खतरा है जिस कारण लोगों में असुरक्षा का वातावरण एवं आक्रोश है।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपकी महान कृपा होगी यदि उक्त सड़क को पक्का कराने तथा मकान नं०–41 से 42 के बीच में जो हिस्सा खड़न्जा का बना हुआ है उसको भी डामर करने हेतु आदेशित करेंगे जिसके लिए वहां के निवासी आपके आभारी रहेंगे ।]

जनपद हमीरपुर के राठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मेमना से ग्राम बिलगांय तक रोड निर्माण में घपले की जांच आदि के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामाधार सिंह–

[महोदय, जिला हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 1 माह पहले ग्राम मेमना से ग्राम बिलगायं तक रोड का रिनूवल किया गया है जिसमें मानक के अनुसार न मैक्स फाल डाला गया है न मिट्टी ही डाली गयी है पूर्णतया घटिया काम हुआ है, घटिया कॉम कराकर पैसा हड़प लिया गया है, इस रोड की जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित कर रोड का कार्य पुनः कराकर रोड ठीक कराया जाय ।]

जनपद महोबा के अन्तर्गत खनन पट्टा धारकों के साथ अनियमितता होने तथा उनका आर्थिक शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरिमर्दन सिंह–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं ।

जनपद महोबा के अन्तर्गत खनन पट्टा धारकों के साथ अनियमित एवं अनैतिक रूप से आर्थिक शोषण किया जा रहा है । जिलाधिकारी महोबा द्वारा पट्टा धारकों कोई फर्जी नोटिस जारी करने तथा आदेशों की फर्जी प्रतियां शामिल कराकर आर्थिक शोषण किया जाता है :– उनके कृत्यों का विवरण प्रस्तुत है ।

1–नोटिस दिनांक 11 सितम्बर, 2000 से 37493 घनमीटर के खनन की रायल्टी हेतु रुपया 749860/- तथा इसी हेतु आदेश दि० 5-1-2001 में रायल्टी रु० 25000 देने के निर्देश दिया जाना ।

2–नोटिस दिनांक 26-2-2000 से 32184 घनमीटर हेतु रायल्टी रु० 643600/- इसी हेतु आदेश दि० 23-6-2000 से रायल्टी रु० 140030/- देने के निर्देश दिया जाना ।

3–नोटिस दि० 26-2-2000 से 7190 घनमीटर की रायल्टी हेतु रु० 143800/- इसी हेतु आदेश दि० 24-3-2000 से रु० 5000/- जमा करने के निर्देश दिया जाना ।

4–नोटिस दि० 26-2-2000 से 11360 घनमीटर हेतु रायल्टी रु० 227200/- तथा इसी हेतु आदेश दि० 1-7-2000 से 70030/- जमा करने के निर्देश दिया जाना ।

5–ऐसे तमाम पट्टा धारक हैं जिन्हें नोटिस और आदेश दिये गये हैं ।

महोदय, ऐसे तमाम नोटिस और आदेश जिलाधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं जिलाधिकारी के इस अनैतिक एवं भ्रष्ट रवैये के कारण महोबा के पट्टा धारकों एवं आम जनता में आक्रोश व्याप्त है । जनता में बेरोजगारी फैल रही है । फर्जी साइक्लोस्टाइल कापी पर आदेश निर्गत किये जाने के कारण क्षेत्र में यह उद्योग बंद होने के कगार पर आ रहा है जबकि यह स्टोन क्रेशर उद्योग यहां का प्रमुख उद्योग है महोबा जिलाधिकारी के तानाशाह रवैये एवं आर्थिक शोषण के कारण लोगों में भय व्याप्त है लोग आन्दोलन करने पर उतर आये हैं ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन से मांग करता हूं कि तत्काल इस पर रोक लगायी जाय और परेशान लोगों को राहत दी जाय आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद गाजीपुर में जिला मुख्यालय रौजा रेलवे–क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र यादव–

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर में जिला मुख्यालय रौजा रेलवे क्रासिंग पर नित्य प्रतिदिन जाम लगता रहता है। जिले की 5 तहसील में से चार तहसील के लोगों का आवागमन उक्त मार्ग से ही शहर में प्रवेश होता है। शहर में 5-6 डिग्री कालेज, पालीटेक्निल स्कूल, कई पब्लिक स्कूल हैं परीक्षाओं के समय जाम के वजह से परीक्षार्थियों की परीक्षायें छूट जाती हैं। बालिकाओं के लिए तो और ही समस्या है।

बलिया, वाराणसी की बसें उसी मार्ग से होकर गुजरती हैं तथा उजियार घाट वाया गाजीपुर की राजकीय बसें व प्राइवेट बसें उसी मार्ग से होकर गुजरती हैं। गोरखपुर, मऊ, वाराणसी की बसें भी उसी मार्ग से गुजरती हैं, दुल्लहपुर, जंगीपुर, गाजीपुर की बसें भी उसी मार्ग से गुजरती हैं।

बिहार प्रदेश की तमाम राजकीय बसें व ट्रकें इसी मार्ग से होकर गुजरती हैं। पटना दिल्ली मार्ग की ट्रकें भी इस मार्ग से गुजरती हैं। जनपद की तीन चौथाई जनता इससे प्रभावित है।

अतः रौजा रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनना अति आवश्यक है।

अस्तु ओवर ब्रिज बनवाने की मांग करते हुए लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

नवसृजित जनपद अम्बेडकरनगर के जिला मुख्यालय के निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर–

[महोदय, नवसृजित जनपद अम्बेडकर नगर के जिला मुख्यालय के निर्माण हेतु 4-5-1997 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा 394 लाख एवं जिलाधिकारी आवास चतुर्थ श्रेणी आवास, तृतीय श्रेणी एवं प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी आवास के निर्माण हेतु कुल रु० 177 लाख स्वीकृति की गई थी परन्तु उक्त जिला मुख्यालय आदि का निर्माण अभी तक न कराये जाने से उक्त स्वीकृतियों की लागत भी बढ़ गई है। जिससे एक तरफ सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ेगा वही उक्त जिला मुख्यालय के निर्माण न होने से आम जनता को भी कठिनाइयों उठानी पड़ रही हैं।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती में गोविन्दनगर टिनिच मार्ग पर कुआनों नदी पर शीघ्र पुल निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[महोदय, जनपद बस्ती में गोविन्द नगर टिनिच मार्ग पर कुआनों नदी पर लगभग दो वर्ष पहले पुल का निर्माण स्वीकृत हुआ था लेकिन खेद है कि आज तक इस पुल का कार्य आरम्भ नहीं कराया गया। पुल निर्माण के स्थल के समीप कुछ रेलवे की भूमि है जिसके मुआवजे के लिए रेल विभाग ने दावा किया था, यह क्लेम लगभग दस लाख रुपया है जिसे लोक निर्माण विभाग बस्ती द्वारा रेल विभाग को दिया जाना है जो अभी तक नहीं दिया गया और सम्भवतः कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है फिर भी पुल निर्माण कार्य आरम्भ कराने में जो भी बाधाएं हों, उसका निराकरण कर शीघ्र पुल का कार्य आरम्भ कराएं, इसके साथ के जितने भी पुल स्वीकृत हुए उनका निर्माण लगभग पूरा हो रहा है। अतः इस लोक महत्व के विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर शीघ्र निर्माण की अपेक्षा करता हूं।]

जनपद संतरविदास नगर (भदोही) ज्ञान पुर क्षेत्रान्तर्गत गंगा की कटान को रोकने एवं छछुआ ग्राम सभा को कटान से बचाने के सम्बन्ध में नियम–301 के सम्बन्ध में सूचना

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[महोदय, जनपद संत रविदास नगर भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र जो 3 तरफ गंगा नदी से घिरा हुआ है। हर वर्ष गंगा की बाढ़ एवं कटान से लाखों की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है वहीं सैकड़ों एकड़ जमीन एवं एक गांव जो हरिहरपुर के नाम से जाना जाता था गंगा में विलीन हो गया और छछुआ ग्राम प्रतिवर्ष गंगा की कटान से प्रभावित हो रहा है। कई बार सदन से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। नियम–51,301 के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। किन्तु आज तक कोई कार्यवाही न होने से जनपद में असंतोष व्याप्त है और छछुआ ग्राम सभा गंगा नदी में विलीन होने की स्थिति में हो गया यदि इसे नहीं बचाया गया तो आगामी कुछ ही समय बाद पूरा गांव गंगा की चपेट में आ सकता है।

कृपया गंगा की कटान को रोकने हेतु और छछुआ ग्राम सभा को जिसकी आबादी 3 हजार से अधिक और सैकड़ों जमीन एवं करोड़ों की सम्पत्ति विनष्ट होने के कगार पर है उसे बचाने हेतु शासन से वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।]

जनपद मुरादाबाद में स्वास्थ्य केन्द्र फरीदपुर खुशहाल एवं बहादुर में डाक्टर एवं कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने तथा दवायें उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेन्द्र पाल सिंह–

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र बहजोई, जनपद मुरादाबाद में स्थित स्वास्थ्य केन्द्र फरीदपुर खुशहाल, एवं बहापुर में व्याप्त अव्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। फरीदपुर खुशहाल केन्द्र पर लगभग 5 वर्षों से न डाक्टर है और न ही कोई फार्मासिस्ट है। इसी प्रकार बहापुर केन्द्र पर भी न कोई डाक्टर है और न ही अन्य कोई कर्मचारी है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाली लाखों की जन संख्या को किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी सुविधा नहीं है। आये दिन लोगों की बीमारी से मौतें हो रही हैं। जनता में सरकार के विरुद्ध रोष एवं भय व्याप्त है।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त दोनों स्वास्थ्य केन्द्रों पर तत्काल डाक्टर एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये और दवायें भी उपलब्ध करायी जायं ।]

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में गरीब परिवारों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्यारे सिंह एवं श्री वसीम अहमद–

[महोदय, जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील अन्तर्गत दिनांक 20-5-2000 से 19-08-2000 तक कुल 108 व्यक्तियों को इस योजनान्तर्गत 10,000/- रु० देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें आज तक दिनांक 19-8-2000 के स्वीकृत किये गये 16 परिवारों में से मात्र 11 लोगों को लाभान्वित किया गया, शेष 97 परिवार आज भी सरकार से आशा लगाये हुए हैं कि 10,000/- रु० उन्हें मिलेंगे ।

यह ऐसे ही परिवार है, जिनके घर के कमाऊ व्यक्ति के मृत्यु होने से इन परिवारों के बच्चों को रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया है ।

अतः इस निश्चित विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि इन गरीब परिवारों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत उ० प्र० सरकार से लाभान्वित कराने का कष्ट करें ।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित रायबरेली रोड स्थित शारदा नगर योजना के सेक्टर–3 में समस्त नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा–

[महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित रायबरेली रोड स्थित शारदानगर योजना के सेक्टर–3 में भूखण्ड/आवास संख्या–डी–3/227 से डी–3/242 के सामने स्थित पार्क के चारों ओर के भूखण्डों में आम नागरिक सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है । वहां पर प्रयुक्त जल की निकासी हेतु नालियों का निर्माण नहीं कराया गया है । जगह-जगह सीवर की पाइप लाइन नहीं डाली गयी तथा जहां सीवर पाइप लाइन डाली गयी है वहां चैम्बर्स का निर्माण नहीं कराया गया है । समस्त सड़कें जगह-जगह क्षतिग्रस्त हैं । पार्क का भी विकास नहीं कराया गया है । उपरोक्त आम नागरिक सुविधाओं के पूर्ण अभाव के कारण वहां के नागरिकों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वहां की आम जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है ।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए रायबरेली रोड स्थित शारदानगर योजना के रजनीखण्ड सेक्टर–3 में ऊपर उल्लिखित समस्त नागरिक सुविधाएं अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं ।]

सहायक लेखाकारों को भण्डारनायकों की भांति पदोन्नति/उच्च वेतनमान किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोमती यादव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 द्वारा जारी समयमान वेतनमान/उच्च वेतनमान विषयक शासनादेश सं०-405/पी०आर०सी०/44–1–84–31–उ०वेरि०/82 दिनांक 30 जून, 1994 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो वास्तव में समयमान वेतनमान विषयक न होकर, वृद्धिरोध वेतनवृद्धि से संबंधित है तथा विधान सभा में दिनांक 15-05-2001 को उत्तरित तारांकित प्रश्न सं–15 के उत्तर के प्रतिकूल है । लगभग चौबीस वर्षों की सेवा मूलतः एक

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ही पद और एक ही वेतनमान में पूर्ण कर चुके तथा अगले वर्ष से सेवा निवृत्त होने वाले सहायक लेखाकारों को भण्डारनायकों की भांति पदोन्नति/उच्च वेतनमान दिलाने विषयक श्री गोमती यादव विधायक, के पत्र दिनांक 17-04-2001 के बावजूद कर्मठ कर्मियों की लगातार उपेक्षा अनुचित है । अपनी सेवा का 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कार्यकाल पूरा कर चुके सहायक लेखाकारों को पदोन्नति/प्रोन्नत वेतनमानत की मांग किसी शासनादेश के अधीन नहीं की गयी बल्कि संवर्ग में व्याप्त जबर्दस्त ठहराव के कारण दिनांक 18-11-1990 के लिखित समझौते तथा दिनांक 23-11-1990 की निदेशक मण्डल की सहमति के आधार न्यायहित में प्रस्तावित है । इसे दिनांक 30-06-1994 के शासनादेश की आड़ लेकर उलझाना अनुचित है, क्योंकि समझौते की दिनांक 18-11-1990 को प्रश्नगत शासनादेश का अस्तित्व ही नहीं था । इस मामले में केवल एक ही शासनादेश लागू होता है और वह है माननीय मुख्य सचिव का शासनादेश सं०–3/ईएम०/2000–का–4-2000 दिनांक 18-12-2000 का प्रस्तर–2 (ख) । जो लागू किया जाना शेष है । फिर भी प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 30-06-1994 से पूर्व 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मियों को भण्डार नायकों की भांति पदोन्नति/उच्च वेतनमान देने में कोई विवाद या मत-भिन्नता नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में, मैं तत्काल आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत गन्ना, बीज एवं गेहूं मूल्य का भुगतान किसानों को कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल कृष्ण–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर में गन्ना उत्पादक किसानों का खुला शोषण व लूट हो रही है । पूरनपुर किसान सह चीनी मिल ने अभी लगभग 4 करोड़ 58 लाख रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं दिया है । साथ ही हर वर्ष गन्ना समिति गन्ना किसानों की गन्ना बीज ऊर्जा पर वितरित कराती है । इस वर्ष भी लगभग 1 करोड़ रुपया का गन्ना बीज वितरित कर दिया । यह बीज किसानों के खेतों में उन्नतिशील बीज आधार पौधशाला तथा प्राथमिक पौधशाला व अन्य बीज उत्पादित कराकर समिति अपनी पर्ची गन्ना किसान को भारी कर देती है और किसान पौधशाला से पर्ची देकर बीज ले आता है पौधशाला धान किसान पर्चियां समिति में दे कर भुगतान ले आता है ।

इस वर्ष समिति पूरनपुर ने 1 लाख कुं० गन्ना बीज क्रय करके बंटवाया है । मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है किसान गेहूं में भी लूट रहा है । चेक लिए बैंक दरदर भटक रहा है । बैंक के लोग खाता भी नहीं खोलते । गेहूं का पैसा नहीं है । इसी ओर गन्ना बीज का भुगतान न मिलने से किसान भुखमरी के कगार पर है । धान की पौध इस महंगाई के काल में बगैर पैसा कैसे डाले मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है कृपया अविलम्ब गन्ना बीज का भुगतान व गेहूं के मूल्य का भुगतान किसानों को कराने का निर्देश दें जिसमें किसान भुखमरी व बर्बादी से बच सके ।]

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत खड्डा के सफाई कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपलाल भारती–

[महोदय, जनपद कुशीनगर अन्तर्गत नगर पंचायत खड्डा के नियमित 6 सफाई कर्मचारियों को फरवरी, 2000 में एरियर तथा बोनस में कुल 2,35661.00 (दो लाख पैंतीस हजार छः सौ इकसठ रुपये) देने के लिए निशान अंगूठा लगवाकर 1,34,400.00 (एक लाख चौंतीस हजार चार सौ रुपये) ही

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

स्थानीय लिपिक अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन तथा चेयरमैन पति की मिली भगत के तहत नकद दिया गया जिसकी शिकायत जिलाधिकारी कुशीनगर को प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी पडरौना द्वारा दिनांक 7-4-2001 को खुली जांच करने पर सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत शिकायत को सही पाया गया किन्तु कटौती की हुई धनराशि आज तक सफाई कर्मचारियों को वापस नहीं हो सकी और दिनांक 20-5-2001 को छुट्टी के दिन युक्त आरोपित व्यक्तियों द्वारा पीड़ित सफाई कर्मचारियों को डरा धमका कर सादे कागजों पर नि० अंगूठा/हस्ताक्षर कराया गया जिसके कारण उसमें से एक महिला सफाई कर्मचारी श्रीमती धानमती की मृत्यु दो तीन घण्टे बाद सेवा कार्य करते समय सदमा से हो गयी । इससे नगर में आक्रोश व्याप्त है ।

नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के सफाई कर्मचारियों का आर्थिक शोषण के बाद मानसिक उत्पीड़न करने के उद्देश्य से तरह-तरह की धमकी दी जा रही है । सफाई कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग उ० प्र० सहित सभी सक्षम अधिकारियों को सूचित कर न्याय की मांग करते आ रहे हैं । प्रकरण में जिलाधिकारी कुशीनगर के पास सं०–889/एल० बी० सी०/2001–2002 दिनांक 27-4-2000 द्वारा अध्यक्ष नगर पंचायत खड्डा कुशीनगर को सफाई कर्मचारियों के बोनस व एरियर की काटी गयी धनराशि वापस करने का निर्देश हुआ है ।

अस्तु अत्यन्त लोक महत्व के प्रकरण को उठाकर सरकार से मांग करता हूं कि अनुसूचित एरियर व बोनस की धनराशि वापस दिलाया जाय तथा उत्पीड़न करने वालों के ऊपर दण्डात्मक कार्यवाही की जाय ।]

श्री रामवीर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा एवं उनकी पत्नी को सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर उपाध्याय–

[महोदय, निवेदन यह है कि दिनांक 28-5-2001 को मैंने अपनी सुरक्षा के बारे में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना दी थी, माननीय पीठ से मेरी सुरक्षा के बारे में व्यवस्था दी गयी कि शासनादेश से पूर्व की सुरक्षा को बहाल करने पर विचार करने का निर्देश तथा मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने को भी निर्देश दिये गये हैं । यह है कि मा० अध्यक्ष जी विधान सभा ने मा० मुख्य मंत्री से भी अनुरोध किया तथा मा० संसदीय कार्य-मंत्री ने भी प्रमुख सचिव, गृह को मा० पीठ के निर्देशों से अवगत कराया है । मेरी सुरक्षा में आज तक दो गनर मा० उच्च न्यायालय के आदेश से और गनर विधायक होने की वजह से है ।

मेरे राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वी मुझे और मेरे परिवार को समूल नष्ट करना चाहते हैं । पेशेवर हत्यारा को सुपारी दी जा चुकी है । इसलिए मेरे जीवन को अत्यधिक भय है । मेरे ऊपर चार-बार जानलेवा हमला भी हो चुका है । मेरी पत्नी श्रीमती सीमा उपाध्याय जिला पंचायत अध्यक्ष, हाथरस को अभी तक सुरक्षा नहीं मिली है ।

अतः प्रार्थना है कि सरकार को निर्देश देनें का कष्ट करें कि मुझे और मेरी पत्नी को सुरक्षा देने की व्यवस्था की जाय ।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मेरठ में मलियाना एवं हासिमपुर दंगे के दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी–

[महोदय, प्रदेश सरकार हर प्रकरण पर पारदर्शिता की दोहाई देती रहती है मगर तमाम ऐसे घटनाओं एवं प्रकरणों को दबाये रहती है जो जनहित से जुड़े रहते हैं दिनांक 22 मई, 1987 को मेरठ शहर में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ । मलियाना एवं हासिमपुर काण्ड चर्चित काण्ड रहा, इस दंगे की जांच भी श्री ज्ञान प्रकाश कमेटी ने किया जिसमें तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकामी इन्स्पेक्टर एवं 60 पुलिस पी०ए०सी० के लोग मुल्जिम करार हुए मगर अब तक इन लोगों के विरुद्ध प्रदेश सरकार ने कुछ कार्यवाही नहीं की । पारदर्शिता तो महाराष्ट्र सरकार ने दिखाया कि श्री कृष्ण आयोग ने बम्बई के 1993 के दंगे में दोषी पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया, तथा तत्कालीन पुलिस आयुक्त को लेते हुए पुलिस कर्मियों के ऊपर 302 का मुकदमा कायम कराकर गिरफ्तार कराया । इस प्रकार इतना लम्बा समय गुजर जाने के बाद प्रदेश सरकार कुछ भी नहीं कर पायी जिससे जनता का विश्वास उठ गया है तथा एक विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है तथा जनता में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की घटना पर चर्चा एवं वक्तव्य की मांग करता हूं ।]

सिंचाई विभाग के लोअर कैनाल आगरा द्वारा कतिपय ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान कराने तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोअर कैनाल आगरा के अन्तर्गत जल कुम्भी, सुदृढ़ीकरण सिल्ट की सफाई कटिंग बन्द करने रेगूलेटर तख्तों की आपूर्ति आदि कराये जाने के उपरान्त वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में लेखा शीर्षक 2701 के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा क्रमशः धर्म सिंह पुत्र किशन सिंह तथा किशन सिंह पुत्र फगुनी राम निवासी ग्राम–पोस्ट अडीग जिला मथुरा द्वारा कार्य कराये जाने के उपरान्त के क्रमशः 1,5,3,-073.00 एवं 2,84,774.00 का भुगतान किया जाना था चूंकि दोनों ही ठेकेदारों के अनुसूचित वर्ग के होने के कारण भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि इस संबंध में मा० मंत्री जी सिंचाई उत्तर प्रदेश द्वारा भी भुगतान को किये जाने के निर्देश जारी किये गये । सभी कार्य तो एम० वी० तथा वर्क आर्डर में इन्द्राज होने के बावजूद जानबूझकर कर षडंयत्र के तहत भुगतान नहीं किया गया है पीड़ित अनुसूचित जाति के दोनों ही ठेकेदारों ने अपनी कृषि भूमि को भी साहूकारों के यहां गिरवी रखकर भुगतान मजदूरों को भुगतान करने के उपरान्त भी अन्य का भी भुगतान अवशेष है जिसके कारण लोअर कैनाल आगरा में कोई भी ठेकेदार कार्य करने को तैयार नहीं हो पाता है इसलिए राजबाहों एवं माइनर के रख-रखाव न होने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु पानी भी टेल तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है किसानों के सामने समस्या उठ खड़ी हो गयी है खेतों की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध न हो पाने के कारण उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है त्राहि-त्राहि मची हुई है जनहित में विभाग द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान न होने की स्थिति में शासन की छवि खराब हो रही है तथा गलत संदेश आम जनता में जा रहा है जो कि उचित नहीं है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि शासन एवं सिंचाई विभाग लोअर कैनाल आगरा द्वारा पीड़ित अनुसूचित जाति के उपरोक्त पीड़ितों को न्याय मिल सके तथा भुखमरी पर पहुंचे परिवार को राहत मिल सके साथ ही अभी तक शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध भी कार्यवाही आवश्यक है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआमाना गया ।

जनपद फैजाबाद में रुदौली क्षेत्रान्तर्गत मड़हा ड्रेन की खुदाई कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आचार्य रामदेव वैश्य–

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र रुदौली जनपद–फैजाबाद में मड़हा ड्रेन जो काजी के पुरवा से बरौली, पुरायं, नेवाजपुर, सलेमपुर, आजाद नगर भोली, अमहटा, लोहानीपुरवा, मांगी चांदपुर, सुधारपुर, रसूलपुर तक फैली हुई है । इस ड्रेन की खुदाई न होने के कारण किसानों को हजारों हेक्टेयर जमीन हमेशा जलमग्न रहती है, जिसके कारण किसानों का काफी नुकसान होता है । इस उपजाऊ जमीन पर खेती करने से किसान वंचित रह जाता है जिसके कारण क्षेत्रीय किसानों में आक्रोश व्याप्त है । अविलम्ब मड़हा ड्रेन की खुदाई कराने तथा किसानों की उपजाऊ भूमि को बचाने की महती आवश्यकता है ।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को संज्ञान में लाते हुये सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल ड्रेन की खुदाई किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बुलन्दशहर में खुर्जा पोट्री उद्योग को एल० पी० गैस शीघ्र आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरपाल सिंह–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाकर उ० प्र० सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जिला–बुलन्दशहर का खुर्जा नगर पोट्री उद्योग हेतु उ० प्र० में ही नहीं सम्पूर्ण भारत में जाना जाता है खुर्जा शहर में लगभग छोटी बड़ी 500 पोट्री एक विशालकाय क्षेत्र में बनी हुई है । यह सभी पोट्री उद्योग हजारों मजदूरों को रोजी-रोटी देने में भी एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । इस उद्योग के द्वारा सभी प्रकार के स्वच्छ, सुन्दर और अलंकृत गृह प्रयोग के बर्तन बनाये जाते हैं और इस उद्योग का माल दूर-दूर तक सम्पूर्ण देश में बिक्री हेतु भेजा जाता है और इस शहर का दादू पोट्री तो देश में ही नहीं इसका निर्मित माल विदेश तक अपनी बढ़त बनाये हुए हैं । परन्तु श्रीमन् दुख यह है कि उक्त पोट्रियों को आज तक एल० पी० गैस प्राप्त नहीं हो सकी है और इन पोट्रियों का माल कोयला द्वारा ही तैयार कराया जाता है जिसके कारण काफी श्रम, समय और सम्पत्ति का ह्रास होता है । दूसरे इन 500 पोट्रियों का धुआं भी शहर को प्रदूषण की चपेट में लेता जा रहा है । यदि इनको डीजल द्वारा संचालित किया जाय तो वर्तमान में डीजल का दाम भी आसमान छू रहा है इसी लिए शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए एल० पी० गैस की आपूर्ति करना सरकार का एक नितान्त आवश्यक कार्य है । यदि इस उद्योग के लिए उ० प्र० सरकार ने एल० पी० गैस की आपूर्ति नहीं करायी तो खुर्जा शहर के पोट्री उद्योग धीरे-धीरे स्वाहा हो जायेंगे और हजारों मजदूर बे–घर बार और रोजी-रोटी से वंचित हो जायेंगे ।

इसलिए श्रीमन् अविलम्ब उत्तर प्रदेश सरकार को इस आदेश के तहत सूचित कर दें कि सरकार अपने सतत् प्रयत्न से खुर्जा पोट्री उद्योग को जीवन्त बनाने के लिए भारत सरकार से वार्ता कर एल० पी० गैस की शीघ्र आपूर्ति करा दें ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्रान्तर्जत लोक निर्माण विभाग द्वारा कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण एवं लेपन कार्य में अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेमपाल सिंह यादव–

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा बदायूं से दातागंज मार्ग का चौड़ीकरण, बेलडाडी से लेपन कार्य, अमरेट से सेमपुर मार्ग का चौड़ीकरण तथा समेरेट से कमौजययालपुर मार्ग का लेपन्न कार्य कराया गया है उपरोक्त सभी कार्य मानक के आधार पर नहीं कराये गये हैं। घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है जांच कराये जाने पर सत्यता सामने आ जायेगी। घटिया कार्य कारकर अधिकारियों द्वारा अपनी जेब भरी गई है।

अतः सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उपरोक्त मार्गों में किये गये कार्यों की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।]

जनपद बिजनौर में समस्त सीमाओं पर अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूलचन्द–

[महोदय, जनपद बिजनौर के अन्तर्गत जिला पंचायत बिजनौर द्वारा दिनांक 11-9-2000 से जनपद की समस्त सीमाओं पर बैरियर लगाकर भारी स्तर पर टोल टैक्स वसूलने का कार्य हो रहा है। जबकि समस्त मुरादाबाद मण्डल में बिजनौर के अतिरिक्ति यह टैक्स किसी अन्य जिले में नहीं लिया जा रहा है टैक्स वसूली मन चाहे ढंग से की जा रही है और 10 रुपया से लेकर 100 रु० तक की अवैध वसूली जोर जबर्दस्ती से की जाती है इस अवैध वसूली में माफियाओं का गिरोह विभागीय अधिकारियों से मिलकर मनमाने ढंग से वसूली करता है जबकि यह ठेका नियमों के विरुद्ध सितम्बर माह में 19 माह के लिए दिया गया है इसी से प्रतीत होता है कि ठेका अवैध रूप से चलाया जा रहा है और इस प्रकार से जनता का लाखों रुपया रोजाना इन माफियाओं की जेब में चला जाता है लगभग रोजाना ही इन बैरियर पर अलग-अलग स्थानों पर जबरदस्ती की वसूली को लेकर झगड़े व मारपीट भी होती रहती है। शान्ति व्यवस्था को भी खतरा पैदा हो गया है। इस कार्य से जनता उत्पीड़ित है और आन्दोलन की तरफ जा रही है और किसी दिन भी कोई बड़ी घटना घट सकती है।

अतः इस विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए आपसे सरकार को कार्यवाही हेतु निर्देशित करने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों में पद और बजट स्वीकृत किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० वकार अहमद शाह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रदेश में कार्यरत आर्युवेदिक व यूनानी चिकित्साधिकारियों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि वर्ष 1998 सें कार्यरत इन चिकित्साधिकारियों का अभी तक विनियमितीकरण नहीं हुआ है जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजपत्रित अधिकारी का विनियिमीतिकरण होना चाहिए। कृपया अधिकारियों का विनियमितीकरण कराये जाने हेतु सरकार को निर्देशित किया जाये।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष 1999-2000 की जिला योजना में स्वीकृत 50 आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालय में अभी पद व बजट स्वीकृत नहीं हुआ है जबकि चिकित्सालय चल रहे हैं इनमें पद व बजट स्वीकृत कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जिलाधिकारी आगरा द्वारा संग्रह सेवकों के साथ अनियमितता किये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश–

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

जिलाधिकारी आगरा के द्वारा संग्रह सेवकों के साथ जानबूझकर अन्याय किये जाने तथा नियमितीकरण कार्यवाही न होने से गहरा असंतोष व्याप्त है, वरीयता सूची को भी नजरदांज किया जा रहा है उदाहरण के लिए मोहन सिंह पुत्र देवी राम निवासी विद्यापुर किशवली जिला आगरा जो कि पिछड़ी जाति वार्ड के होने के कारण वरिष्ठता क्रम में 3 पर आने के कारण सही मायने में नियमितीकरण होने नहीं दिया गया, इस सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा भी नियमितीकरण उपगता का किये जाने का निर्णय व निर्देश दिये गये। पहले कोई किसी भी रूप में कार्यवाही नहीं की गयी है जिसके कारण गहरा असंतोष व्याप्त है। जब सभी को बर्खास्त कर बेरोजगार किये जाने का षडयंत्र है। इस संबंध में जानबूझ कर शासन द्वारा जारी पत्रों को भी देखना उचित नहीं समझ पा रहे हैं।

मेरा इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप पीड़ित अवशेष कर्मियों को न्याय उपलब्ध कराये जाने के साथ नियमित किये जाने के साथ मा० उच्च न्यायालय के आदेश पालन किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जाने का कष्ट करें तथा अभी तक कार्य में शिथिलता बरतने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें, जिससे शिथिलता भविष्य में न हो।]

जनपद मैनपुरी में बेवर शाखा के नहर सेवा मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर सिंह–

[महोदय, मैं आपका ध्यान बेवर शाखा (मैनपुरी) के नहर सेवा मार्ग पर पक्की सड़क का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु रु० 44 लाख का भुगतान शीघ्र किये जाने हेतु दिलाना चाहता हूं कि उपरोक्त विषय में क्षेत्रीय जनता एवं अधिकारियों के माध्यम से मेरे संज्ञान में लाया गया है कि वर्ष 1999 में माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में बेवर शाखा के 15 कि०मी० लम्बे नहर सेवा मार्ग को पक्की सड़क बनाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस मार्ग के निर्माण हेतु कुल 122.50 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें से अभी तक मात्र निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है तथा ठेकेदारों की देनदारियों का भी भुगतान शेष है। इस मार्ग के अधूरे पड़े रहने से जहां क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानी हो रही है वहीं दूसरी तरफ विभाग को भी क्षति उठानी पड़ रही है तथा यदि बरसात के पूर्व यह कार्य पूर्ण नहीं होता है तो सरकारी धन की भारी क्षति होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि बेवर शाखा के उपरोक्त नहर सेवा मार्ग को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रु० 44 लाख शीघ्र भुगतान करने का कष्ट करें।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली में अफसरैहा नदी के कटान से कमोलड़िया–भौआबाजार सड़क की सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

मास्टर छोटे लाल गंगवार–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना नियम–301 के अन्तर्गत देते हुये शासन का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज का कमोलड़िया–भौआ बाजार सड़क मार्ग ग्राम घिमरी के निकट अफसरैहा नदी से कट रहा है। ग्राम विजासिन से ग्राम अहरोला तक जाने वाली नहर भी ग्राम घिमरी के निकट पूर्वतया कटकर अफसरैहा नदी में गिर गई है जिससे ग्राम घिघरी के नीचे के ग्राम वरसिया, भौआबाजार, मरगापुर, मरमही या गोपालपुर, बौरिया, मगरासा, अहरोला आदि के कृषक सिंचाई से वंचित रह जाते हैं और सरकार को भी लाखों रुपयों के राजस्व की हानि होती है।

मान्यवर, निरन्तर अफसरैहा नदी के कटान से कमोलड़िया–भौआबाजार सड़क मार्ग कट रहा है बरसात में रास्ता अवरुद्ध होने की पूर्ण सम्भावना है जिससे जनमानस का आवागमन बंद हो जायेगा। इसलिये तत्काल पत्थर की पिचिंग लगाकर अफसरैहा नदी का कटान रोकना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन में कालपी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण में अनियमितताओं की शिकायत के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीराम पाल–

[महोदय, जनपद-जालौन में कालपी विधान सभा क्षेत्र के कुछ ग्रामों का वर्ष 1999-2000,2001 में बुन्देलखण्ड विकास निधि से विद्युतीकरण कराने की स्वीकृति आयुक्त झांसी मण्डल द्वारा दी गई तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद विद्युत विभाग उरई जालौन के आगमन व स्वीकृति के अनुसार धनराशि भी दे दी गई परन्तु अभी तक ग्राम जुगियापुर तरसोर का पुरूवा सिकरी जरहा, हथना खुर्द मऊ कनार, खेरई, अकोड़ी मवई अहीर, नाका, नजीरपुर एवं करमचन्द्रपुर सरसई, सिकीर रहमानपुर आदि ग्रामों में आधे अधूरे पोल भेजे गये हैं तथा उक्त कुछ ग्रामों के पोल गाड़ दिये हैं परन्तु तार नहीं लगाया गया है लाइनें अधूरी पड़ी हैं एक वर्ष से इस अधूरे कार्य को पूरा नहीं कराया जा रहा है। ग्रामीण जनता में आक्रोश व्याप्त है। उक्त ग्रामों की विद्युतीकरण के काम में तार व अन्य सामान की कमी कराई जा रही है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करते हुए उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें।]

जनपद सीतापुर में उ० प्र० वक्फ विकास निगम लि० के द्वारा लहरपुर में वक्फ की जमीन पर दुकानें बनाये जाने सम्बन्धी शिलान्यास के हटाये गये पत्थर को पुनः लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल मन्नान–

[महोदय, जनपद सीतापुर में उ० प्र० वक्फ विकास निगम लि० के द्वारा लहरपुर में वक्फ की जमीन पर दुकानें बनाने की योजना स्वीकृत की गई थीं जिस पर धनराशि उपलब्ध कराकर दुकानों का निर्माण कार्य तत्कालिक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री के द्वारा शिलान्यास व तत्कालिक अध्यक्ष उ० प्र०

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वक्फ विकास निगम की अध्यक्षता में किया गया था जिसका पत्थर हटाकर अब राजनैतिक द्वेषभाव के कारण अपमानित किया गया है जो किसी प्रकार से उचित नहीं है । इस प्रकार पत्थर हटाने की प्रथा यदि चलाई गयी तो अनेकों शिलान्यास, उद्घाटन के पत्थर हटाना तोड़ना प्रारम्भ हो जायेंगे शान्ति भंग होने की सम्भावना है यदि उक्त पत्थर पुनः स्थापित न किया गया तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है ।

अतः सरकार के संज्ञान में लाकर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद कुशीनगर में लक्ष्मीगंज चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बनवारी लाल दोहरे–

[महोदय, जनपद कुशीनगर गन्ना–बाहुल्य है, जहां अनेक चीनी मिलें हैं । गन्ना उत्पादन ही एक मात्र यहां के किसानों की नकदी फसल है, प्रतिवर्ष गन्ना पैदावार बढ़ता जा रहा है, किन्तु चीनी मिलों की पेराई क्षमता नहीं बढ़ रही है । गत वर्ष उ० प्र० राज्य चीनी मिलें घुघली महाराजगंज व छितौनी (कुशीनगर) सरकार द्वारा बन्द कर दिये जाने के कारण पुरानी व जर्जर चीनी मिल, लक्ष्मीगंज (कुशीनगर) की पेराई क्षमता कम होने के कारण समय से गन्ने की पेराई नहीं हो पाती, जिससे गन्ना कृषक अपना कृषि उपज प्राइवेट चीनी मिलों व कोल्हू पर कम दाम पर बेचने को मजबूर होते हैं । अस्तु ऐसे जनहित के प्रकरण को उठाकर सरकार से मांग करता हूं कि गन्ना बाहुल्य क्षेत्र की पुरानी चीनी मिल लक्ष्मीगंज (कुशीनगर) की पेराई क्षमता 5000 टी०सी०डी० की जाय ।]

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड–खड्डा ग्राम सभा हथिया में लगे सूख रहे उद्यान को पुनः हरा-भरा करा कर उसे पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवपूजन राम–

[महोदय, जनपद–कुशीनगर के विकास खण्ड–खड्डा, ग्राम सभा हथिया में 15–20 वर्ष से सरकारी उद्यान विभाग है जहां फलदार आम, लीची, केला, अमरूद इतनी व फलों के पौधों का उत्पादन करके ग्रामीणों को उचित पर उपलब्ध कराया जाता है, जिसके कारण किसानों को लाभ होता है । उक्त उद्यान हेतु 25–30 एकड़ भूमि अधिग्रहीत है तथा पक्के भवन बने हैं तथा अधिकारी कर्मचारी भी नियुक्त है परन्तु सरकार द्वारा दो वर्ष से अब कोई धन उक्त विभाग को नहीं मिलने के कारण उद्यान सूख रहा है तथा जनता में आक्रोश है ।

अस्तु ऐसे लोक महत्व उठाकर सरकार से मांग करता हूं कि जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा के ग्राम हथिया में लगे उद्यान विभाग को पुनः हरा-भरा कराकर नियमतः चालू किया जाय ।]

मुहम्मद हसन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज जौनपुर में बी० एड० के प्रवेश में अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अफजाल अहमद–

[महोदय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सम्बद्ध मुहम्मद हसन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज जौनपुर में बी० एड० की स्वीकृत सीटों के सापेक्ष अधिक छात्रों को प्रवेश देने सम्बन्धित अन्य अनियमिततायें किये जाने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । 60 सीटों को छात्रों के प्रवेश के लिए अध्यापक परिषद् जयपुर राजस्थान ने मान्यता दी है । परन्तु 185 छात्रों को प्रवेश लेकर पढ़ाने का कार्य करते हैं । रिजल्ट नहीं आता है परन्तु दुबारा विज्ञापन कर धन वसूली की जा रही है इससे छात्रों का शोषण हो रहा है । इस पर रोक लगनी चाहिए ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार से तत्काल जांच कराने एवं इस पर रोक लगाने की मांग के साथ संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की भी मांग करता हूं।]

चिकित्सा शिक्षा विभाग में अतिथि-प्रवक्ताओं, अंशकालिक टीचिंग-स्टाफ तृतीय-चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थायी समायोजन की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा विभाग संवर्गीय संगठनों की उक्त विषयक जनप्रतिनिधियों की संस्तुतियों, प्रस्तुत लोक सेवा आयोग परिधिगत पदों पर स्थायी-समायोजन के विभागीय दृष्टान्तों, अस्थायी-कामचलाऊ-अंतरिम व्यवस्थाओं के स्थायीकरण सम्बन्धी मा० न्यायालयों के निर्णय-आदेशों, उच्चादेशों, पठन-पाठन, कार्य-हित–जनहित की घोर अनदेखी कर रहा है।

होम्योपैथी शिक्षक सेवा नियमावली, 1990 में डिग्री-डिप्लोमा व डिमांस्ट्रेटर के रूप में 3 वर्ष के शैक्षिक अनुभव का प्राविधान है। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में डिमांस्ट्रेटर के पद पर आज तक भर्ती नहीं हुई। ऐसी दशा में नियमावली की यह शर्त अव्यवहारिक-अप्रासंगिक है। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद-नई दिल्ली ने मार्च, 94 में व्यवसायिक अनुभव को भी पात्रता श्रेणी में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव किया है जो परिषद व भारत सरकार के बीच लम्बित है। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत आयोग से चयन की दशा में प्रदेश के बाहर के गैर सरकारी कालेजों से फर्जी शैक्षिक अनुभव प्राप्तकर्ता आवेदन ही चयन पाने में सफल होंगे जो शिक्षा के प्रयोजनार्थ निरर्थक होगा।

अतिथि-प्रवक्ताओं, अंशकालिक समायोजन मात्र सर्वमान्य, शिक्षाहित व जनहित में होगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए अतिथि-प्रवक्ताओं, अंशकालिक टीचिंग-स्टाफ, तृतीय-चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थायी-समायोजन, प्रकरण पर चर्चा-वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के लहरपुर नगर स्थित राजकीय बालिका हाईस्कूल विद्यालय को इण्टरमीडिएट हेतु उच्चीकरण की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुराद लारी–

[महोदय, जनपद सीतापुर लहरपुर नगर में राजकीय बालिका हाई स्कूल को इण्टर मीडिएट उच्चीरकण करने हेतु जिला योजना की अनुसरण समिति में पिछले वर्ष और इस वित्तीय वर्ष में सर्वसम्मति से प्रस्तावित कर शासन को भेज दिया है। इतनी बड़ी आबादी के कस्बे में कोई बालिका इण्टर कालेज नहीं है जिससे बालिकायें शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हैं। इस कारण कस्बे में जनता में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण अभी तक उच्चीकरण नहीं हो सका।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उ० प्र० कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लखनऊ द्वारा करोड़ों रुपये के घोटाला किये जाने पर प्रभावी कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

[महोदय, उ० प्र० कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लखनऊ में कार्यरत महाप्रबंधक विपणन और उनके नियंत्रण में कार्य करने वाले तमाम कर्मचारियों ने प्राइवेट डीलरों से मिलकर लगभग 8.91 करोड़ रुपये के

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

घी और मक्खन, खोवा तथा दमन की दुग्धशालाओं को भेजना दिखाकर और माल भेजने पर ट्रान्सपोर्ट का व्यय खातों में भुगतान दिखाया गया जबकि घी और मक्खन उत्तर प्रदेश के पड़ोस में ही दिल्ली और अन्य स्थानों पर प्राइवेट डीलर के माध्यम से बेंच दिया। इस प्रकार ट्रान्सपोर्ट पर लगभग 10 लाख रुपये फर्जी तौर माल भेजना दिखाकर अधिकारियों द्वारा गबन किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 50,60 लाख रुपये की बिक्रीकर की चोरी की गयी। इस प्रकार की जांच ई०ओ०डब्लू० (विंग) ने सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अपराध संख्या–199/2001 धारा–420/467/468/471/109 भा०द०वि० के अन्तर्गत थाना हजरतगंज लखनऊ में दिनांक 28-2-2001 को दर्ज कराई गई परन्तु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस तरह से लाखों करोड़ों रुपये के घोटाला होने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न होने से पूरे प्रदेश में जनता आन्दोलित व आक्रोशित है। यह अविलम्बनीय लोक-महत्व का विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर संज्ञान लेते हुये सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु आदरणीय पीठ से निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट 1997-98††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की 23 वीं वार्षिक रिपोर्ट, 1997-98 को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 (ए) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 1991-1992 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा †††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन, एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 1991-92 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा को, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा–30(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(मद संख्या–8 एवं 9 पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सभापति जी नहीं हैं, जिस समय आऐंगे इनको ले लिया जायेगा।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए। बड़ी भयंकर दुर्घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात 5 मिनट बाद कहिएगा।

(माननीय सभापति के आ जाने पर)

---

†† छापी नहीं गयी।

††† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) त्रयोदश विधान सभा का सत्ताइसवां प्रतिवेदन †

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) त्रयोदश विधान सभा का "सत्ताईसवां प्रतिवेदन", जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1983-84, 86-87, 88-89, एवं 90-91 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड" से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) त्रयोदश विधान सभा का "अट्ठाइसवां" प्रतिवेदन

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2000-2001) त्रयोदश विधान सभा का "अट्ठाइसवां प्रतिवेदन", जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1987-88, 88-89, एवं 90-91 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड" से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

मैनपुरी में महिला की सिर कटी लाश मिलने विषयक प्रकरण को उठाने का प्रयास

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, 8 मार्च, 99 को एक सूचना मैंने दी थी कि हमारे क्षेत्र में एक सिर कटी महिला की लाश मिली थी।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण सदन में कल आया था। संशोधन वक्तव्य भी आया था, आप सुसंगत नियम में सूचना दें।

न्यूजवीक में 28 मई, 2001 को हुई दुखद घटना को टेलीविजन कम्पनी स्टार स्पोर्ट्स द्वारा विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल किये जाने पर आपत्ति

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, न्यूजवीक में 28 मई, 2001 को पिछले दिनों जो दुखद घटना हुई थी उसको टेलीविजन कम्पनी, स्टार स्पोर्ट उसे विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल कर रही है मैं इसकी मौखिक सूचना दे रहा हूं, लिखित दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप इसको लिखकर दे दीजियेगा।

दिनांक 31 मई, 2001 की कार्य-सूची की नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या–1 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कल 31 मई को तारांकित प्रश्न संख्या–1 नत्थी (ख) लगा था कि क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात की भांति क्या

---

† छापे नहीं गये।

उ० प्र० सरकार भी गो-बध पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका उत्तर दिया है सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, तथ्य यह है कि गो-बध पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु गो-बध निवारण अधिनियम संशोधन विधेयक, 23-4-92 को लागू हुआ था । इसी तरह से गो-बध निवारण अधिनियम, 1955 भी 6-1-55 से लागू है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के जो विधेयक हैं वह हमारी लाइब्रेरी और एल०आर० की लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा एक महीने, 15 दिन में कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह इस विधेयक को तलाशें जिससे यह जाहिर होता है कि अधिकारी सदन के प्रति कितने गंभीर हैं । मैं इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मा० संसदीय कार्य मंत्री जी इसको देख लीजिए, थोड़ी सी गतिशीलता आयेगी तो अच्छा रहेगा ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं इसको दिखवा लूंगा, अगर कहीं कमी है तो कार्यवाही भी की जायेगी ।

प्रदेश में चीनी मिलों को गन्ने की सुचारु रूप से आपूर्ति एवं गन्ना विकास हेतु विभाग द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों के संबंध में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

गन्ना विकास एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

[चीनी उद्योग प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है । इस उद्योग का कच्चा माल गन्ना है, जिसकी कृषि एवं आपूर्ति से लगभग 30 लाख गन्ना कृषक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुये हैं । गन्ना कृषकों का हित गन्ने की बेहतर उत्पादकता में है तो वहीं चीनी उद्योग का हित पर्याप्त एवं उच्च शर्करायुक्त गन्ने की उपलब्धता में है । यह दोनों ही हित एक-दूसरे के पूरक हैं इसलिये गन्ने की अनुकूल प्रजातियों का विकास एवं उनके व्यवसायिक प्रचार-प्रसार तथा उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु नियोजित गन्ना विकास की आवश्यकता है । गन्ना विकास विभाग द्वारा इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों में चीनी मिलों की सक्रिय भागीदारी भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है । इस दृष्टि से प्रत्येक मिल एवं उसको गन्ना आपूर्ति करने वाले गन्ना कृषकों के बीच स्वस्थ्य एवं स्थायित्वपूर्ण कारोबारी संबंध आवश्यक है । यह तभी संभव है जब मिलों का क्षेत्र परिभाषित हो एवं उसका सुरक्षण/अभ्यर्पण दीर्घकालीन नीति पर आधारित हो ।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग ने इस संबंध में गन्ना कृषकों, चीनी उद्योग एवं विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के उपरान्त पेराई सत्र, 2001-2002 से स्थायित्वपूर्ण सुरक्षण/अभ्यर्पण संबंधी व्यवस्था लागू किये जाने हेतु नीतिगत निर्णय लिये हैं, जिसकी प्रमुख विशेषतायें निम्नवत् हैं :–

(अ) प्रदेश की मिलों के लिये 5 वर्ष की अवधि के लिये सुरक्षण आदेश पारित किया जायेगा । जानबूझकर नगद साख सीमा प्राप्त न करने वाली चीनी मिलों को इस सुविधा से वंचित रखा जायेगा ।

(ब) स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बन्द हो गयी चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र को पड़ोस की चीनी मिलों को उनकी गन्ने की तुलनात्मक आवश्यकता एवं कमी को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्पित

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

किया जायेगा। बन्द मिल के चालू होने की दशा में अभ्यर्पित क्षेत्र उसे पुनः वापस कर दिया जायेगा।

(स) सुरक्षण/अभ्यर्पण आदेश पारित होने के उपरान्त किसी मिल के बन्द होने, गन्ना मूल्य का भुगतान ठीक न करने अथवा असन्तोषजनक गन्ना खरीद एवं उठान व्यवस्था जैसे व्यवहारिक व नियम सम्मत परिस्थितियां उत्पन्न होने पर ही उसमें कोई परिवर्तन/संशोधन सर्व संबंधित पक्षों को सुनने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

(द) यदि कोई नई मिल किसी पुरानी मिल के आस-पास स्थापित होती है तो उसके लिए मिल क्षेत्र निर्धारित करते समय पुरानी मिल की स्थापित पेराई क्षमता, उपलब्ध गन्ना, क्षेत्रफल ध्यान में रखा जायेगा।

(च) संयुक्त क्रय अनुमन्य नहीं होगा।

(छ) प्रत्येक मिल का अधिकारिक मिल गेट क्षेत्र साढ़े सात कि०मी० के अर्द्धव्यास का क्षेत्रफल माना जायेगा।

(ज) गन्ना सर्वेक्षण गन्ना विभाग, गन्ना समिति एवं चीनी मिल के कर्मचरियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। आर्थिक रूप से विपन्न गन्ना समितियों के सुरक्षण से सम्बद्ध कर्मचारियों के वेतन भार संबंधी व्यय मिल के सहयोग से वहन किया जायेगा।

(झ) लघु एवं सीमान्त कृषकों की उपज का 100% तथा बड़े कृषकों की उपज का 80 प्रतिशत मिलों द्वारा पेरा जायेगा तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को आपूर्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।

उक्त निर्णयों से अच्छी एवं अनुकूल प्रजातियों के त्वरित गन्ना विकास को बढ़ावा मिलेगा जिससे गन्ना कृषकों एवं चीनी उद्योग के हितों का सम्वर्धन होगा जो प्रदेश की नियोजित आर्थिक विकास के भी हित में होगा।]

[बस-बस दुर्घटना में मृतक परिवारजनों को समुचित मुआवजा दिये जाने की मांग विषयक: विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, बड़ी भयंकर घटना हुई है। सरकार संवेदनहीन हो गयी है। सरकार का कोई प्रतिनिधि यहां नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष–

कल मुख्य मंत्री जी ने इसका उल्लेख किया था।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, वहां के निवासियों ने समपार फाटक पर मानव युक्त फाटक लगाने की कई बार मांग की है। वहां के जिलाधिकारी, ए०आर०एम०, डी०आर०एम० से मांग की गयी लेकिन फाटक नहीं लगाया गया जिससे दुर्घटना हो गयी। मृतकों को मुआवजा मिलना चाहिए चाहे प्रदेश सरकार दे या केन्द्र सरकार दे। अल्पसंख्यक मारे गये हैं। यह अविलम्बनीय, महत्वपूर्ण घटना है।

श्री अध्यक्ष–

दुर्घटना-दुर्घटना होती है, इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात कहां से आ गयी ? नियम–56 में यह नहीं आता है, मैंने केवल उल्लेख के लिये अनुमति दी है।

श्री अरविन्द गिरि–

अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो वहां पर आन्दोलन की तैयारी होगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको शासन के संज्ञान में ला देता हूँ ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, कोई सहायता नहीं दी गयी है । बहुत गंभीर घटना है ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा नहीं हो रही है । मैंने इसको शासन के संज्ञान में ला दिया है । मैं कार्य-मंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव पारित किया गया उसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा ।

डा० कौशल किशोर–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा, मैंने शासन के संज्ञान में ला दिया है । आज अंतिम दिन तो काम होने दीजिये ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, ऐसे परिवार हैं जिनमें कोई नहीं बचा है। चाचा-पिता, सब मारे गये हैं । सहायता नहीं दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

शासन के संज्ञान में मैंने ला दिया है । शासन को जेब में तो है नहीं कि तुरन्त निकाल कर दे दिया जाये । यह चर्चा का विषय नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, कल मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि अगर केन्द्र सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी लेकिन सहायता नहीं दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सहकारिता मंत्री जी को भेजा था । मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि सदन में आयेंगे तो मैं पूछ लूंगा कि क्या कर रहे हैं लेकिन इतना उतावलापन है कि इसको अभी सुन लीजियेगा ।

उर्दू अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के संबंध में शासनादेशों में विसंगति होने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्यारे सिंह–

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एक आदेश दिया था सन् 90 में कि उर्दू के अध्यापक रखे जायेंगे और यह कहा था कि जो जामिया अलीगढ़ के उर्दू अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षित ग्रेड का वेतन दिया जायेगा ।

नोट :–[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

जब शिक्षा विभाग का बजट था उस दिन क्यों नहीं कहा ? जब अवसर होता है उस समय नहीं कहा जाता है ।

श्री राम प्यारे सिंह–

मान्यवर, 97 में एक शासनादेश होता है कि इन लोगों को अप्रशिक्षित ग्रेड दिया जायगा । एक सरकार कहती है कि प्रशिक्षित वेतनमान और दूसरी सरकार कहती है कि अप्रशिक्षित वेतनमान दिया जायगा ।

सवाल यह पैदा होता है कि इन उर्दू अध्यापकों का दोष नहीं था । आज जो दोनों अप्रशिक्षित और प्रशिक्षित अध्यापकों में वेतन में अन्तर है । अब आदेश आया कि उसकी रिकवरी की जाए । रिकवरी का अन्तर 60-70 हजार है ।

श्री अध्यक्ष–

जिस समय शिक्षा विभाग का बजट आया था उस समय यह कहना चाहिए था । इस विसंगति की बात मैं शासन के संज्ञान में ला देता हूं ।

महापुरुषों, देवी-देवताओं की छवि धूमिल करने वाली विदेशों से प्रकाशित पुस्तकों पर रोक लगाने तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, विशेष उल्लेख के रूप में अपनी बात रखना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में विदेशों में छपी कुछ ऐसी पुस्तकें बिक रही हैं जिनमें हमारे महापुरुषों, हमारे देवी-देवताओं जिनके बारे में करोड़ों हिन्दुओं की आस्था है उनको विभिन्न प्रकार के मैथुन करते दिखाया गया है जिसके कारण समूचे समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं । भगवान विष्णु को शेष शैय्या में सेक्सुअल कामसूत्र के माध्यम से दिखाया गया है । भगवान शंकर, भगवती मां, शक्तिस्वरूपा लक्ष्मी को इस तरह की तस्वीरें दिखाई गई हैं । इससे हिन्दू भावनाओं को आहत करने का काम किया गया है । ऐसी तस्वीरों को जब्त करने व दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मैं मांग करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी को दिखा दीजिए । वह शासन की ओर से इस संबंध में यथोचित कार्यवाही करेंगे ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए । बहुत छोटा सा यह विधेयक है इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि विभाग में कम्प्यूटरीकरण हुआ । कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ हमारे जितने दस्तावेज हैं उनकी परिभाषाओं को रखना पड़ गया । नये सिरे से उनका इस्तेमाल न्यायालयों में होता है और जगह भी होता है इस संबंध में कई कदम उठाने पड़े एक इसमें राहत देने का प्रयास है । कम्प्यूटरीकरण पूरा हो जाएगा तो दस्तावेजों की कापी रखना हमारे लिए सुगम हो जाएगा । सारे दस्तावेजों के स्टोर का कार्य रखा जा सकेगा । स्टोर करने का विषय है वह इतना पुराना हो गया इतना जीर्ण-शीर्ण हो गया उसका काम नहीं रहेगा । दूसरे सर्टीफिकेट वगैरह लेनी पड़ती है कभी बैनामा कराने पर नो ड्यूज वगैरह करानी पड़ती है सारे के सारे कार्य इससे आसान हो जायेंगे । आज भी हजारों की संख्या में दस्तावेज हैं जिनकी नकल

उतारी नहीं जा सकी । कम्प्यूटीकरण करने के बाद यह संशोधन किया है कि नकल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । स्वतः नकल हो जाएगी । यही कुछ संशोधन इसमें लाए गए हैं । एक धारा 69 के अन्तर्गत महानिरीक्षक निबन्धन उनके विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के प्रारूप तैयार करा रहे हैं यदि कोई व्यक्ति अपने दस्तावेजों को लिखना चाहे तो उसको डीड राइटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । अनेकों शिकायतों के बारे में डीड राइटर के पास जाना पड़ता है। उसमें इस प्रकार की व्यय दिखायी जाती है जो वैधानिक नहीं है। अब प्रारूप तैयार कराने की शक्ति दी है । प्रयास किया कि जिन कानून में प्राविधान नहीं था, प्रारूप को मान्यता नहीं थी यह भी शक्ति दी गई है । यह टेक्निकल संशोधन है । कोई विशेष संशोधन नहीं किया गया है । इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन औपचारिकता के नाते राम औतार शाक्य जी संशोधन लायेंगे क्योंकि इसके बिना उनका शुद्धीकरण नहीं होगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संशोधन रख रहा हूं । भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन, तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे ।

माननीय अध्यक्ष जी, यह विभाग संसदीय कार्य मंत्री जी के पास पहले से था । हर साल कोई न कोई संशोधन आता है । आप विद्वान और विधि वेत्ता भी हैं इसलिये सब धाराओं की तरफ से आपका ध्यान नहीं आकृष्ट करना चाहता । मैं आपका ध्यान सिर्फ जहां संशोधन हुआ है, उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । जो संशोधन आपने किया है उसमें जो दस्तावेज जिसकी स्टाम्प शुल्क की कमी पाई जाती है उसका निर्धारण कलेक्टर करता है । इसमें जो प्राविधान किया है उसमें कलेक्टर के विरुद्ध अपील का प्राविधान किया है, वह यह किया है कि मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी के यहां आपने यह प्राविधान किया है कि 60 दिन के अन्दर कलेक्टर के आदेश हो जाने के बाद वह अपील कर सकता है । इसमें प्राविधान यह किया है कि जो धन असेस किया गया है जब तक उसका 1/3 धन वह जमा नहीं करेगा तब तक उसकी अपील एप्लीकेशन एडमिट नहीं होगी । मान्यवर, यही विरोध है ।

दूसरा विरोध यह है कि आपने कहा कि जब अपील का अन्तिम डिसीजन हो जायेगा उसके बाद जो देय धनराशि है उस पर डेढ़ परसेन्ट ब्याज लगेगा । यह नई धारा बना दी । दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक पक्ष क्या है, सैद्धान्तिक पक्ष क्या है ? सैद्धान्तिक पक्ष कानून में लिख दिया, व्यवहारिक पक्ष यह है कि जो कोई भी रजिस्ट्री कराने के लिये रजिस्ट्रेशन आफिस में जाता है । मैं उस बात को कहना नहीं चाहता कि उस व्यक्ति पर क्या बीतती है, वह डिफाइन नहीं है । 2,4,5,7 परसेन्ट उससे लेते हैं । जब तक वह नहीं देता है तब तक उसका दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं होता है । जनता का शोषण आपके इस संशोधन करने से और हो जायेगा । अभी तक तो साधारण कानून था । रजिस्ट्री थी, शुल्क लगता था, अब इस प्रकार से वह ज्यादा परसेन्ट पर जायेगा और मजबूरी में जो नम्बर दो की इन्कम है, वह देनी पड़ेगी । अगर इसको वहां भेज देंगे तो डेढ़ परसेन्ट भी मिलेगा । अपील में 1/3 रुपया भी जमा करना पड़ेगा । अपील का स्टे 30 दिन का मिलेगा । सामान्यतया यह देखा जाता है कि जब अपीलेंट अथोरिटी को यह सन्तुष्टि हो जाती है कि इसमें स्टे देने के लिये समुचित ग्राउन्ड है तभी स्टे मिलता है इसमें यह प्राविधान करना चाहिए कि जब तक अपील अन्तिम रूप से तय न हो जाय, तब तक कार्य स्टे मिलना चाहिए । इस तरह से अनियमित तरीके से अधिकारियों को आधार दे दिया, नम्बर दो की कमाई के लिये रास्ता प्रशस्त कर दिया । इससे जन-जीवन शोषित हो जायेगा । यह अमेन्डमेंट जनता के विरुद्ध है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं । यह जल्दबाजी में लाया गया है । इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें वो गुण-दोष के आधार पर अपना प्रतिवेदन दे ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इसमें कहा गया कि 1/3 जमा करने की बात है वह हित में नहीं है। मान्यवर, हो क्या रहा है ! कोई छोटे बकायेदार अपील करने नहीं जाते। जिनके ऊपर करोड़ों का बकाया था वे स्टे करवा लेते हैं और इस सरकार को वंचित रखते हैं कई-कई वर्षों तक वसूली करने से। मान्यवर, इन लोगों के ऊपर पाबन्दी लगाने की आवश्यकता थी। हमने इसमें जांच करी तो पता चला कि बहुत बड़ी तादात में वह लोग हैं जिनके ऊपर हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपये का बकाया है। मान्यवर, लाखों करोड़ों के जो बकायेदार हैं, उन पर कुछ पाबन्दी लगानी थी। स्टे आगे तब जारी रहेगा जब तक सिक्योरिटी दे दें इस बात की कि वे लुप्त नहीं होंगे क्योंकि पहले वे लुप्त हो जाते थे। सरकार ने सिक्योरिटी मांगी है जिससे कि सरकारी धन की वसूली करने की हम कार्यवाही कर सकें। अभी हालांकि दूसरा संशोधन आने वाला है तब मैं विस्तार से उस पर आपको बता दूंगा। शाक्य जी, यह जो सारी व्यवस्था को हमने किया है आप अपने मुवक्किल से पूछ लेते कि आपको इससे रिलीफ मिली है कि नहीं तब आप यह शिकायत न करते। यह पहली बार हुआ है कि रजिस्ट्री करते समय सर्किल रेट से स्टैम्प दे दिया है तो संदर्भण में नहीं जायेगा।

इससे पहले होता था कि हर आदमी के ऊपर तलवार लटकी रहती थी पैसा नहीं दिया तो मुकदमा ऊपर पहुंच जाएगा। कोई बंदिश नहीं थी, हमने प्रतिबन्ध लगाया है, सब रजिस्ट्रार के लिए पाबन्दी कर दी है पहले कोई दस्तावेज पेश करने जाता था तो शोषण होता था। 6-7 महीने दस्तावेज पेश नहीं होते थे, बैनामा इसलिए कराया जाता था ताकि आवश्यकता पूरी कर ले, 6 महीने नहीं मिलेगा तो क्या फायदा होगा ? अब हमने यह कर दिया है कि जिस रोज बैनामा करायेगा उसी रोज दस्तावेज पेश करना पड़ेगा प्रदेश में कहीं से एक भी शिकायत मिली है तो सब रजिस्ट्रार को अगले दिन कुर्सी पर वापस नहीं पाया है उसको निलम्बित किया गया है इसमें केवल औपचारिकता के लिए बातें रखी गई हैं और कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है इसमें किसी समिति की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अपील के निस्तारण की कोई समय सीमा है ?

श्री राम औतार शाक्य--

मैंने इसलिए प्रश्न किया डेढ़ प्रतिशत ब्याज की व्यवस्था है अपील सुनने वाले अधिकारी ने दो वर्ष तक अपील का निस्तारण नहीं किया तो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के ऊपर उत्तरदायित्व आ गया कि डेढ़ प्रतिशत ब्याज दे, दूसरे की गलती के कारण भार उस पर पड़ रहा है।

श्री हुकुम सिंह--

अपील फाइल करने वाले को 60 दिन में अपील फाइल करनी पड़ेगी पहले 60 दिन नहीं था जब पुनरावलोकन किया तब फाइल कर दिया। स्थिति यह है कि उस अपील को पेण्डिंग रखने की आवश्यकता किसको पड़ती थी किसकी जिम्मेदारी है किसकी देनदारी है। उसके निस्तारण होने की, जब प्रतिबन्ध लगा दिया सिक्योरिटी देनी पड़ेगी तो स्वतः निस्तारण हो जायेगा।

श्री राम औतार शाक्य--

श्रीमन्, मैंने पूरा विधेयक पढ़ा है यह जो डेढ़ परसेन्ट की बात है इसमें समय सीमा होनी चाहिए। जहां अपीलेंट अथारिटी की समय सीमा नहीं है तो और कारण हो सकते हैं अपील फाइल होने के बाद डेढ़ परसेन्ट की रकम बहुत हो जाएगी। विधेयक के पेज नम्बर-4 में लिखा है--धारा-56 को संशोधित किया गया है--"परन्तु स्टाम्प शुल्क की किस विवादग्रस्त रकम की, जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज या शास्ति भी है, वसूली के रोक के लिए किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि

आवेदक ऐसी विवादग्रस्त रकम के एक तिहाई से अन्यून भाग की अदायगी का संतोषजनक प्रमाण न प्रस्तुत कर दे'' ''सन्तोषजनक'' शब्द से ऐसा लगता है जानबूझकर इसको लगाया गया है, प्रमाण शब्द काफी था, लेकिन आपने संतोषजनक कर दिया तो जहां से प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा जिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा वह कह देगा कि सन्तोषजनक नहीं है और यह ''सन्तोषजनक'' शब्द शोषण का आधार बनेगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–9 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे ।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की धारा 2 का संशोधन

2—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,–

(क) उपधारा (14) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

''(14) ''लिखत''– ''लिखत'' के अन्तर्गत किसी इलेक्ट्रानिक स्टोरेज और रिट्रीवल डिवाइस या मीडिया में या उसके द्वारा स्पष्ट या अनुरक्षित प्रत्येक दस्तावेज और अभिलेख भी है, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट अन्तरित, सीमित विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है,''

(ख) उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(14-क) "दान की लिखत"–"दान की लिखत" के अन्तर्गत कोई मौखिक दान देने या स्वीकार करने के लिए कोई लिखत भी है, चाहे वह घोषणा के रूप में हो या अन्यथा हो।"

(ग) उपधारा (22) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(22–क) "लोक आफिसर"–"लोक आफिसर" से सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा 2 के खण्ड (17) में यथापरिभाषित लोक आफिसर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संगठनों में से किसी के कार्यकलापों के संबंध में कार्यरत प्रत्येक आफिसर भी है, अर्थात् :–

(क) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन गठित कोई कानूनी निकाय या प्राधिकरण ;

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित कोई "वित्त पोषक बैंक" या "केन्द्रीय बैंक";

3—मूल अधिनियम की धारा 29 में,— धारा 29 का संशोधन

(क) खण्ड (क) में शब्द और अंक "सं० 40–(बन्धकविलेख)", के पश्चात् शब्द और अंक "सं० 43–(टिप्पणी या ज्ञापन)" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"(च–च) दान की किसी लिखत की दशा में आदाता द्वारा,"

4—मूल अधिनियम की धारा 31 में उपधारा (1) में शब्द "ऐसी रकम की (जो पांच रुपये से अनधिक और पचास नए पैसे से अन्यून हो), फीस, जैसा कलक्टर हर एक मामले में निर्दिष्ट करे "के स्थान पर शब्द" ऐसी रकम जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय" रख दिये जायेंगे। धारा 31 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 40 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :– धारा 40 का संशोधन

"(1–क) कलक्टर यह अपेक्षा भी करेगा कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क में कमी की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाय,"

परन्तु यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहत या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की रकम की पुनःसंगणना की जायेगी।

(1–ख) उपधारा (1–क) के अधीन देय ब्याज की रकम, देय रकम में जोड़ दी जायगी और उसे, सभी प्रयोजनों के लिए दिये जाने के लिए अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायगा ;

(1–ग) जहां स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहां उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो।

(1–घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायगा और तत्पश्चात् आधिक्य को, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज यदि कोई हो, कि प्रति समायोजित किया जायगा।

धारा 42 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 42 में,–

(क) शीर्षक में, शब्द और अंक "धारा 35,40 या 41" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 35,40,41 या 47–क" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 40 या धारा 41" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 40, धारा 41 या धारा 47–क" रख दिये जायेंगे।

धारा 47–क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 47—क में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) (क) यदि किसी लिखत, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो, की विषयवस्तु ऐसी सम्पत्ति की उक्त लिखत में उल्लिखित बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम बाजार मूल्य से कम हो, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी लिखत प्रस्तुत करने के ठीक पश्चात् और रजिस्ट्रीकरण के लिए उसे स्वीकार करने और उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन कोई कार्यवाही करने के पहले, धारा 29 के अधीन स्टाम्प शुल्क देने के लिए दायी व्यक्ति से उक्त नियमावली के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य के आधार पर यथासंगणित स्टाम्प शुल्क की कमी को देने की अपेक्षा करेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 23 के अनुसार पुनः प्रस्तुत करने के लिए लिखत को वापस लौटा देगा ।

(ख) जब खण्ड (क) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी को किसी लिखत के संबंध में दे दिया जाता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा कि उसके संबंध में स्टाम्प शुल्क की कमी को दे दिया गया है और अदा करने वाले व्यक्ति के नाम और आवास को सत्यापित करके उसे रजिस्ट्रीकृत करेगा ।

(ग) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, स्टाम्प शुल्क की कमी को यथाविहित घोषणा के साथ छापित स्टाम्प के रूप में खण्ड (क) के अधीन अदा किया जा सकता है ।

(घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) में निर्दिष्ट आदेश को प्राप्त करने के पश्चात् स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी नहीं करता है और लिखत को रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः प्रस्तुत करता है तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिए उसे कलक्टर को अभिदिष्ट करेगा ।

(ख) उपधारा (3) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"**स्पष्टीकरण** :–उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी कलक्टर को उपधारा (3) के अधीन किसी लिखत पर कार्यवाही प्रारम्भ करने से नहीं रोकेगी ।

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(4-क) कलक्टर यह भी अपेक्षा करेगा कि उपधारा (4) के खण्ड (दो) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम या शास्ति के साथ लिखत के निष्पादन के दिनांक से वास्तविक अदायगी के दिनांक तक संगणित स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज दिया जाय :

परन्तु यदि स्टाम्प शुल्क की कमी की रकम में अपील या पुनरीक्षण के तहत या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा फेरफार किया गया हो तो इस उपधारा के अधीन ब्याज के रकम की पुनः संगणना की जायगी ।

(4-ख) उपधारा (4-क) के अधीन देय ब्याज की रकम देय रकम में जोड़ दी जायगी और उसे सभी प्रयोजनों के लिए, दिये जाने के लिए अपेक्षित रकम का अंश भी समझा जायगा ।

(4-ग) जहां स्टाम्प शुल्क की कमी की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा स्थगित रही हो और तत्पश्चात् ऐसा स्थगन आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहां उपधारा (4-क) में निर्दिष्ट ब्याज किसी ऐसी अवधि के लिए भी देय होगा, जिसके दौरान ऐसा स्थगन आदेश प्रवृत्त रहा हो ।

(4-घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अदा की गयी या जमा की गयी या उससे वसूल की गयी या उसे प्रतिदेय किसी रकम को पहले उसके विरुद्ध बकाया स्टाम्प शुल्क की कमी या शास्ति के प्रति समायोजित किया जायगा और तत्पश्चात् आधिक्य को यदि कोई हो, उसके द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायगा ।"

8—मूल अधिनियम की धारा 56 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— धारा 56 का संशोधन

"(1-क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, अध्याय-चार, अध्याय-पांच के अधीन या धारा 26 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कलक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा जो पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और उस पर ऐसा आदेश, जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझे, पारित करेगा और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा :

परन्तु स्टाम्प शुल्क की किस विवादग्रस्त रकम की, जिसके अन्तर्गत उस पर ब्याज या शास्ति भी है, वसूली के रोक के लिए किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि आवेदक ऐसी विवाद-ग्रस्त रकम के एक तिहाई से अन्यून भाग की अदायगी का सन्तोषजनक प्रमाण न प्रस्तुत कर दे :

परन्तु यह और कि जहां मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी किसी स्टाम्प शुल्क, उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली के स्थगन के लिए या किसी ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिए कोई आदेश पारित करता हो और ऐसे आदेश के फलस्वरूप किसी स्टाम्प शुल्क उस पर ब्याज या शास्ति की वसूली स्थगित कर दी जाय, वहां ऐसा स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि अपीलार्थी बकाया रकम की अदायगी के लिए संबंधित कलक्टर के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त प्रतिभूति न प्रस्तुत कर दे।"

9—मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (1) में, शब्द "ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक माह से कम नहीं होगी किन्तु जो छह माह तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा" रख दिये जायेंगे। धारा 62 का संशोधन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–9, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय । मान्यवर, जो इससे पहले विधेयक में संशोधन की आवश्यकता थी लगभग वही आवश्यकता इसमें भी पड़ी इसलिए यह संशोधन लाये । मैं इस संशोधन के माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो व्यवस्था हमने की इस बीच में, थोड़ा सा अच्छा होगा मैं जानकारी दे दूं, मान्यवर, लगभग दो से ढाई लाख वाद लम्बित थे रजिस्ट्री से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में और यह बुरा हमें लगता था कि जिन लोगों ने स्टैम्प दे दिये और रजिस्ट्री भी करा दी उनकी सूची न्यायालय में लम्बित रहे । हमने कम्प्यूटरीकरण किया और कम्प्यूटरीकरण करके इसका प्रयास किया है कि किसी प्रकार से सुविधा वहीं की वहीं मिल जाय । एक अभियान चलाकर आम जनता में, आम उपभोक्ता में कि सर्किल रेट से स्टाम्प संदर्भ नहीं किया जायेगा । जो लम्बित वाद थे, स्पेशल कोर्ट बैठा करके, जो जनता के न्यायालय होते हैं उनको बैठा करके एक अभियान चलाकर निस्तारण का प्रयास हमने किया । आज वह पेन्डेन्सी ढाई लाख से घटकर 90 हजार हो गयी है और आगे के दायर वादों पर भी नियंत्रण किया है । मान्यवर, आपको इस बात का स्मरण होगा कि पहले स्टाम्प ड्यूटी 14 प्रतिशत थी और राजस्व साढ़े सात सौ करोड़ था । हमने स्टाम्प घटाकर साढ़े आठ प्रतिशत और राजस्व को बढ़ाकर चौदह सौ करोड़ किया । केवल इस कारण से किया कि आम वादकारियों के बीच में उपभोक्ताओं के मन में विश्वास पैदा हो । बड़ी कोशिश होती थी स्टाम्प बेचने की मुकदमें झेलने पड़ते थे, कोशिश करके यह विश्वास बैठाया कि सही रास्ते पर चलोगे तो हित होगा । परिणाम यह हुआ कि वह रजिस्ट्री के लिए आने लगे । वरना इससे पहले गलत तरीके से ट्रांसफर कराते थे, नौकरियों के स्टाम्प सौ रुपये में ट्रांसफर हो रहे थे, बाहर जाकर रजिस्ट्री कराते थे इससे हमारे राजस्व का घाटा हो रहा था और जो उपभोक्ता थे उनके हितों की रक्षा नहीं हो पा रही थी । कम्प्यूटरीकरण करके यह होगा कि हर सूचना कम्प्यूटर में उपलब्ध होगी । जनता का कोई आदमी उसकी कितनी भूमि है और टाइटिल के बारे में उसे पांच मिनट में सूचना उपलब्ध हो जायेगी । इसलिए यह संशोधन लाये हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी जिक्र किया कि बहुत से दस्तावेज नोटरी पर लिख दिये जाते थे । आप भिज्ञ हैं कि नोटरी पर जो दस्तावेज लिखे जाते थे उसका इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में उनका कोई महत्व नहीं होता था ।

मान्यवर, ये तो आज भी लगेंगे और आगे भी लगते रहेंगे, यह तो विश्वास पर मामला बनता है । यह कहना कि नोटरी पर लिख लिया जाता था इसका कोई ठोस आधार नहीं है । मान्यवर, इसमें जो

कृषि भूमि है इसके जो बैनामें होंगे, जो विक्रय होंगे, वसीयत होगी, उसके सम्बन्ध में इन्होंने पेज नम्बर–2 पर यह 6, धारा 21 का संशोधन, और 'ख' देखने का कष्ट करें ।

6–(ख)–"जहां सम्पत्ति कृषि भूमि हो, वहां उसके साथ मानचित्र या रेखांकन भी संलग्न हो, यह आवश्यक नहीं कि यह पैमाने पर हो, उसमें उस कृषि भूमि की दो सौ मीटर की त्रिज्या में स्थित समस्त सम्पत्तियां पूर्ण विवरण के साथ दर्शायी गयी हों ।"

मान्यवर, उसके आस-पास की बाउंड्री का ले लेते तब तो ठीक था स्वाभाविक भी लगता है । मान्यवर, कोई भी कानून कामन सेंस पर आधारित होता है । कामन सेंस के आधार से परे हो जाता है तो कानून की परिभाषा में उसे नहीं कह सकते हैं । यह जो संशोधन किया गया है कामन सैंस पर आधारित नहीं है । मान्यवर, जो मानचित्र है डिफाईन नहीं किया गया है । अब सेटिलमेंट वाल्यूम से सर्टिफाईड कापी की बात कही गयी है । आपके द्वारा उसके मानचित्र को नहीं माना जायेगा, अब वह 200 मीटर की सीमा क्षेत्र को प्रदर्शित करते हुए दिखाये, वह कितना क्लिष्ट कर दिया है । मान्यवर, कानून का पक्ष व्यावहारिक भी होना चाहिए कानून जो आज बने एक्जीक्यूशन करने वाले लोग वह सामान्यतः उसे लागू कर सकें । मान्यवर, जो धारा–52 का प्रकाशन होता है । उसमें 25 साल की चकबन्दी प्रक्रिया चलती रहती है 25–30 साल तक सर्टिफाईड कापी नहीं मिलती तो फिर कोई नक्शा नहीं मिल सकता है । तो जब नक्शा नहीं मिलेगा तो उसके साथ टैग कैसे कर सकेंगे ? यह दिक्कत महसूस होती है ।

मान्यवर, यह जो 200 मीटर वाली बात है यह अव्यावहारिक है अगर व्यावहारिक पक्ष लिया जाता तो यह क्लाज न बढ़ाया जाता । इन सारी बातों को देखते हुए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये वहां से विश्लेषण होने के बाद यह विधेयक पास हो ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कोई खास कठिनाई नहीं है इसमें । मान्यवर, कठिनाई यह आ रही थी कि कभी-कभी मूल्यांकन की कठिनाई आती थी कि आपने इसका अण्डर वैल्यूवेशन किया है । यह तो आबादी की जमीन है कृषि की जमीन नहीं है । अब उनके विवेक को समाप्त करने के लिए आस-पास का नक्शा लगाने की बात कही गयी है । ऐसी बातें आयीं कि जहां पर कृषि भूमि पर नोटिस दिया हुआ है आबादी की जमीन है ।

मान्यवर, जहाँ चकबन्दी होती है वहां नोटिफाईड हो जाता है वहां ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हैं चकबन्दी अधिकारी की अनुमति के बिना सर्टिफिकेट की वहां कोई प्रक्रिया चलती नहीं । धारा 52 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन नहीं हो जायेगा तो कठिनाई तो आयेगी ही, यह आप जानते हैं । अब अगर लोन हो तो कठिनाई आयेगी ।

मान्यवर, नोटिफिकेशन हर 20 साल के बाद होता है चकबन्दी की उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है । एक सरलीकरण की बात इसमें कही गयी है । एक सुविधा दी गयी है इसमें अगर कोई दिक्कत आयेगी तो आपका सदैव स्वागत है हम बात कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन 3 माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–25 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें ।

अधिनियम संख्या 16 सन् 1908 की धारा 2 का संशोधन

2–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की जिसे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में खण्ड (2) में,–

(क) शब्द "या पुस्तक का प्रभाग बनाया जाए" के स्थान पर शब्द "या पुस्तक का प्रभाग बनाया जाए और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी पुस्तक भी आती है जो इलेक्ट्रानिक रुप में हो" रख दिये जाएंगे ।

(ख) खण्ड (10) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(10–क) सही प्रति के अन्तर्गत सही फोटोस्टेट प्रति भी आती है ;

"(10–ख) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और इन्फारमेशन टेक्नालॉजी ऐक्ट 2000 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिये गये हैं ।

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में शब्द "रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक और रजिस्ट्रीकरण उपमहानिरीक्षक" के स्थान पर शब्द "रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण उपमहानिरीक्षक और रजिस्ट्रीकरण सहायक महानिरीक्षक" रख दिये जायेंगे ।

धारा 8 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 8 निकाल दी जाएगी ।

धारा 12 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द "उस जिले का रजिस्ट्रार" के स्थान पर "रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक" रख दिया जाएगा ।

6–मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :– धारा 21 का संशोधन

"(1–क) स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई भी निर्वसीयती दस्तावेज, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिग्रहीत न की जाएगी, जब तक कि :–

(क) उसमें ऐसी सम्पत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त ऐसी सम्पत्ति का वर्णन अन्तर्विष्ट न हो, और

(ख) जहां सम्पत्ति कृषि भूमि हो, वहां उसके साथ मानचित्र या रेखांकन भी संलग्न हो, यह आवश्यक नहीं कि वह पैमाने पर हो, उसमें उस कृषि भूमि की दो सौ मीटर की त्रिज्या में स्थित समस्त सम्पत्तियां पूर्ण विवरण के साथ दर्शायी गई हों।

7–मूल अधिनियम की धारा 32–क में – धारा 32–क का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "ऐसे क्षेत्रों में जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाएं" निकाल दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द फोटोस्टेट, शीर्षक सहित जहां कहीं भी आए हों, निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,–

(एक) शब्द "फोटोस्टेट प्रति" के स्थान पर शब्द "सही प्रति" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:–

"(ग) फोटोस्टेट प्रति का मिलान और सत्यापन ऐसे पदधारी द्वारा किया जाएगा जैसा रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर द्वारा निर्देश दिया जाय।"

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

8–मूल अधिनियम की धारा 32–ख निकाल दी जायगी। धारा 32–ख का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 51 में उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात् :– धारा 51 का संशोधन

"(2) पुस्तक 1 में धारा 17, 18, और 89 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वे सब दस्तावेजों या ज्ञापन को जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं और बिल नहीं हैं, सही प्रतियां फाइल की जायंगी :

परन्तु जहां पुस्तक इलेक्ट्रानिक रुप में स्टोरेज डिवाइस हो वहां उपर्युक्त धाराओं के अधीन रजिस्ट्रीकृत, यथास्थिति सभी बिलों से भिन्न दस्तावेज, या उनकी सही प्रतियाँ या ज्ञापनों को उसमें स्कैन किया जायेगा और उसकी एक मुद्रित प्रति को पुस्तक 1 में स्थायी रुप से रखा जाएगा,

(3) पुस्तक 4 में, धारा 18 के खण्ड (घ) और (च) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उन सभी दस्तावेजों की सही प्रतियाँ फाइल की जायेंगी जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित नहीं है :

परन्तु जहां पुस्तक इलेक्ट्रानिक रुप में हो वहां उपर्युक्त खण्डों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, यथास्थिति सभी दस्तावेज या उनकी सही प्रतियों को उसमें स्कैन किया जायगा और उसकी एक मुद्रित प्रति को पुस्तक 4 में स्थायी रुप से रखा जायगा ।"

धारा 52 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 52 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) खण्ड (क) में शब्द "ऐसी हर दस्तावेज पर उसके उपस्थापित किये जाने के समय" के स्थान पर शब्द "ऐसी हर दस्तावेज और उसकी सही प्रति पर उसके उपस्थापित किये जाने के समय " रख दिये जायेंगे ; और

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

(ख) ऐसी दस्तावेज के लिए रसीद रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर उसे उपस्थापित करने वाले व्यक्ति को देगा ।"

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायगी ।

धारा 53 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 53 में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

" परन्तु जहां पुस्तक इलेक्ट्रानिक रुप में हो, वहां उस पुस्तक और हस्त्य अनुरक्षित पुस्तक की सभी प्रविष्टियाँ और संख्याएं एक समान होंगी ।"

धारा 54 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 54 में शब्द "नकल कर लेने या ज्ञापन फाइल कर लेने" के स्थान पर शब्द "स्कैन कर लेने या सही प्रति, या ज्ञापन, फाइल कर लेने " रख दिये जायेंगे ।

धारा 55 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

"(7) जहां पुस्तक इलेक्ट्रानिक रूप में हो वहां इस धारा के अधीन बनाई गई अनुक्रमणिकाएं भी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित रीति से इलेक्ट्रानिक रुप में स्टोर की जाएंगी ।"

14–मूल अधिनियम की धारा 57 में उपधारा (1) में शब्द "अनुक्रमणिकाएं" के स्थान पर शब्द "अनुक्रमणिकाएं जो इलेक्ट्रानिक रूप में न हों," रख दिये जाएंगे। धारा 57 का संशोधन

15–मूल अधिनियम की धारा 58 में, उपधारा (1) में शब्द "रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत हर दस्तावेज पर" के स्थान पर शब्द "रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत हर दस्तावेज और उसकी सही प्रति पर" रख दिये जायेंगे।" धारा 58 का संशोधन

16–मूल अधिनियम की धारा 60 में, उपधारा (1) में शब्द "ऐसा प्रमाण-पत्र जिसमें 'रजिस्ट्रीकृत' शब्द अन्तर्विष्ट हो उस पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सहित जिसमें उस दस्तावेज की नकल की गई है, उस पर पृष्ठांकित करेगा" के स्थान पर शब्द "ऐसा प्रमाण-पत्र जिसमें 'रजिस्ट्रीकृत' शब्द अन्तर्विष्ट हो, उस उपयुक्त पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सन्दर्भ के साथ जिसमें उस दस्तावेज या उसकी सही प्रति को स्कैन किया जाना या रखा जाना है, उस पर और उसकी सही प्रतियों पर पृष्ठांकित करेगा।" धारा 60 का संशोधन

17–मूल अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :– धारा 61 का संशोधन

दस्तावेज, पृष्ठांकनों और प्रमाण-पत्र का क्रमवीक्षण और दस्तावेज को लौटाया जाना

"61–(1) धारा 52, 58, 59 और 60 के उपबन्धों के अनुपालन के पश्चात्, धारा 62 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 21 में उल्लिखित मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत प्रत्येक दस्तावेज का बिना अनावश्यक विलम्ब के स्कैन किया जायगा और उसके प्रिंट आउट को रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज के लिए उपयुक्त पुस्तक में उसके प्रतिगृहण के क्रम के अनुसार स्थायी रूप से रखा जायगा :

परन्तु जहां पुस्तक इलेक्ट्रानिक रूप में न हो या दस्तावेज का उसी दिन स्कैन किया जाना सम्भव न हो, वहां धारा 21 में उल्लिखित, मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज की सही प्रति को शीघ्रतम अवसर पर स्कैन किये जाने के लिए उपर्युक्त रीति में दस्तावेज के लिए उपयुक्त पुस्तक में रखा जायगा और उसके प्रिंट आउट से उसे स्थायी रूप से प्रतिस्थापित किया जायगा :

परन्तु अग्रतर यह कि, रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारम्भ के पूर्व फाइल की गई सही प्रति जो उसके लिए उपयुक्त पुस्तक में नकल नहीं की गई है, को धारा 32-क के अधीन प्रस्तुत सही प्रति समझा जायगा और उसे इस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जायगा :

परन्तु यह और कि यदि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारम्भ के पूर्व फाइल की गई सही प्रति अस्पष्ट या अन्यथा अपठनीय हो और उसके लिए उपयुक्त पुस्तक में नकल न की गई हो तो रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर, रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन से, सम्बन्धित पक्ष से यह अपेक्षा करेगा कि वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसकी सही प्रति तैयार कराने के लिए दस्तावेज उसे दे दे और यदि सम्बन्धित पक्ष उसको यह सूचित करता है कि दस्तावेज खो गया है या नष्ट हो गया है तो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपलब्ध सही प्रति को इस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जायगा।

(2) दस्तावेज़ का रजिस्ट्रीकरण, इसके पश्चात् पूर्ण हुआ माना जायगा और दस्तावेज उस व्यक्ति को, जिसने उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया था, या ऐसे अन्य व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसे उसने लिखित रूप में इस निमित्त नामित किया हो, धारा 52 में उल्लिखित रसीद प्राप्त करके लौटा दिया जायगा ।

(3) ऐसी सभी पुस्तकों को ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से जैसा कि समय-समय पर महानिरीक्षक द्वारा विहित किया जाय, अधिप्रमाणीकृत किया जायगा ।"

धारा 62 का संशोधन

18–मूल अधिनियम की धारा 62 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को अज्ञात भाषा में दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

"62–जब कोई दस्तावेज धारा 19 के अधीन प्रस्तुत किया जाता है तो मूल दस्तावेज को धारा 52, 58, 59, 60 और 61 के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जाएगा, और उसके अनुवाद को भी मूल दस्तावेज के साथ-साथ स्कैन किया जायगा और उसके प्रिंट आउट को मूल दस्तावेज के प्रिंट आउट के साथ रखा जाएगा और यदि पुस्तक इलेक्ट्रानिक रूप में नहीं है या स्कैन उसी दिन किया जाना सम्भव नहीं है, तो धारा 61 की उपधारा (1) के अनुसार अनुवाद की सही प्रति को दस्तावेज की सही प्रति के साथ रखा जाएगा, और धारा 57, 64, 65 और 66 द्वारा अपेक्षित प्रतियां और ज्ञापन बनाने के प्रयोजनों के लिए उसे मूल प्रति माना जायगा ।"

धारा 64 का संशोधन

19–मूल अधिनियम की धारा 64 में शब्द, "उपरजिस्ट्रार अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में उस ज्ञापन को फाइल करेगा," के स्थान पर शब्द "उपरजिस्ट्रार ऐसे ज्ञापन पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है" रख दिये जायेंगे ।

धारा 65 का संशोधन

20–मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (2) में,–

(क) शब्द "दस्तावेज की प्रति और मानचित्र या रेखांक (यदि कोई हो) की प्रति अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल करेगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे दस्तावेज की प्रति और मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, की प्रति पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है" रख दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द, "उसे अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल करेगा ।" के स्थान पर शब्द, "उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा के अधीन की जाती है" रख दिये जायेंगे ।

धारा 66 का संशोधन

21–मूल अधिनियम की धारा 66 में,–

(क) उपधारा (3) में शब्द, "उसे अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल करेगा" के स्थान पर शब्द, "उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में शब्द "उसे अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल करेगा" के स्थान पर शब्द, उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि उपधारा (3) के अधीन प्राप्त प्रति पर की जाती है" रख दिये जायेंगे ।

धारा 69 का संशोधन

22–मूल अधिनियम की धारा 69 में, खण्ड (जज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(जज–1) संख्या और रीति जिसमें दस्तावेजों के और अनुवाद की प्रिंट आउट या सही प्रतियां तैयार की जायेंगी, और पुस्तकें जिनमें उन्हें अभिलेख के लिए रखा जायेगा, को विनियमित करने वाले; (जज–2) घोषणा के प्रपत्र और सही प्रतियों के मिलान और सत्यापन की रीति को विनियमित करने वाले; (जज–3) रीति जिसमें, और रक्षोपीय जिसके अधीन रहते हुए पुस्तकों को इलेक्ट्रानिक रूप में रखा जायेगा, को विनियमित करने वाले;"

नई धारा 69–क का बढ़ाया जाना

23–मूल अधिनियम की धारा 69 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

मानक प्रारूपों को विहित करने हेतु महानिरीक्षक की शक्ति

"69–क–इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जनसाधारण के मार्ग दर्शन के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के मानक प्रारूपों को तैयार करेगा और उन्हें परिचालित करेगा, जिनका संशोधन के साथ या बिना संशोधन के प्रयोग किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :–इस धारा के अधीन तैयार और परिचालित किये गये मानक प्रारूप का प्रयोग, धारा 21 और 22 के अधीन अपेक्षित सम्पत्ति के विवरणों को छोड़ें जाने का आधार नहीं होगा।"

नई धारा 78–ख का बढ़ाया जाना

24–मूल अधिनियम की धारा 78–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

आसंजक लेबलों के रूप में रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान और उसकी अनुमति

"78–ख–(1) किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस आसंजक लेबलों के रूप में प्रभारित की जा सकेगी, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उन व्यक्तियों, जिनके द्वारा ऐसा विक्रय अकेले किया जाना है, को उसकी आपूर्ति और विक्रय और ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक और उनसे प्रभार्य फीस को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।"

(2) जिला रजिस्टार, किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए खरीदे गये खराब, गलती से प्रयोग किये गये या अप्रयुक्त आसंजक लेबलों के लिए, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार छूट दे सकेगा।

धारा 89 का संशोधन

25–मूल अधिनियम की धारा 89 में,–

(क) उपधारा (1), (2) और (4) में शब्द "उन प्रतियों को अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल करेगा," जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द और अंक, "उन पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत किसी दस्तावेज पर की जाती है" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (3) में शब्द, "यथास्थिति, उस प्रति या उन प्रतियों को अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल करेगा," के स्थान पर शब्द और अंक, "उन पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत किसी दस्तावेज पर की जाती है" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–25 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

वित्त मंत्री, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 है जिसकी फीस की जो दरें हैं उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है । मान्यवर, इसकी अनुमति महामहिम राष्ट्रपति महोदय से प्राप्त हो गई है 3-2-2001 को जो यह फीस की दरें हैं 1974 में निर्धारित हुई थीं । 26 वर्ष का एक लम्बा काल बीत गया है । यह दरें बहुत कम हैं किसी काम के लिए 4/- रुपये हैं, किसी के लिए 10 रुपये हैं, किसी के लिए 30/– रुपये हैं, यह दरें बहुत कम हैं । 1974 को यह लागू हुआ, 26 वर्ष बीत गये हैं यह जरूरी है । दरों में वृद्धि करने का इसमें प्रस्ताव है । उसका कारण है कि 1-1–74 में जब दरें लागू हुई तब मूल्य सूचकांक 232 था और अब 1-2-2001 को मूल्य सूचकांक 2186 पर पहुंच गया है । 74 की तुलना में 9 गुना से ज्यादा यह मूल्य वृद्धि हुई है । इसलिए मान्यवर, जो दरें थीं वह बहुत कम थीं इसी नाते 5 गुना की वृद्धि की गई, यह वृद्धि जायज है, उचित है । मैं माननीय राम औतार शाक्य जी से निवेदन करूंगा कि वह जो संशोधन रखने जा रहे हैं वह भी जानते हैं इस बात को कि आज आवश्यकता ऐसी है कि दरों में वृद्धि कर दी जाय । यह उचित है इसलिए मैंने विषय को रखा है ।

श्री राम औतार शाक्य

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से संशोधन रख रहा हूं भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने आज यह विचार व्यक्त किया कि इस संशोधन को लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति की अनुज्ञा प्राप्त हो गई है यह सेन्ट्रल ऐक्ट है और सेन्ट्रल ऐक्ट को संशोधित करने के लिए एक स्टेट अमेन्डमेंट ऐक्ट लाये हैं । केन्द्र में भी आपकी सरकार है । जो धारा आपने यह अनुसूची एक धारा–7 और उपधारा–1 में जो आपने विभिन्न फीस बढ़ाई है तो यह केन्द्रीय कानून है वहां भी आपकी सरकार है । जो एकरूपता लाने के लिए समूचा प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार बढ़ा सकती थी आपको यह अमेन्डमेंट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई वैसे भी देहात में एक कहावत है कि जब ऊंट खो जाता है तो कभी-कभी लोग गागर में ढूंढते हैं । इस अमेन्डमेंट से आप कितना राजस्व बढ़ायेंगे और जहां राजस्व आपका बढ़ सकता है, वहां पर कर नहीं लगायेंगे । जहां कर नहीं

लगना चाहिये वहां फीस बढ़ायेंगे तो यह कुछ बात समझ में नहीं आ रही है । माननीय मंत्री जी जब आप स्पष्टीकरण दें तो यह भी बतायें कि अन्य प्रान्तों में जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, तामिलनाडु, पंजाब आदि में दरें कितनी हैं । यहां इसके बढ़ाने से जनता पर अनावश्यक भार पड़ेगा, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की मांग करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, यह भारत सरकार का अधिनियम है, लेकिन इस अधिनियम में राज्य सरकारों को छूट है कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से संशोधन कर सकते हैं । इसी नाते से इस संशोधन को लाया गया है । पूछा गया, राजस्व की कितनी वृद्धि होगी, स्वाभाविक है कि जो दरें हैं, उसमें 5 गुना वृद्धि की गई है तो राजस्व में भी 5 गुना वृद्धि होगी । तीसरी बात जो इन्होंने कही कि दूसरे राज्यों की क्या स्थिति है, इसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि अपने-अपने राज्य की स्थिति के अनुसार सभी कदम उठाते हैं । उत्तर प्रदेश में यह वृद्धि आज होनी चाहिये क्योंकि मूल्य सूचकांक बढ़ गया है, इसलिये दरो में वृद्धि करने का औचित्य है, इसलिये इसको किया गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सबकी जिज्ञासा है कि इतनी वृद्धि करने से कितना कर प्राप्त होगा । कितना पहले होता था और कितना अब होगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जानकारी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जितना बढ़ाया है, उसके हिसाब से 5 गुना वृद्धि होगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसको कितनी गम्भीरता से ले रहे हैं कि उनके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है । पूरी तैयारी करके माननीय मंत्री जी को आना चाहिये ।

श्री राम औतार शाक्य–

कानून जनता के हित के लिए होता है । जब जनता का हित ही न होता हो तो वह कानून की परिभाषा में नहीं आता । कोई भी सरकार कल्याणकारी सरकार होती है । इस सदन को अधिकार है, यदि कोई परेशानी थी तो यह पता करते कि मौजूदा फीस की दरें यह हैं, और इतने एमाउन्ट की आय इससे होती है और इसके चलते जब तक फाइनेन्शियल क्राइसेस है तो कितनी आय और होगी । यह बिल्कुल वित्त मंत्री जी से सीधे जुड़ा हुआ सवाल है । मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं, आप हमारे गार्जियन हैं । इसको आप स्थगित कर दें ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

5 गुना वृद्धि होगी ।

श्री राम औतार शाक्य–

केरल, महाराष्ट्र, गुजरात में कितना है, इसकी दरें क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो इस प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार है । अनेक अधिनियम हैं, जिसमें राज्य सरकारों को संशोधन करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति से है । अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

कैसे वित्त मंत्री हैं, यह असेसमेंट नहीं है कि उत्तर प्रदेश को कितनी इनकम प्राप्त होती है और इसके लागू होने के बाद कितनी प्राप्त होगी ? इतनी भी जानकारी वित्त मंत्री को नहीं है तो आप इस विधेयक को स्थगित कर दीजिये । इतनी जानकारी तो वित्त मंत्री को होनी चाहिये, यह सदन की गरिमा की अवमानना है । अभी तक वित्तीय वर्ष में कितना राजस्व प्राप्त होता था, अब कितना प्राप्त होगा, इस जानकारी के बिना यदि इसी तरह विधेयक पास करा लिया जाता है तो यह सदन की अवमानना होगी, इसको आप स्थगित कर दीजिये । यह विधेयक से जुड़ा सवाल है, कोई अतिरिक्त जानकारी का सवाल नहीं है । आने वाले समय में जब इसकी आवश्यकता होगी, तब ले आयें ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि इसमें 5 गुना वृद्धि होगी, इससे संतुष्ट हो जाना चाहिए ।

श्री धनीराम वर्मा–

अभी कितना मिलता है यही बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

आंकड़े उपलब्ध होते तो बता देते ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

इसकी जानकारी करके मैं मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष को दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रवर समिति को भी मतदान के माध्यम से जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मतदान करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

अगर इस सत्र का अन्तिम दिन नहीं होता तो आपकी बात पर विचार किया जा सकता था ।

श्री लालजी वर्मा–

अगर हम विधेयक पास कर रहे हैं तो उसके बारे में इस सदन को भी पूरी जानकारी होनी चाहिए । जिसके लिए हम सब यहां चुनकर आते हैं, इसलिए सदन को सूचना न देना यह सदन का अवमान है । इसलिए पास होने से पहले या तो वित्त मंत्री सूचना दें या पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी इनकम हुई थी यही बता दें तो हम उसका 5 गुना जोड़ लेंगे । इसलिये मान्यवर, सदन की गरिमा बनाये रखने के लिए इसको स्थगित कर दें ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

इतना तो मैंने कहा कि जो दरों की वृद्धि होगी, 5 गुना वृद्धि होगी, राजस्व बढ़ेगा । जो प्रश्न नेता प्रतिपक्ष ने किया है, मैं इसकी जानकारी प्राप्त करके सूचित कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मतदान करा दें, शलाका के आधार पर या जैसे भी हो। मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

पहले तो हाथ उठाकर मतदान होगा। अभी घण्टी बजाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस प्रश्न पर मतदान करा रहा हूं, हाथ उठा करके। मैं प्रश्न को दोहरा रहा हूं। प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, घण्टी बजवा दें जिससे लोग आ जायें।

श्री अध्यक्ष–

घण्टी बजवा दें। जहां विनिश्चय स्पष्ट है वहां मतदान की क्या आवश्यकता ? लेकिन समय से माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मांग कर दी।

(घण्टी बजाई गयी)

श्री अध्यक्ष–

सभा मण्डप के दरवाजे बन्द कर दिये जायं।

(सभा मण्डप के दरवाजे बन्द कर दिये गये।)

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो, कृपया "हां" कहें।

प्रस्ताव के पक्ष में जिन माननीय सदस्यों ने हाथ उठाये हैं उनकी गिनती कर लें। (गणना के उपरान्त) प्रस्ताव के पक्ष में 69 मत पड़े।

जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हों कृपया नहीं कहें।

प्रस्ताव के विरोध में जिन माननीय सदस्यों ने हाथ उठाये हैं गिनती कर लें। (गणना के उपरान्त)

प्रस्ताव के विरोध में 104 मत पड़े।

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव के पक्ष में 69 मत प्राप्त हुए हैं और इसके विरोध में 104 मत प्राप्त हुए हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

चूंकि ना की संख्या अधिक है अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

मैं दूसरा प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

अधिनियम संख्या–9 सन् 1932 की अनुसूची-एक का प्रतिस्थापन

2–भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की अनुसूची–एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"अनुसूची–एक

अधिकतम फीस

[धारा 71 की उपधारा (1) देखिए]

दस्तावेज कार्य जिसके विषय में फीस देय है	अधिकतम फीस
1–धारा 58 के अधीन कथन	पांच सौ रुपये
2–धारा 60 के अधीन कथन	एक सौ पचास रुपये
3–धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	एक सौ पचास रुपये
4–धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	एक सौ पचास रुपये
5–धारा 63 के अधीन सूचना	एक सौ पचास रुपये
6–धारा 64 के अधीन आवेदन	एक सौ पचास रुपये
7–धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण	पचास रुपये
8–धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण	पचास रुपये
9–फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियां	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिए बीस रुपये"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

हां के पक्ष में कोई नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ग्राम विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल की वह हालत है–खिसियानी बिल्ली खम्भा नोंचे । ये खम्भा नोंच रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।'

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, राजस्व वसूली विधेयक, 1890 में का केन्द्र सरकार का अधिनियम है । इसमें 30 अगस्त, 1974 को एक जी०ओ० के माध्यम से व्यवस्था की गयी कि जो वसूली की जायगी उस पर 10 प्रतिशत वसूली व्यय के रूप में लिया जाय । लेकिन 20-11-1998 को मेसर्स महालक्ष्मी शुगर मिल उच्च न्यायालय में गये और उनको स्थगन मिला । इसलिये 10 प्रतिशत के जी०ओ० को निरस्त कर दिया गया । इसलिए इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी है । आज जो वेतन में बढ़ोत्तरी हुयी है पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतन देना पड़ा इसलिये 10 प्रतिशत वसूली व्यय के संबंध में यह विधेयक लाये हैं ।

श्री राम औतार शाक्य –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी ने जो कहा मैं वह समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहे हैं ? मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यह जो संशोधन विधेयक लाये हैं इसको रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जा रहा है । इसको 30 अगस्त, 74 से प्रवर्तित माना जायगा । इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिये था लेकिन सरकार आज जागृत हुयी है । आखिर जब आप विधेयक अब लाये हैं तो आपको इसे आज से प्रभावी बनाना चाहिये ।

(इस समय 1 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

इसको पूर्वगामी प्रभाव क्यों दिया जा रहा है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 20-11-98 को माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दायर हुयी थी और न्यायालय ने इस 10 प्रतिशत वसूली व्यय को स्थगित कर दिया और कहा कि मूल अधिनियम में इस तरह का कोई समावेश नहीं है । इसके विरोध में सरकार मा० उच्चतम न्यायालय में गयी लेकिन सरकार के वकील कमजोर थे इनको स्थगन आदेश नहीं मिला तो फिर अब यह विधेयक लाये हैं । 1998 में रिट याचिका खारिज हुयी थी इस बीच आप क्या करते रहे । उस समय कोई विधेयक ला सकते थे । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो 10 प्रतिशत वसूली की जाती है वह किसानों के साथ वैसे ही ज्यादती है और यह पैसा छोटे छोटे किसानों से वसूला

जाता है जो बड़े बड़े बकायेदार हैं वह हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट से स्टे ले आते हैं और सरकार उनसे वसूली नहीं कर पाती है। लेकिन छोटे किसानों से जो लगान का पैसा है या अन्य पैसा है वह आर०सी० जारी करके वसूला जाता है और इसके लिये 10 प्रतिशत वसूली शुल्क अलग से लिया जाता है। मेरा कहना है कि इस 10 प्रतिशत वसूली शुल्क को बिल्कुल हटा दें। इस पर पुनर्विचार करें तो जो डाउन ट्रोडेन क्लास है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है जो इस व्यय को सहन नहीं कर सकते हैं उनके लिये आप वारन्ट काट देते हैं वारन्ट काटकर जेल में, 14 दिन हवालात में रखना पड़ता है। इसका सर्वेक्षण करा लें कि कोई भी पूंजीपति तहसील की हवालात में आज तक नहीं पहुंचा है। जितने लोग गये वह गरीब किसान थे। इसलिए इस संशोधन के माध्यम से मैं चाहता हूं कि यहां पुनः इस पर विचार किया जाये एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये ताकि गुण दोष के आधार पर विचार मंथन हो, सुझाव हो उसके बाद सदन में प्रस्तुत किया जाये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 के खण्डों में प्राप्त संशोधनों के प्रस्ताव खण्ड-2 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा-3 की नई उपधारा (3–क) में शब्द "दस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पांच प्रतिशत" रख दिया जाय। खण्ड-4 के द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा–5 की नयी उपधारा (3–क) में शब्द "दस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पांच प्रतिशत" रख दिये जायें। इस सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य जी ने अपने विचार रखे। अमूमन स्थिति यही होती है कि जो बड़े बकायेदार हैं वह हाईकोर्ट से, सुप्रीमकोर्ट से या कहीं न कहीं माध्यमों से स्टे प्राप्त कर लेते हैं उनसे वसूली नहीं हो पाती है या जो वसूली का अलग से कलेक्शन चार्ज लिया जाता है उनसे कुछ नहीं आता। लेकिन छोटे-छोटे बकाएदार होते हैं चाहें आई० आर० डी० आदि से छोटे-छोटे लोन लेने वाले होते हैं छोटे किसान होते हैं अपने उत्पादन के लिए शार्ट टर्म लोन लेते हैं उनके ऊपर कोई बकाया आता है तो अनावश्यक रूप से 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज उनसे वसूल लिया जाता है। कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है, आपको भी महसूस होगा कि बहुत सी आर० सी० ऐसी किसानों के ऊपर जारी हो जाती हैं जो बकाया नहीं रहता है। बल्कि बाद में जब हिसाब लगाया जाता है तो पता चलता है कि किसान का उल्टे उसके ऊपर बकाया है। ऐसे में अगर बाद में आर० सी० वापस भी होती है तो फिर भी कलेक्शन चार्ज ले लिया जाता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का प्राविधान बनाया जाना चाहिए कि अगर विभाग की गलतियों के कारण आर० सी० जारी हुई है और आर० सी० वापस होती है तो कलेक्शन चार्ज लेने की प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। इस कारण भी कलेक्शन चार्ज लोग ले लेते हैं कि बाद में आडिट आपत्ति हो जायेगी। बेचारा किसान जो गलत आर० सी० जारी होने के कारण पहले से ही परेशान रहता है तमाम पैसा खर्च होता है आर० सी० वापस कराने में अगर किसी तरह से आर० सी० वापस भी हो गई तो फिर कलेक्शन चार्ज के लिए मारा-मारा फिरता है। इन सब बातों को देखते हुए मैंने यह संशोधन लाने का काम किया। किसान की हालत, जो गरीब है तो एक तो वह वैसे ही कर्ज अदायगी में परेशान रहता है ऊपर से 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज लग जाने के बाद उसकी रकम और बढ़ जाती है इसलिए उससे किसी तरह से वसूली होना सम्भव नहीं हो पाता। इसी कारण वह कोर्ट में जाता है। इसी कारण जेलों में रहकर व तहसील की हवालात में उसको 14-14 दिन रहना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज या अतिरिक्त चार्ज भी कैटेगरी आप तय कर लें उनके खिलाफ आर० सी० जारी करें। लेकिन जो छोटे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, लघु और सीमान्त किसान हैं उनके खिलाफ जो आर० सी० जारी होती उसमें संशोधन होना चाहिए। उनसे कोई कलेक्शन चार्ज न लिया जाए। यह 10 प्रतिशत चार्ज न लिया जाये इस तरह की व्यवस्था बनाने का काम करते हैं तो हम इसका स्वागत करते। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस बात के लिए 10

प्रतिशत कर दिया । गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग वैसे ही किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करते हैं । यदि किसी कारण से लोन लेने का कार्य करते भी हैं तो भुगतान नहीं कर पाते हैं । सीमान्त और लघु किसानों को और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों से कलेक्शन चार्ज पूरी तरह समाप्त होना चाहिए । इसलिए हम यह प्रस्ताव लाये हैं कि वसूली चार्ज 10 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करें । यदि यह स्थिति न हो तो इसमें कटेगरी करने का काम करें कि जो सीमान्त लघु किसान हैं और जो दस पन्द्रह हजार से नीचे लोन लेने वाले उद्यमी हैं उनसे कलेक्शन चार्ज पूरी तरह समाप्त किया जाय । यह निवेदन है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

शाक्य जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं इस क्षेत्र में अच्छा ज्ञान रखते हैं यहां विपक्ष के बैठे लोग कभी न कभी सरकार में रहे हैं यह दस प्रतिशत 1974 से चला आ रहा है । तब से अब तक पंचम वेतन आयोग लागू हुआ मंहगाई बढ़ी है । लालजी वर्मा जी कह रहे थे इसे समाप्त कर दिया जाय तो तब आप कहां चले गये थे जब यहां कुर्सी पर विराजमान थे । हमें तो आज संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उच्च न्यायालय ने हमारे जीओ को स्टे कर दिया है हम इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में गये हैं वहां हमारी एस० एल० पी० पेंडिंग है इसलिए उच्च न्यायालय से स्थगन के कारण संशोधन की आवश्यकता पड़ी । जहां तक शाक्य जी ने कहा बड़े बकायेदार छोड़ दिये जाते हैं तो माननीय शाक्य जी को बता देना चाहता हूं कि स्टे वाले केसेज को छोड़कर जितने भी बड़े बकायेदार हैं चाहे वह कोई माफिया हो या धनवान, सबको जेल के पीछे भेजा जा चुका है और हमने निर्देश दिये हैं कि छोटे बकायेदारों का उत्पीड़न न किया जाय । उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हमें इस संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ी है ।

श्री राम औतार शाक्य–

रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट क्या 1974 से माना जायगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

यहां से तो केवल प्रस्ताव जायगा ।

श्री लालजी वर्मा–

जो आर० सी० वापस होते हैं उसमें तो कलेक्शन चार्ज न लिया जाय ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

हमने कहा भी है और विचार कर लेंगे । जो आर० सी० गलत होती है और विभाग कहता है तो संशोधन होता है पहले तो हमने सख्ती से कहा है कि परीक्षण कराकर ही आर० सी० जारी की जाय । कोशिश की जायगी सही आर० सी० ही जायँ ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्डशः विचार

खण्ड–2

अधिनियम संख्या 1 सन् 1890 की धारा 3 का संशोधन

2–राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(3) उस भिन्न जिले का कलक्टर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर उसमें कथित रकम को वसूली के खर्चे सहित वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानों वह ऐसी भू-राजस्व की बकाया हो जो उसके अपने जिले में प्रोद्भूत हुई हो।

(3–क) उपधारा (3) के अधीन वसूली के खर्चे ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे किन्तु ऐसे खर्चों की रकम प्रमाण-पत्र में कथित रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड–2 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा–3 की नयी उपधारा (3–क) में शब्द "दस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पांच प्रतिशत" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा–3 की नयी उपधारा (3–क) में शब्द "दस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पांच प्रतिशत" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–3

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "उसका संदाय" के स्थान पर शब्द "उक्त धारा की उपधारा (3–क) में निर्दिष्ट खर्च सहित उसका संदाय" रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द "ऐसी संदत्त रकम" के स्थान पर शब्द "प्रमाण-पत्र में कथित ऐसी संदत्त रकम" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:–

"(5) जहां उपधारा (2) के अधीन संस्थित किसी वाद को पूर्णतः या अंशतः बिक्री किया जाता है वहां न्यायालय यह भी निदेश देगा कि व्यतिक्रमी को, उपधारा (1) अधीन उसके द्वारा संदत्त आनुपातिक खर्चे क, प्रतिसंदाय किया जायगा।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–4

4–मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :– धारा 5 का संशोधन

"(3) कलक्टर, उपधारा (1) के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर उसमें कथित रकम को वसूली के खर्चे सहित वसूल करने के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानों प्रमाण-पत्र में कथित रकम उसे देय हो और ऐसा खर्चा भी भू-राजस्व की बकाया हो ।

(3–क) उपधारा (3) के अधीन वसूली के खर्चे ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे किन्तु ऐसे खर्चों की रकम प्रमाण-पत्र में कथित रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।"

श्री अधिष्ठाता–

लालजी वर्मा आप खण्ड–4 को प्रस्तुत करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड–4 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा–5 की नयी उप धारा (3–क) में शब्द "दस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पांच प्रतिशत" रख दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–4 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा–5 की नयी उपधारा (3–क) में शब्द "दस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पांच प्रतिशत" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री ,अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–4 इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–5 से खण्ड–7 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

5–मूल अधिनियम की धारा 6 में,– धारा 6

(क) उपधारा (2) में शब्द "प्रमाण-पत्र में कथित रकम" के स्थान पर शब्द "प्रमाण-पत्र में कथित रकम वसूली के खर्चे सहित" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) में शब्द "प्रमाण-पत्र में कथित रकम" के स्थान पर शब्द "प्रमाण-पत्र में कथित रकम या वसूली के खर्चे" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (4) में शब्द "प्रमाण-पत्र में कथित किसी रकम" के स्थान पर शब्द "प्रमाण-पत्र में कथित किसी रकम या वसूली के खर्चे" रख दिये जायेंगे ;

धारा 10 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

कतिपय दशाओं में संग्रहीत धनराशियों को प्रेषित करने को कलक्टर का कर्तव्य

"10–जहां कोई कलक्टर, किसी अन्य जिले के कलक्टर से या किसी अन्य लोक अधिकारी से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से, इस अधिनियम के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है वहां उस प्रमाण-पत्र के आधार पर अपने द्वारा वसूल की गई राशि को, वसूली के खर्च के रूप में वसूल की गयी राशि की कटौती करने के पश्चात् उस कलक्टर या अन्य लोक अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी को प्रेषित कर देगा।"

विधिमान्यकरण और पारिणामिक उपबन्ध

7–किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन किसी व्यतिक्रमी से मूल अधिनियम की धारा 3 या धारा 5 में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र में कथित रकम से अधिक वसूल किये गये वसूली के खर्चे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से वसूल किये गये समझे जायेंगे और कोई भी व्यतिक्रमी ऐसे खर्च की वापसी का हकदार न होगा और यदि ऐसे खर्चे इस प्रकार वसूल न किये गये हों तो वे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन व्यतिक्रमी से वसूलीय होंगे, मानों इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 30 अगस्त, 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

श्री अधिष्ठता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–5 से खण्ड–7, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग†

श्री नवाब सिंह नागर-

माननीय अधिष्ठाता जी,.....

श्री अधिष्ठाता-

मैं एक बात पहले कह दूं। कल भी कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किये थे और आज भी एक बहुत लम्बी सूची है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 मिनट से अधिक समय न लें अपने विचार रखने के लिये।

* श्री नवाब सिंह नागर-

श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, प्रदेश के बहुत यशस्वी और जनता की जान माल की रक्षा करने के लिये दृढ़ संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञ माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो यह बजट रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस बजट पर विपक्ष के नेता आदरणीय धनी राम जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा। बहुत सारे सम्मानित विपक्षी साथियों ने उसका समर्थन किया। मान्यवर, यह बड़ा अटपटा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी के लोग किस मुंह से कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मान्यवर, क्या यह हमारे मित्र अपने कार्य काल की स्थिति को विस्मित कर गये। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में जो अनुभव है, उस पर थोड़ा बताना चाहता हूं। मान्यवर, क्या यह सारे माननीय सदस्य गाजियाबाद के चर्मरोग विशेषज्ञ डा० बहल के अपहरण कांड को भूल गये जो उन दिनों तमाम अखबारों में सुर्खी बना हुआ था। मेरे मित्र यह भी भूल गये कि नोएडा में एक मदरसे के मालिक श्री राम सहगल का अपहरण किया गया था मान्यवर, यह भी सत्य नहीं है उस समय इन्हीं पार्टियों के लोगों ने मध्यस्थता करके करोड़ों की फिरौती के बाद उनको छुड़वाया। क्या यह भी सत्य नहीं है कि उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह स्थिति बन गई थी कि हर व्यक्ति, हर उद्योगपति यह मानने लगा था कि उनकी जान की रक्षा नहीं होगी। पुलिस विभाग की बाध्यता थी, उनको अपहरण कांड में शामिल होना पड़ता था उनकी मजबूरी थी, उस समय बहुत दर्दनाक स्थिति उत्पन्न हो गई। नोएडा के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं उस समय उद्योगपति चले गए, उद्योग धन्धे बन्द होने लगे। लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद लोगों में विश्वास जागना शुरू हुआ है। हमारी सरकार की उपलब्धि है कि लोगों में विश्वास बना है। हमारी सरकार लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है, यह हमारी सरकार की उपलब्धि है मैं उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं इनके आने के बाद बड़ी तेजी के साथ प्रदेश विकास की ओर बढ़ा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में यह हालत है कि वहां उद्योग लगाने के लिए भू-खण्ड मांगने वालों की लाइन लगी है लेकिन पर्याप्त भू-खण्ड नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री नवाब सिंह नागर-

जहां तक एफ० आई० आर० की बात है तो नोएडा में बड़ौना काण्ड जो हुआ उसके बारे में सबको मालूम है। बसपा ने विधान सभा नहीं चलने दी, हमारे एक साथी ने नियम-56 में सूचना दी की

---

† दिनांक 31 मई, 2001 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कड़े सिंह की हत्या की गई है इस बारे में एफ० आई० आर० लिखने और पांच लाख मुआवजा देने की बात कही गई लेकिन जब पांच दिन बाद मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि उसकी स्वभाविक मौत हुई थी । इस तरह से गुमराह करने की स्थिति यह सदन में पैदा करते हैं इसके लिए इन्हें सदन में क्षमा मांगनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री नवाब सिंह नागर–

यह भ्रष्टाचार की बात करते हैं पूरे प्रदेश नेता प्रतिपक्ष को एक भ्रष्टाचार का मामला दस हजार का जिला गौतमबुद्ध नगर का मिला दीवार मरम्मत के लिए पैसा लिया था । मुझे बताने में संकोच नहीं है कि वह जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और बसपा पार्टी के हैं इसमें उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है । अब मैं कुछ बातें अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं नोएडा एक गतिशील क्षेत्र है वहां की औद्योगिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कानून व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है । उस समय जो अपराध की जड़ बोई गई थी उसको समूल नष्ट करने की आवश्यकता है इसमें समय लगेगा । मैं अपने यहां के पांच थानों का जिक्र करना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री नवाब सिंह नागर–

पांच थाने जो हैं उनको उच्चीकृत किया जाए । सेक्टर 20 में जो थाना है उसको उच्चीकृत किया जाये, अच्छी संस्कृति वाले सब इन्स्पेक्टर नोएडा में नियुक्त किये जायें । इसी के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया । चार, साढ़े चार साल पूरे होने जा रहे हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है । नेता बदल गये तो उससे सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह जिम्मेदारी नहीं खत्म होनी चाहिए । मान्यवर, मेरे पास आंकड़े हैं । जो कत्ल हुए हैं पूरे हिन्दुस्तान में 2000–01 में वह 40540 और उत्तर प्रदेश के अन्दर 90201, एक अहम बात और कहना चाहता हूं कि बिहार का जिक्र किया जाता है तो अगर उसकी तुलना की जाय तो वह दो हजार कम है । वहां पर सात हजार कुछ हैं । डकैतियां पूरे हिन्दुस्तान में 9803 और उत्तर प्रदेश के अन्दर 1980 और अगर तुलना की जाय तो आंध्र प्रदेश में 600, कर्नाटका में 300 हुए हैं । यह जो उद्योग वाले प्रदेश हैं, जहां लोग काम कर रहे हैं, जहां सरकार की जिम्मेदारी है वहां के हैं । मान्यवर, जो रास्ता रोककर लूटमार होती है वह पूरे हिन्दुस्तान में 25040 और उत्तर प्रदेश में 5650 और यह आंकड़ा मैं अपने मन से पैदा नहीं कर रहा हूं । यह क्राइम स्टेटिक्स की जो पुस्तिका है, जो भारत सरकार से कम्पाइल होती है, उससे बता रहा हूं । मान्यवर, जो झगड़े की बात है उसमें पूरे हिन्दुस्तान में 97802 छोटे बड़े झगड़े दोनों को मिलाकर और उत्तर प्रदेश में 6500 दर्ज करवाये दंगे की शक्ल में । तो मैं आपके माध्यम से आंकड़ा रख रहा हूं । कानून व्यवस्था की हालत जो उत्तर प्रदेश में है वह चौकाने वाली है और यह जिम्मेदारी पूरी समाज की बनती है । सरकार अपनी आंखों से देखे । कम न बताये । इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । कानपुर के झगड़े का जिक्र न करूं तो इंसाफ नहीं होगा ।

---

* वक्ता ने भाषणा का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, यह बड़ा ही अजीबो-गरीब झगड़ा था। तहलका काण्ड के बाद जब हालत राजनीतिक तौर पर बदलते देखें तो कोई शक्ल नहीं बनी और कानपुर के अन्दर दंगा हो गया तो मान्यवर, वह दंगा अपना मानना है कि नहीं है जिस तरह कोशिश की गयी वह कोशिश कामयाब नहीं हुई वह पुलिस और मुसलमानों के बीच में झगड़ा बन कर रह गया। मान्यवर, इस सदन में दो दिन पहले इस पर चर्चा हुई थी और यह कहा गया था कि जो श्री पाठक ए०डी०एम० वहां मारे गये, कत्ल हुआ। इतिहास में इस तरह से कभी नहीं होता है। यह कहा गया कि उसकी जुडीशियल इंक्वायरी करा दें ताकि यह पता चले कि आखिर क्यों हुआ था क्या वजह थी फिर उसके बाद जो जुल्म हुए हैं वह मुनासिब थे इतने लोग पकड़े गये क्या वह मुनासिब था यह सब कैसे पता लगायेंगे। मान्यवर, जो भारत का मानवाधिकार आयोग है वह अपनी रिपोर्ट में यह कहता है कि उत्तर प्रदेश टाप करता है लिस्ट में यह सबसे ऊपर है मान्यवर, जो मानवाधिकार आयोग है वहां हर रोज 115 केस कमीशन के अन्दर दर्ज होते हैं। मान्यवर, जो यहां स्थिति है हम सब जानते हैं कि यहां कत्ल होते हैं जो खून के केसेज होते हैं वहां पर भी आप कहते हैं कि कानून–व्यवस्था बहुत अच्छी है तो मेरे ख्याल से कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। मान्यवर, जो यू०पी० के आंकड़े हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न में बढ़ोत्तरी 1999 में जो 60111 मामलें प्रकाश में आये वहीं 2000 में वह बढ़कर 7,526 हो गये महिलाओं का उत्पीड़न जो 1999 में 14,508 थे वह 2000 में बढ़कर 15,304 हो गये यह आपके आंकड़े हैं। मान्यवर, यह सरकार यह भी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है और जब यह बात कहती है तो जिम्मेदार ठहराती है कि 1985 में क्या हुआ था, 1990 में क्या हुआ था। मान्यवर, यह सरकारें 5 साल के लिए बनती हैं इस सरकार को साढ़े 4 साल पूरे हो गये हैं मान्यवर, 5 साल चलने वाली सरकार को कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सँभालनी होती है उसको ही सब कुछ पूरा करना होता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बता दूं कि कहां पैसे का गलत इस्तेमाल होता है यह प्रशासन जो बेहतर चलना चाहिए था वह क्यों नहीं चल पा रहा है ?

मान्यवर, 123 करोड़ रुपये पिछले साल खर्च हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग में जो आपने उनको भत्ता दिया उसके अन्तर्गत यह प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में आया है और सालों में 23 करोड़ के आस-पास खर्च होता था अब आपने इतना पहुंचा दिया है तो यह तो पैसे की कमी की बात होनी है। मान्यवर, यही नहीं 2 दिसम्बर से 19 दिसम्बर के बीच में 17 दिनों में जो ट्रांसफर हुए हैं उसकी थोड़ी शक्ल बता दूं। मान्यवर, 2 दिसम्बर को 4 डी०एम० और 9 वरिष्ठ आई०ए०एस० के ट्रांसफर हुए 6 दिसम्बर को 7 डी०एम०, 9 पुलिस आफिसर और 69 दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानान्तरण हुये। मान्यवर, 9 दिसम्बर को 12 आई०ए०एस० अधिकारियों के और 17 दूसरे अधिकारियों के ट्रांसफर हुए 10 दिसम्बर को 15 आई०पी०एस० और 25 दूसरे अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, 13 दिसम्बर को 5 पुलिस आफिसर के ट्रांसफर हुए, 15 दिसम्बर को 31 पुलिस आफिसर के ट्रांसफर हुए, 19 दिसम्बर को 10 वरिष्ठ आई०ए०एस० और 7 आई०पी०एस० के ट्रांसफर हुए। मान्यवर, यह जो पैसे की उपलब्धता है अब इसमें 7 करोड़ 27 लाख 56 हजार रुपये यह केवल कारों की मरम्मत में खर्च किया जायेगा तो मुझे यह बता दीजिये कि जब यह खर्चे होंगे तो कैसे धन बचेगा ? जब आप इस अन्दाज से खर्च करेंगे तो क्या होगा मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं मंत्री जी किस तरह खर्च करते हैं चाय पर। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, आपके आंकड़े क्या कहते हैं 213 दिनों में 224 दलितों की हत्या हो गई और कानून व्यवस्था फिर भी ठीक है तो कौन सा तरीका है ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, बस मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं अगर यह जिक्र न करूँ कि बाबतपुर में क्या हुआ किसानों और निहत्थों पर गोलियाँ चलाई गईं। मान्यवर, मैं यह जिक्र न करूँ कि अभी बागपत के अन्दर छपरौली क्षेत्र में मुन्ना जी के क्षेत्र में ब्रिजेन्द्र सिंह जो कोआपरेटिव के चयरमैन थे, श्रीमन् दिन-दहाड़े उनकी हत्या कर दी जाती है और एफ० आई०आर० होती है अज्ञात में। 23 आदमियों के विरुद्ध। मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं अब उत्तर प्रदेश में आप राज्य कर रहे हैं 16 करोड़ अपने लोगों पर जो हिन्दुस्तानी हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और आप यकीनी तौर पर नहीं चाहेंगे कि उनको गोली मार दी जाय। 53 साल पहले का वह अंग्रेजी राज खत्म हो गया और वह छोड़कर चले गये तो अब तो भाई–भाई का राज है। मान्यवर, जब आप जन-समूह पर गोली चलाये तो प्लास्टिक की बुलेट का उपयोग क्यों नहीं हो सकता जबकि वह हिन्दुस्तान के अन्दर उपलब्ध है उससे कम से कम हड्डी टूटेगी जान नहीं जायेगी। उनको सही मारा या गलत मारा यह अलग बात है एक व्यक्ति के मरने से पूरा का पूरा परिवार नष्ट होता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब मुझे बाध्य होकर कहना पड़ेगा कि अंकित न किया जाय।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, आपकी रायट कन्ट्रोलिंग यूनिट है जिससे दंगे को रोकते हैं उनको यह गोलियाँ उपलब्ध कराई जाय जिससे यह पता चले कि हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों का ही राज है। मैं नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सामान्य प्रशासन और गृह विभाग पर प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और उनके संज्ञान में भी लाना चाह रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस पर पहले से है भी। लेकिन मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि इसको कहूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी को विरासत में जिस तरह की कानून व्यवस्था मिली थी वह संतोषजनक नहीं थी। लेकिन जब से माननीय मुख्य मंत्री जी आये हैं इन्होंने चुनौती के रूप में इसे माना है। मान्यवर, कुल उन्होंने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ है यह बहुत बड़ी चुनौती है उनके कंधों पर। मान्यवर, आपके अधीन जो आपकी पुलिस व्यवस्था है उस पुलिस व्यवस्था के जो मुखिया हैं अपके डी०जी०पी०, आपका स्पेशल टास्क फोर्स, आई०जी० और पूरा टास्क फोर्स उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। मैं उनके द्वारा किये अद्वितीय कार्यों की सूची बोलकर समय नहीं जाया करना चाह रहा हूँ।

मान्यवर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महती भूमिका होती है किन्तु दल की जगह कुछ गिरोह भी राजनीति में सक्रिय हैं। आपको राजनीतिक दल व गिरोहों के बीच लाइन खींचना होगा। देखना होगा कि लोकतंत्र में राजनैतिक दल काम करेंगे या फिर कोई गिरोह काम करेगा। क्या यह सम्पूर्ण सदन

इस बात से सहमत नहीं होगा कि पूरे पिछले 53 साल के इतिहास को देख लिया जाय तो केवल श्रीमन् एक ही सरकार ऐसी थी, जिसके मुखिया ने घोषणा किया था और ललकारा था कि हल्ला बोल दो, जहां कानून व्यवस्था ठीक करनी चाहिये थी वहां हल्ला बोलने के लिये निमंत्रित किया गया अपने कार्यकर्ताओं को, इससे बड़ा अनर्थ और निन्दनीय कुछ और हो नहीं सकता। मैं तो बड़े सम्मान के साथ, बिना किसी की भावना को चोट पहुंचाये, अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष की योग्यता और क्षमता का मैं बड़ा कायल हूं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। मान्यवर, जो इनका सोच है, चिन्तन है, यह साफ सुथरा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दल के प्रति इनकी प्रतिबद्धता गिरोह के प्रति प्रतिबद्धता है, नेता के प्रति प्रतिबद्धता है इनकी कि मुझे यह कहने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है कि कल इन्होंने एक प्रसंग रखा था कि एक पत्नी और अनेक पति। लेकिन यहां तो स्थिति यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष की स्थिति वह हो रही है कि एक पतिव्रता पत्नी का नपुंसक पति हो तो उस पत्नी की क्या स्थिति होती है, कुछ वैसी ही स्थिति इनकी यहां दिखाई पड़ रही है।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, एक पति एक पत्नी की बात नहीं थी। एक पत्नी और अनेक पति की बात थी।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

जिसका पति नपुंसक हो, वही स्थिति आज माननीय नेता प्रतिपक्ष के सामने है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इनको दक्षिणा मिली नहीं है, इसलिये ऐसा कह रहे हैं, वैसे असली बात यह है नहीं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, इनकी भी वही स्थिति हो रही है, महसूस कर रहे होंगे, जो मैं कह रहा हूं, बहुत से सदस्य हैं जो हमारी बात से सहमति व्यक्त कर रहे होंगे। श्रीमन् मैं अन्य चीजों को गिनाना नहीं चाह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब से यहां की बागडोर संभाली है, पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिये, उनको इस बात के लिये प्रेरित करने के लिये कि यदि वह बड़े अपराधियों से भिड़ने पर अपनी जान गंवाते हैं तो उनके पीछे 17-18 करोड़ जनता और उनकी चुनी हुई सरकार उनके परिवार तथा बच्चों का पालन-पोषण करने के लिये खड़ी है, इसलिये उनको चिन्ता नहीं करनी चाहिये। इस बात की जितनी प्रशंसा की जाय, वह कम है। श्रीमन् एक आरोप लगाया गया कि बड़े अफसरों की चिन्ता की जाती है, मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग का सबसे छोटा कर्मी, जो बहुत कम वेतन पाता है वह चौकीदार गांव में रह गये हैं लेकिन ऐसे चौकीदार के भी परवरिश की चिन्ता की गयी है, यह प्रशंसा की बात है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अपने उद्गार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, वर्तमान समय में जो पुलिस प्रशासन का मुखिया, उत्तर प्रदेश में डी०जी०पी० साहब हैं और उन्होंने अपने स्पेशल टास्क फोर्स को जिस तरह से गति दिया है, और कानून व्यवस्था को बनाने में, अपराधियों पर शिकंजा कसने में जिस प्रकार का कार्य हो रहा है, प्रशंसनीय है। मान्यवर, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रों की तरफ से जब-जब यह कहा जाता है कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है तो यह बात समझ में आने लगती है कि पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा कसने लगा है, अपना पंजा मजबूत करने लगा है, इसलिए हल्ला मचा रहे हैं। कौन कहता है कि डंडे के बल पर, अपराध के बल पर राजनीति करिये, उनको निकाल कर बाहर करिये, एक निवेदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष की पीड़ा, समाजवादी पार्टी के अन्य भी जो अच्छे माननीय सदस्य हैं जो जाति-बिरादरी में विश्वास नहीं करते हैं उनके भी मन में एक पीड़ा है और उन्हें प्रसन्न होना चाहिए, इस पीड़ा पर मरहम लगाने का काम अभी आने वाले एक महीने में जिसकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, कि पुलिस विभाग में करीब 4200 कर्मियों की

भर्ती की जायेगी । क्या माननीय नेता प्रतिपक्ष के मन में उस वक्त पीड़ा नहीं आई होगी जब इसी प्रदेश में एक माननीय मुख्य मंत्री के रेजीम में 1800 पुलिस दरोगाओं की भर्ती हुई थी, जो वह एक स्वांग रचते थे कि पिछड़ी जाति की राजनीति करते हैं, मसीहा हैं । लेकिन उस समय एक जाति ही पिछड़ी मानी गयी थी और वह भी 3-4 जिलों इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर ऐसे चार क्षेत्रों के विशेष जाति के लोग जो थे, वही पिछड़े माने गये और विशेष जाति में भी जो विशेष गोत्र के लोग थे । मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा है मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता, जिसने आर्थिक रूप से कुछ सहयोग पहुंचाया उसी में से 1800 में से 1600 लोगों की नियुक्ति हुई थी । मैं आमंत्रित करता हूं कि नियुक्तियां फिर भी होने जा रही हैं और मैं स्वागत करूंगा कि आपकी तरफ से, सब की तरफ से सतर्कतापूर्वक यह देखा जाये कि इस बार की नियुक्तियां कितनी पारदर्शी होने जा रही हैं । उसमें किसी जाति, वर्ग, कोई सम्प्रदाय, कोई आर्थिक आधार होने के बिना नियुक्तियां होंगी, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं । श्रीमन् कल बड़े ध्यान से सुन रहा था, माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण को, हो सकता है असावधानी से, झटके से बोल गये हों उन्होंने कहा कि पुलिस मुठभेड़ में प्रतिदिन एक निर्दोष की हत्या होती है, कार्यवाही निकाल कर देखा जा सकता है । पहले तो यही संदिग्ध है कि पुलिस मुठभेड़ में अपराधी मारे ही नहीं जाते और वे सभी निर्दोष हैं, आपका भाषा में, तो मुझे कुछ कहना नहीं । इस पर विचार कर लें कि क्या सभी निर्दोष ही मारे जाते हैं अगर ऐसा है तो मैं स्वागत करूंगा कि इस तरह के उदाहरण सामने लाए जायें और उस पर बहस किया जाए, चर्चा किया जाए और जनता के सामने रखा जाये । मान्यवर, कल हमारे माननीय लालजी वर्मा जी ने कहा कि वर्तमान मुख्य मंत्री, घोषणा मंत्री कहे जा रहे हैं । यह चौड़े सीना और छाती का सवाल है, घोषणा जिसके मन में, जिसमें इच्छा शक्ति नहीं होगी, दृढ़ विश्वास नहीं होगा, वह घोषणा क्या कर सकता है ? नहीं कर सकता है । यह जिसके समझ में नहीं आयेगा, उसके अन्दर साहस भी कैसे होगा कि वह घोषणा करे । वही माई का लाल घोषणा कर सकता है जिसको विश्वास है कि जो घोषणा कर रहे हैं वह करके दिखायेंगे । कल लालजी वर्मा जी कह रहे थे कि हमारे मुख्य मंत्री "घोषणा मुख्य मंत्री" हैं, वर्मा जी घोषणा सुनते चलें, उसका अनुपालन भी देखेंगे । अन्त में श्रीमन्, कौकब भाई ने कानपुर दंगे की चर्चा की, चूंकि मैं कानपुर से आता हूं, संक्षेप में इस पर अपने विचार रखकर समाप्त करूंगा । श्रीमन्, यह सर्वविदित है तरह-तरह की स्रोतों से जानकारी है, सभी जागरूक हैं चाहे वह किसी दल के हों, कानपुर महानगर में आई० एस० आई० और "सिमी" दोनों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अपना मुख्यालय और अड्डा कानपुर में बनायें, कानपुर समुचित जगह समझ में आ रहा है और वहां से अशांति फैलायें । उनको लगा कि चूंकि मुख्य मंत्री जी चुनाव में हैं और भारत सरकार के सामने भी कुछ संकट है, यह उचित अवसर है जब प्रदेश को अशांति और अराजकता की ओर धकेला जा सकता है । यह कहा गया कि धार्मिक ग्रन्थ जलाया गया, मुझे नहीं मालूम कि कहां जलाया गया ? लेकिन जहां के बारे में कहा गया वहां कोई आन्दोलन नहीं हुआ लेकिन कानपुर में आन्दोलन किया गया । मैं भी विपक्ष में रहा हूं, हम भी पुतला दहन करते थे लेकिन पुलिस व प्रशासन पर हमला नहीं करते थे । श्रीमन्, सामान्य पुलिस हस्तक्षेप पर दरोगा पर बम फेंका गया । उसके ऊपर योजना यह थी माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जो सम्मान के पात्र हैं, आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि सब इन्सपेक्टर की हत्या करेंगे तो जो फोर्स है उत्तेजित होकर भीड़ पर फायरिंग करेगी और चूंकि एक वर्ग विशेष के लोग थे ।

श्री वकार अहमद शाह–

माननीय सदस्य को मालूम था तो इन्होंने सूचना क्यों नहीं दी ?

(प्रतिपक्ष के श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, वकार अहमद शाह, श्री अफजाल अहमद, मुश्ताक सोलंकी व आलमबदी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे । जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहिये ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, दरोगा पर हमला करके उसकी हत्या का प्रयास किया गया लेकिन वह बच गया । ....

श्री मुश्ताक सोलंकी–

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि उसको करीब से गोली मारी गयी । .....

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[× × ×]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें, उत्तेजित न हों ।

(शोर)

श्री वसीम अहमद–

[× × ×]

श्री अधिष्ठता–

माननीय सदस्यगण कृपया आप शान्त रहें यह संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है, जो माननीय सदस्य उत्तेजित शब्दों में बोल रहे हैं यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री वसीम अहमद–

[× × ×]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठता–

मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । यह सदन की परम्पराओं के अनुकूल नहीं है । मैं समझता हूं कि अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठेंगे तो चर्चा कैसे हो पायेगी ? इसलिए कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री वसीम अहमद–

[× × ×]

(शोर)

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मैं सभी माननीय सदस्यों को और इस सदन को यह जानकारी दे रहा हूं इसलिए कि मैं कानपुर से सदस्य हूं इसीलिए मैंने इसको सदन के पटल पर रखा है । तो मान्यवर, जब पहले दिन उस सब इन्सपेक्टर पर बम चलाये गये और वह उस हमले में बच गया तो फिर उसके दूसरे दिन जब वह सामान्य परिस्थिति में ए० डी० एम० पाठक गश्त पर जा रहे थे तो मान्यवर, यह जो बाहरी आतंकी शक्तियां हैं, जो हमारे पूरे प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे, उनकी यह मंशा थी कि किसी तरह ए० डी० एम० को

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मार दिया जाय जिससे वहां पर दंगा भड़क जाय और वह साम्प्रदायिक दंगे को भड़काने के उद्देश्य से मारा गया। इस काम को सिमी और आई० एस० आई ० जैसी जो संस्थायें हैं उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। इससे यह लोग पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगा और अशांति फैलाने की मंशा से किया। लेकिन मान्यवर, हम जन-प्रतिनिधियों, वहां के जिलाधिकारी और एस० एस० पी० ने वहां पर नियंत्रण किया अगर यह काम इतनी सूझ-बूझ से न किया जाता तो वहां की जनता व पुलिस उत्तेजित होकर दौड़ पड़ती और इस तरह से यहां भयंकर अशान्ति फैल जाती।

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, जो इसमें इन्वाल्व थे वह चाहते थे कि किसी तरह साम्प्रदायिक दंगा भड़का दिया जाय। मैं वहां के एस० एस० पी०, आई० जी० और सभी उन जन-प्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस साम्प्रदायिक आग को भड़कने से बचा लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये सामान्य प्रशासन व गृह विभाग के बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, गृह विभाग पर ही बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

गोपाल कृष्ण सक्सेना जी क्या आप अपनी भावना व्यक्त नहीं करना चाहते हैं ?

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, समाजवादी पार्टी की तरफ से शाक्य जी का नाम है और शाक्य जी बोलेंगे।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठता महोदय, आपने माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अभी इस सदन में यह चर्चा हो रही थी और मा० मुख्य मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में कहा कि यहां पर साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। मान्यवर, मैंने इसी सदन में एक अल्पसूचित प्रश्न किया था और जिसमें मैंने यह पूछा था कि मा० मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए सरकार क्या कोई विशेष नीति (कार्ययोजना) बनाने जा रही है ? उत्तर में आया था जी हां, यदि हां तो विवरण क्या है ? तो विवरण संलग्न किया और इस विवरण में दो शासनादेश का जिक्र किया एक शासनादेश 7 जनवरी, 99 को और दूसरा शासनादेश 20 जून, 2000 को जारी किया गया उनकी 2 लाइनें उद्धृत करना चाहता हूं। "किन्तु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध और उत्पीड़न की कार्यवाही की कतिपय घटनाएं हुई हैं जिसको दृष्टिगत रखते हुए कठोर कार्यवाही की जानी आवश्यक है।" दूसरी ओर अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित किसी भी विवाद के बड़ा रूप लेने के पूर्व आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा। यह सरकार ने माना है कि अल्पसंख्यक लोगों के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही हुई है। यह जो दूसरा शासनादेश है, दूसरे शासनादेश में इस बात का जिक्र किया फेज नम्बर–3 पैरा–10 में कहा गया है कि साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर लेखक और प्रकाशक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। सवाल यह है कि कौन-सा साहित्य आपत्तिजनक है कौन-सा आपत्तिजनक नहीं है, इसको कौन तय करेगा ? इस प्रदेश में सिक्ख समुदाय, जैन समुदाय, मुसलमान समुदाय, ईसाई समुदाय, माइनारिटी के लोग होते हैं तथा हिन्दू भी हैं। तो यह जातिवाद कहां से पैदा हुआ, यह सम्प्रदायवाद कहां से पैदा हुआ। मैं इतिहास

के पन्नों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जातिवाद जो पैदा हुआ वह पुराने साहित्य से पैदा हुआ उसका सर्वेक्षण और पुनरीक्षण करना चाहिए, ताकि साम्प्रदायवाद और जातिवाद जो पैदा हुआ उसको मिटाया जा सके। मैं कहना चाहता हूं कि आप एक संयुक्त आयोग बनाये जिसमें हिन्दू, मुसलमान सभी धर्मों के एक-एक प्रतिनिधि को रखें और जो आयोग बने उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह जातिवाद और साम्प्रदायवाद कहां से पैदा हुआ और जो आपत्तिजनक चीज या साहित्य मिले या उसको संशोधित किया जाये। तथा उसे समाप्त किया जाय।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

मान्यवर, पुराने साहित्य में कहीं पर साम्प्रदायवाद नहीं है, पुराने समय में जातिवाद की बजाय कर्मवाद था। कर्म के आधार पर समाज का बंटवारा था। इनको पुराने साहित्य का संज्ञान नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य–

अभी कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों में विश्वसनीयता पैदा करेंगे। उनकी मदद करने का हम काम करेंगे। लेकिन लखीमपुर खीरी में 22 आदमी मर गये आज तक सहायता नहीं दी गयी है। सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। यह सरकार अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग की विरोधी है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने शान्ति सुरक्षा बल का गठन किया था लेकिन आपकी सरकार ने शान्ति सुरक्षा बल को खत्म करने का काम किया है। अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने का काम किया जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे मैनपुरी में एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति का झगड़ा हो गया। अपराध संख्या 182-183-184/2001 तो अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित व्यक्ति पर गैंगेस्टर ऐक्ट लगा दिया गया। वहां केवल भा०ज०पा० के कार्यकर्ता से मारपीट हुयी थी लेकिन गैंगेस्टर ऐक्ट, रासुका लगाने की कार्यवाही हो जाती है। मेरी बात गलत हो तो सी० आई० डी० से जांच करवायी जाय।

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुए।)

जिस बात को मुख्य मंत्री ने कहा था कि उपदेश सिंह खलीफा के विरुद्ध 66 अपराधिक मुकदमें कायम हैं ऐसे व्यक्ति को मुख्य मंत्री ने गनर दिया। शिवराज सिंह उर्फ पी०टी०आई के खिलाफ 50 अपराधिक मुकदमें कायम हैं जिसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने लिखित रूप से जवाब दिया उनको गनर देने का काम किया। उनके भतीजे जिसके विरुद्ध 10–12 अपराधिक मुकदमें कायम हैं वृजेन्द्र भल्ला उनको गनर देने का काम किया। प्रेमपाल सिंह को गनर देने का काम किया। यह कहते हैं कि पारदर्शिता के आधार पर सरकार चलाएंगे। कल ही विधान सभा में संशोधित उत्तर आया जिसमें तृतीय सत्र 1998 के तीसरे सोमवार हेतु अतारांकित प्रश्न सं० 85 है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने माना कि शिवराज सिंह उर्फ पी० टी० आई० उपदेश सिंह उर्फ खलीफा अपराध संख्या 59/98 धारा एन० एस० ए० थाना बेवर मैनपुरी से जिला कारागार आगरा में निरुद्ध हैं। जो लोग माफिया हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले हैं, डकैत हैं 28/2001 की धारा 95 डकैती में वांछित हैं पिछले दिनों तलाश थी तलाश के बाद उसको गनर दिया गया तो यह कहां की न्यायप्रियता है। मैं दूसरी बात ट्रांसफर पालिसी के बारे में कहना चाहता हूं। आपने आई० ए० एस० व आई० पी० एस० की ट्रांसफार पालिसी की कोई नीति नहीं बनाई अभी एक सवाल किया था उस सवाल में मैंने पूछा था कि मुख्य मंत्री जी कृपया बताएंगे कि प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? उसका जवाब दिया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों हेतु कोई प्रथम नीति नहीं है। एक जनवरी, 2000 से अब तक कितने आई० ए० एस० अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया एक जनवरी, 2000 से 9 जनवरी, 2001 तक 486 आई० ए० एस० अधिकारियों के ट्रांसफर किये गये। जब आई० ए० एस० अधिकारियों आई० पी० एस० अधिकारियों के बारे में कोई ठहराव की नीति नहीं है।

पिक एण्ड चूज की नीति है तो किस तरह से प्रशासन चलेगा ? आप जाति के आधार पर सम्प्रदाय के आधार पर स्थानान्तरण करते हैं जिसके कारण आई०ए०एस० अधिकारियों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है । अगर न्यायालय कोई सिद्धान्त बनाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। कोई इस तरह से परिषद् की नियुक्ति नहीं करती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं पांच मिनट लूंगा । उत्तर प्रदेश के मंत्रि-मण्डल के सदस्यों के प्रभाव के आधार पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार ट्रांसफर करती है । ट्रांसफर को उद्योग बनाने का काम करती है । इससे विसंगति पैदा होती है । एक जजमेन्ट में श्री काटजू ने भी कहा था अशोक के समय 5 वर्ष में ट्रांसफर हुआ करते थे मुगलकाल में 5 वर्ष में ट्रांसफर हुआ करते थे । अंग्रेजों के समय तीन वर्ष में ट्रांसफर हुआ करते थे लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर तीन माह, छह माह, आठ माह में हो जाते हैं । इससे प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल किस तरह से ऊंचा होगा । राजनीतिक आधार पर जब उनका ट्रांसफर होगा, कोई ठहराव की नीति नहीं होगी तो इससे आप उत्तर प्रदेश की जनता को सही न्याय नहीं दे सकते हैं व प्रशासनिक अधिकारी अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते हैं । जहां तक पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति के रिजर्वेशन का सवाल है पिछले दिनों एक शासनादेश जारी हुआ ।

मान्यवर, जो थाना प्रभारियों की नियुक्ति के मामले में समस्त एस०पी० को सर्कुलर जारी किया गया था कि जिलों में अनुसूचित जाति का 20 प्रतिशत पिछड़ों का 25 प्रतिशत और अल्पसंख्यकों का 8 प्रतिशत कोटा होना चाहिए लेकिन जो यह शासनादेश किया गया इसका कहीं कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है । अभी पिछले सत्र में सिपाहियों की तनख्वाह का मामला उठा । पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया लेकिन आरक्षियों को कोई लाभ नहीं दिया गया उन्हें आज भी 3050 का वेतनमान मिल रहा है । इस विषयक उच्च न्यायालय का आदेश भी है कि इनका वेतनमान बढ़ाया जाय तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह तो अभी नया मामला है । मैं कहना चाहता हूं कि अब तो एक वर्ष हो गया है अब तो उनका वेतनमान बढ़ाया जाय । ये सिपाही अकेले दम पर कानून व्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं । पी०ए०सी० में अभी विद्रोह भड़का था आज भी ये जवान आक्रोश की ज्वाला में धधक रहे हैं कभी भी ज्वालामुखी फूट सकता है । आपकी सरकार में चाहे कल्याण सिंह मुख्य मंत्री हों या राजनाथ सिंह मेरठ में अल्पसंख्यकों का कत्लेआम किया गया और जब अपराधियों पर मुकदमा कायम हुआ तो इस सरकार ने मुकदमा वापस लेकर अल्पसंख्यक विरोधी कदम उठाया है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय धनीराम वर्मा जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

आम बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने की मांग

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । आज विनियोग विधेयक के लिए कार्य-सूची में चार बजे का समय रखा गया है । मेरा आग्रह है कि इस समय को बढ़ाकर साढ़े पांच कर दिया जाय । महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा हो रही है सभी माननीय सदस्यों को बोलना है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसमें एक व्यवहारिक कठिनाई है कि इस विधेयक को आज ही विधान परिषद् में भी पास होना है उनकी भी अंतिम बैठक है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

परिषद् से आग्रह कर लें कि एक दिन और बैठ जायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो विषय कुंवर रेवती रमण जी ने उठाया है, यह पहली बार नहीं उठाया गया है । कई बार उठाया गया है । कई बार ऐसा होता है कि इसे उसी दिन विधान परिषद् में भी पारित होना होता है । मान्यवर, यही सरकार यहां भी है और वहां भी है । उनसे यह अनुरोध कर लें एक घण्टे और बैठ जायं । 4 बजे पारित होना है, 4 बजे की जगह 5 बजे हो जाय उसके बाद वहां 5.30 बजे तक हो जाय । क्या दिक्कत है ? आप स्वयं देखें अभी बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं बोले हैं, मैं नहीं बोला हूं, रघुवर दयाल जी नहीं बोले हैं । समय जरूर लगेगा । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे फिर नेता विरोधी दल को भी बोलना है । इसमें समय कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए । मेरी यही राय है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, इसमें समय बढ़ा लिया जाय नहीं तो सभी लोगों की राय नहीं आ पायेगी तो कोई फायदा नहीं होगा । नहीं तो जैसा कुंवर साहब ने कहा है, ऐसे ही पास करा लीजिए । समय बढ़ाने के लिये कहा है । श्री प्रमोद जी ने भी कहा है, बढ़ा लीजिए ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी बहुत से माननीय सदस्यों की राय इस पर आनी है । महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है इसलिये डेढ़ घण्टा और बढ़ाने का कष्ट करें । साढ़े पांच बजे तक इसको ले चलिये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस संदर्भ में ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, समय नहीं बढ़ायेंगे तो क्या फायदा है ? ऐसे ही पास कर लें । बैठे रहने से क्या फायदा जब मौका ही नहीं मिलेगा । कम से कम मैं तो चला जाऊंगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

इस तरह से प्रस्ताव आते रहे हैं और समय बढ़ाया भी गया है तो फिर इसमें कठिनाई क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

मेरी वेदना यह है कि प्रस्ताव का कोई समय होता है । चार बजे तक का समय है । चर्चा चलती, कोई बात आती तो मैं खुद ही प्रस्ताव ले आता । लेकिन इस प्रकार का व्यवहार कि समय बढ़ाया नहीं तो हम जा रहे हैं । यह तो कोई बात नहीं हुई । जितने व्याकुल आप हैं, हम भी हैं । अभी एक घण्टा है आप चर्चा चलायें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, अभी चर्चा चलायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह तो विपक्ष कहता ही है कि बात नहीं मानेंगे तो हम बहिष्कार करते हैं। अभी किसी ने यह तो नहीं कहा कि नहीं मानेंगे तो हम आपके पास आ जायेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

जहां तक पास आने की बात है, वह तो आप नहीं भी कहेंगे तो भी हम मान लेंगे।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)

* गृह राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बहुत अच्छी हुई है, यह बात अलग है कि आज विपक्ष के बन्धु कल से आलोचना कर रहे हैं। किसी चीज का, किसी बात का आंकलन हमेशा नहीं होता है, कभी-कभी उसका आंकलन होता है। परीक्षा कभी होती है और परीक्षा के बाद ही यह पता लगता है कि परीक्षार्थी उसमें अच्छा है या नहीं है। पुलिस विभाग को, हमारे पुलिस के कार्यों को पिछले साल जो चुनौती मिली, मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा। रोज-रोज की बात अखबार की कटिंग लाकर आपने बोला है उससे अच्छा होता, जो चुनौतियां मिली हमारे पुलिस विभाग को, उन चुनौतियों पर कितना खरा उतरे, पुलिस विभाग का इससे आंकलन करते तो जो आलोचना आपने की, मैं समझता हूं कि वह आलोचना आप न करते, पिछले सालों में दो-तीन चुनौतियां पुलिस विभाग के सामने आई, कुंम्भ मेले की चुनौती, ग्राम पंचायत के चुनाव की चुनौती, नगरपालिका, नगर पंचायत के चुनाव कराने की चुनौती, एम०पी०, एम०एल०ए० के उप चुनाव कराने की चुनौती, पुलिस कर्मियों के सामने आई यह सर्वविदित है। कुम्भ मेले को जिस प्रकार से सुरक्षा कर्मियों ने सम्पन्न कराया, उसमें हमारे प्रदेश की नहीं बल्कि देश और विदेश के लोगों ने भी उसकी प्रशंसा की और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए बधाई दी है।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पुलिस के जवान जितनी मेहनत और परिश्रम के साथ इस काम को सम्पन्न कराने के लिए एड़ी चोटी एक किए, माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर समीक्षा कराते रहे, वहीं थोड़ी सी गड़बड़ी हुई पत्रकार बन्धुओं के साथ धक्का-मुक्की हुई, मैं पत्रकार बन्धुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने सहयोग किया और उस मामले को समाप्त कर दिया गया। लेकिन आपने क्या भूमिका अदा की, प्रमोद जी हंस रहे हैं, आपने जो कर्म किया, लोग पाप धोने गए आप पाप बटोरने चले गए, स्थिति ऐसी आई कि इन्होंने पूरी कोशिश की पुलिस, पत्रकार बन्धुओं की टकराहट हो और ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि दुनियां में लोग समझे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कहीं जानमाल की सुरक्षा नहीं है। मेले का आयोजन तो हो गया लेकिन सुरक्षा नहीं हो पा रही है। आन्दोलन के लिए बड़े-बड़े नेता चले गये। इसके बावजूद पुलिस के जवानों ने बड़ी मेहनत से मेले को सम्मन्न कराया। मेले को सम्पन्न कराने में एक दिन में व्यवस्था नहीं हुई एक साल से हमारी सरकार एक्सरसाइज करती रही। 12 करोड़ व्यय किया गया। 11 हजार पुलिस कर्मियों ने रात-दिन मेहनत करके काम किया। इसी तरह से मान्यवर, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए आपकी कहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में कोई रोने वाला नहीं है सरकार के नाम पर । आपके पड़ोसी सहोदर भाई की सरकार बिहार में हैं वहां ग्राम पंचायत के चुनाव में 140 लोगों की मृत्यु हुई लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां सात करोड़ लोगों का मतदान कराया है कहीं एक-दो घटनायें हुई लेकिन पूरे प्रदेश के अन्दर ग्राम पंचायतों के चुनाव सकुशल सम्पन्न कराए गए । नगरपालिका के चुनाव हुए उसमें किसी प्रकार की घटना नहीं होने दी वह सकुशल सम्पन्न हो गए । एम०पी० और एम०एल०ए० के चुनाव में री-पोल नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई इससे बड़ा मैं और उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने बापू जी की तस्वीर है, जो चुनाव हुए हैं वह साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है और अच्छे ढंग से चल रही है । नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाया । पूरी कोशिश की गयी । पुलिस मुठभेड़ हुई और ऐसे नक्सली जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर कहर ढा रहे थे उस पर अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है । यह सब काम ऐसे ही नहीं हो गया । जहां पर पुलिस के जवानों और अधिकारियों को अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया वहीं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया ।

मान्यवर, इनकी जब सरकार थी तब 1300 करोड़ का बजट था गृह विभाग का, हमने उसको बढ़ाकर 2002 करोड़ का कर दिया है । पिछले साल की तुलना में 90 करोड़ ज्यादा प्रस्तुत किया है । मान्यवर, कल नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में कहा कि जो जीपें मुलायम सिंह जी के जमाने की थी वही आज भी हैं और वह खटारा हो गयी है, 10 किलो मीटर भी नहीं चल पाती है अगर आपने पुस्तिका पढ़ी होती तो ऐसी बात न कहते । पिछले साल 13 करोड़ की जीपें खरीदी गयीं और जो निष्प्रयोज्य हो गयी थी उनको बदला । इस वर्ष भी 15 करोड़ का प्रस्ताव है इससे नये वाहन खरीदेंगे और जो खराब जीपें हैं उसको बदलेंगे । अस्त्र-शस्त्र की बात आयी । यह कहा गया कि थ्री नाट थ्री लाठी हो गयी है । यह चिन्ता आपकी सरकार की थी तब करना चाहिए था । लेकिन जब जिम्मेदारी थी तब आपने पुलिस का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया आपने बदलने की कोशिश नहीं की । हमारी सरकार ने पिछले साल चौदह करोड़ के असलहे खरीदे इस वर्ष दस करोड़ का प्रस्ताव है । वायरलेस और टेलीफोन के लिए सात करोड़ रुपया व्यय कर रही है । आधुनिकीकरण में एक हजार करोड़ रुपये की योजना है जो आगामी पांच सालों में पूरी होगी । भवनों के बारे में एक सज्जन कह रहे थे कि भवन नहीं है । यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 97 के बाद से प्रति वर्ष 25 करोड़ के प्रशासनिक भवन बन रहे हैं । विपक्ष के नेता ने भी महसूस किया होगा । एटा में बन रहे हैं । मान्यवर, इसी प्रकार अग्नि–शमन में 95 करोड़ रुपया और इस वर्ष 56 करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं । मान्यवर, विपक्ष के नेता शाहजहांपुर की सीट के लिए आगे की भविष्यवाणी कर रहे थे । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि [× × ×]

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन की मान्य परम्परा है मैं माननीय मंत्री जी से ऐसी बात की आशा नहीं कर रहा था, लेकिन जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है और जो उत्तर देने के लिये नहीं है उसका नाम नहीं लेना चाहिए । आप एक सिपाही का ट्रांसफर तो करा नहीं पाते हो और बने हो गृह राज्य मंत्री । इस तरह का कहना है कि उनको धन्यवाद दीजिए, जबकि वह नहीं है तो इसको दिखवा लीजिये और सदन की कार्यवाही से निकलवा दीजिये । यह सदन की परम्परा के विरुद्ध है ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसे दिखवा लूंगा।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, यदि कोई ऐसी बात है तो वापस ले लेता हूं, मैंने शांति प्रदान करने के लिए सदन में श्रद्धांजलि की बात कही। माननीय प्रमोद कुमार जी को लगा कि श्रद्धांजलि क्यों दी ?

श्री प्रमोद कुमार–

यह तो ऐसे ही हुआ कि इनको हम श्रद्धांजलि देने लगे तो इनको खराब लगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रंगनाथ जी, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है जनता इसे स्वीकार कर रही है। यह कहा गया कि यह जादू की छड़ी से कुछ हो गया। मान्यवर, जितनी बहादुरी से पुलिस के जवानों ने काम किया है मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, 3 लाख 39 हजार अभियुक्त वांछित थे हमारे पुलिस के जवानों ने एक लाख पचहत्तर हजार लोगों को गिरफ्तार किया और लगभग एक लाख बारह हजार लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। मान्यवर, वांछित अपराधियों में 85 प्रतिशत सफलता कभी प्राप्त नहीं की है। आपके शासन में। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है और इसके कारण कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। आप उदाहरण दे रहे थे। 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव के शासनकाल का। माननीय डंग साहब ने कहा कि अक्ल के दुश्मन, नकल के हिमायती। मैं सोच रहा था कि शायद यह चरितार्थ नहीं हो रहा है लेकिन बात आ गयी। मान्यवर, जो आपके आंकड़े हैं 1994 में डकैती 1383, 2000 में 665 और हत्या की बात कर रहे हैं कि आये दिन हत्यायें हो रही हैं मान्यवर, परिस्थिति जन घटनायें दुश्मनी में कहीं हो जाती हैं।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

आपके कहने पर तो आज चौकीदार भी नहीं हट रहा है।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, बराबर यह लोग कह रहे हैं कि हम सिपाही का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मैं सिपाही मंत्री नहीं हूं बल्कि गृह विभाग का मंत्री हूं। डी०जी० से लेकर सिपाही से लेकर सभी लोगों की ट्रांसफर और पोस्टिंग हम सबकी सहमति से होती है कहीं गलती नहीं होती है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

जो आपकी पीड़ा है जो दर्द है आपके अन्दर वह हम सब जानते हैं।

श्री इकबाल महमूद–

डी०जी० से लेकर सिपाही में एक ट्रांसफर भी किया हो उसको आप बता दें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसी सिपाही का ट्रांसफर किया हो मुझे बता दें। मान्यवर, जिस सिपाही के ट्रांसफर की बात लेकर वे मेरे पास आये थे वे अपराध में संलग्न था इसलिए मैंने ट्रांसफर नहीं किया इसलिए इनको खराब लग रहा है। मान्यवर, ये आंकड़े कह सकते हैं कि गलत हो सकते हैं लेकिन हत्या के मामले में आप देखें।

(श्री इकबाल महमूद द्वारा टोकाटाकी करने पर)

श्री रंगनाथ मिश्र–

मैंने उस सिपाही को बर्खास्त कर दिया जिसको आपने कहा था ।

मान्यवर, सब इन्सपेक्टर और 26 सिपाही को पदच्युत कर दिया उसमें आपका वह भी एक सिपाही था जिसको आपने कहा था, बर्खास्त कर दिया । मान्यवर, हत्या के मामले में कल समाजवादी पार्टी के बन्धुओं और कई लोगों ने कई बार उठाया तो बता रहा हूं कि 1994 में इनके शासनकाल में 8789 हत्या हुई और आज 2000 में 7208 व्यक्तियों की हत्या हुई तो इसमें गिरावट आई । मान्यवर, यह जो अनेक प्रकार के आंकड़े हैं वह आपके पास न हों तो भिजवा दूं । इसमें साफ हो जायेगा । बिना तुलना किये पता नहीं लग सकता, तुलना कर लीजिए कि आपका शासनकाल अच्छा था या हमारा ।

श्री उदय राज यादव–

कितनी लावारिश लाशें ऐसी मिली हैं जिनका मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है, वह बता दें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, अपनी बात में राम औतार शाक्य जी ने यह बात उठाई थी उन्होंने एक बात कही थी कि गड़ेरी ने सूचना न दी होती तो पाकिस्तान का बार्डर दिल्ली होता । मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब सावन में कोई व्यक्ति अंधा होता है तो उसको हरियाली ही नजर आती है जब इनकी सरकार थी तो हो सकता है कि पाकिस्तान का बार्डर दिल्ली हो जाता किन्तु माननीय अटल बिहारी बाजपेयी के शासनकाल में ताकत का इजाफा उनके नेतृत्व में बहुत बढ़ गया है । मान्यवर, कारगिल के युद्ध में पैटन टैंक और युद्धक विमान से हमारी सेना मारती रही ।

श्री रामतेज यादव (एडवोकेट)–

कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान ने हमारी जमीन हड़प ली थी वह खाली हो गई या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर; सबकी बात सुननी चाहिए आपकी बात कल आई थी, हमने सुना, हमारी भी बात सुनिए जो आपको कहना हो बाद में कहिएगा । मान्यवर, 1965 और 1971 में एकतरफा पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा की थी, लेकिन 1999 में कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान साहस नहीं कर पाया कि युद्ध की घोषणा कर सके, क्योंकि वह जानता था कि आज परमाणु शक्ति सम्पन्न भारत हो गया है अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में । यदि पाकिस्तान घोषणा करता तो विश्व से उसका नामोनिशान मिट जाता, वह ताकत हासिल की थी भारत ने । इसलिए दिल्ली तक आने की बात छोड़ दीजिए । वह युद्ध की घोषणा तक नहीं कर सका । 1998 में मुलायम सिंह जी का समय होता तो कुछ हो सकता था । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साथी विपक्ष के भाइयों से निवेदन करूंगा कि आंकड़े देख लें और उनके शासन से और हमारा शासन जो रहा है दोनों की कानून व्यवस्था की स्थिति देख लें और कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें । (धन्यवाद)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 के प्रस्तुतीकरण का समय 4 बजे से बढ़ाकर 5 बजे किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन, मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मद संख्या–22 जो विनियोग विधेयक के संबंध में है, उसको 4 बजे प्रस्तुत करने की बात थी, उसको 4 बजे के बजाय 5 बजे कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव समय बढ़ाने के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उपस्थित किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको समय दूंगा ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । अभी माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे थे । उनके भाषण से ऐसा लगा, जैसे उनका पक्ष हिन्दुस्तान के फेवर का है और इधर का पक्ष पाकिस्तान के फेवर का है । हम लोग हिन्दुस्तान की सरजमीं से मोहब्बत करने वाले हैं । जबसे इनका राज आया है, इन्होंने हिन्दुस्तान के अन्दर लोगों को बांटने का काम किया है, देश को कमजोर करने का काम किया है । इन्हीं की वजह से पाकिस्तान हमला करने की भी सोचता है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, गृह विभाग के बजट पर नेता प्रतिपक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देने के लिये समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । कल माननीय मुख्य मंत्री जी गृह विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुये बड़ी लम्बी-चौड़ी डींगे भर रहे थे और यहां की बिगड़ी हुई हालत को बेहतर बनाने के लिये उन्होंने कहा कि हम इसी वर्ष 2000 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती करेंगे, 2200 पी०ए०सी० की भर्ती करेंगे । घोषणा करना माननीय मुख्य मंत्री की आदत हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे माननीय मंत्रीगण घोषणा के पर्याय बन गये हैं ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, दल के नेता बोल रहे हैं, अच्छा होता, माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित होते ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं, वह सब नोट कर रहे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इसका उत्तर तो वह देंगे नहीं । एक अच्छी परम्परा है, उसका पालन करेंगे तो गरिमा बढ़ेगी, नहीं तो आपकी मर्जी ।

श्री अधिष्ठाता–

वह नोट करके मुख्य मंत्री जी को देंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं यह कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री और इनके सभी मंत्रीगण घोषणा पर घोषणा करते जा रह हैं लेकिन किसी भी घोषणा का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है । आज उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है । यहां तक कि पैसे का अभाव दिखा करके विकास के नाम पर जो जिला विकास का धन जाता था, उसकी भी कटौती कर दी है । जब उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से जर्जर हो चुकी है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है तो 2000 सब इन्सपेक्टर, 2200 पी०ए०सी० की भर्ती कर क्या कर्ज से इनका भुगतान वेतन के रूप में करेगी ? पहले अपनी थैली को तोल लेना चाहिए, फिर लम्बी-चौड़ी डींग हांकनी चाहिए । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 1450 थाने हैं, जबकि बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, जैसाकि मानक है, शहरों में 50 हजार पर और ग्रामीण इलाकों में 75 हजार पर थाने होने चाहिए । इस मानक के अनुसार 1 हजार थाने की और आवश्यकता है । लेकिन यह सरकार केवल डींग हांक करके कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करना चाहती है, केवल बड़ी-बड़ी बातें करके, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में यह मुलम्मेदार बात करती है लेकिन व्यवहारिक रूप से उसको कार्य रूप कैसे दिया जायेगा, इसके पास कोई योजना नहीं है । मान्यवर, यहां पर आज थानों में जो पुलिस की संख्या है वह आज से 10 साल, 15 साल पहले जो पुलिस की संख्या थी, वही आज विद्यमान है, कोई बढ़ोत्तरी नहीं है । जैसाकि आप जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश की आबादी 16 करोड़ पहुंच गयी है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में प्रति 10 हजार लोगों पर 6 पुलिस का औसत आता है और सभी सुरक्षा बल के लोगों को मिला लिया जाए जिसमें पी०ए०सी० के भी जवान शामिल हैं, अर्ध सशस्त्र बल के जवान भी शामिल हैं तो यह संख्या 6 के बजाय 10 हो जाती है । मान्यवर, यही आंकड़ा अगर हम पंजाब में देखेंगे तो वहां पर 10 हजार लोगों पर जहां उत्तर प्रदेश में 6 पुलिस होते हैं, पंजाब में 23 पुलिस की व्यवस्था है और महाराष्ट्र में 17 पुलिस कर्मी होते हैं और सभी सुरक्षा बल के लोगों को मिला करके यह औसत जब उत्तर प्रदेश में 10 हजार पर 10 पुलिस होता है तब पंजाब में 31 पुलिस होता है और महाराष्ट्र में 18 पुलिस का होता है । मान्यवर, आज पुलिस व्यवस्था इतनी अल्प हो गयी है जो कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने में काफी नहीं है और कहीं-कहीं पर तो पुलिस का आलम यह है कि वही पुलिस कर्मी रात में गस्त देते हैं, वी०आई०पी० जाता है तो साफा बांधकर वही अगवानी भी करता है और वही कही संगीन अपराध होता है तो वह वहां भी जाता है । नतीजा यह होता है कि संख्या कम और काम ज्यादा तो जैसा कल यहां पर मुख्य मंत्री जी ने संशोधित सूचना दी कि महिला की लाश को जो सुअर कहा गया था, वास्तव में वह महिला की लाश थी । यह केवल इसी कमी की देन है कि जल्दी-जल्दी में वर्क आउट करने में यह गलत आंकड़े आ जाया करते हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं । यह सरकार आज पूरी तरीके से सभी मुद्दों पर असफल हो चुकी है । इसका दिवालिया निकल गया है और कानून का आलम यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुण्डे, चोर-उचक्के, माफिया दिन दहाड़े जहां जिसका मन होता है चेन छीन लेते हैं, गोली मार देते हैं, बैंक लूट लेते हैं, डकैती डाल देते हैं, सड़कों पर चलती बहिन-बेटियों का बलात्कार कर देते हैं लेकिन इस मामले पर सरकार की कोई सोच नहीं है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को खुद एक मामले में एफ०आई०आर० दर्ज कराने में कठिनाई हुई वह साक्षात इसके दृष्टान्त हैं । इसलिए ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहता हूं ।

माननीय अधिष्ठाता जी, यह सरकार साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काकर, केवल सत्ता के लोभ में हिन्दू-मुस्लिम के खून-खराबे पर तुली है, लेकिन भाईचारा का सन्देश देना नहीं जानती है । मऊ का दंगा, आजमगढ़ में मुबारकपुर का दंगा, कानपुर का दंगा, सम्भल का दंगा, यह इनके वह घिनौने कारनामें हैं जिससे साम्प्रदायिक आग में यहां के जनमानस को झोंककर सत्ता हथियाने का काम करते हैं । मान्यवर,

यह दोहरे चरित्र के लोग हैं, इनको यह कहने में शर्म नहीं आती है । अयोध्या में जाकर कहते हैं कि "रामलला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनायेंगे ।" सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि "जब सत्ता हम पायेंगे, रामलला को भी भूल जायेंगे ।" मैं कह देना चाहता हूं कि जो सरकार अपने रामलला को भूल सकती है वह यहां के गरीबों का क्या करेगी ? दलितों, पिछड़ों और अक्लियत समाज की बेहतरी के लिए क्या काम करेगी ? इनका कोई कौम नहीं है, यह केवल फर्जी घोषणा करते हैं । जिस तरीके से इन्होंने रामलला के सामने घोषणा किया लेकिन वही "ढाक के तीन पात" । इसी प्रकार से इनकी सारी घोषणायें, कोरी घोषणायें मात्र रह जायेंगी, व्यवहारिकता से कोई मतलब नहीं है ।

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, अगर थोड़ी भी हया है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए । मान्यवर, यह न्याय दे नहीं सकते, न्याय मांगने वालों को सजा जरूर दे सकते हैं । अभी गोरखपुर में मोहर्रम के दिन के वाक्या का ध्यान दिलाना चाहता हूं जैनुल हसन जो स्टाम्प विक्रेता था एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी जोखन ने उसकी गोली मारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए मंत्री उस गोली मारने वाले को संरक्षण देते हैं लेकिन जिसको गोली मारी गयी उसके ऊपर एन०एस०ए० लगा देते हैं, क्योंकि उसने गिरफ्तारी की मांग कर दी थी और यह कहा था कि जिसने गोली चलायी है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय । यह सरकार किसी भी न्याय मांगने वाले को न्याय नहीं दे सकती है, यदि कोई न्याय मांगने की जुर्रत करेगा तो उसे फर्जी मुकदमें में फंसाने का काम करेगी । इसलिए मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि बावतपुर में किसानों का दोष क्या था उन्होंने केवल अपना मुआवजा मांगा था लेकिन इस निरंकुश सरकार के निरंकुश अधिकारियों ने, एस०डी०एम० और सी०ओ० भी मौजूद थे, जिम्मेदार लोग थे, इन्होंने गोली चलाने का काम किया । मान्यवर, अगर यह सरकार कार्यवाही करती तो बाबतपुर में जो एस०डी०एम० था उसको निलम्बित किया होता मान्यवर, कहीं भी कोई भी सरकार किसी एस०डी०एम० को सर्विस रिवाल्वर नहीं देती है लेकिन इस सरकार ने बाबतपुर में किसानों के ऊपर गोली चलाने के लिए उनकी हत्यायें कराने के लिए वहां के एस०डी०एम० को सर्विस रिवाल्वर दिया । इसने वहां के कमजोर वर्गों पर गोली चलवाई । मान्यवर, यह सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने की बात करती है । उसकी हिफाजत की बात करती है लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार कानून की क्या हिफाजत करेगी यह सरकार तो गुण्डों और माफियाओं की सरकार है ।

(शोर)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, किसी साधारण सदस्य ने अगर यह बात कही होती तो दूसरी बात है लेकिन यह तो अपने दल के नेता हैं, इन संसदीय परम्पराओं का ध्यान रखें । ऐसा नहीं है कि आपमें और आप में (सपा-बसपा) टी०वी० पर बात हो रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं सदन के संज्ञान में ला रहा था कि जब किसानों ने न्याय मांगा तो आपने उन पर गोलियां चलवा दीं उनकी हत्यायें करवा दी । मान्यवर, यह सरकार कानून की हिफाजत की बात करती है, निर्बलों की रक्षा की बात करती है तो कहना चाहता हूं कि जब यह अपने विधायक निर्भयपाल शर्मा की रक्षा नहीं कर सकी, गंगा सिंह की पत्नी की रक्षा नहीं कर सकी तो यह कानून और समाज की क्या रक्षा करेगी । मान्यवर, यह कानून की रक्षा करने का ढकोसला करती है ।

(शोर)

गृह राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

हमने किसी की रक्षा की हो या न की हो लेकिन आपकी नेता मायावती जी की रक्षा हम लोगों ने ही की थी। अगर उनको बचाया न होता तो कहीं मुंह दिखाने की लायक न होती।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज नृत्य गोपाल दास बहुजन समाज पार्टी के ही नेता नहीं हैं वह आपके पूज्य हैं, महन्त नृत्य गोपाल दास जी की रक्षा नहीं कर सके तो प्रदेश के कमजोर लोगों की रक्षा क्या करेंगे, यह आपकी कानून व्यवस्था है ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, हमने किसी की रक्षा की हो या नहीं लेकिन आपकी नेता की तो इतनी रक्षा की कि वह दो बार प्रदेश की मुख्य मंत्री बन पाई।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आपने हमारी नेता के पैरों पर अपनी नाक रगड़ी तभी आज आप की पार्टी सत्ता में है अन्यथा आप आज यहां पर न पहुंचते।

(शोर)

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैंने कभी किसी किताब में यह पढ़ा था कि कहीं एक राजा विक्रमादित्य थे और उनके पास एक ऐसा सिंहासन था कि उस पर बैठने वाला उनके जैसा ही आचरण करने लगता था लेकिन आज पता चला कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो उसके आस-पास बैठता है उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।

एक सदस्य–

आप रक्षा की बात करते हैं मायावती के साथ मारपीट करने वाले आप ही लोग हैं [xxx]

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, चाहे भवानीपुर हो या बाबतपुर हो यह क्षेत्र माननीय मुख्य मंत्री के ही क्षेत्र हैं मान्यवर, भवानीपुर में नक्सल पंथी कहकर 16 मासूम गरीबों को गोली से भूना जाता है यही है कानून और व्यवस्था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अभी मा० गृह राज्य मंत्री जी बोल रहे थे और आंकड़ा दे रहे थे, मगर यह सरकार आंकड़ों पर नहीं चलने वाली है। आंकड़ों पर लोगों के आंख में धूल एक दिन झोका जा सकता है, लेकिन यह निरन्तर प्रक्रिया अपनायी नहीं जा सकती। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, आपकी सरकार के पुलिस विभाग का हत्या का आंकड़ा है। 1997 में 2014, 1998 में 7467, 1999 में 6988, और आज 2000 में 6893 हो गयी हैं। तो इस तरह से 2000 में 7 हजार पर पहुंच गयी। मान्यवर, इसी तरह से डकैती में 1997 में मात्र 293, 1998 में 824, 1999 में 608 और आज 740 हो गयी हैं। मान्यवर, लूट में 1997 में 821, 1998 में 3908 1999 में 3094 और आज 2000 में 3096 हो गयी हैं। मान्यवर, उस समय का ग्राफ कम था 3 साल के बाद का आपकी सरकार का ग्राफ को देखने का काम करें।

श्री अधिष्ठाता–

मा० मौर्या जी, समय का ध्यान रखिये और आप संक्षेप में कहें।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अविशासन संसद

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि दलित उत्पीड़न के विषय में मान्यवर, 1997 में 1465, 1998 में 6291, 1999 में 6111 और आज 2000 में 7526 हो चुके हैं । इसी तरह से मान्यवर, महिला उत्पीड़न में 1997 में 1509, 1998 में 14892, 1999 में 14508, और आज 2000 में 15304 महिला उत्पीड़न के केसेज हों चुके हैं । मान्यवर, बलात्कार के विषय में 1997 में 65, 1998 में 2034, 1999 में 2049 और आज 375 हैं । मान्यवर, फिरौती और अपहरण की 1947 में 43 और आज लगभग 250 हो गया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि हवा में उड़कर बात कह देने से कानून और व्यवस्था नहीं सुधरेगी । मान्यवर, यदि मा० मुख्य मंत्री जी कानून और व्यवस्था के प्रति संवेदनशील हैं तो उनकी नसों को टटोलना होगा जहां से ये गड़बड़ियां होती हैं । उनको पकड़ना होगा जो ऐसे लोग हैं कि कानून और व्यवस्था में दखल दे रहे हैं और उन पर अंकुश लगाना होगा । मैं आपके माध्यम से मा० मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कल ही चर्चा हो रही थी कि तेरे और मेरे बीच में कोई अन्तर नहीं है । समानता, बन्धुत्व, समता की बात कह रहे थे मैं इस बात का स्वागत करता हूं । आप इस बात के पक्षधर हैं कि भाईचारा बनाया जाय लेकिन भाईचारा जब तक कायम नहीं होगा जब तक मजहब, धर्म, जाति के आधार पर सरकार काम करेगी । केवल बातों को कहने से काम नहीं चलेगा आपको उस दिशा में काम भी करना होगा । आज मुख्य मंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव की कुर्सियों पर कौन बैठे हैं, डी०जी०पी० की कुर्सियों पर कौन बेठे हैं ? दूध की रखवाली बिल्ली कभी नहीं कर सकती है । दलित, कमजोर, गरीबों की पीड़ा और उनकी सुरक्षा जब हो सकेगी जब इन पदों पर इन वर्गों के लोगों को बैठाया जाय । बहन मायावती के जमाने में 1997 में आप भी मंत्री थे तो मुख्य सचिव माथुर थे, प्रमुख सचिव–गुप्ता थे और डी०जी०पी० अरुण गुप्ता थे और ए०पी०सी० अखण्ड प्रताप सिंह थे । आपको अकलियत के लोगों को समाज के कमजोर लोगों को, दलितों को उनका हक और सम्मान देना होगा । थानेदार, एस०पी०, डी० एम० की कुर्सियों पर बराबर की हिस्सेदारी देनी होगी । मैं कानून व्यवस्था की केवल एक मिसाल देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें, बहुत समय हो गया है आप सहयोग करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, 12 जून, 2000 को शकुंतला देवी के साथ बलात्कार होता है और सी० जे० एम० इलाहाबाद, 23-7-2000 को रिपोर्ट लिखने का आदेश देते हैं लेकिन एफ० आई० आर० नहीं लिखी जाती है यह आपकी कानून व्यवस्था है ।

श्री अधिष्ठता–

अब आप समाप्त करें, बहुत समय हो गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि वाकई में कानून व्यवस्था के आप हिमायती और कानून व्यवस्था का राज चाहते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जो आपके मंत्रिमण्डल में जो अपराधी घुसे हैं उनको बाहर करिये अन्यथा आपकी कानून की बात करना बेइमानी है । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं बजट के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एक लोक कल्याणकारी सरकार स्थापित है और प्रत्येक लोक कल्याणकारी सरकार के कुछ दायित्व होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं । प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थापना कराना जनसामान्य में सुरक्षा की भावना पैदा करना कर्तव्य परायण पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहन देना अपराधों पर अंकुश लगाना, अपराधियों को दंडित करना और अपराधियों में दंड का भाव पैदा करना । जब से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने शासन सम्भाला है उत्तर-प्रदेश में सौहार्द का वातावरण पैदा हुआ है । मैं आपको बधाई देना चाहता हूं । आपने इस बात का निर्णय लिया कि पुलिस बलों को आधुनिक शस्त्रों से लैस किया जाएगा और फोरेंसिक लैबोरेटरी को जो जांच करती है उसके भी आधुनिकीकरण का फैसला किया है ।

मान्यवर, यह हमारी ही नहीं उत्तर प्रदेश की 16-17 करोड़ जनता की चिन्ता है कि जो आतंकवादी थे वह दिल्ली से होते हुए लखनऊ में प्रवेश कर चुके हैं । मैंने कुछ दिन पहले एक राष्ट्रीय समाचार-पत्र पांचजन्य में कहा था कि उत्तर प्रदेश की आतंकवादी घटनाओं में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इण्डिया का हाथ है । गोमती नगर में गिरफ्तार आतंवादियों ने बताया है कि हमारा सम्बन्ध कश्मीरी आतंकवादियों से लेकर इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट आफ इण्डिया से है । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कई अधिकारी उनके रहते हैं । यह चिन्ता का विषय है इस बात की पुष्टि हुई जब गोमती नगर लखनऊ में तीन आतंकवादी मारे गए उनके पास से ए० के० 47, ए०के० 56. 9 एम० एम० कारवाइन, हैण्ड ग्रेनेड, इलेक्ट्रानिक डिवाइस, वाकी टाकी, 10, हजार रुपए व मोबाइल फोन बरामद हुआ । उनसे यह बात मालूम हुई कि उनका षडयंत्र अयोध्या में जाकर राम जन्म भूमि पर हमला करके उसको विध्वंस करने की उनकी योजना थी । मैं कहना चाहता हूं कि 27 मई को लखनऊ में विराट हिन्दू संगम कार्यक्रम था उसमें विश्व हिन्दू परिषद् के बड़े-बड़े नेता यहां आए थे उन्होंने वहां पर राम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण करने की योजना के बारे में कहा था, इत्तिफाक की बात है 28 तारीख अगले दिन साढ़े पांच बजे अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महन्त नृत्य गोपाल दास पर जान लेवा हमला हुआ । यह क्यों हुआ ? मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पहलू को अन्य नजरिए से देखें क्यों ऐसा हुआ 27 तारीख को यहां विश्व हिन्दू परिषद् का सम्मेलन और 28 तारीख को राम जन्मभूमि न्यास के उपाध्यक्ष पर हमला पुलिस ने कहा कि यह आपसी विवाद था यहां उचित नहीं । इसके पूर्व अयोध्या में परमहंस रामचन्द्र दास पर हमला हुआ था ।

एसटीएफ के जो पुलिस अफसर हैं, लखनऊ के डीजीपी, इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी बधाई के पात्र हैं । अखबारों में स्पष्ट बताया गया कि इन आतंकवादियों का निशाना भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद् के बड़े नेता थे । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चहाता हूं कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठायें । जो आतकंवादी कश्मीर से लखनऊ तक पहुंच चुके हैं उनको छापे मारकर गिरफ्तार किया जाय । मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री अध्यक्ष–

इस सदन में दो प्रकार के लोग हैं एक वो जो बहुत ही संक्षिप्त रूप में बोलकर बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं और दूसरे वह जो संक्षेप में कही बात को विस्तृत समझ लेते हैं । मैं समझता हूं कि सभी माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्य संक्षेप में अपनी बात कहें ताकि सभी सदस्य जो बोलना चाहते हैं बोल सकें । मैं ठीक सवा चार बजे माननीय नेता प्रतिपक्ष को बुला लूंगा ।

* श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अत्यन्त महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । यह गृह विभाग का नहीं सामान्य प्रशसान, कार्मिक नियुक्ति का भी बजट है किसी ने इस संदर्भ में अपने विचार नहीं रखे । आज ही समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है मैंने पढ़ा बहुत पीड़ा हुई जो भी पढ़ेगा बहुत पीडा होगी । कारगिल युद्ध में अमर शहीद केवलानन्द, सुनील जंग, हरीश भिंड जिन्होंने अपनी बलि देकर कारगिल युद्ध को विजयी बनाया । इस उत्तर प्रदेश सरकार ने इनसे कई वायदे किये लेकिन आज केवलानन्द की विधवा को घर से निकाला जा रहा है जबकि उसे आवास के लिए भूखण्ड आवंटित किये जाने की घोषणा की गई दो वर्ष बीत चुके हैं । मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं मानवता के आधार पर अपील कर रहा हूं । लखनऊ में ही उनका परिवार रहता है । माननीय मुख्य मंत्री जी आप स्वयं उनके घर जांय या किसी वरिष्ठ मंत्री को भेजें कम से कम इन शहीदों की आत्मा को अपमानित तो न होने दें ।

सुनील की बहन को नौकरी देने का वायदा किया गया आज तक नहीं दी गई । हरीश के साथ भी आपने अपना वचन नहीं निभाया । अगर हम अपने वचन नहीं निभा सकते तो हमें हिन्दुस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं यह बड़े शर्म की बात है । राज्य मंत्री जी कह रहे थे कारिगल में शहीदों ने विजेता के रूप में कार्य किया । मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो भारत की धरती पर लड़ा गया इससे पहले कभी भी पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध भारत की भूमि पर नहीं लड़ा गया । अपनी भूमि को बचाने के लिये हुआ । यह कमजोर सरकारें करती हैं, मजबूत सरकारें नहीं करती हैं । आपकी कमजोरी का परिचय इसी से मिल गया ।

मान्यवर, सामान्य प्रशासन के सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि उसकी एक नियमावली है, उसको पढ़ने का काम नहीं करते ? उसमें है कि एक पद पर एक अधिकारी सामान्यतया 3 वर्ष रहेगा, पद की बात है, स्थानान्तरण की बात नहीं है । आप खुद सूची उठाकर देख लें कितने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक अपने पद पर तीन वर्ष से हैं । ढूंढने में शायद ही 2-4 जिले मिल जायं जहां तीन वर्षों से ज्यादा के हैं । नियमावली आप बनाते हैं, पालन आप नहीं करते हैं उसके बाद कहते हैं कि हमारे राज्य में अमन चैन है । प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट थी कि जनपदों से कानून व्यवस्था के हित में एक साथ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारियों के यथसम्भव स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे । आप एक ही दिन में दोनों को स्थानान्तरित कर देते हो । एक वरिष्ठ अधिकारी तो कम से कम वहां पर रहना चाहिए ताकि वह अपने जनपद के बारे में दूसरे आने वाले अधिकारी को अवगत करा सके । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बड़ा अमन चैन है प्रदेश में । आंकड़े नहीं रखे । अगर आंकड़े रखते तो मैं भी इतने आंकड़े लेकर आया था, उनको रखता तो आपको पता चलता कि इस सरकार के कार्य काल में जितनी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है इससे पहले कभी नहीं रही है । मैं भी इन आंकड़ों को किनारे रख देता हूं । मान्यवर, सरकार को कहने की कटौती तो होगी कोई ? पैमाना तो कोई होगा जिस पर रखकर नापा जा सके कि क्या व्यवस्था है इस सरकार की ? मान्यवर, क्या कारण हो गया कि एक विकलांग आपके दरवाजे पर आया अपनी आप बीती कहता है, आज उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा हो गया है कि कोई आदमी जीना नहीं चाहता वह जीने से मरना बेहतर समझता है । उस व्यक्ति का दूसरा साथी दूसरे दिन आत्महत्या का प्रयास करता है । उत्तर प्रदेश में वातावरण इतना विषाक्त हो गया है, गन्दा हो गया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, इतनी निराशा व्याप्त हो गई है लोग मरना जीने की जगह पसन्द कर रहे हैं। मान्यवर, इस पर भी आपको विचार करना होगा, मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें।

मैं आपके इस बजट को पढ़ रहा था, इसमें बहुत साधारण धनराशि आपने आधुनिकीकरण के लिये रखी है। पुलिस की चुनौतियां तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आज जो अपराधी हैं वे लाठी डंडे के बल पर अपराध नहीं करते हैं उनके पास ए० के० 47, ए० के० 56 जैसे आधुनिक हथियार हैं। मान्यवर, यह सब आधुनिक हथियार, आपका जो क्षेत्र है चन्दौली बनारस, उसके आगे बिहार के पास से तस्करी होकर आते हैं। बड़े-बड़े अपराध करने वाले अपराधियों के पास तेज रफ्तार के वाहन हैं, उनका पीछा आपका पुलिस दल क्या कर सकेगा ? मेरा कहना है कि आप कहीं से, जहां पर कटौती हो सके, करें और अपने पुलिस बल को मजबूत बनायें ताकि उसके राज्य में अपराधी अपराध करने की हिम्मत न कर पाये। आपने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। जो बजट आपने इसके लिये रखा है वह बहुत थोड़ा है, नाकाफी है, अपर्याप्त है। मान्यवर, पुलिस पर एक आरोप लगता है और वह आरोप बिल्कुल सही है। आरोप यह लगता है कि पुलिस का व्यवहार जनता के साथ उचित नहीं होता। मान्यवर, आप इनको ट्रेनिंग नहीं देते हैं कि कैसे सामान्य जनता के साथ शिष्टाचार से वार्तालाप किया करें ? जनता के साथ इनका व्यवहार कैसा हो, इसके लिये विशेष कोर्स, प्रशिक्षण का इनको देना पड़ेगा, यह मेरा सुझाव है। आप इनको इस बारे में भी प्रशिक्षण जरूर दें।

आप कहते हैं कि हमारे समय में कोई बड़ी घटना इधर नहीं हुई। मान्यवर, सेंचुरी कन्सल्टेन्ट की जो घटना हुई वह क्या आई० एस० आई० ने करा दी उत्तर प्रदेश की धरती पर। 450 करोड़ रुपये का घोटाला आजादी के बाद यह पहला हुआ है। आजादी के बाद इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहां माननीय मुख्य मंत्री जी आप रहते हैं, महामहिम राज्यपाल रहते हैं वहां पर 450 करोड़ का घोटाला नहीं होता अगर कहीं न कहीं इनके तार सत्ता में बैठे लोगों से न जुड़े होते तो। 26 जनवरी को इतना बड़ा भूकम्प आता है गुजरात मातम मना रहा होता है और प्रधान मंत्री जी लखनऊ तशरीफ ले आते हैं और इन लोगों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। सामाचार-पत्रों में समाचार निकलता है और जो शेयर इनके 16 रुपये 17 रुपये का होता है, कुछ ऐसा असर पड़ता है कि वह मुझे पता चला है कि बढ़कर वह 1600 रुपये तक गया। इतना बड़ा आर्थिक अपराध हो जाता है और आप कुछ नहीं करते। आप इसकी जांच सी०बी०आई० को देने में देर कर देते हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इतना ही कर दीजिये कि इसमें किसका कितना-कितना पैसा जमा है, यह एक सूची सदन में पढ़ दीजिये। आपको असलियत पता चल जायेगी कि आपके अगल बगल बैठे लोगों के पास इतना पैसा कहां से आया ?

सूची मेरे पास है लेकिन मेरी सूची पर एतवार नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, अगर पढ़ेंगे तो खतरा ज्यादा बढ़ जायेगा। सरकार के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा, प्रयास कीजिए जिनका पैसा बकाया है, उसके लिए इस समय प्रयत्न करना चाहिए, वन टाइम सेटल स्कीम चला लें। मान्यवर, मानवाधिकार हनन के लिए नेता विरोधी दल ने कहा, कहीं न कहीं गड़बड़ी है पूरे भारतवर्ष में जितने मानवाधिकार हनन के प्रकरण होते हैं उसके आधे से ज्यादा आपके राज्य में होते हैं, आधे में पूरा भारत और आधे में आपका उत्तर प्रदेश, जब दिल्ली में आपका मानवाधिकार आयोग है तब तो यह स्थिति है, ओलम्पिक में तो आपको कोई मैडल मिला नहीं लेकिन इसमें जरूर मिल सकता है क्योंकि देश में ही नहीं दुनिया में आप आगे होंगे। मैं चाहूंगा कि मानवाधिकार आयोग का गठन आप करायें। मान्यवर, महिलाओं के विरुद्ध जितने अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उतने कहीं नहीं हो रहे हैं। महिलाओं की पचास प्रतिशत आबादी है, उत्पीड़न की घटनायें होती हैं लेकिन महिला आयोग का गठन नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया मैं समझ सकता हूं, अब तो वह चली गई हैं, जिन्होंने रखा वह भी चले गए, अब आप जिसे ठीक समझे उसे बना दें। (हंसी)

श्री हुकुम सिंह–

नाम बता दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

अकेले में बता देंगे ।

(लाल बत्ती होने पर)

सारे नेताओं को 20–25 मिनट मिला है ।

श्री अध्यक्ष–

नौ मिनट हो गए हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

11 मिनट बचे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इतना समय नहीं दे पाएंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

सभी नेताओं को मिला है मुझे भी मिलना चाहिए । ददुआ के यहां शादी हुई, 20 साल से पुलिस बल आपरेशन चला रहा है और आपके मंत्री भांगड़ा करते हुए उसमें शामिल हो गए आप कैसे पुलिस बल का मनोबल बढ़ा पाएंगे, जब उनको पता लगा होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी ? जो लोग वहां शादी में गए थे उसका आप पता लगवाइए और इसमें कार्यवाही करिए । श्रीमन् आपके शहर में दो लाख का इनामी अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी के रिश्तेदार के यहां शादी थी, उसमें लोग गए, कैसे विश्वास करे जनता, इस तरह की चीजों पर आपको लगाम कसनी पड़ेगी । इसमें कोई कदम आपको उठाना पड़ेगा । बाबतपुर कांड में पुलिस फायरिंग करती है हमने कहा जुडिशियरी जांच कराएं, तैयार नहीं हुए, सर्वदलीय समिति के लिए आप तैयार नहीं हुए, रिपोर्ट लिखकर जांच कराई जाए यह कहा तो आप तैयार नहीं होते हैं । जांच से आप क्यों घबराते हैं इससे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा । सुरक्षा की बात आप करते हैं मथुरा, काशी संवेदनशील जगह हैं काशी में कन्ट्रोल रूम से 27 लाख की चोरी हुई, ज्ञानवापी मस्जिद का कन्ट्रोल रूम भी सुरक्षित नहीं है । नृत्य गोपाल रामदास पर हमला हुआ ? भगवान उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे, कितने सुरक्षित हैं इसको आप समझ सकते हैं ? अयोध्या की नगरी में हमले हो रहे हैं, कानपुर में दंगे हुए, यह दंगा बहुत दिन बाद हुआ इसमें दस जानें गई ।

ए०डी०एम० की जान गयी, वरिष्ठ अधिकारी की जान गयी । आपने खुद कहा कि यह दंगा साम्प्रदायिक दंगा नहीं था यह प्रशासन बनाम अल्पसंख्यक का दंगा हो गया था । पहले दिन हो गया आपकी खुफिया रिपोर्ट थी तो पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं की गयी ? जितनी दुकानें थीं, वह अल्पसंख्यकों की दुकानें जलायी गयीं । कर्फ्यू में भी उनको ही मारा गया । पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप देखें उससे पता चल जायेगा कि उनके ऊपर गोलियां चलायी गयी थीं, वह किससे चलीं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह दंगा ही नहीं था बल्कि यह अल्पसंख्यकों को निमर्मतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक मारे जाने की साजिश थी । उनको पांच लाख रुपया मिलना चाहिए था लेकिन वह आज तक नहीं दिया गया । जो उनकी दुकानें जल गयी थीं उनके पुनर्वास के लिए कोई बात नहीं कही गयी ।

मान्यवर, किसी अपराधी का जाति, धर्म और मजहब नहीं होता है । उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए । अगर सरकार जाति धर्म के आधार पर उतरेगी तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी । आप इसकी जुडिशियल जांच करा लें उससे पता चल जायेगा । मान्यवर, कहीं छींक भी आती

है तो यह कहा जाता है कि आई०एस०आई० का हाथ है । कहीं भी कोई दंगा होता है या घटना होती है तो यह कहा जाता है कि आई०एस०आई० करा रहा है । यदि यह सब आई०एस०आई० करा रहा है तो आप क्या कर रहे हो ? क्यों नहीं उसको रोकते ? मैं तो यह कहूंगा कि यह इसके काबिल ही नहीं है । यह अक्षम, नकारा आर अकर्मण्य सरकार है । आपने नूर बख्श को पकड़ा और फिर उसके बाद वह आपकी पकड़ से भाग गया । भला हो दिल्ली की पुलिस का जिसने उसे पुनः पकड़ कर आपको दे दिया । वरना तो आपने उसे छोड़ ही दिया था । आई०एस०आई० की बात आप करते हैं मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें आपके आई०एस०आई० का हाथ था या चुनिंदा प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ था ? अगर साहस है तो इसकी जुडिशियल जांच करा लीजिये । आरोप तो आप लगाते हैं ।

जमशेदपुर काण्ड में आपके संगठन का हाथ था, अलीगढ़ की घटना देख लीजिये उसमें आपके संगठन का हाथ था । इसकी जुडिशियल रिपोर्ट आ गयी है क्या कार्यवाही हुई ? लखनऊ में विश्व हिन्दू परिषद् का सम्मेलन हुआ था उसमें यह कहा गया कि तालिबान में अगर एक व्यक्ति को मारा गया तो हम यहां पर दस व्यक्ति को मारेंगे । बुरका पहनकर निकलने नहीं देंगे । आप जानते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा ? आप पांच दस को एक जगह मारोगे और जो पूरे भारत वर्ष के हैं उनकी जान की सुरक्षा कौन करेगा ? दंगों के खिलाफ कार्यवाही सख्त से सख्त होनी चाहिए । अगर करते तो निश्चित रूप से हम आपको साधुवाद देते । कल आपने कहा कि छोटे-मोटे पकड़े गये हैं और कद्दावर रह गये हैं । कौन हैं ये लोग ? कुछ अनुभव मुझे भी है । एक काम कर लीजिये । आप अपने सम्मानित मंत्रि-मण्डल को दिखवा लीजिये । इसमें जो आपके मंत्री हैं उनमें किसी के खिलाफ 10–15 तो किसी के खिलाफ 25–25 मुकदमें हैं । बल्कि 44 तक मुकदमें हैं । और 46 मुकदमों की फेहरिस्त तो मेरे पास भी है । 40–40 मुकदमों की अपराधी मंत्री जब मंत्रि-मण्डल में बैठेंगे तो आप कानून व्यवस्था को ठीक कैसे करेंगे ? मान्यवर, कानपुर के एस०एस०पी० का सर्कुलर है । उन्होंने कहा कि मैं सूची भेज रहा हूं ।

मान्यवर, यह कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट है हस्ताक्षरित है मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज रहा हूं 19 नवम्बर पर एक कैबिनेट मंत्री का नाम है । एक तरफ तो महामहिम राज्यपाल मंत्री की शपथ दिलाएं और दूसरी तरफ उस व्यक्ति का नाम थाने में लटकी सूची में 10 नम्बर पर हो । मान्यवर, या तो मंत्रि-परिषद् में नाम हो या फिर थाने में लटकी सूची में नाम हो यह आप सोचें । आपने जो कद्दावर लोगों की बात कहीं तो मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया आप खड़े होकर या तो कह दीजिए कि हमारी मंत्रि-परिषद् में किसी का अपराधिक इतिहास नहीं है । मान्यवर, आप दृढ़ता दिखाएं । आप उन्हें अलग कीजिए । अगर उनका अपराधिक इतिहास होगा तो ये आपको छोड़कर जायेंगे नहीं, आपका समर्थन करते रहेंगे नहीं तो बाहर दरोगा उनको छोड़ेंगा नहीं । फिर आपके पास आयेंगे । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में तीर्थ मिश्रा नामक व्यक्ति सक्रिय कार्यकर्ता की हत्या हुई ।

लालगंज जसवारा में घटना होती है मान्यवर, जो रिपोर्ट आई है आप पूरी पत्रावली मंगाकर देख लीजिए और अगर पुलिस जांच से संतुष्ट हो जाए तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें इसमें आपके एक बाहुबली मंत्री का हाथ है । अगर ऐसी कोई बात न हो तो आप उन्हें बेदाग छोड़ दीजिए । आप तो लोकतंत्र के हिमायती हैं । मान्यवर, डा० जायसवाल जी के संबंध में कुण्डा में घटना हुई उनकी गलती यह थी टाउन एरिया का चुनाव उन्होंने लड़ा था । थाने गये उनकी जान को खतरा था भरी बाजार में उनका हांथ-पांव तोड़ दिया गया । यह मैं मन की पीड़ा निकल रहा हूं आप एक-एक घटना की जांच करा लें । जो आपके सबसे विश्वस्त अधिकारी हो उनसे आप जांच करा लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

आपको 19 मिनट हो गये हैं, एक मिनट में कृपया अपनी बात समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, तीन मिनट दे दें । मान्यवर, उसके बाद कल्लू पासी प्रकरण हुआ 60 साल बूढ़ा व्यक्ति था एक एफ०आई०आर० लिखाने की उसमें जुर्रत की थाने से घसीटा गया और काटकर बोटी-बोटी फेंक दी गई, कैसे राज चलेगा ? जब यह प्रकरण मैंने उठाया तो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी को कि सी०आई०डी० जांच के आदेश हुए । वह वापस लिया गया । एक स्पेशल टीम लगा दी है यह कहा गया, उसका स्थानान्तरण कर दिया । मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इन्टरविन किया । इस तरीके से कमलेश प्रकरण है हमारे बगल में बसपा के नेता बैठे हैं इनके क्षेत्र का है वह ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ा था जिला परिषद् का सदस्य था ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उनको ऊंचाहार में ले जाकर मारा गया । उसका दोष था कि वह दलित परिवार का था ईट का उसका भट्ठा था । मान्यवर, उसमें 3-4 घंटे तांडव जारी रहा । मान्यवर, उसमें रिपोर्ट लिखी गई पहली वारदात की क्राईम नम्बर 82/2001 लेकिन उसके बाद जांच रोक दी गई क्यों रोक दी गई ? मान्यवर, हथिगहां थाने में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर 15 दिन पहले हत्या की गई (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, समाप्त तो ये होंगे जिनका जिक्र हम कर रहे हैं । मान्यवर, मैंन यह बातें कहीं है वह इसलिए कहीं हैं कि मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में आ सके । मैं इस आशा और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी इसे स्वीकार करें । राजनाथ जी के हृदय में वह स्वीकार हो जाये और उनकी जांच हो जाय । मैं यही कहता हूं जो सबसे वरिष्ठतम लोगों को भेज दीजिए । मान्यवर, बहुत दिनों के बाद माननीय नेता विरोधी दल का बहुत अच्छा भाषण सुना बड़े तथ्य थे ज्ञान था उनके एक-एक शब्द का हृदय से समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बातें कहीं हैं उसमें दूरदराज तक कुछ नहीं था, इसलिए विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

4.35 बजे मैंने यह सोचा था कि माननीय नेता विरोधी दल को बुला लूंगा । अब माननीय गौरीशंकर जी खड़े हो गये हैं, तो उसी में से समय ले लूंगा ।

(श्री गोरी शंकर एडवोकेट का नाम पुकारे जाने पर)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

मान्यवर, 1965 में इच्छुक नहर पार करके कारगिल पर पाकिस्तान का हमला हुआ था और 1971 में रन आफ कच्छ में हमला हुआ था । (व्यवधान)

* श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, यह क्या बात है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि हमारे नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा नेता सदन द्वारा प्रस्तुत बजट है उस पर हमारे साथियों ने बहुत सारी बाते कहीं। सत्ता पक्ष के साथियों ने जो कसीदे गढ़े उससे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है लेकिन हमारे इन साथियों ने प्रशंसा में पूरी डिक्शनरी खोल दी और कोई शब्द नहीं बचा जिसमें प्रशंसा न की हो। आप पर तरस आता है और आपके तरस पर इस तरह के भाव व्यक्त कर रहा हूं आपकी जो पीड़ा है --

" न पूंछो क्या गुजरती है दिलेखुद्दार पर अक्सर,
जब किसी नामेहरजां को मेहरवां कहना ही पड़ता है,
तुम्हारे सामने जिसने बहारे अंजुमन लूटी,
उसी को अब फरोगे अंजुमन कहना ही पड़ता है।
यह दुनिया है यहां पर हर काम होता है करीने से,
यहां पत्थर को भी लालगिरां कहना ही पड़ता है।
बफैजे मसलहत कभी ऐसा भी होता है जमाने में,
कि रहजन को मीरेकारवां कहना ही पड़ता है।"

तो यह आपकी मजबूरी है उसी पर मैंने कहा है। देखिये व्यवधान करेंगे तो यह कहां उचित हैं ? मैं तो कम बोलता हूं, व्यवधान करेंगे तो वह समय नेता सदन का जायगा जो हम बोल रहे हैं।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

मान्यवर, "खुदा का शुक्र है कि हालत बदल गये,
कुछ इनका हुश्न ढल गया, कुछ हम बदल गये।"

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मुश्किल है कि इनकी बात का हम जवाब नहीं दे सकते।

"हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।"

डा० अरविन्द कुमार जैन–

"इन्हें क्या काम दुनिया से, ये अपनी करनी से मुंह न मोड़ेंगे,
जान शायद फरिश्ते छोड़ दें, ये झूठ बोलना न छोड़ेंगे।"

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, यह कोई अंताक्षरी नहीं हो रही है मैं संक्षेप में दो तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं प्रायः समय नहीं लगाता हूं यह सम्मानित सदस्य स्वयं देखते हैं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सूचना दी कि 2200 कांस्टेबिल और 2000 उपनिरीक्षकों की भर्ती करेंगे तो एक तरफ तो स्थिति यह है कि पुलिस कर्मी की भर्ती हो और दूसरी तरफ शांति सुरक्षा बल को तोड़ देते हैं। शान्ति सुरक्षा बल का जो गठन हुआ था वह इसलिये हुआ था कि अल्पसंख्यक समाज के लोग और गरीब समाज के लोग एक विश्वास रख सके। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि 40 साल के केसेज मानवाधिकार में लम्बित पड़े हैं। आपको फुर्सत नहीं, वरीयता नहीं है कि मानवाधिकार आयोग का गठन कर पाते। आपने अभी सुरक्षा नीति की घोषणा की और सुरक्षा नीति की घोषणा में आपने अधिकारियों की सुरक्षा नहीं घटाई। विधायक मिला जो ग्रामीण अंचल में 12–12 घंटे 18–18 घंटे एक-एक विधायक को

ग्रामीण अंचल में रहना पड़ता है । एक गनर 10–12 घंटे और उसी को देखते हुए दूसरे गनर की व्यवस्था की थी और दूसरे गनर की सुरक्षा हटा दी । आपने विधायकों के गनर हटा दिये । जबकि विधायकों को जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, 18–18, 20–20 घन्टे काम करना पड़ता है, तीज, त्योहार, होली, दीवाली में उसकी उपस्थिति आवश्यक अंग बन गई है, शादी-ब्याह में उसको पहुंचना होता है, कभी वह रात को दो बजे, कभी एक बजे लौट रहा है, उसके जीवन की सुरक्षा की चिन्ता आपको बिल्कुल नहीं है, मैं इस बात की ओर आपका ध्यान खासतौर से आकृष्ट कराना चाहूंगा । यह माननीय सदस्यगण की पीड़ा है और मेरा अनुरोध है कि जो व्यवस्था पूर्व में चल रही थी, उसी को बरकरार रखें। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जब आप आई०ए०एस०, आई०पी०एस० की पोष्टिंग के संबंध में नीति बनाने की बात करते हैं तो जरूर आपके मन में कोई न कोई ऐसी बात रहती है, जिसकी वजह से जिन लोगों को जिलों में जाना चाहिये, जिन लोगों को पद मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता है । मैं किसी का व्यक्तिगत उल्लेख नहीं करना चाहता और ऐसे लोग भेज दिये जाते हैं, जिनको नहीं जाना चाहिये । मान्यवर, इटावा जिले में आपने कहा, अपराधी हैं, आप उन पर अंकुश लगाना चाहते हैं, आपने यह भी कहा कि इटावा जिले के बहुत से लोग हत्या, डकैतियों में इन्वाल्वड् हैं । उनके नाम बाकायदा एफ०आई०आर० दर्ज है, लेकिन उन्हीं लोगों को मैनपुरी जिले में दूसरे पते पर असलहे दे दिये जाते हैं, यही आपकी नीति है, इस तरह के जिले में 30–35–40 लाइसेंस लोगों को मिले हैं । एक बात जो माननीय सदस्यों से संबंधित है, वह मैं कहना चहाता हूं । जब विधान सभा के चुनाव हुये, तो टी०वी० पर सब तरफ एक ही समाचार सुनाई पड़ा कि हम लोग हर जगह पानी की किल्लत को दूर करेंगे, हम लोग भी अपने-अपने क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से ग्रसित हैं और नतीजा यह है कि एक-एक हैण्डपम्प पर 50–100 लोग पानी के लिये खड़े हैं, आपस में झगड़ा-विवाद हो रहा है, ला एंड आर्डर की पोजीशन खराब हो रही है । जो 50–50 हैण्डपम्प देने की घोषणा की गई थी, कितना पारदर्शी प्रशासन है, कितनी पारदर्शी आपकी नीति है कि वह 50–50 हैण्ड पम्पों की घोषणा आज तक नहीं हुई । आपके मन में गरीबों की पीड़ा नहीं है । बड़े लोग तो जेट पम्प लगाकर पानी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन छोटे लोग, गरीब लोग इण्डिया मार्का–2 से ही पानी लेते हैं, मैं आपकी परिस्थिति को समझता हूं । इसी के साथ मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, मैं एक बात और कहते हुये अपनी बात खत्म करूंगा । आपके पास संख्या बल के कारण शक्ति है, आपके पास सत्ता है, लेकिन इसी से जुड़ी एक बात अवश्य प्रस्तुत करना चाहता हूं –

"हमारी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है,
मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा ।
फसीले आतिशों आहन बहुत बुलन्द सही,
बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा ।
नये ख्याल की रफ्तार रोकने वालों,
इन नये अवाम की तलवार कौन रोकेगा ।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए एवं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, गृह और सामान्य प्रशासन के बजट पर जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया और जिन पर हमारी कटौती का प्रस्ताव हुआ, श्रीमन्, 15-16 लोगों ने उसमें भाग लिया सत्ता पक्ष और विपक्ष के मिल करके। श्रीमन्, अधिकतर लोगों ने हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया, चाहे दबी जुबान से किया हो, नहीं तो जिन बातों को हमने सदन में रखा है उन्हें वह न उठाते। हां, 2-3 लोगों ने मुख्य मंत्री को खुश करने के लिए रखी, यह उनकी पीड़ा भी है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया, यह भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने मक्खन लगाया या असत्य का सहारा लिया। मान्यवर, सबसे पहले मैं ऐसे लोगों में से 2-3 लोगों की ही बात कहूंगा।

पहले मैं डा० डंग साहब की बात को जो उन्होंने कोशिश की है कि जो घटनाएं जिनमें रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो गम्भीर घटनाएं होती हैं उन पर रिपोर्ट लिखी जाती है और जिनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती वे गम्भीर घटनाएं नहीं होती हैं। मान्यवर, जब 12 वर्ष की दलित बालिका के साथ चार दिन तक लगातार बलात्कार होता है और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, श्रीमन्, मैंने नाम, गांव सब कल रख दिया था और आज भी बता रहा हूं कोतवाली-मोहम्मदाबाद, गोहना क्षेत्र के अन्तर्गत जमीन बरामदपुर की वह दलित बालिका थी जिसके साथ चार दिन तक सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके माता-पिता और वह बुरी हालत में जाती है लेकिन श्रीमन्, डरा-धमाका कर उसे वापस कर दिया जाता है और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मान्यवर, यह घटना डंग साहब की नजर में गम्भीर नहीं है और न ही यह घटना गम्भीर है कि बनारस में एक यादव और दो जायसवाल नौजवानों को घर से पकड़ कर इनकाउन्टर कर दिया जाता है। 13 तारीख को जब पुलिस घर में घुसती है, लूटती है और उसके बाद जब वहां से सूचना दे दी जाती है, टेलीग्राम किया जाता है, आई०जी०, डी०आई०जी०, मुख्य मंत्री जी को और दूसरे अधिकारियों को तो वह कहते हैं कि अगर यह बात कहोगे तो तुम्हारा इनकान्टर कर देंगे। मान्यवर, 13 तारीख को लूटपाट की घटना होती है और उसके बाद 15 को ही घर से उठा ले जाते हैं और दो जायसवाल बन्धुओं को और उठा ले जाते हैं, लाकअप में बन्द करते हैं। एक की मौत वहीं हो जाती है, सोचते हैं भण्डाफोड़ हो जायेगा और उसके बाद तीनों की हत्या कर दी जाती है। श्रीमन्, यह भी कोई गम्भीर घटना नहीं है। मान्यवर, यह पुलिस के काले कारनामें हैं। अगर घटना नहीं लिखी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं हैं, डंग साहब के दिमाग में, यह सीरियस बात है ही नहीं।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, बाबतपुर में एस०डी०एम०, सी० ओ० और एस० ओ० तथा और दूसरे कर्मचारियों ने राइफल से सीधे सीने पर गोली मारी थी, एक किसान मरा, अनेक घायल हुये, यह गम्भीर घटना नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने उस घटना को उठाया और दो दिन तक सदन नहीं चलने दिया, उनकी यह मांग थी कि रिपोर्ट दर्ज की जाय और विधान मण्डल की संयुक्त समिति गठित कर दी जाये जिससे जांच हो जाये या न्यायिक जांच हो जाये, क्या यह भी कोई गम्भीर घटना नहीं थी ? ऐसी घटनायें एक नहीं अनेक, हमने कल भी रखीं और आज भी रख सकते हैं परन्तु समय सीमा है इसकी वजह से मजबूर हैं।

श्रीमन्, दूसरी बात कही गयी, आप अधिष्ठाता के रूप में विराजमान हो गये। आपने कहा कि कानपुर में दंगा करवाने वाले कुछ लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सारा दंगा भड़काने का काम आपकी पार्टी और आर०एस०एस० ने किया। श्रीमन्, अगर आप में जरा भी संवेदनशीलता होती तो जो पीड़ित थे, चाहे हिन्दू हों या मुसलमान हों, सबको सहायता देनी चाहिए थी, यह सरकार को करना चाहिए था।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसे हमारे विधायक हाजी मुश्ताक सोलंकी जी ने 9 लाख रुपये चन्दा करके दिया है, चाहे अपने पास से दिया हो, कोई घायल हो, किसी की दुकान जली हो, उन्होंने सबको जैसा नुकसान हुआ है उनकी सहायता की । कहां चली गयी आपकी पार्टी, कहां चले गये आप ? एक बात आयी कि "हल्ला बोल की", मुलायम सिंह जी की सरकार में हल्ला बोला जाता था । "हल्ला बोल की" परिभाषा ही आप नहीं समझते हो । श्रीमन्, जुल्म, अत्याचार, अन्याय जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उस स्थिति के लिए हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने पार्टी के लोगों को निर्देशित किया है कि सारे लोगों को इकट्ठा करके उसके खिलाफ सामूहिक आवाज उठायें । भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठायें, जुर्म के खिलाफ आवाज उठायें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठायें, यह परिभाषा है । इस परिभाषा को आप गलत समझ बैठे हैं, अर्थ का अनर्थ समझ बैठे हैं । हमारे रंगनाथ मिश्र जी ने कह दिया कि नेता विरोधी दल ने कहा है कि खटारा जीपें मुलायम सिंह जी ने जो दी हैं वह चलती नहीं हैं, खड़ी हो जाती हैं, गलत है । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, कई गाड़ियां खरीदने की बात कही है कानपुर देहात में, औरैया जनपद में तथा इटावा में कितनी दे दीं, कितनी कन्नौज में दे दी ? मैं यही केवल 4-5 जनपदों की बात बता रहा हूं । माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि करोड़ों रुपये की जीपें खरीदी हैं, वह खटारा जीपें हैं । पुलिस रिपोर्ट मंगा लिया जाये । मेरी बात में जरा भी असत्यता हो तो मैं क्षमा याचना के लिए और अपनी बात वापस लेने के लिए तैयार हूं । नितान्त मिथ्या भाषण करने पर उतारू हो गये । एक "गोबल्स" जर्मनी में था उसने अपनी थ्यौरी बना रखी थी यहां बैठे अधिकांश लोगों में झूठ फैलाने की बुराई हो गयी है यह झूठ बोलते हैं आज इनके दिलो दिमाग में सत्य जैसी कोई चीज नहीं रह गयी है । तो श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से समाज निश्चित रूप से दिशाहीन हो जायेगा । श्रीमन् इसीलिए कहना चाहता हूं कि समाज को इस गन्दगी से बचाया जाए । समाज में इस गन्दगी को फैलाने का काम न किया जाय ।

मान्यवर, मुझे बड़ा दुःख हैं कि मैं पिछले चार/पांच सालों से लगातार गृह एवं सामान्य प्रशासन के बजट पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखता चला आ रहा हूं, हमसे पहले भी जब कटौती के प्रस्ताव रखे जाते थे और जब उनका उत्तर दिया जाता था, तो वह कटौती का प्रस्ताव रखने से पहले उस पर दो दिनों तक चर्चा होती थी, उसकी कमियों का जिक्र किया जाता था और जब दूसरे दिन संबंधित मंत्री अपना उत्तर भाषण देता था उसका स्पष्टीकरण देता था तो उसमें साफतौर पर कहता था कि हमने इस काम के लिए इस अधिकारी को निर्देशित कर दिया है हमने यह काम कर दिया और वह स्पष्ट जवाब देता था कि हमारे प्रशासन और शासन में यह कमियां हैं हम उन्हें दूर करेंगे । लेकिन मुझे दुःख है मैंने कल भी कहा था [x x x] मान्यवर, अगर आप कुछ ऐसा करिए सत्य के धरातल पर आईये जिससे आप कुछ कर सकें लेकिन आज प्रशासन और [x x x] सारा प्रशासन लुन्ज-पुन्ज हो गया है आपकी [x x x] बातों से सारा प्रशासन मजबूर हो गया है और अगर आप ऐसा करेंगे आने वाले समय शासन, प्रशासन और यह समाज आपको नकार देगा और सारे प्रदेश में अराजकता का राज हो जायेगा । मान्यवर, यह प्रदेश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए अच्छा नहीं होगा । मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर घोषणायें करते हैं तो उनको पूरा करिये मान्यवर, मैं कहना चहाता हूं कि जब हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह जी हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे जो कहते थे करते थे, लेकिन आप सस्ती लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में [x x x] घोषणाएं करते हैं । जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए पेंशन दिलाने का [illegible] किया था और वहीं पर लेखपाल, एस०डी०एम०, और डाक्टर परीक्षण हेतु मौजूद रहते थे और रिपोर्ट दिया करते थे कि किसी की उम्र 60 वर्ष की है या नहीं, कोई विकलांग हैं या नहीं ।

नोट :- [x x x] इस अंश को अधिष्ठाता के अदोशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी को उत्तर देना है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, समय बढ़ा दीजिए, यह बहुत ही गम्भीर विषय है । मान्यवर, आप किसी गांव में गये और वहां किसी वृद्ध को बर्तन दे दिये तो इस तरह से सस्ती लोकप्रियता हासिल कर आप कानून व्यवस्था तो नहीं सुधार सकते हैं, आपने कह दिया कि निवास स्थान दे दिया जायेगा तो इस तरह के कामों से क्या फायदा होने वाला है अगर आप गरीबों, वृद्धों का, विकलांगों को कुछ भला करना चाहते हैं तो कोई कानून बनाइये, अधिकारियों को भेजकर जांच कराइये जैसा कि माननीय मुलायम सिंह ने किया था । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपके प्रशासन की हालत आज क्या है ? वैसे मैं किसी को पत्र नहीं लिखता यह मेरी आदत में नहीं हैं । आपका कोई भी मंत्री यह बता दे कि मैंने किसी को अपने काम के लिए पत्र लिखा हो । लेकिन मैंने एक पत्र लिखा था । मान्यवर, आज भ्रष्टाचार चारों ओर व्याप्त है । श्रीमन् गौतम बुद्ध नगर के संजय भाटी जिला पंचायत सदस्य हैं, आये हमसे कहा, कल मैंने इसी सदन में इंगित किया था । 18 अप्रैल को सचिव पंचायती राज को पत्र दिया था, श्रीमन् आज तक उसकी कार्यवाही तो छोड़ दीजिए उसमें कुछ नहीं हुआ । श्रीमन् पिछली सरकारों में कभी अगर कोई मा० विधायक किसी डी०एम्० को एस०पी० को या किसी सचिव को, मंत्री को या मुख्य मंत्री को कोई पत्र दिया करता था तो एक स्पेशल रजिस्टर रहता था और उसी में दर्ज किया जाता था और दर्ज करने के बाद उसको सूचित किया जाता था कि आपका पत्र आ गया है, और आप कहते हैं कि प्रशासन चुस्त और दुरूस्त है, आपका प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है । श्रीमन् 18 अप्रैल को पत्र दिया सम्बन्धित तमाम भ्रष्टाचारों से लिप्त अधिकारी जिसने सारी मान्यताओं को, सारे नियमों को ताक पर रख दिया, सचिव के पास पत्र आ गया, कुछ हुआ नहीं । शायद मा० मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए कदम उठाया होता मैं समझता हूं कि शायद सरकार में बैठे हुये लोगों का कोई चहेता होगा, इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने दबा दिया होगा तो ऐसे लोगों की भी जांच न हो तो इससे अधिक और बात क्या हो सकती है ?

श्री अधिष्ठाता–

मा० नेता प्रतिपक्ष मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि आप समय का ध्यान भी देखिये और संक्षेप में कहें ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन् अभी तो शुरूआत कर रहे हैं समय बढ़ा दिया जाय आप खुद 25 मिनट बोले और आप हमसे कह रहे हैं कि 10 मिनट में समाप्त करें । इस सरकार के भ्रष्टाचार के काले कारनामें की चर्चा रखूंगा । 1 घण्टा समय बढ़ा दिया हम लोग मा० मुख्य मंत्री को सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे । मैं मांग करता हूं कि सरकार एक घण्टा का समय बढ़ा दें ।

श्रीमन्, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा हटा लिये जाने से एक डन्डे से सभी को हांकने का काम किया वह कभी न्यायसंगत, तर्कसंगत, नियमानुसार नहीं है । वह किसी कसौटी पर खरा नहीं उतरता है । श्रीमन् अगर आपमें पारदर्शिता होती एक सप्ताह में जांच करवा लिया होता और श्रीमन् आपने गनर हटा लिये । जिनको आवश्यकता थी उनका भी हटा लिया । श्रीमन् आज अगर महन्त नृत्य गोपाल दास का शैडो या गनर न हटाया गया होता तो उन पर हमला न होता । श्रीमन् बस्ती में उपाध्याय जी ने बदमाशों और डकैतों को पकड़ा, लेकिन उनको आपने रिवाल्वर नहीं दिया । अगर रिवाल्वर दे देते तो उसकी हत्या नहीं होती । डी०आई०जी०, एस०एस०पी को लिखा है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तो

उन बदमाशों की सुराग कौन देता, कौन अपने परिवार को नष्ट करायेगा और कौन अपराधियों को आपको पकड़वाने में सहयोग करेगा । इस सरकार में कोई कानून व्यवस्था नहीं रह गयी है और ध्वस्त हो गयी है । अधिकारी अपनी-अपनी जगह पर मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और इसी कारण दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं सदन में तमाम बातें आती हैं अगर माननीय मंत्रीगण उनका निराकरण कर पाये तो निश्चित रूप से यहां कहने की आवश्यकता न पड़े । मैं दो एक उदाहरण देना चाहता हूं । चौधरी मुल्तान सिंह डेन्टल कालेज, टूण्डला, फिरोजाबाद के संबंध में सदन में मामला उठाया गया था । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद थे । लड़कों का सेलेक्शन हुआ और कालेज ने मान्यता की शर्तों को पूरा नहीं किया तो सरकार ने मान्यता वापस ले ली । इसमें विद्यार्थियों का कहां पर दोष है । विद्यार्थियों से 8-10 लाख रुपये लिये गये । अगर मान्यता रद्द कर दी गयी थी तो उन छात्रों को किसी दूसरे कालेज को स्थानान्तरित कर दिया जाय । क्यों नहीं किया गया ? मानवीय दृष्टिकोण से माननीय मुख्य मंत्री जी इसको देखें लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनका जीवन बर्बाद हो रहा है । मान्यवर, कल ही सदन में कहा गया था कि लखीमपुर खीरी में जो दुर्घटना हुई है उसके लिये केन्द्र से रेलवे मंत्री से अनुरोध करेंगे ताकि मृतकों के परिवार को सहायता मिल सके । इसीलिये वहां पर एक वरिष्ठ मंत्री को भेजा गया था । वह वापस आ गये होंगे और वहां की सूचना आपको मिल गयी होगी । मैं जरूर चाहूंगा कि जो लोग मारे गये हैं उनको 1 लाख और जो घायल हुये हैं उनको 50 हजार रुपये की सहायता दी जाय । वहां पर घरों में सन्नाटा है ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 के प्रस्तुतीकरण का समय साढ़े पांच बजे किये जाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, समय बढ़ाने की मांग की गयी है, समय कम रह गया है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मद संख्या–22 के प्रस्तुतीकरण का समय साढ़े पांच बजे कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने समय बढ़ाने का जो प्रस्ताव किया है, सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)

(नेता विरोधी दल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया शीघ्र खत्म करें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की कि जब तक किसान के पास गेहूं है, जब तक गेहूं की कीमत 610 रुपये से ऊपर नहीं हो जायगी तब तक किसान से गेहूं खरीदा जायगा सरकारी एजेन्सी के द्वारा, यह घोषणा हमारे मुख्य मंत्री जी ने की थी ।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस संबंध में बताएं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह गृह और सामान्य प्रशासन का बजट है, कृषि विभाग खाद्य विभाग का नहीं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, खाद्य विभाग, शिक्षा विभाग का बजट नहीं है । नेता प्रतिपक्ष विद्वान व्यक्ति हैं । उनके अन्दर ज्ञान का भण्डार भरा है । उस ज्ञान का प्रचार-प्रसार इसी समय करना है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, डंग जी परेशान हैं । वह मुख्य मंत्री जी से कह दें वह ठीक-ठाक कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

समस्या यह है कि आप दोनों का एक दूसरे से बहुत स्नेह है ।

गृह राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने मक्खन की बात की । सारा मक्खन उधर ही रोक रखा है ।

श्री धनीराम वर्मा–

महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित हुई उनका जिक्र में जरूर करूंगा । भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों का जिक्र जरूर करूंगा अगर यह व्यवस्था आपको बकवास लगे तो इससे ज्यादा प्रजातंत्र के लिए दुखदायी बात नहीं हो सकती ।

श्री अध्यक्ष–

मक्खन तो भगवान कृष्ण को प्रिय था ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जिस तरह से गंभीर विषय पर सत्तापक्ष के लोग हंसी मजाक कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आपस में बात करना हो वह बाहर करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

हमारे मुख्य मंत्री जी लगता है सारे विभागों की मानीटरिंग नहीं करते हैं । सबको स्वतंत्र छोड़ रखा है । स्वास्थ्य विभाग में एक डाक्टर रमेश चन्द्र त्रिपाठी जो कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी कानपुर में था उन्होंने अनियमितता की हाईकोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा गया । सस्पेंड हुए और उनको उसी स्थान पर बहाल कर दिया गया । उन्होंने एक और काम बढ़िया किया जो डाक्टर टेम्परेरी थे तदर्थ नहीं थे । 10-15 साल से ऐसे ही चलते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को पेंशन दिलवा दी जो टेम्परेरी था और सारे लोग मांगते रहें हमें भी मिल जाय नहीं मिला । आप दिखवा लें अब तो नाम भी बता दिया । चित्रकूट जल संस्थान में रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ने एक लाख रुपये अनियमित तरीके से निकाल लिए रवीन्द्र सिंह सैंगर तत्कालीन भण्डारण प्रभारी वन निगम ने 439 लाख का गबन कर लिया आज तक कार्यवाही नहीं हुई । सूचना विभाग के कम्प्यूटर प्रभारी दिनेश सहगल सांख्यिकी विभाग ने फर्जी कम्पनी से करोड़ों रुपये के कम्प्यूटर खरीद लिए । सरकार का मानक था 20 जीवीकेके का उन्होंने 2 जीवीकेके कम्प्यूटर खरीदे कोई कार्यवाही नहीं हुई । कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं । जिलाधिकारी का

अंग्रेज़ी जमाने में, तब हमारी आपकी उम्र 17-18 वर्ष की होगी, देखते थे भ्रमण होता था । किसी बड़े गांव में रुककर समस्यायें सुनते थे लेकिन आज जिलाधिकारी बंगले से नहीं निकलते क्योंकि बंगले में जो सुख है वह गांव में नहीं । इसी तरीके से सिंचाई विभाग हो चाहे पी०डब्लू०डी० हो और चाहे अन्य कोई विभाग अधिकारी दौरे पर जाते थे । अधीक्षण अभियन्ता जाता था-तो दस पांच दिन पहले से सड़क की मरम्मत शुरू हो जाती थी कुछ न कुछ काम दिखाई देता था । आज अधीक्षण अभियन्ता क्या पी०डब्लू०डी० मंत्री कहीं चले जायं सड़क पर गड्ढे हैं तो हैं । किसानों को पानी देने की बात की गई तो मैं जानना चाहता हूं क्या नहरों में पानी आ रहा है या आसमान से वर्षा का पानी एकत्र करेंगे ? कहां नहरें चल रही हैं । केवल कोरी घोषणायें हैं । यह भी चाहते हैं कि अच्छे अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाय । लेकिन हो क्या रहा है ? आज मुंह लगे अधिकारियों को, चापलूस अधिकारियों को प्रोन्नति मिलती है और श्रीमन् फिर वे मनमानी करके अपना उल्लू सीधा करते हैं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि थाना बिकना मैंने बन्द कर दिया । थाना छोड़िये, एस०आई०, थानेदार बिक रहे हैं । कुख्यात डकैत को 10 लाख रुपया लेकर भगाने का काम कर रहे हैं । श्रीमन्, जो मामले तहसील में लम्बित हैं उनका निस्तारण शीघ्र होना चाहिए । तहसील दिवस और थाना दिवस सिर्फ कहने के लिये ही न हों बल्कि वास्तविकता के आधार पर उस पर काम हो, यही श्रीमन् मैं चाहता हूं । श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि ...

(सत्ता पक्ष की तरफ से कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा शान्त रहें तो जल्दी निपट जाय ।

श्री धनीराम वर्मा–

जब माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे उस समय ऐसा ही इधर से होगा तब क्या होगा ? मान्यवर, आप बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं लेकिन कोई इनको रोकने वाला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कह रहा हूं कि विश्वामित्र का ध्यान न भंग करें । उनको अपनी तपस्या पूरी करने दें ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, ऐसी मेनकाएं ध्यान नहीं भंग कर सकती हैं । उनका काम, वह करें । श्रीमन्, इसमें कोई कहने-सुनने की बात नहीं है । अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा ...

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

ठीक है, ऐसे ही बोलते रहिये । जब माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे, इधर से भी ऐसा ही बोलेंगे ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं और यह लोग इधर से इस तरह से बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बात कम और काम ज्यादा होना चाहिए ।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के हंसने पर)

श्री धनीराम वर्मा–

हंसते क्यों हो ? अच्छी बात सुनने में अच्छी नहीं लगती ? [× × ×] बोलने से समझते हैं कि हम अच्छे हो गये ।'

श्री अध्यक्ष–

आप इधर सम्बोधित करिये ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जबसे भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं इन्होंने ही इस पार्टी का बेड़ा गर्क किया है । निश्चित तरीके से इनको इस बात का भी पता चल जायेगा । ऐसे लोगों की वजह से ही कानून व्यवस्था और प्रशासन नाम की कोई चीज इस प्रदेश में नहीं रह गई है । मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमन्, घोषणा कम और काम ज्यादा होना चाहिए । श्रीमन्, लोगों में यह विश्वास होना चाहिए । श्रीमन्, जब आम जनता में यह विश्वास हो जाय कि अमुक प्रशासन, मैं नहीं कहता हूं मुख्य मंत्री जी के लिये अकेले । कोई भी प्रशासन में प्रशासक, शासक जो भी हो, जब उसके प्रति यह धारणा पैदा हो जाती है कि अमुक व्यक्ति, अमुक प्रशासक, शासक अच्छा आदमी है, अच्छी छवि हो जाती है, भले लोगों की श्रृद्धा हो जाती है प्रशासक और शासक के प्रति तो निश्चित तरीके से कानून व्यवस्था की बात नहीं रह जाती है, अपने आप सुधर जाती है । जब यह छवि होती है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । करनी और कथनी में अन्तर है तो श्रीमन्, कभी भी अच्छा शासन नहीं चल सकता है । कभी भी शासनकाल अच्छा नहीं चला सकते हैं । मान्यवर, कानून-व्यवस्था अच्छी नहीं रह सकती है । कानून-व्यवस्था और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं ।

(मेजों की थपथपाहट)

(मुख्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर, सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेंजों की थपथपाहट)

* मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग एवं सामान्य प्रशासन के अनुदान की मांगों पर जो चर्चा हुई है, इस सदन के बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं । मैं यह कहना चाहूंगा विनम्रतापूर्वक, जो विचार व्यक्त किए गए हैं वह आलोचनात्मक ही नहीं थे, समालोचनात्मक भी थे । माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धनीराम वर्मा जी, माननीय लोकपति त्रिपाठी जी, माननीय प्रमोद कुमार जी, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, डा० सरजीत सिंह डंग जी, माननीय लालजी वर्मा जी, मेजर जगतपाल सिंह जी, माननीय उदयराज यादव जी, माननीय केशो मेहरा जी, विनोदमणि जी, शिव सिंह जी, पूर्णमासी पंकज जी, रघुवर दयाल वर्मा जी, गोरखनाथ पाण्डेय जी, जगदीश नारायण राय जी, बालचन्द्र मिश्र जी, कौकब हमीद साहब, रंगनाथ मिश्र जी, गौरीशंकर जी, हो सकता है एक-दो सदस्यों के नामों का उल्लेख न कर पाया हूं । लेकिन जितने लोगों के विचारों को सुना है, सदन में बैठकर अथवा अपने कक्ष में बैठकर, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत वर्ष में संसदीय लोकतंत्र को पुष्पित और पल्लवित करने से कोई ताकत नहीं रोक पायेगी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सदन आपने चलाया है सचमुच संसदीय लोकतंत्र के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो गया ।

कानून-व्यवस्था के प्रश्न पर यहां चर्चा हुई है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस समय चर्चा प्रारम्भ की, उस समय उन्होंने कहा कि "माननीय नेता सदन ने जो कुछ कहा, उसमें एक फीसदी सच नहीं था"

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन् यह बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर सीधे इन्होंने यह कहा होता कि नेता सदन द्वारा कही गई बात सच नहीं है तो मैं उत्तर दे सकता था मुझे लगा जैसे उनके लिए "सच" यह शब्द अपने अर्थ और अभिमत खो चुका है । एक कारण यह हो सकता है अथवा दूसरा कारण यह हो सकता है कि "सच" शब्द को पुनः परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरी बात यह हो सकती है कि उनके जीवन में कोई घटना ऐसी घटित हुई हो जिससे "सच" शब्द से नफरत हो गई हो ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

बार-बार यह बात कहीं जाती है कथनी और करनी में अन्तर है, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कौन सी ऐसी कथनी है जिस कथनी को पूरा नहीं किया गया है । मैं पहले भी कह चुका हूं स्वतंत्र भारत की राजनीति में कुछ नेताओं की कथनी करनी में अन्तर होने के कारण भारत की राजनीति, भारत के नेताओं के प्रति जन सामान्य में शंका पैदा हुई है । विश्वसनीयता की शंका को चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाए । पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ, इस विश्वसनीयता की शंका को हमारी सरकार ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है । मैं ऐसे दावे नहीं करना चाहता हूं कि हमारे शासनकाल में एक भी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है अथवा भविष्य में नहीं होगी । ऐसा थोथा वायदा नहीं करना चाहता हूं । आप वैदिक काल से उठाकर देख लीजिए–समाज का इतिहास, समाज का चरित्र, समाज की जीवन शैली, मान्यवर, घटना तो हर काल में हुई है । हमारे शासनकाल में छिटपुट घटनाएं हुई हैं यह मैं कहना चाहता हूं । मैं आंकड़ों का खेल नहीं खेलना चाहता हूं । मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं । वैसे आंकड़े मैं भी दे सकता हूं । 52 वर्ष के राजनैतिक इतिहास में हिन्दुस्तान में जनता के मन में किसने भेद पैदा किया । इसलिए मैंने कहा कि जनभावना यानि पब्लिक परसेपशन के आधार पर मूल्यांकन करूंगा कि यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है ? जाने माने उद्योगपति हिन्दुस्तान के जो कभी हिन्दुस्तान की आलोचना किया करते थे और मुझे याद है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की प्रशंसा की । उस रतन टाटा ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हो गयी है । औद्योगिक वातावरण बन रहा है मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश करेंगे ।

श्रीमन्, दिल्ली में जिसकी पार्टी की हुकूमत है, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण बहुत सारे उद्योग वहां से विस्थापित हो गये हैं, दलगत भावना से ऊपर उठकर अनुरोध किया कि वहां के उद्योगों को उत्तर प्रदेश के अन्दर ले आयें । हम उन्हें पूरी सुविधा मुहैय्या करायेंगे और मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि चार हजार की संख्या में दिल्ली के उद्योगों का पूंजी निवेश हो गया है, उनका पंजीकरण हो गया है और उन्हें भूमि आवंटित कर दी है । यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होता तो कैसे औद्योगिक वातावरण बनता । आज हजारों रुपयों का पूंजी निवेश करने के लिए तैयार हैं । केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना यह उचित नहीं है । हम राजनेताओं का एक संकल्प होना चाहिए, दिल की तड़पन होनी चाहिए, यह सच हमारी जीवनदायिनी शक्ति होनी चाहिए । लेकिन आज यह सारी चीजें समाप्त होती जा रही हैं ।

श्रीमन्, मंदिर का मुद्दा उठाया गया । कई बार मंदिर का मुद्दा उठा, राम जन्म भूमि पर विचार व्यक्त किये गये लेकिन हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं । राम जन्म भूमि का मुद्दा एक सांस्कृतिक मुद्दा हो सकता है, राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है । लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है । मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान में राम जन्म भूमि मुद्दे को किसने पैदा किया है यह प्रति पक्ष ने किया है । जब कभी 6 दिसम्बर, का अवसर होता है तो भारत की संसद में इस मुद्दे को उभारकर अल्पसंख्यक समुदाय के मन में भय पैदा करने की कोशिश की जाती है । क्या कोई अच्छे कार्य के आधार पर उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट नहीं किया जा सकता ।

क्या कांग्रेस की सरकार उस समय नहीं थी और श्रीमन्, कांग्रेस के लोग थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने टी०वी० पर जो कहा था सबने सुना था जो यह विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ है वहां पर मंदिर का निर्माण होगा। यह सच है कि नहीं।

श्री प्रमोद कुमार–

यह बिल्कुल गलत है। मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि यह गलत बयानी है।

श्री राजनाथ सिंह–

मैं क्षमा चाहता हूं, कहा था मस्जिद का निर्माण होगा तो मैं प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या चाहते हैं और क्या उस स्थान पर वह मस्जिद बनाना चाहते हैं क्यों नहीं बोलते हैं ? इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

आप क्या चाहते हैं यह बतायें ?

श्री राजनाथ सिंह–

मामला अदालत के विचाराधीन है अदालत के फैसले की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी तरफ से सुनना चाहते हैं बस इतनी बात है। लेकिन उस समय डींगें हांकी जा रही थीं कि फिर से वहां पर मस्जिद बनेगी। क्यों नहीं बनाते ? क्यों अल्पसंख्यक समुदाय की आंखों में धूल झोंकते हैं। अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं उनके मन से भय को निकालें और भय के स्थान पर विश्वास हासिल करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

उनके अकीदे पर हमला करके विश्वास हासिल नहीं कर सकते हैं।

श्री राजनाथ सिंह–

जाति और मजहब के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

अभी इसमें शताब्दी लगेगी।

श्री रामतेज यादव, एडवोकेट–

मान्यवर, कोई कहे तो कहे भारतीय जनता पार्टी के लोग राम का नाम लेना बन्द कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाने वाले 21 अपराधियों को सरकार बचाकर अल्पसंख्यकों के दिल पर मरहम नहीं लगा सकती है, तथ्य पर जाकर बोलने का काम करें।

श्री राजनाथ सिंह–

श्रीमन्, तरस आता है क्या इस फोरम के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं क्या इस यथार्थ की जानकारी नहीं है हमारे नेतागण को कि स्टेट गवर्नमेन्ट ने वह अधिकार दे रखा है सी०बी०आई० को इन्वेस्टीगेशन और प्रासीक्यूशन का। आप कैसा हस्तक्षेप स्टेट गवर्नमेन्ट से चाहते हैं।

(व्यवधान)

मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश की राजनीति का जो तौर तरीका है यह समाप्त होना चाहिये। राजनीति शब्द का मखौल नहीं बनाना चाहिए यह राजनीति शब्द दो

शब्दों से मिलकर बना है । राज और नीति । यह नीति का शब्द जो बना हुआ है नये धातु से बना है । वह सन्मार्ग में ले जाने का है । हम इस राजनीति को सन्मार्ग में ले जाने का काम करें उसे ही राजनीति कहते हैं । क्या हम उसका अर्थ भूल गये, क्या उसका भाव भूल गये । मान्यवर, इधर-उधर की बातें कहकर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत से सवाल किये । इजाजत देंगे तो एक-एक प्रश्न का जवाब दूंगा । मान्यवर, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ में उत्पीड़न की घटना डकैती की हुई उसमें झटपट कार्यवाही हुई पांच अभियुक्तों को जेल भेजा गया है आरोप-पत्र भी दाखिल हुआ है । इसी तरीके से थाना माल में एस०टी० ऐक्ट का मुकदमा कायम हुआ है । 17-11-2000 को महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई और उसमें झटपट अपराधी जेल भेजे गये ।

श्री धनीराम वर्मा–

जिनका मैंने उल्लेख किया है उनके बारे में बता दें ।

श्री राजनाथ सिंह–

अनुसूचित जाति की 12 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार हुआ । 27-2-2000 को रिपोर्ट हुई । ऋषि राम बाल्मीकि द्वारा बरामदपुर और पुलिस स्टेशन मोहम्मदापुर, गोहनापुर, श्यामा नाम था उसका 20/21/22 की तारीख में घटना हुई पांच अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही हुई उन्हें जेल भेजा गया वे आज भी जेलों में हैं इसमें चार्जशीट दाखिल हुई ।

कभी ऐसा कार्य हुआ है कि चटपट एफ०आई०आर० हो, गिरफ्तारी हो और विवेचन होकर चार्जशीट भी अदालत में दाखिल कर दी जाये ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 को सम्पूर्ण अनुदान मांगों (1 से 28) तक के पारित होने के उपरान्त लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव करने जा रहे हैं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मद संख्या 22, मद संख्या 21, (1 से 28) के पारण के पश्चात् ले ली जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने किया है उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, यह भी माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण में आ जाना चाहिए कि घटना किस तारीख की है और रिपोर्ट किस तारीख को हुई ?

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी संशोधन कर लें, मद संख्या–21 में (1 से 28) तक होने के पश्चात् ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यही मैंने कहा था ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मुख्य मंत्री ने जो यह कहा कि विपक्ष का कोई आदमी अगर बता दे कि कोई घटना घटी है और उस पर कार्यवाही न हुई हो। मुख्य मंत्री जी नोट करें 12-6-2000 को फूलपुर थाने में शकुन्तला देवी के साथ बलात्कार हुआ। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर वहां पर सी०ओ० ने बयान दिया और इसी 23-5- को ए०सी०जे०एम०–II इलाहाबाद ने फूलपुर थाने को एफ०आई०आर० लिखने का आदेश किया और उसके बाद आज तक एफ०आई०आर० नहीं लिखी गई है।

श्री हुकुम सिंह–

मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय मौर्य जी कि जब आप बोले तो शांति से हमने सुना। यह क्रास इक्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, यह मेरा आग्रह है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं आप लोगों से ज्यादा गंभीर होकर सुन रहा हूं चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने चुनौती कहा था इसलिये घटना का संदर्भ प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था होती है जब नेता सदन अपना भाषण पूरा कर ले तो जो स्पष्टीकरण लेना हो ले लें, मैं रोक नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

इस सभा मण्डप में न प्रदेश के अपराधों की कार्यवाही का कोई रजिस्टर है और न यह विभिन्न थानों से कम्प्यूटर से जुड़ा हुआ है अगर इस समय कोई उदाहरण दे भी तो कैसे उत्तर आयेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

तो मान्यवर, इन्हें चुनौती नहीं देनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अगर इन शब्दों में नेता सदन चुनौती देंगे कि एक भी घटना प्रतिपक्ष बता दें तो बताना तो होगा ही। आपने बताया कि कम्प्यूटर से नहीं जुड़ा है तो मुख्य मंत्री जी इसी सीमा में अपनी बात रखें तो उचित होगा।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, 12 वर्षीय बालिका के बलात्कार की जो घटना का उल्लेख कर रहे थे वह अनुसूचित वर्ग की थी लेकिन अभियुक्त पांचों अनुसूचित वर्ग के ही थे इसका भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं। श्रीमन् स्थानान्तरण के बारे में भी यह बात कही गयी है कि बड़ी मात्रा में स्थानान्तरण हुए हैं। यह स्थानान्तरण उद्योग इस प्रदेश में स्थापित हुआ था और उस उद्योग को समाप्त किया है तो हमारी सरकार ने समाप्त किया है।

अब वह स्थानान्तरण उद्योग जो आपकी सरकार द्वारा इस प्रदेश में स्थापित हुआ था, वह समाप्त हो चुका है। अब यहां दूसरे उद्योग प्रारम्भ हुए हैं, अब यहां उद्योगपति उद्योग स्थापित करने आ रहे हैं। श्रीमन् हमारे सम्मानित सदस्य जनाब कौकब हमीद साहब ने स्थानान्तरण का उल्लेख किया, उन्होंने संख्या भी बताई, उनकी संख्या सही है। सच से उनका नजदीक का रिश्ता है, बहुत भले आदमी हैं, लेकिन कहीं न कहीं चूक उनसे हो गई। उनको शायद थोड़ा भ्रम हो गया होगा कि अखबारों में जो अधिकारियों की सूची प्रकाशित हो रही है, वह स्थानान्तरण की सूची है। मैं बताना चाहूंगा कि नवम्बर के महीने में

उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ और बहुत सारे अधिकारियों का कैडर चेंज हुआ । बहुत से अधिकारी अपना कैडर चेंज करके उत्तरांचल गये और बहुत से अधिकारी उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश में आये, इससे जो स्थान रिक्त हुए केवल उन रिक्त स्थानों को फुलफिल करने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसी की सूची अखबारों में प्रकाशित हुई लेकिन हमारे कौकब साहब को ऐसा लगा, भारी संख्या में स्थानान्तरण हुए हैं । पहली बार 14-15 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है, जब स्थानान्तरण न के बराबर हुए हैं । अब जून का महीना है, यह स्थानान्तरण का महीना होता है । यदि सदन का सत्र न चल रहा होता तो निश्चित रूप से कार्यवाही की गई होती ।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात कही गई, इसके लिये मैं किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहता, समाज के किसी वर्ग को उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहता । सचमुच भ्रष्टाचार के संबंध में देखा जाय तो पूरी की पूरी व्यवस्था उत्तरदायी है । आवश्यकता है कि इस व्यवस्था में परिवर्तन के लिये समग्र और समेकित चिन्तन होना चाहिये । व्यवस्था में परिवर्तन लाकर ही भ्रष्टाचार को कम करने के बारे में विचार किया जा सकता है । भ्रष्टाचार की शुरूआत किसने की है, अब नीचे मत देखिये । श्रीमन्, अब क्या कहें, टेलीफोन पर बैंकों से करोड़ों रुपये नागरवाला कांड को कोई भूल सकता है । जघन्य हत्या, तन्दूर काण्ड, केवल काटा ही नहीं गया, बल्कि तन्दूर में भूनकर पका दिया गया, क्या यह सब हमारी सरकार ने किया था ? वह भी एक महिला को, यह सम्मान है ।

गनर्स और हमारी सुरक्षा नीति को लेकर बहुत सारे लोग मर्माहत हैं, मर्माहत होने की आवश्यकता नहीं है । सबकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार चिन्तित है । हम चाहते हैं कि केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, मंत्री ही नहीं, बल्कि इस प्रदेश की आम जनता भी सुरक्षित रहनी चाहिए, उनके अन्दर भी सुरक्षा का भाव बना रहे, यह किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य होता है, इसके लिये हमारी सरकार पूरी तरह सचेष्ट है । इसके स्पष्ट निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दे दिये गये हैं कि जिस किसी व्यक्ति को वह महसूस करते हैं कि उसकी जानमाल को खतरा है तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से निर्णय करके उसे सुरक्षा व्यवस्था मुहैय्या करा सकते हैं । जो सुरक्षा नीति हमने निर्धारित की है, इसमें स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है । मान्यवर, यह भी कहा गया कि हम सी०बी०सी०आई०डी० इन्क्वायरी के आदेश कर देते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि पहले भी कितने सी०बी०सी०आई०डी० के आदेश हुए हैं, समाजवादी पार्टी की हुकूमत में कितने और इस समय कितने हुए हैं । इनकी भी संख्या इनसिगनीफिकेंट हैं, न के बराबर है और हम आख्या प्राप्त कर लेने के बाद ही, सामान्यतः जबकि हमारे भी बहुत से ऐसे विधायकगण दुखी हो जाते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री तो हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और मैंने देखा है कि जो हमारे लोग लिखकर देते हैं और जब रिपोर्ट मंगाई जाती है तो उनकी बात सही निकलती है । तब जाकर सी०बी०सी०आई०डी० की जांच होती है ।

मान्यवर, हमारे सपा नेता ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, श्रीमन्, कैसा उत्पीड़न हो रहा है ? हमारी समझ में बात नहीं आ रही है, कहां हो रहा है । उत्पीड़न करने की कला तो हमें आती ही नहीं । उत्पीड़ित करने की कला में महारत यदि किसी को हासिल है तो आपको है और आपको भी । यह कला हमें नहीं आती । मैं कहना चाहता हूं पुलिस के बारे में और के बारे में भी यदि जनप्रतिनिधि के मान, सम्मान और स्वाभिमान पर किसी ने चोट पहुंचाई है और जिसके द्वारा भी पहुंचाई गयी है यदि वह सच निकल गयी तो माफ नहीं करेंगे चाहे समाजवादी पार्टी के सदस्य हों, बहुजन समाज पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी के या अन्य कोई माननीय सदस्य हों । कुछ घटनाएं थीं, दो-एक का उल्लेख किया है विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, सारी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है ।

श्रीमन्, यह भी कहा गया कि अधिकारियों के विरुद्ध, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी, इतना ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष ने बोलते हुए इस पूरे सिस्टम के बारे में, अधिकारियों और

कर्मचारियों के बारे में कुछ अजीबोगरीब बात कही लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि जो हमारा अधिकारी और कर्मचारी वर्ग है वह भी हमारे परिवार का ही सदस्य है । हम उसको अपने से अलग मान कर नहीं चलते हैं, लेकिन कहीं पर अगर वह अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो क्वन्टम आफ पनिशमेन्ट क्या होना चाहिए, दण्ड का परिमाण क्या होना चाहिए, इसको भी देखते हैं । मान्यवर, जिलों में तैनात आई०पी०एस० आफिसर भी निलम्बित हुए हैं, पी०सी०एस० और पी०पी०एस० अधिकारी भी निलम्बित हुए हैं । लेकिन ऐसा आरोप कि कहीं कोई कार्यवाही नहीं होती, उचित नहीं है । हम केवल जनता को मेसेज देने के लिए अधिकारियों को अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे सड़क पर झाड़ू लगाने वाला स्वीपर ही क्यों न हो और चाहे मुख्य सचिव स्तर पर बैठा हुआ सबसे बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो ? यह मान कर चलते हैं कि अपशब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं । लेकिन किसी समय ऐसा किया गया और मान्यवर, हम पेंशन नहीं देते, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन नहीं देते और समाजवादी पार्टी ने सारे उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन वितरित करायी और यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, हां यह बात सच है कि श्रीमन्, हमने अपने घर के लिए कुछ नहीं किया है, अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया । सैफई को उत्तर प्रदेश की जनता कभी भूल नहीं सकती, जाकर आप आलीशान भवन देख लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

हां मान्यवर, सैफई ने इतने बड़े महापुरुष को पैदा किया कि दुनिया के मानचित्र पर लोग उसे याद रखेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

"जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" ।

श्री राजनाथ सिंह–

हमारे वह प्रदेश और देश के नेता हैं, मुलायम सिंह जी हों, चाहे मायावती जी हों, हमारे कई लोग मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, उनके प्रति हमारे मन में बेहद सम्मान है, उनको लांछित करने का, अपमानित करने का भाव मेरे अन्दर नहीं है । चाहे श्री कल्याण सिंह जी हों, उनके प्रति भी हमारा वही भाव है ।

श्री प्रमोद कुमार–

सबको मालूम है ।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, कभी भी किसी समाचार-पत्र में यह नहीं बतला सकते कि कल्याण सिंह जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाये हैं, उस समय भी भाई कहा था और आज भी कहता हूं, उन्होंने मेरे ऊपर चाहे जो आरोप लगाया हो ।

श्री अम्बिका चौधरी–

ऐसा भाई जिसको मिले, उसको दुश्मन तलाशने की क्या जरूरत है ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्रीमन्, मैं अपने सम्मानित सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सकारात्मक सुझाव दिये हैं कि थानों में गाड़ियों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए, जो पुरानी हो गयी हैं वहां नई गाड़ियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, वायरलेस सेट की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए । श्रीमन्, साइबर क्राइम का संकट सारे देश में होता जा रहा है । प्रदेश में साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससे

उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम रुक सके । संक्षेप में थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूं कि नई गाड़ियां, नये वायरलेस सेट, नये भवन, थाने आदि के बनाने के बारे में भी कदम उठाया है और जैसा इस बजट पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए मैंने पहले भी उल्लेख किया कि आगामी 5 वर्षों में एक हजार करोड़ रुपया पुलिस के आधुनिकीकरण पर खर्च करेंगे । मेरा विश्वास है कि आगामी कुछ ही महीनों में अधिक से अधिक गाड़ियां, वायरलेस सेट, अस्त्र-शस्त्र भी पुलिस को मुहैय्या कराने में सफलता प्राप्त करेंगे । श्रीमन्, बहुत ज्यादा न बोलते हुये इतना ही प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर तो है ही, इसे और अधिक बेहतर बनाने में उनका भी सहयोग चाहिए । एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता । सच यह इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इस मुद्दे पर दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करना चाहिए । श्रीमन्, यदि इजाजत दें बहुत सारी बातें आयी हैं यदि सबका उल्लेख शुरू करूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

सामान्यतः बजट भाषण में नीति और सिद्धान्तों की बात करते समय कुछ घटनाओं का उल्लेख हो जाता है लेकिन सामान्यतः नीति और सिद्धान्त की बात करते हैं ।

श्री राजनाथ सिंह–

तो मान्यवर, सामान्यतः जो सुझाव आये थे साइबर क्राइम की चर्चा हुई थी, उसका उल्लेख कर दिया, नये वाहन जीपें देने के बारे में, उसका भी उल्लेख कर दिया है, ड्यूटी पर शराब पीने के आदी पुलिस कर्मियों को निलम्बित, बर्खास्त किया जाय, इस संबंध में कार्यवाही होती भी है । नक्सलवाद को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाये, मैंने पहले ही कहा कि एक पैकेज तैयार किया है, कदम आगे बढ़ा रहे हैं । इण्डो–नैपाल बार्डर पर तस्करी और माओवाद को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए, वह उठा रहे हैं, पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ा रहे हैं, पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, आधुनिक अस्त्र-शस्त्र मुहैय्या करा रहे हैं । आई०एस०आई० की गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने सराहनीय कार्य किये हैं जिनका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं । अन्त में मैं इतना ही इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन का राज्य स्थापित करने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है हमारी सरकार में इंच्छाशक्ति का अभाव नहीं है रहा होगा किसी सरकार के समक्ष हमारे सामने किसी प्रकार की इच्छाशक्ति का संकट नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कल एस०टी०एफ० की प्रशंसा की । मैं उनके स्वर में स्वर मिलाता हूं कि एस०टी०एफ० ने सममुच अच्छा काम किया है । एक जांच उसने कुख्यात अपराधी शिव प्रकाश शुक्ल से किसके सम्पर्क हैं, उस बारे में की है । क्या उसमें आठ मंत्रियों के नाम आये हैं, उनके नाम सदन के पटल पर रख दें और क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें किसी मंत्री का नाम नहीं है लेकिन जब इन्होंने कहा है तो मैं उसको दिखवा लूंगा । इनके सन्तोष के लिए दिखवा लूंगा । मान्यवर, बावतपुर और कानपुर की जो घटना है तो बावतपुर की घटना में एक किसान मारा गया मैं भी उससे आहत हुआ । मैं स्वयं घटनास्थल पर गया और जाकर जो मृतक का परिवार था उसको अधिक से अधिक सहायता चार लाख की वित्तीय सहायता मुहैय्या कराई है । प्रदेश के इतिहास में इससे पहले कोई किसान मजदूर मारा गया हो और किसी सरकार ने इतनी बड़ी धनराशि उसके निराश्रित परिवार को मुहैय्या करवाई हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ । मान्यवर, उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कारपोरेशन, चुर्क डाला में नौ मजदूरों की हत्या कर दी गयी । उन्हें अनुग्रह धनराशि देने की बात तो दूर रही मृतक के परिवारों को संवेदना तक देने

तत्कालीन मुख्य मंत्री नहीं पहुंचे थे । आज लोग गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं । मान्यवर, जहां तक कानपुर की घटना का प्रश्न है तो जांच चल रही हैं । दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसानों के पेट पर लात मारकर किसी को हवाई पट्टी बनाने की इजाजत नहीं है । जब तक एक-एक पैसे का भुगतान नहीं हो जाता तब तक हवाई पट्टी बनाने की इजाजत नहीं दी जायेगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह एहसास किसान की जान लेने के बाद और नेता विरोधी दल के तीन दिन हाउस में कहने के बाद हुआ है, काश एहसास पहले हो जाता ।

श्री राजनाथ सिंह–

कानपुर में जाति और मजहब से ऊपर उठकर दो-दो लाख रुपये हर मृतक परिवार को सहायता उपलब्ध कराई और जो माल की क्षति हुयी है उसके लिये भी हमने करोड़ों की धनराशि उपलब्ध कराई है ताकि उनका पुनर्वास हो सके और वह व्यवसाय प्रारम्भ कर सकें । केवल आरोप लगाने के लिये आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये । मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय रामतेज जी, माननीय प्रमोद कुमार जी, माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी से कहूंगा कि सर्वसम्मति से यह बजट पारित कर दीजिये ।

एक सदस्य–

हैण्डपम्प के बारे में घोषणा कर दें ।

श्री राजनाथ सिंह–

अगर इजाजत हो तो मैं एक और घोषणा कर देना चाहता हूं, पेयजल का संकट है । मैं प्रत्येक विधायक के लिये 50–50 हैण्ड पम्प की घोषणा करता हूं जो उनकी संस्तुति के आधार पर लगाये जायेंगे ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

जो 5–5 गांवों का विद्युतीकरण है वह भी करवा दीजिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी की बातों से ऐसा लगा कि ये कानून व्यवस्था के प्रति चिन्तित हैं, कुछ करना चाहते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । अक्टूबर, 97 में तत्कालीन मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम को निष्प्रभावी करने के लिए एक शासनादेश जारी किया था । उसके बाद दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा है । क्या मा० मुख्य मंत्री जी उस शासनादेश को वापस करने का काम करेंगे ?

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैं केवल 2-3 स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से चाहूंगा । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोर-शोर से कहा यह आरोप गलत है सही नहीं है । श्रीमन् उसी संदर्भ में मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, उसी से मालूम हो जायेगा घोषणा सही है या नकली । माननीय मुख्य मंत्री जी आपने पद की शपथ लिया और कहा कि 15 दिन के अन्दर कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे और 15 दिन व्यतीत भी नहीं हुए एक-दो दिन शेष रह गये, हमारे साथी सम्मानित सदस्य श्री निर्भय पाल सिंह की हत्या हो गयी, कहां चली गयी कानून व्यवस्था यह बताया जाये ? नेता सदन द्वारा की गयी है । घोषणा सत्य है ? एक घोषणा और हमारे नेता सदन ने की बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे इस संबंध में हम जानकारी यह चाहेंगे कि बड़े अपराधी जो इस मंत्रि-मण्डल के 2 दर्जन मंत्री हैं, जिनके बारे

में 40–46 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं क्या इनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और इनको हटाकर करेंगे या मंत्री रहते कार्यवाही करेंगे । तीसरा प्रश्न यह है कि मा० मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि किसानों का गेहूं खरीदा जायेगा, जब तक 610 रुपये के ऊपर रेट नहीं होगा, यह भी जानकारी मिलनी चाहिए । श्रीमन् चौथा अभी लखीमपुर खीरी में इन्होंने अपने वरिष्ठ मंत्री को भेजा क्या घोषणा करेंगे, मृतक परिवार के आश्रित को कितनी और कब तक सहायता दे देंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की एक बात से सहमत हूं, पूरे प्रदेश का वह समग्र विकास चाहते हैं और यह चाहते हैं कि विकास से कोई क्षेत्र अछूता न रहे । 50 हैण्ड पम्प उन्होंने देने की बात कही है । मेरा निवेदन है कि समग्र विकास जब होगा जब विकास कार्य होंगे । मुख्य मंत्री जी यह कृपणता अच्छी नहीं लगती । हर चीज की कीमत 20 प्रतिशत बढ़ गयी है । विधायक निधि जो 75 लाख है उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया करने की घोषणा सदन में करें । मुख्य मंत्री जी–"फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन", मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी की छवि अच्छी हो लोग उनकी तारीफ करें, मैं अपने लिये कुछ नहीं चाहता, मैं केवल यह चाहता हूं कि मुख्य मंत्री की छवि अच्छी रहे । एक करोड़ से ज्यादा की बात मैं नहीं करूंगा । विधायक निधि एक करोड़ करने की घोषणा करें और उसे तुरन्त जारी करा दें यह मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं ।

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष ने 4-5 स्पष्टीकरण मुझसे चाहे हैं । एक तो उन्होंने यह कहा कि जब मैंने पद की शपथ ली थी तो कहा था कि 15 दिन में कानून व्यवस्था ठीक हो जायगी । मैंने कहा था, यह सच है । श्रीमन्, यह भी किसी से छिपा नहीं है कि 15 दिन की जगह 20 दिन हो गये होंगे लेकिन उतने ही दिनों में कानून व्यवस्था का अहसास हमारी सरकार ने करा दिया था । पहले ट्रक जाते थे वसूली होती थी, कई वर्षों से यह सिलसिला चला आ रहा था । मैंने ट्रकों से वसूली रुकवा दी । बहुत से अपराधियों को जेल के सीखचों में डाल दिया गया । परिवर्तन का अहसास हमने कराया है । मान्यवर, लखीमपुर के बारे में मैंने रेल मंत्री जी से बात की थी । वहां ऐसी बात पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि जो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है उनको सहायता दी जा सके । लेकिन इतना मैंने जरूर आश्वासन ले लिया है कि जो क्रासिंग है वहां गेट बनाया जायगा । उन्होंने कहा कि इस संबंध में आप फैक्स भिजवा दीजिये, मैं आदेश कर दूंगा । जिस समय यह वार्ता हो रही थी उस समय वहां पर रेलवे के ट्रेफिक मैनेजर मौजूद थे । हमारी पूरी संवेदना है जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुयी है । भले ही केन्द्र सरकार के नियमों, नियमावली में ऐसी व्यवस्था नहीं है, मैं अपने विवेकाधीन कोष से कुछ न कुछ राहत निश्चित रूप से निराश्रित परिवारों को मुहैय्या कराऊंगा इसकी मैं घोषणा करना चाहता हूं ।

मान्यवर, मंत्रि-मण्डल में जिनके ऊपर अपराधिक मामले हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसको दिखवा लूंगा । बहुत सारी एफ०आई०आर० दर्ज हो जाती हैं । मेरे ऊपर भी एफ०आई०आर० दर्ज हुयी है । मैं 7-8 बार जेल जा चुका हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मुख्य मंत्री जी को मैं जानता हूं । आपके ऊपर, बलात्कार, अपहरण व मर्डर के केस नहीं लगे होंगे ।

श्री राजनाथ सिंह–

यदि प्रदेश का शिखर शासन ठीक हो तो निश्चित रूप से उससे निकलने वाली गंगा भी पवित्र होगी । यह मानकर चलना चाहिए । समग्र विकास की बात आपने कही, मैं चाहता हूं कि प्रदेश का समग्र विकास हो । मुझे यह कहने में गर्व की अनुभूति हो रही है कि विधायकों के लिए 75 लाख रुपए

की विधायक निधि की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो हमारी सरकार ने की है । हमें यह भी देखना चाहिए कि क्षेत्रीय असंतुलन न पैदा हो । इसलिए हमें देखना पड़ता है बुन्देलखण्ड की ओर, हमें पूर्वांचल की ओर देखना पड़ता है, मध्यांचल पिछड़ा न रह जाए यह देखना पड़ता है । इसलिए योजना आयोग के समक्ष हम अपने परिव्यय को स्वीकृत करने के लिए गए थे । क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के सम्बन्ध में हमने परिव्यय की स्वीकृति प्राप्त की है । क्षेत्रीय असंतुलन हम समाप्त करेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

स्पष्टीकरण एक बार सुनें ।

श्री धनीराम वर्मा–

प्रदेश के समग्र विकास के सम्बन्ध में हम जानना चाहते हैं हमारे सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय संदस्यों को जिज्ञासा है । हमारे विद्युत मंत्री मजबूर थे धनाभाव के कारण पांच-पांच गांव का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका । विद्युत मंत्री जी को धन मिल जाए तो विद्युतीकरण हो जाए । पिछले साल के लिये जो घोषणा हो गई उसके लिये धन उपलब्ध करा दिया जाए । इस साल के लिए भी पांच गांव के विद्युतीकरण के लिए धन मिल जाए । क्या मुख्य मंत्री जी इस बात की सदन में घोषणा करेंगे ?

श्री राजनाथ सिंह–

मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, थोड़ी प्रतीक्षा कर लें । सारी चीजें सामने आ जाएंगी । गांवों के विद्युतीकरण के बारे में ऊर्जा मंत्री जी ने बैठक की है कि गांवों का विद्युतीकरण कैसे हो ?

श्री अम्बिका चौधरी–

विधायक निधि तत्काल निर्गत हो जाए ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

पांच गांव की घोषणा कर दें । आपने समग्र विकास की बात कही है ।

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री धनीराम वर्मा–

मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं । बल इसलिए दे रहा हूं कि जो भी बातें मुख्य मंत्री जी ने कहीं हैं उनमें से कुछ को छोड़कर सारी सत्य से परे हैं इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 15,00,94,55,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 19,91,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,04,10,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,04,10,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण)

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग ((लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,48,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,48,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय एवं अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 94,18,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 94,18,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,89,44,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,89,44,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग

नियोजन अर्थ एवं संख्या राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)(श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों

को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,80,44,59,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,80,44,59,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,16,51,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,16,51,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,82,40,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,82,40,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,50,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,50,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,06,13,25,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,06,13,25,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,42,24,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,42,24,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,09,83,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,09,83,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,13,08,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,13,08,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–67–विधान परिषद सचिवालय

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–67–विधान परिषद सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,30,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–67–विधान परिषद सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,30,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,94,96,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,94,96,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 75,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 75,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,56,50,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,56,50,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,45,79,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,45,79,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,25,22,19,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,25,22,19,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबूराम, एम० काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,24,66,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,24,66,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम, एम०काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,23,72,06,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,23,72,06,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदाव द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,31,91,06,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,31,91,06,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,77,23,34,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,77,23,34,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,68,50,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,68,50,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 76,75,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत- धनराशि के अतिरिक्त 76,75,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,21,60,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,21,60,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,96,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,96,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जायें ।

(प्रतियां बांट दी गयीं)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001

31 मार्च, 2002 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2001-2002 के लिए 57,813,32,71,000 रुपये का निकाला जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3, सन् 2001) की अनुसूची के स्तम्भ-3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 57,813,32,71,000 रुपये (सत्तावन हजार आठ सौ तेरह करोड़ बत्तीस लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान क्रम-सं०	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
2			3		
	आबकारी विभाग	राजस्व	269644	10	269654
		पूंजी	...	...	0
2	आवास विभाग	राजस्व	312779	435000	747779
		पूंजी	879375	272500	1151875

1	2	3			
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	414371	200	414571
		पूंजी	130000	...	130000
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	70952	50	71002
		पूंजी	...	...	0
5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व	202923	...	202923
		पूंजी	...	...	0
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	283364	300	283664
		पूंजी	...	572	572
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	500	48390	48890
		पूंजी	2190507	36488	2226995
8	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व	400488	...	400488
		पूंजी	...	...	0
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व	97753	3520	101273
		पूंजी	18181500	...	18181500
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व	583017	3215	586232
		पूंजी	19000	...	19000
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	9860836	101510	9962346
		पूंजी	2692422	...	2692422
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व	660791	...	660791
		पूंजी	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	9757465	50	9757515
		पूंजी	7968465	...	7968465
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	9164544	1	9164545
		पूंजी	...	...	0
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	1714402	250	1714652
		पूंजी	136863	...	136863
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	77496	3	77499
		पूंजी	21600	...	21600

1	2		3		
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	250213	5	250218
		पूंजी	...	...	...
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	309799	127730	437529
		पूंजी	3185098	195501	3380599
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	13880	...	13880
		पूंजी	...	...	...
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण)	राजस्व	8598	104189	112787
		पूंजी	...	...	...
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	916946	705075	1622021
		पूंजी	28574426	7000050	35574476
22	खेल विभाग	राजस्व	135961	...	135961
		पूंजी	...	...	...
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	513135	2249	515384
		पूंजी	...	2014	2014
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	437934	136600	574534
		पूंजी	1750000	66800	1816800
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	1080774	800	1081574
		पूंजी	82185	...	82185
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	19699425	6325	19705750
		पूंजी	313181	3800	316981
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	942909	...	942909
		पूंजी	...	...	...
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	533986	...	533986
		पूंजी	...	...	...
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	...	30575	30575
		पूंजी	...	...	...
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	12557	...	12575
		पूंजी	...	...	...

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	1893272	25	1893297
		पूंजी	310000	...	310000
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	7640769	500	7641269
		पूंजी	387034	...	387034
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	1200843	...	1200843
		पूंजी	5000	...	5000
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	577409	25	577434
		पूंजी	60000	...	60000
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	4327444	...	4327444
		पूंजी	50000	...	50000
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	1582850	700	1583550
		पूंजी	...	...	...
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	3600498	...	3600498
		पूंजी	1400001	...	1400001
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	65259	...	65259
		पूंजी	...	...	...
39	भाषा विभाग	राजस्व	39256	...	39256
		पूंजी	...	...	...
40	नियोजन विभाग	राजस्व	406608	...	406608
		पूंजी	2C00004	...	2000004
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	815535	...	815535
		पूंजी	...	...	...
42	न्याय विभाग	राजस्व	2786186	471161	3257347
		पूंजी	216773	...	216773
43	परिवहन विभाग	राजस्व	289514	...	289514
		पूंजी	2500	...	2500
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	69675	...	69675
		पूंजी	171971	...	171971
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	982381	...	982381
		पूंजी	962500	...	962500
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	119120	...	119120
		पूंजी	...	...	...
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	801006	50102	851108
		पूंजी	117500	...	117500

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	1588710	175	1588885
		पूंजी	80024	...	80024
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	5177239	...	5177239
		पूंजी	13400	...	13400
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	1629302	35	1629337
		पूंजी	913697	...	913697
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	1536696	1535901	3072597
		पूंजी	1	1	2
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	6480054	13654	6493708
		पूंजी	2237	1052	3289
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	1034	...	1034
		पूंजी	100	...	100
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	4852728	400	4853128
		पूंजी	...	...	...
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व	212104	13795	225899
		पूंजी	187458	100	187558
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	6463385	500	6463885
		पूंजी	5802860	55000	5857860
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	346699	...	346699
		पूंजी	16563	...	16563
60	वन विभाग	राजस्व	2093482	371	2093853
		पूंजी	22104	...	22104
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	18520141	94758520	113278661
		पूंजी	572000	126852284	127424284
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	20363112	41537	20404649
		पूंजी	2000000	...	2000000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	630433	600	631033
		पूंजी	18700	...	18700
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	10233	...	10233
		पूंजी	...	...	...
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	509547	...	509547
		पूंजी	...	...	...
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	7862	1232188	1240050
		पूंजी	...	...	...

उत्तर प्रदेश सभा

1	2	3			
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	87333	2333	89666
		पूंजी	...	...	...
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	240662	3312	243974
		पूंजी	...	...	...
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	10000	...	10000
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	185735	...	185735
		पूंजी	21600	...	21600
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	36344578	3404214	39748792
		पूंजी	3400	...	3400
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	18890715	1600770	20491485
		पूंजी	154242	...	154242
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	5717930	700001	6417931
		पूंजी	65100	...	65100
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	529098	20	529118
		पूंजी	...	...	...
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	726831	...	726831
		पूंजी	...	...	...
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	892440	...	892440
		पूंजी	1382	...	1382
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	1415100	5	1415105
		पूंजी	...	...	...
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व	928067	...	928067
		पूंजी	14001	...	14001
80	समाज कल्याण विभाग (रामाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	6510032	...	6510032
		पूंजी	304803	...	304803
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	78844	10	78854
		पूंजी	12000	...	12000
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	112299	7013	119312
		पूंजी	...	...	...
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	23988	...	23988
		पूंजी	...	...	...
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	10505	...	10505
		पूंजी	...	...	...

उत्तर प्रदेश संवाद

1	2		3		
86	सूचना विभाग	राजस्व	267958	...	267958
		पूंजी	20	...	20
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	130738	5	130743
		पूंजी	...	...	...
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	16622	2	16624
		पूंजी	...	...	...
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)	राजस्व	1569471	1002	1570473
		पूंजी	80137	...	80137
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	60867	...	60867
		पूंजी	...	...	...
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	432772	12	432784
		पूंजी	...	...	...
92	संस्कृति विभाग	राजस्व	110044	5	110049
		पूंजी	51700	...	51700
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	4873958	...	4873958
		पूंजी	961448	...	961448
94	सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य)	राजस्व	2483547	3819278	6302825
		पूंजी	12148047	30000	12178047
	योग–		238987962	109364218	348352180
			95264929	134516162	229781091
	महायोग–		334252891	243880380	578133271

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्त मंत्री (श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश संसद

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 1 जून, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 65 सूचनाएं प्राप्त हुई । अग्राह्य को छोड़ते हुए सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया, सदस्यों के नाम और विषय इस प्रकार है :–

श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद अन्तर्गत डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं के संबंध में है, श्री जगदीश नारायण राय की ग्राम–बमैला, तहसील सदर, जिला–जौनपुर स्थित ग्राम सभा की जमीन (चारागाह) पर अवैध कब्जेदारी के संबंध में है, श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा में सड़कों के किनारे तथा धार्मिक स्थलों व कालेजों के समीप खुले रूप से बेचे जा रहे मीट की दुकानों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, डा० कौशल किशोर की ग्राम–छन्दोइया, निकट दुबग्गा हरदोई रोड लखनऊ को नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आने के बावजूद नालियों का निर्माण सफाई एवं सड़क आदि की व्यवस्था न किये जाने के संबंध में है, श्री रघुवर दयाल वर्मा की जनपद फिरोजाबाद में जिला सम्पर्क मार्गों की जर्जर स्थिति के संबंध में है, श्री दीप लाल भारती की लखनऊ महानगर के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग के जूनियर मीटर टेस्टर वर्तमान पद नाम टी०जी०–II संवर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजकता के संबंध में है, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ महानगर को जिला योजना से पी० डब्लू०डी० की सड़कों के महानगरों के भाग एक के लिए अनुरक्षण हेतु धन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, श्री विजय पाल सिंह की जनपद आगरा में ताज ट्रिपेजियम योजना के तहत विद्युतीकरण न किये जाने के संबंध में है, श्री स्वामी ओइम्वेश की जनपद बिजनौर में हल्दौर ब्लाक के ग्राम गंज में कृषि कालेज खोलने के संबंध में है, डा० पूर्णमासी पंकज की जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में दुर्गागंज को ब्लाक न बनाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, श्री उदय राज यादव की जनपद उन्नाव के कस्बा पुरवा में ग्रामीण क्षेत्रों के फीडर से विद्युत आपूर्ति के बावजूद मीटर लगाकर शहरी नियमों के अनुरूप बिलों का भुगतान लिये जाने के संबंध में है, श्री राम कुमार एडवोकेट की कानपुर नगर निगम की जाजमऊ औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भारत सरकार की क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर वैलेन्सिंग स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि अवमुक्त कर सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में है, श्री शिव सिंह चक की लखनऊ हरदोई रोड पर बालागंज से छंदोइया तक सड़क के बीच डिवाइडर बनाये जाने के संबंध में है, श्री राजाराम पाल की लखनऊ जनपद में गोमती नदी के ग्राम सरौराघाट पर पुल निर्माण के संबंध में है, श्री जय प्रकाश की विद्युत उपकेन्द्र उतरेटिया मोहनलालगंज, लखनऊ में हो रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में है, श्री रामपाल की जनपद जालौन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में डकैतों के निरन्तर बढ़ते आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, श्री राम प्यारे सिंह एवं श्री वसीम अहमद की जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में घाघरा नदी एवं बंधा के बीच बसने वाले किसानों को बाढ़ से बचाये जाने के संबंध में है, श्री रामाधार सिंह की जनपद गोण्डा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बिना समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये इन्स्ट्रूमेन्ट क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने के संबंध में है, श्री रूप चौधरी की, बागपत जनपद से जिला उद्योग केन्द्र का कार्यालय हटाये जाने के संबंध में है, श्री सन्त की लखनऊ जनपद के ग्राम बरावनकला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में है, श्री बाबू लाल कुशवाहा की प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के बावजूद जनपद बांदा के अन्तर्गत बांदा, अतर्रा व नरैनी के नगरीय क्षेत्र में आज भी जमींदारी कुप्रथा

लागू होने के संबंध में है, श्री गोमती यादव की उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के सहायक लेखाकारों को समयमान/उच्च वेतनमान की सुविधा दिये जाने के संबंध में है, श्री रामतेज यादव एडवोकेट की लखनऊ महानगर में नैपियर रोड स्थित लाल कालोनी में समुचित सफाई व्यवस्था कराये जाने के संबंध में है, श्रीमती गौरी देवी की जनपद गोरखपुर के कौड़ीराम क्षेत्रान्तर्गत महाबीर छपरा में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने के संबंध में है, श्री मूल चन्द की महात्मा ज्योतिबाफूले, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में है, मास्टर छोटे लाल गंगवार की शारदा सागर खण्ड पीलीभीत अन्तर्गत तहसील नवाबगंज के कतिपय ग्रामों में फर्जी जमा बन्दियां बनाकर अवैध वसूली के संबंध में है, श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीर क्षेत्रान्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय वसुधा सिंह की मूर्ति लगाये जाने के संबंध में है, श्री रामसेवक सिंह की छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा बी०ए०एम०एस० का परीक्षाफल घोषित न किये जाने के संबंध में है, श्री अब्दुल मन्नान, श्री छोटे लाल राजभर, श्री शब्बीर अहमद की जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर के ग्राम कोथ की जल निकासी को बाधित किये जाने के संबंध में है, श्री प्रेमपाल सिंह यादव की जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्रान्तर्गत ब्रेलाहाडी रामगंगा घाट पर पाटून ब्रिज बनाये जाने के संबंध में है, श्री विजेन्द्र आर्य की जनपद मुजफ्फरनगर में जूनियर हाई स्कूल नावला में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति न बांटे जाने के संबंध में है, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत जगतपुर मुराईबाग सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा में परिवहन विभाग में व्याप्त अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार के संबंध में है, श्री प्रदीप कुमार की चीनी मिल ननौता सहारनपुर में किसानों से मिल शेयर के रूप में कटौती किये जाने के संबंध में है, श्री जटाशंकर सिंह एवं श्री काशीनाथ की लखनऊ नगर के मोहल्ला त्रिवेणी नगर–III में निर्मित सम्पर्क मार्ग के किनारे जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, श्री संजय सिंह चौहान की मेरठ–मुजफ्फरनगर–सहारनपुर मार्गों पर संचालित वाहनों के संचालन के संबंध में है, श्री राजेन्द्र यादव की निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश के द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं के संबंध में है, श्री हरदेव सिंह की जनपद उन्नाव के अधिशासी अधिकारी द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के संबंध में है, श्री प्रमोद कुमार की जनपद रायबरेली के थाना ऊंचाहार में अपराध संख्या–82/2001 के तहत पंजीकृत प्राथमिकी के संबंध में है, पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किए जाने के संबंध में है।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं :–

1–श्री श्यामदेव राय चौधरी, 2–चौधरी बाबूलाल, 3–श्री अरविन्द गिरि, 4–श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू 5–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, 6–श्री राजपाल सिंह, 7–श्री अयोध्या प्रसाद पाल, 8–श्री समर पाल सिंह 9–श्री संजय गर्ग, 10–श्री कौकब हमीद, 11–श्री नन्दराम, 12–श्री वीरेन्द्र सिंह, 13–श्री राम औतार शाक्य, 14–आर्य रामशरन, 15–श्री शिशुपाल सिंह, 16–श्री समेश्वर सिंह यादव, 17–श्री आर० के० सिंह पटेल, 18–श्री राम अचल राजभर, 19–श्री जय प्रकाश, 20–श्री परवेज हलीम, 21–श्री स्वामी ओइमूवेश, 22–शिव सिंह चक, 23–श्री तेजभान सिंह और श्री दुर्गा प्रसाद यादव हैं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–27, मद संख्या–28, मद संख्या–29, मद संख्या–30, मद संख्या–31, मद संख्या–32, मद संख्या–33, मद संख्या–34, मद संख्या–35, मद संख्या–36 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के दस हजार पदों को समाप्त करने के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय विधायक ने नियम–51 के अधीन दी गयी सूचना में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के दस हजार पदों को समाप्त करने एवं वित्तीय वर्ष 2000-2001 से राज्य के कुल पदों की संख्या के 2 प्रतिशत पदों को प्रतिवर्ष समाप्त करने का नीतिगत निर्णय लिए जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है । सूचना में यह भी उल्लेख है कि इस निर्णय से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में और भी बढ़ोत्तरी हो जायेगी क्योंकि वर्तमान में संख्या में कटौती का उक्त निर्णय आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, आई०एफ०एस० तथा पी०सी०एस० आदि संवर्गों पर लागू नहीं किया गया है । सूचना में आगे कहा गया है कि इस विसंगति के चलते प्रदेश में करोड़ों शिक्षित बेरोजगारों में भारी असन्तोष व क्षोभ व्याप्त है और सरकार द्वारा इस गलत निर्णय को वापस लिया जाए ।

2—उपरोक्त कथन का कोई आधार नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कार्यरत कर्मचारियों के पद समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है । केवल यह आदेश किये गये हैं कि विकास के अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से 31-3-98 से पूर्व से रिक्त एवं अनुपयोगी तथा निष्क्रिय पदों को चिन्हित कर समाप्त किया जाय तथा पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली परिणामी न्यूनतम स्तर की रिक्तियों को बिना भरे रखकर 2 प्रतिशत तक की कमी की जाय । इस निर्णय से आरक्षण के लिए आवश्यक पद एवं प्रोन्नति के पद आच्छादित नहीं है । साथ ही शैक्षणिक पद, स्वास्थ्य, पुलिस एवं अग्निशमन से जुड़े विभागों को मुक्त रखा गया है । अतः स्पष्ट है कि कार्यरत कर्मचारियों के दस हजार पदों को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

3—प्रश्नगत निर्णय विकास कार्यों हेतु संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से लिया गया है । अतः विकास को गति देने के उद्देश्य से इस निर्णय का विशेष औचित्य है ।

4—जहां तक विभिन्न संवर्गों का उल्लेख है, यह स्पष्ट किया जाता है कि शासन का निर्णय किसी संवर्ग विशेष के पद समाप्त करने का नहीं है । केवल दीर्घकाल से रिक्त अनुपयोगी पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है । अतः यह निर्णय संवर्ग के आधार पर लागू नहीं है ।

5—इस प्रकार वर्तमान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के पद को समाप्त किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन में नहीं है ।]

प्रदेश में संचालित बस टैम्पों आदि से वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे कुप्रभावों के संबंध में श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

[वाहनों द्वारा निर्धारित मानक से अधिक धुंवा उत्सर्जित होने के कारण वायु प्रदूषण से होने वाली संभावित बीमारियों से इन्कार नहीं किया जा सकता, परन्तु शासन इस समस्या के प्रति पूर्ण रूप से सचेत है तथा पूरी गंभीरता से वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्नशील है ।

डीजल चालित वाहनों से उत्सर्जित होने वाले धुयें का अधिकतम घनत्व शून्य त्वरण पर 65 तथा पूर्ण त्वरण पर 75 हार्टेज अनुमन्य है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग द्वारा सुनियोजित कार्ययोजना के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था की गयी है :–

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा में संचालित होने वाली वाहनों के लिए यूरो–2 नार्मस का निर्धारण तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर संचालित होने वाली अव्यवसायिक वाहनों के लिए यूरो–1 नार्मस का निर्धारण ।

(2) प्रदेश के 5 प्रमुख महानगरों में प्रदूषण की चेकिंग हेतु प्रदूषण नियंत्रण प्रवर्तन दलों का गठन ।

(3) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–115 के अन्तर्गत प्रदूषण सीमा का निर्धारण तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र रखने की बाध्यता ।

(4) निजी क्षेत्रों में यथा "ए" एवं "बी" श्रेणी के मोटर गैराजों, पेट्रोल पम्पों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रदूषण जांच केन्द्र की मान्यता प्रदान करना ।

(5) 5 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में टैम्पो/टैक्सियों के संचालन हेतु आयु सीमा कम किया जाना तथा इन वाहनों में स्क्रेबर लगाने की अनिवार्यता ।

प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रदेश में मान्यता प्राप्त गैराजों, स्वयंसेवी संस्थाओं, पेट्रोल पम्पों एवं अन्य व्यक्तियों को प्रदूषणमापी यंत्र लगाकर वाहनों को प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मान्यतायें प्रदान की गयी हैं, जिसके तहत वर्तमान समय में 207 प्रदूषण चेकिंग केन्द्र स्थापित हैं । इसके अतिरिक्त जनपदीय परिवहन कार्यालयों में पेट्रोल/डीजल के प्रदूषण मापी यंत्र स्थापित कर वाहनों के प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र निर्गत करने की कार्यवाही की जा रही है तथा प्रदेश के प्रवर्तन दलों को भी प्रदूषण जांच हेतु प्रदूषण मापी यंत्र उपलब्ध कराये गये हैं, जिसके माध्यम से प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग के दौरान प्रदूषण की भी चेकिंग की जाती है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2000-2001 में टारगेट श्रेणी के समस्त वाहनों की चेकिंग कार्य कराने के प्रयास किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिक धुंवा उत्सर्जित होने के अभियोग में 44,904 वाहनों के चालान किये गये हैं ।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01-2-99 से 07-2-99 तक प्रदेश के 09 प्रमुख महानगरों (लखनऊ/कानपुर/फैजाबाद/गाजियाबाद/मुरादाबाद/मेरठ/आगरा/इलाहाबाद/वाराणसी) में प्रदूषण की विशेष चेकिंग करायी गयी । इस अभियान के दौरान वाहनों से अधिक धुंवा उत्सर्जित पाये जाने पर 3,294 वाहनों का चालान किया गया और 3,910 वाहनों को इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि वे वाहन सही कराकर पुनः चेक कराकर प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करें । मुख्य रूप से लखनऊ महानगर में समय-समय पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाता रहा है । अभी दिनांक 01-2-2001 से 3-3-2001 तक पुनः लखनऊ महानगर में पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदूषण की संयुक्त चेकिंग करायी गयी, जिसके तहत 112 वाहनों के प्रति नोटिस जारी किया गया तथा 102 वाहनों का चालान किया गया ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शासन द्वारा इस समस्या की ओर न केवल पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है अपितु शासन इस समस्या के निराकरण हेतु सतत् प्रयत्नशील है ।]

प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ–चण्डीगढ़, सहारनपुर–करनाल तथा सहारनपुर–लोनी मार्गों पर संचालित परिवहन निगम की बसों के साथ निजी बसों के संचालन को परिवहन विभाग द्वारा बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

[उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के साथ-साथ निजी बसों के संचालन के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18 नवम्बर, 1996 को हुयी बैठक में निम्नलिखित सात मार्गों पर निगम की बसों के साथ-साथ निजी बसों के संचालन की संस्तुति की गयी थी :–

1–अलीगढ़–अतरौली–रामघाट

2–अलीगढ़–अतरौली–बिजौली

3–शेरगढ़घाट–औरैया–दिवियापुर–तिर्वा

4–दिवियापुर–बाबरपुर

5–सहारनपुर–लोनी वाया शामली बड़ौत, बागपत–मार्जिनल बांध रोड–आई० एस० वी० टी० दिल्ली

6–मेरठ–चण्डीगढ़ वाया बड़ौत–शामली–गंगोह–सहारनपुर, यमुना नगर–अम्बाला

7–सहारनपुर करनाल वाया जंघेड़ा–रामपुर, गंगोह–न्यू यमुना ब्रिज ।

2–उक्त में से क्रमांक 1 एवं 2 के मार्ग अलीगढ़–अतरौली–रामघाट, अलीगढ़–अतरौली बिजौली मार्ग की अन्तिम अधिसूचना संख्या–1158/30–2–99–71/95, दिनांक 28 अप्रैल, 1999 एवं क्रमांक 3 व 4 के मार्ग शेरगढ़घाट–औरैया–दिवियापुर–तिर्वा, दिवियापुर–बाबरपुर मार्ग की अन्तिम अधिसूचना संख्या–329/30-2–99–374/91, दिनांक 18 फरवरी, 1999 को जारी की जा चुकी है जिसमें परिवहन निगम की बसों के साथ-साथ निजी बसों के संचालन की व्यवस्था की गयी है ।

3–क्रमांक 5,6 व 7 पर अंकित तीन मार्गों के संबंध में शासन स्तर से लिए गए निर्णय के अनुसार सहारनपुर–लोनी वाया शामली, बड़ौत, बागपत–मार्जिनल बांध रोड–आई०एस०वी०टी० दिल्ली, मेरठ–चण्डीगढ़ वाया बड़ौत–शामली, गंगोह सहारनपुर, यमुना नगर–अम्बाला एवं सहारनपुर–करनाल वाया जंघेड़ा–रामपुर, गंगोह–न्यू यमुना ब्रिज मार्ग के राष्ट्रीयकरण संबंधी योजनाओं में उपान्तरण हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–102 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–73सीएम/30-2–99–437/94, दिनांक 16-4-99 को जारी की गयी थी, जिसे श्रवणाधिकारी द्वारा विधिक औपचारिकतायें पूरी कर दिनांक 11-10-99 को अनुमोदित कर दिया गया था लेकिन शासन द्वारा अन्तिम अधिसूचना जारी किये जाने के पूर्व विचारोपरान्त उक्त योजनाओं का उपान्तरण लोकहित में न पाये जाने के कारण विधिक परामर्श के उपरान्त प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 16-4-99 को अनुवर्ती अधिसूचना दिनांक 15-04-2000 द्वारा विखण्डित कर दिया गया । अधिसूचना दिनांक 15-4-2000 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–22199/2000 रघुनन्दन गोयल, ईश्वर दयाल गोयल बनाम राज्य सरकार योजित की गयी जिसमें मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विखण्डन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 15-4-2000 के कार्यान्वयन पर आदेश दिनांक 11-5-2000 द्वारा रोक लगा दी गयी, परन्तु मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 20-7-2000 को उक्त स्थगन आदेश निरस्त कर दिया । याचिका अभी अन्तिम रूप से निस्तारित नहीं हुयी हैं, और सम्प्रति प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

4–यह भी उल्लेखनीय है कि सहारनपुर–दिल्ली वाया ननौता-थानाभवन-शामली-कांधला-बड़ौत–बागपतलोनी मार्ग को मा० उच्चतम् न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01-05-2001 द्वारा अन्तिम रूप से

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अधिसूचित घोषित कर दिया है । मा० विधायक द्वारा इंगित तीनों मार्ग उक्त मार्ग को ओवरलैप करते हैं ।

5–मुख्य मार्ग सहारनपुर–दिल्ली तक उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की 170 तथा दिल्ली परिवहन निगम की 40 फेरे प्रतिदिन संचालित है । इस प्रकार इस मार्ग पर पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध है । जहां तक शेष दोनों मार्गों का प्रश्न है, इन दोनों मार्गों के अन्तर्राज्यीय होने तथा वर्तमान में प्रभावी समझौते के अनुरूप उ० प्र० की बसों का संचालन इन मार्गों के हरियाणा राज्य में पड़ने वाले मार्ग पर अनुमन्य न होने के कारण इन मार्गों पर किसी प्रकार की सेवा संचालित किया जाना सम्भव नहीं है । जहां तक इन मार्गों के उ० प्र० राज्य में पड़ने वाले भाग का प्रश्न है उस पर परिवहन निगम द्वारा सेवायें संचालित हैं । अतः जनता में किसी प्रकार आक्रोश व्याप्त होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत विकास–खण्ड छपिया के राजकीय कन्या हाई स्कूल को इण्टरमीडिएट तक की मान्यता शीघ्र दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

माध्यमिक शिक्षा, भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

[राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसकनवां विकास खण्ड छपिया जनपद गोण्डा वर्ष 1987-88 से संचालित है । उक्त विद्यालय को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत करने का प्रस्ताव शिक्षा निदेशक से मई 2001 में प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव देखने से स्पष्ट है कि मानक व शर्तों के अनुसार उक्त विद्यालय के पिछले तीन सालों के हाई स्कूल का परीक्षाफल वर्ष 1999-2000, में 21%, 1998-99, 70% व 1997-98 में 16% है । इस तरह 2 वर्षों का 50% के निर्धारित मानक से कम है । इसके अतिरिक्त उच्चीकृत हो जाने की दशा में छात्रों के बैठने हेतु कक्षा-कक्ष उपलब्ध नहीं है । यद्यपि कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है । अतः पहले छात्रों के बैठने हेतु कक्षा-कक्ष का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिसके लिए आगणन तैयार करवा कर कक्षा-कक्ष के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया जा रहा है । आगणन उपलब्ध हो जाने के उपरान्त उस पर नियोजन विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा । छात्राओं के बैठने हेतु कक्षा-कक्ष उपलब्ध हो जाने पर उच्चीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सकेगी ।]

प्रदेश में दूषित पेयजल की आपूर्ति से जनस्वास्थ्य के लिये उत्पन्न गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

[नियम–51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा यह बिन्दु उठाया गया है कि नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायतों, नगर निगमों द्वारा जो पानी की आपूर्ति की जा रही है, वह दूषित है, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीनेशन आदि सामान्य पेयजल शुद्धीकरण पद्धति का भी पालन नहीं किया जा रहा है । विशेष रूप से मेरठ नगर निगम द्वारा जो पेयजल आपूर्ति की जा रही है उसकी स्वच्छता भी मानक के अनुरूप नहीं है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड जनपदों के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति जल संस्थान झांसी एवं बांदा द्वारा एवं आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ के नगरों में पेयजल की आपूर्ति जल संस्थानों द्वारा तथा प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में संबंधित नगर पालिका परिषदों नगर/पंचायतों द्वारा की जाती है ।

बुन्देलखण्ड जनपदों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार झांसी डिवीजन जल संस्थान द्वारा जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है । जल संस्थान, झांसी/बांदा द्वारा शुद्धीकरण पद्धति का पूर्णतया पालन किया जा रहा है । जल संस्थान, झांसी तथा बांदा की पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत डोजर स्थापित हैं जिनका समुचित रख-रखाव किया जाता है । इसके अतिरिक्त उर्ध्व जलाशयों में ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर पेयजल की आपूर्ति की जाती है तथा पेयजल नमूनों की जांच भी समय-समय पर करायी जा रही है ।

इसी प्रकार लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा एवं इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार नदी द्वारा प्राप्त जल का सुदृढ़ीकरण के पश्चात एवं जीवाणु संक्रमण निवारण हेतु तरल क्लोरीन द्वारा क्लोरीनेशन के उपरान्त ही नगर में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है तथा नलकूपों पर डोजरों की व्यवस्था है तथा ब्लीचिंग पाउडर के घोल द्वारा डोजरों के माध्यम से जल का कीटाणुनाशन के उपरान्त ही जलापूर्ति की जाती है । लगभग सभी नलकूपों पर डोजर लगे हैं तथा यह प्रयास किया जाता है कि सभी डोजर कार्यरत रहे । यदि डोजर किसी समय खराब हो जाता है तो तुरन्त उसे ठीक करा दिया जाता है । पानी की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु समय-समय पर पानी के नमूने राज्य स्वास्थ्य संस्थान लखनऊ को भी भेजे जाते हैं ।

प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को पेयजल में क्लोरीनेशन करके आपूर्ति किये जाने के निर्देश भेजे गये हैं ।

जहां तक मेरठ नगर में मा० सदस्य द्वारा पेयजल की आपूर्ति शुद्धता भी मानक के अनुरूप न होने का प्रश्न उठाया गया है, इस संबंध में स्थिति यह है कि मेरठ महानगर में पेयजल आपूर्ति हेतु कुल 67 नलकूप कार्यशील हैं जिनमें से 47 नलकूपों का रख-रखाव नगर निगम, मेरठ तथा 15 नलकूपों का रख-रखाव मेरठ विकास प्राधिकरण एवं 07 नलकूपों का रख-रखाव उ० प्र० आवास विकास परिषद् द्वारा किया जा रहा है ।

उपरोक्त 67 नलकूपों से कुल 158.66 एम०एल०डी० पेयजल उपलब्ध हो रहा है । महानगर में पेयजल भण्डारण क्षमता मात्र 46.165 मिलियन लीटर है, जबकि कुल 131.925 मिलियन लीटर भण्डारण की आवश्यकता है ।

पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान में विभिन्न पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 10 नलकूप निर्माणाधीन हैं जिनसे 48 एम०एल०डी० पानी और उपलब्ध हो जायेगा । इस प्रकार नगर को कुल 232.50 एम०एल०डी० पानी आवश्यकता के विरुद्ध कुल 206.06 एम०एल०डी० पानी उपलब्ध हो जायेगा ।

मेरठ महानगर में पानी की टंकी एवं ट्यूबवेल में क्लोरीनेटर लगाकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है । प्रदेश के किसी भी नगरीय क्षेत्र से अशुद्ध पेयजल आपूर्ति की कोई शिकायत शासन में प्राप्त नहीं हुई है ।]

कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा में सचिव एवं व्यापारियों की सांठ-गांठ से किसानों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

[जिलाधिकारी मथुरा के आदेशानुसार नवीन मण्डी स्थल मथुरा में विभिन्न क्रय संस्थाओं यथा–खाद्य एवं रसद विभाग, यू० पी० एग्रो, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, पी०सी०डी०एफ०, यू० पी० एस०एस० के छः सरकारी क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा सभी क्रय केन्द्रों पर शासनादेशानुसार जोत बही के आधार पर सीधे किसानों से रु० 610.00 प्रति कुन्तल मूल्य पर गेहूं क्रय किया जा रहा है । मण्डी क्षेत्र में भी काफी मात्रा में क्रय संस्थाओं द्वारा गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित कराये गये हैं और वहां भी समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय किया जा रहा है । व्यापारियों द्वारा रु० 500.00 प्रति कुन्तल की दर से गेहूं क्रय कर सचिव, मण्डी समिति की सांठ-गांठ से बिना गेटपास के ट्रकों में भर कर गेहूं हरियाणा में ले जाकर बिक्री किये जाने की बात निराधार है, क्योंकि हरियाणा में माल ले जाने के लिये बिक्री कर विभाग की कोटवन पर चेकपोस्ट स्थापित है, जहां से गुजरने वाले पारेषणों को उनके द्वारा सम्यक जांचोपरान्त ही आगे गुजरने दिया जाता है । इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी मथुरा ने भी अपने स्तर से इस कार्य की देख-रेख हेतु प्रशासनिक अधिकारी तैनात किये हैं । मण्डी में गेहूं के भाव समर्थन मूल्य से कम रहने पर क्रय केन्द्र प्रभारियों को मण्डी में बोली के समय उपस्थित रहने के आदेश मण्डी समिति मथुरा के स्तर से दिये गये हैं ।

उक्त के अतिरिक्त गेहूं के भाव खुले बाजार में कम होने के कारण अधिकांश कृषक अपनी उपज बिक्री हेतु स्वेच्छा से हरियाणा की मण्डियों में ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर व्यापारियों द्वारा गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है । मण्डी समिति, सोंख में किसानों से गेहूं का क्रय मण्डी निरीक्षक एवं एस०एम०आई० की देख-रेख में किया जा रहा है । सोंख में कोई दुकान रिक्त नहीं है, इसलिये बिना आवंटन के व्यापारियों द्वारा दुकानों पर कब्जा किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । इस प्रकार मण्डी समिति, मथुरा एवं सोंख में किसानों से गेहूं समर्थन मूल्य पर ही क्रय किया जा रहा है तथा किसानों का कोई शोषण नहीं होने दिया जा रहा है । इसके लिये मण्डी समिति के कर्मचारी पूर्ण रूप से प्रयत्नशील हैं ।

2- श्री जलालुद्दीन पुत्र श्री जमालुद्दीन को दुकान संख्या–सी–21 व सी–22 के बीच की गैलरी आवंटित करने हेतु मा० सदस्य विधान सभा द्वारा अनुरोध किया गया था ।

यह स्थान टीन शेड नं०–15, 17 एवं 19 के सामने पड़ता है । इन शेडों पर कार्यरत व्यापारियों द्वारा आवंटन के विरोध में सभापति को दिनांक 27-07-2000 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जिस पर सभापति द्वारा प्रश्नगत आवंटन को रोक दिया गया है । इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आवंटन के विरुद्ध श्री दिनेश आढ़ती द्वारा डी० जे० तृतीय मथुरा के न्यायालय एवं सी० जे० सप्तम् मथुरा के न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जो विचाराधीन न्यायालय है ।

3- पी० ए० सी० से खाली कराये गये गोदाम को अभी तक किसी व्यापारी को आवंटित नहीं किया गया है । आवंटन की कार्यवाही मण्डी समिति स्तर पर विचाराधीन है । अतः श्री जमालुद्दीन की पत्रावली से एवं गोदाम आवंटन के लिये सौदा किये जाने का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

4- मण्डी समिति, मथुरा में विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है, जिसे परीक्षणोपरान्त मा० मण्डी परिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा जायेगा ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

5–मै० द्वारकेस फ्रूट कम्पनी में श्री रमेश चन्द्र सिंघल एवं श्री मचलदेव शर्मा साझीदार हैं। श्री शर्मा की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी प्रश्नगत फर्म में भागीदार हैं अतः ऐसी स्थिति में श्री रमेश चन्द्र सिंघल के नाम से दुकान द्वारकेस फ्रूट कम्पनी के नाम चढ़ा देने की शिकायत निराधार है।

6–जलस्तर कम हो जाने के कारण अधिकांश हैण्डपम्प निष्क्रिय हो गये हैं और जो हैण्डपम्प पानी देने योग्य हैं उसमें आई खराबी को ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है।

7–नवीन मण्डी स्थल मथुरा के आधुनिकीकरण की योजना विचाराधीन है, जिसमें सम्पर्क मार्गों के मरम्मत का कार्य भी सम्मिलित है।

8–सचिव, मण्डी समिति, मथुरा, सचिव आवास में निवास करते हैं तथा अपना टेलीविजन प्रयोग में ला रहे हैं तथा उनके द्वारा किसानों की सुख-सुविधा के साथ कोई कुठाराघात नहीं किया जा रहा है।

9–नवनिर्मित गल्ला मण्डी/फल सब्जी मण्डी में कैन्टीनों को ठेके पर उठाया गया है तथा किसी प्रकार का रजिया कर नहीं वसूला जा रहा है।

10–मण्डी आवक में विगत वर्ष की अपेक्षा लगभग 20% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार राजस्व की कोई क्षति नहीं हो रही है।

11–उप मण्डी स्थल गोबर्धन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से निदेशक, भूमि अध्याप्ति, निदेशालय, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित किया जाना है। निदेशक, भूमि अध्याप्ति का प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

12–मण्डी में जो भी आवक होती है उसकी नियमानुसार प्रवेश पर्ची जारी होती है तथा व्यापारियों से फड़ एवं चबूतरे पर माल उतरने पर सम्बन्धित फर्मों के खातों में प्रविष्टि होती है और तत्काल समिति कर्मचारी अपने 44–अ रजिस्टर में प्रवेश पर्ची के अनुसार आवक दर्ज करते हैं। इस प्रकार समस्त आवकों की बिक्री पर नियमतः मण्डी शुल्क वसूला जा रहा है।]

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्र के अन्तर्गत एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में श्री राम जग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

[मा० श्री राम जग, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जनपद आजमगढ़ के ब्लाक मेंहनगर, तथा पल्हना में बड़ी-बड़ी आबादी के गांव हैं जो सभी एक-एक हजार से अधिक की जनसंख्या है। 53 वर्ष की आबादी के बाद भी इन गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं खुल सके जिससे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि दूर-दूर जाना पड़ता है इन गांवों में अभी तक प्राथमिक विद्यालय न खुलने पर जनता में भारी असन्तोष है ये गांव निम्नलिखित हैं :–

1–वसिला, 2–रसूलपुर, 3–पटना, अहियाई, 4–भिटकासो, 5–रामपुर टांडा, 6–खेवसीपुर, 7–कुसमुलिया, 8–महादेवपारा, 9–वासूपुर (ब्लाक मेंहनगर), 10–ग्राम–भोजपुर (ब्लाक पल्हना), इन ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जायं ताकि बच्चे पढ़ सकें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 1.5 कि०मी० की दूरी तथा 300 की आबादी का मानक निर्धारित है जिसके अनुसार उक्त ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु ग्रामवार स्थिति निम्नवत है :–

1–ग्राम वसिला की जनसंख्या 1387 तथा समीपस्थ विद्यालय की दूरी 2 कि०मी० है दिनांक 18-8-98 को बैठक में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–ग्राम रसूलपुर की आबादी 2227 है, यह ग्राम मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय से सेवित है।

3–ग्राम पटना अहियाई की जनसंख्या–927 है तथा समीपस्थ विद्यालय से दूरी 1 कि०मी० है तथा यहां पर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित है।

4–ग्राम भिटकासो को दिनांक 12-5-2001 को शिक्षा समिति ने विद्यालय स्थापना हेतु प्रस्तावित किया है।

5–ग्राम खेवसोपुर की जनसंख्या–710 तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय करौती की दूरी 1 कि०मी० है इस प्रकार यह ग्राम सेवित ग्राम की श्रेणी में है। अतः प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

6–कुसमुलिया अम्बेडकर ग्राम है जिसकी आबादी 720 तथा समीपस्थ विद्यालय की दूरी 2 कि०मी० है इस ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है।

7–ग्राम महादेवपारा एवं वासूपुर की आबादी क्रमशः 809 तथा 2438 है। ग्राम वासूपुर में मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय संचालित है। अतः यह सेवित ग्राम की श्रेणी में है। यहां प्रा० वि० की आवश्यकता नहीं है।

8– ग्राम रामपुर टांडा राजस्व ग्राम नहीं है। मेंहनगर ब्लाक में रामपुर कटहन ग्राम पंचायत में रामपुर गांव है, जिसकी आबादी–711 है। यहां मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय है। अतः यह ग्राम सेवित ग्राम की श्रेणी में है।

9–ग्राम भोजपुर ब्लाक पल्हना की आबादी 1318 है किन्तु निकटवर्ती प्राथमिक पाठशाला की दूरी मात्र 1 कि०मी० है जो असेवित क्षेत्र की श्रेणी में नहीं है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य है कि दिनांक 12-5-2001 को सम्पन्न जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक में मा० सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 18-8-98 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए प्रति विधान सभा वार 5 विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। दिनांक 18-8-98 की बैठक में मेंहनगर क्षेत्र में वसिला एवं मुरारपुर स्वीकृत हुआ था। इन दो विद्यालयों को शामिल करते हुए भिटकासो, रसूलपुर (मेंहनगर क्षेत्र) तथा विकास खण्ड ठेकमा में बउवा पार प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हेतु प्रस्तावित किये गये हैं। वर्ष 2000-2001 में 30 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा वर्ष 2001-2002 में 50 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के लिये किया गया है। यदि संदर्भित ग्राम मानक के अन्तर्गत आते हैं तो जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना पर नियमतः विचार किया जायेगा।]

शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापकों को दिये जाने वाले बी०टी०सी० पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम को बीच में रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

[उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को बी० टी० सी० प्रशिक्षण से मुक्ति दिये जाने हेतु अथवा उन्हें

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त अनुमन्य वेतन देने के संबंध में समय-समय पर शासनादेश जारी किये जाते रहे हैं । उक्त प्रसंग में शासनादेश संख्या–742/15-13-94–1499(8)/77, दिनांक 06 सितम्बर, 1994 द्वारा उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त बालकों/बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को बी०टी०सी० प्रशिक्षण से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में प्राविधान किये गये थे । इस सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार जिन अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की अनवरत् सेवा दिनांक 01-9-1994 को 10 वर्ष हो गयी हो, किन्तु उनकी सेवा निवृत्ति में मात्र 2 वर्ष शेष रह गये हों उन्हें प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करते हुए 2 वर्षीय पत्राचार प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी । शासनादेश संख्या–1807/15–13–94–1499(8)/77, दिनांक 21-10-1994 के द्वारा ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाओं को बी०टी०सी० प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करने तथा पत्राचार प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी थी जिनकी अनवरत सेवा दिनांक 01-09-1994 को 10 वर्ष पूरी हो गयी है अथवा जिनकी सेवा निवृत्ति में मात्र 2 वर्ष शेष रह गये हों । शासनादेश संख्या–507/15–13–96–1499(8)/77, दिनांक 18 मार्च, 1996 में उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक : 06-09-1994 में दी गयी सुविधा केवल परिषदीय विद्यालयों में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को ही दिये जाने का प्राविधान किया गया था ।

2–शासनादेश संख्या–591/15–11–98–1300(5)/97, दिनांक : 27 मार्च, 98 द्वारा बी०टी०सी० पत्राचार की उपरोक्त व्यवस्था समाप्त कर दी गयी । इस व्यवस्था को [illegible] करने से पूर्व उक्त दिनांक तक जो अभ्यर्थी पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत कर लिये गये थे अथवा जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करके परीक्षा दे दी थी, किन्तु उक्त दिनांक तक प्रशिक्षण पूरा न होने के कारण परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया था, उनके द्वारा इस सम्बन्ध में अनेकों रिट याचिकायें दायर की गयी । कुछ रिट याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कराने तथा परीक्षाफल घोषित करने के अंतरिम निर्देश दिये गये थे ।

3–उपरोक्त संदर्भ में 03 जुलाई, 1999 के शासनादेश के अन्तर्गत प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी जिसे अर्हता/अनर्हता की जांच कर अनर्ह अभ्यर्थियों के मामले में कारण बताते हुए आदेश पारित कर उनके अभ्यर्थन निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं तथा उक्त के अनुरूप में 12 जुलाई, 1999 के शासनादेश में 31 जुलाई 1999 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों को बुलाकर प्रमाण-पत्र देख लिये जाने एवं उनके जांच कार्य पूरा करने के निर्देश दिये गये थे ।

4–उपर्युक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पटनी-सहारनपुर में गठित समिति ने शासनादेश 03 जुलाई, 99 को महत्वपूर्ण मानते हुए निदेशक बेसिक के पत्र संख्या–सामान्य (3) 2119–2418/99-2000 दिनांक : 11-8-99 तथा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पत्र संख्या : राशै/5750–916/99-2000 दिनांक 13 जुलाई, 1999 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को बुलाकर निम्न बिन्दु एवं प्रमाणों के समर्थन में पत्र मांगे ।

1–अभ्यर्थियों के कार्यरत विद्यालयों की मान्यता है या नहीं, तथा किसके द्वारा की गई है ।

2–अभ्यर्थियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, तथा क्या इसका अनुमोदन है, यदि है तो किसके द्वारा दिया गया है ।

3–विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु प्रेषित आवेदन की प्रति ।

4–विद्यालय में स्वीकृत पद कितने हैं, तथा कार्यरत अध्यापकों का पूर्ण विवरण ।

5–संबंधित अध्यापकों के नाम प्रशिक्षण हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किस तिथि को भेजे गये ।

6–डायट में प्रशिक्षण किस तिथि को हुआ ।

समिति ने बिन्दु (1) मान्यता, तथा (2) नियुक्ति का अनुमोदन संबंधी अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर को सत्यापित कराने के लिए भेजा गया तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर ने अपने पत्र सं०–शि०सं०–3183/99-2000 दिनांकः 7-10-99 द्वारा अवगत कराया कि इसको सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि कार्यालय में इसका कोई अभिलेख नहीं है ।

5–अभ्यर्थियों द्वारा विद्यालय की मान्यता के आवेदन की प्रति भी नहीं उपलब्ध कराई गई और न ही किसी अभ्यर्थी द्वारा इसके पक्ष में प्रमाण या साक्ष्य दिया गया । कोई भी अभ्यर्थी इस बात का ठोस प्रमाण नहीं दे सका कि जिस विद्यालय में वे कार्यरत हैं, उसमें स्वीकृत पद कितने हैं तथा उनकी नियुक्ति किस पद पर हुई है और न ही उनमें कार्यरत समस्त अध्यापकों का पूर्ण विवरण उपलब्ध करा पाये । पंजीकृत अभ्यर्थियों के अभिलेखों आदि को देखने के उपरान्त समिति ने प्रचलित शासनादेशों के अनुरूप अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु अर्ह नहीं पाया ।]

जनपद मथुरा में अधिकारियों के संरक्षण में भू-माफियाओं द्वारा अवैधानिक रूप से भूमि हथियाये जाने तथा इनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

[जनपद मथुरा में अधिकारियों के संरक्षण में भू–माफियाओं द्वारा अवैधानिक रूप से भूमि हथियाये जाने तथा इनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के क्रम में जिलाधिकारी मथुरा से आख्या प्राप्त की गयी, जिलाधिकारी मथुरा की आख्या निम्नवत् है :–

ऐतिहासिक, पौराणिक महत्व के स्थलों व ग्राम सभा की भूमि जैसे तरल पोखर एवं रास्तों पर यदि अवैध कब्जे की कोई शिकायत प्राप्त होती हैं तो अवैध कब्जे को हटाने के लिए तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है । इस सम्बन्ध में जो भी विशिष्ट मामले प्रश्नगत पत्र में उठाए गए हैं उनके सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है ।

सदर तहसील के अन्तर्गत राधा कुण्ड स्थित अष्टमुखी कुण्ड एवं ललितकुण्ड नान जेड० ए० की खतौनी के खाता सं० ख० खसरा सं० 20/0.72, 30/8.69 व 41/0.40 कुल तीन किता रकबा 9.81

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

एकड़ श्रेणी 15(1) जलमग्न भूमि के रूप में अंकित है । इस भूमि का एक विक्रय मुख्तारआम श्री धनपाल सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह निवासी डेम्पीयर नगर, मथुरा द्वारा दिनांक 16-11-68 को निष्पादित किया गया था, जिसमें विक्रेता राजा सूरजमन सिंह पुत्र राजा बलवन्त सिंह निवासी अवागढ़ तहसील जलेसर जिला एटा एवं क्रेता श्री बृजलाल पुत्र श्री भगवत प्रसाद निवासी राधाकुण्ड अंकित है । राजस्व अभिलेखों में इसका दाखिला खारिज नायब तहसीलदार श्री वी० एम० सिंह, गोवर्धन क्षेत्र के आदेश दिनांक 17-7-70 द्वारा किया गया है । इस आदेश के विरुद्ध विपक्षी श्री गौर गोविन्द दास द्वारा न्यायालय तहसीलदार मथुरा में पुनर्स्थापना प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-11-87 को प्रस्तुत किया गया, जो अपर तहसीलदार के आदेश 16-9-88 द्वारा निरस्त कर दिया गया । अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 16-9-88 के विरुद्ध श्री गौर गोविन्द दास द्वारा न्यायालय परगनाधिकारी, मथुरा में अपील संख्या 9ए/99 योजित की गई, जो दिनांक 19-2-91 को इस आदेश के साथ निस्तारित की गयी कि अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 16-9-88 तथा 17-7-70 निरस्त किया जाता है तथा अवर न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वह स्टाम्प ड्यूटी के विधि के अनुसार निस्तारण के पश्चात दाखिल खारिज के वाद को निस्तारित करें । इस आदेश के विरुद्ध श्री हरी शंकर आदि द्वारा अपर आयुक्त न्यायिक, आगरा के न्यायालय में निगरानी संख्या–13/90-91 योजित की गई जो दिनांक 30-11-91 को निरस्त कर दी गई । इस आदेश के विरुद्ध श्री हरी शंकर आदि द्वारा मा० न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ में निगरानी सं०–36(एल०आर०)/91-92 योजित की गई, जिसमें अपरआयुक्त (न्यायिक) के आदेश दिनांक 30-11-91 तथा परगनाधिकारी, मथुरा का आदेश दिनांक 19-02-91 को निरस्त करते हुए नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक : 17-7-70 व अपर तहसीलदार का आदेश दिनांक 16-9-88 को स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरुद्ध श्री गौर गोविन्द दास द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–28295/96 योजित की गई, जिसमें अद्यतन स्थिति की जानकारी की जा रही है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस प्रकरण में न्यायालय अपर सिविल जज, मथुरा में वाद सं०–510/90 राम सरन बनाम बृजलाल एवं न्यायालय अपर सिविल जज, मथुरा में वाद संख्या–350/87 ठा० गिरधर गोपाल बनाम बृजलाल योजित किए गए हैं तथा न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, मथुरा में वाद सं०–116/2001 बृजलाल आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि चल रहा है, जो अभी भी विचाराधीन है ।

विवादित भूमि पर श्री बृजलाल आदि द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की शिकायत प्राप्त होने पर तथा गोवर्धन में मु०अ०संख्या–262/2000 धारा–147/149/427/441/447/153ए/353/504 व धारा–7 क्रिमिनल ला–एमेंण्डमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19-12-2000 को अंकित करा दी गई है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम अड़ीग में स्थित किलोलकुण्ड, रतनपार्क, ऐतिहासिक गढ़ व माधुरी कुण्ड में राधा सखी माधुरी देवी का मन्दिर तथा माधुरी के नाम कुण्ड, ग्राम आन्योर में अष्ठछाप कुम्बनदास कवि की समाधि आदि स्थलों को जाने के लिए सम्पर्क मार्गों पर खड़ंजा लगा हुआ है ।

पुरातत्व विभाग के अधीन गोविन्द नगर, कंकाली टीला, महोली को जिसे प्राचीन मथुरा के रूप में देखते है कि टीलों की खुदाई पर बहुमूल्य मूर्तियों को निकाल कर तस्करी करने, अतिक्रमण करने के

सम्बन्ध में कोतवाली मथुरा में कोई अपराध पंजीकृत नहीं है । संरक्षित स्मारक कंकाली टीला की जमीन पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में वादी श्री एम० सी० शर्मा, वरिष्ठ संरक्षित सहायक, कंकाली टीला, मथुरा द्वारा अभियुक्त छीतरमल बंसल पुत्र लाला भजनलाल बंसल निवासी अम्बाखार थाना कोतवाली मथुरा के विरुद्ध मु०अ०सं०–1032/99 धारा–19(1)83 स्मारक पुरातत्व अवशेष अधिनियम के अन्तर्गत थाना कोतवाली मथुरा पर अभियोग पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना उप निरीक्षक श्री उदयभान सिंह द्वारा की गई, जिसमें आरोप सं०–64/99 दि० 31-12-99 को प्रेषित किया जा चुका है ।

कस्बा गोवर्धन, राधाकुण्ड एवं जतीपुरा में जो भूमि राजघरानों से सम्बन्धित है, की फर्जी वसीयत, मुख्तारआम बनवा कर कब्जा करने के सम्बन्ध में थाना गोवर्धन (मथुरा) पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है ।]

जनपद जालौन में आगजनी की घटनाओं में फसलों के जल-जाने से पीड़ित किसानों को राहत व अनुदान न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम पाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

[जनपद जालौन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रबी की फसलों में अज्ञात कारणों तथा रंजिशन आग लगाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जालौन से प्राप्त सूचना अनुसार थाना कदौरा में श्री कल्लू प्रजापति निवासी कुसमरा बावनी के खलिहान में रंजिशन आग लगाये जाने का मामला प्रकाश में आया जिसके सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही की जा रही है । थाना जालौन के ग्राम खजुरी के निवासी श्री देवेन्द्र सिंह के खलिहान में रंजिशन आग लगाई गई, जिसके सम्बन्ध में मु०अ०सं०–60/2001 धारा–435 भा०द०वि० में अभियोग पंजीकृत हुआ परन्तु साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई । इसी थानान्तर्गत दो घटनायें बिजली के तार टूटने से तथा एक घटना अज्ञात कारणों से घटित हुई थी । थाना सिरसा कलार के ग्राम रिनियां के श्री दृगपाल सिंह के खलिहान में रंजिशन आग लगाई गई थी जिसके सम्बन्ध में मु०अ०सं–21/2001 धारा–435 भा०द०वि० में अभियोग पंजीकृत हुआ । थाना रामपुरा के ग्राम जमालपुरा में कोई अग्निकाण्ड की घटना घटित नहीं हुई ।

इस प्रकार मा० सदस्य द्वारा दी गई नोटिस में उल्लिखित जनपद जालौन के विभिन्न थाना क्षेत्रों के ग्रामों में जो अग्निकाण्ड की घटनायें घटित हुई, वह विद्युत दोषों, रंजिशन अथवा अज्ञात कारणों से हुई है । उक्त ग्रामों में कोई भी घटना दैवी आपदा के कारण घटित नहीं हुई है । घटना का दैवी आपदा की परिधि में न आने के कारण राहत निधि से सहायता प्रदान नहीं की गई और न ही अनुमन्य है ।]

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 के संलग्न वक्तव्य सर्वसम्मति से पढ़े हुये माने जाते हैं ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश में 'अ' श्रेणी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

बेसिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

[मा० सदस्यों ने सदन को सूचित किया है कि प्रदेश में लगभग 7000 जू०हा०स्कूल "अ" श्रेणी मान्यता प्राप्त अनुदान सूची पर सम्मिलित न किये जाने के कारण इनमें कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति हो गयी है । शासन ने 68 माध्यमिक विद्यालयों को अनुदानित किया है । छात्रों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों की परेशानियों को ध्यान में रखकर मई, 1984 के बाद "अ" श्रेणी मान्यता प्राप्त जू०हा० स्कूलों में से 150 विद्यालयों को इस वित्तीय वर्ष में अनुदान सूची में सम्मिलित करने की कृपा करें ।

मा० अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मा० सदस्य को अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन 1972 में भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे/नागरिक को निःशुल्क शिक्षा का मूलभूत भावना के दृष्टिगत किया गया । परिषद् प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक एक कि०मी० पर प्राइमरी विद्यालय एवं प्रत्येक तीन कि०मी० पर जू०हा० स्कूल विद्यालय खोलने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है । स्वैच्छिक संस्थाओं/समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी इस पुनीत कार्य में सहयोग दिया जा रहा है । शासन द्वारा इनके प्राइमरी एवं जू०हा० स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाती है । स्वैच्छिक संस्थाओं की समस्याओं के दृष्टगत ही शासन ने अपने सीमित संसाधनों में से उपलब्धता के आधार पर समय समय पर जू०हा० स्कूलों को अनुदान सूची पर लेकर विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान में संस्थाओं को सहयोग प्रदान करने का प्रयास करते हुए अब तक 2282 जू०हा० स्कूलों को अनुदान सूची पर लिया है । सम्प्रति 320 स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रदेश मे विद्यमान है । शासन की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है । समस्त स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों हेतु अपेक्षित व्यय भार के दृष्टगत शासन एक समय में समस्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर नहीं ले सकती है ।]

कृषि निदेशालय में कर्मचारियों द्वारा दोहरा आवास भत्ता लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

कृषि राज्य मंत्री (श्री विवेक कुमार सिंह)–

[माननीय सदस्य द्वारा कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ में कर्मचारियों द्वारा दोहरा आवास भत्ता लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 23–5–2001 को माननीय अध्यक्ष विधान सभा को दी गयी नोटिस में उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में स्थिति यह है कि कृषि निदेशालय में श्री प्रमोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक तथा उनकी पत्नी श्रीमती अनीता शर्मा, आशुलिपिक के पद पर कृषि निदेशालय में कार्यरत हैं तथा श्रीमती अनीता शर्मा को राजकीय आवास मिले होने और उनके साथ रहते हुए श्री प्रमोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक के द्वारा मकान किराया भत्ता प्राप्त करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुयी थी । इस संदर्भ में निदेशालय द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी तथा श्री प्रमोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

को प्राप्त हो रहे मकान किराया भत्ता को समाप्त करने तथा अभी तक उनके द्वारा जो भी धन आवास किराया भत्ता के रूप में प्राप्त किया गया है उसकी वसूली करने के आदेश संख्या मु०प्र० (1)/480 दिनांक 29–4–2001 द्वारा निर्गत किए जा चुके हैं साथ ही श्री प्रमोद कुमार शर्मा का इस आशय का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जा रहा है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए मकान किराया भत्ता किन परिस्थितियों में प्राप्त किया है । श्री शर्मा से तद्विषयक स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर यथास्थिति से उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कराई जायेगी । कृषि निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार दोहरे आवास भत्ता संबंधी विशिष्ट शिकायत केवल श्री प्रमोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक के संदर्भ में ही प्राप्त हुयी थी तथा कृषि निदेशालय पर पदस्थ अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी के बारे में पति पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में रहते हुए दोहरे आवास भत्ते प्राप्त करने की विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है । इसी अनुक्रम में उल्लेखनीय है कि वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय द्वारा परिपत्र संख्या–मु०प्र०लेखा/76 दिनांक 25–4–2001 द्वारा निदेशालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र मांगा गया है कि क्या उनकी पत्नी/पति शासकीय सेवा में कार्यरत हैं और यदि हां, तो किस विभाग में कहां पर कार्यरत हैं तथा उसके द्वारा मकान किराया भत्ता प्राप्त किया जा रहा है । अथवा नहीं । कर्मचारियों से उक्त सूचना शीघ्र प्राप्त हो सके इसको ध्यान में रखते हुए सूचना उपलब्ध न कराने पर आगामी माह से उस कर्मचारी का मकान किराया भत्ता आहरित न किए जाने का भी उल्लेख परिपत्र में किया गया है । अतएव माननीय सदस्य का यह उल्लेख समीचीन नहीं है कि दोहरे आवासीय भत्ते लेने की तमाम शिकायतें की गयी तथा विभाग यह पता लगाने में असफल रहा है कि दोहरे आवास भत्ता प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी कौन–कौन हैं । निदेशालय स्तर पर परिपत्र दिनांक 25–4–2001 में प्राप्त सूचना संकलित करने पर स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जायेगी । निदेशालय स्तर पर पति पत्नी दोनों के शासकीय कर्मचारी होने पर आवास भत्ता की कटौती करने में निदेशालय स्तर पर कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है । सम्प्रति श्री प्रमोद कुमार शर्मा के बारे में उक्त सूचना प्राप्त हुयी थी तथा आवश्यक आदेश दिनांक 29–4–2001 को निर्गत करा दिये गये हैं । अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई सूचना विशिष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुयी । अतएव आवास भत्ते की कटौती में पक्षपात का प्रश्न ही नहीं है ।

माननीय सदस्य द्वारा निदेशालय के एक अन्य कर्मचारी श्री श्रवण कुमार शर्मा के संदर्भ में जो बिन्दु उठाये गये हैं उस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि श्री श्रवण कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक वर्तमान में कृषि सचिव, कैम्प में सम्बद्ध नहीं है । श्री शर्मा के विरुद्ध माननीय सदस्य द्वारा इंगित किसी भी प्रकार की शिकायत कृषि निदेशालय में प्राप्त नहीं बतायी गयी है । श्री शर्मा द्वारा कृषि विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 1–7–87 को ही योगदान दिया गया है । अतएव उनके 20 वर्षों तक स्थानान्तरण से बचने अथवा शासन के अधिकारियों द्वारा संरक्षण देकर स्थानान्तरण से बचाने का मानीय सदस्य का आरोप समीचीन नहीं है ।]

राष्ट्रीय धरोहर नेताजी सुभाष चन्द्र स्मारक घण्टाघर मेरठ की जर्मनी आयातित एक शताब्दी पुरानी ऐतिहासिक घड़ी की चोरी होने तथा पुलिस लापरवाही के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

[राष्ट्रीय धरोहर नेता जी सुभाष स्मारक घण्टाघर मेरठ की जर्मनी आयातित एक शताब्दी पुरानी ऐतिहासिक घड़ी की चोरी होने के संबंध में श्री सत्येन्द्र वीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, नगर, मेरठ से जांच

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

करायी गयी । जांच से विदित हुआ है कि थाना देहली गेट क्षेत्रान्तर्गत स्थित घण्टाघर सन् 1915 से बना हुआ है जिसकी देखभाल श्री शमशुल अजीज पुत्र स्व० मोहम्मद अजीज निवासी 278 कोटला, मेरठ के द्वारा की जाती है । श्री शमशुल अजीज व उसके पूर्वजों को यह उत्तरदायित्व अंग्रेजी शासन काल से मिला हुआ बताया गया है । श्री शमशुल अजुज से पूछतांछ पर बताया कि घण्टाघर की घड़ी 5-6 वर्षों से बन्द पड़ी है तथा उसके पुर्जे रख-रखाव के अभाव में नीचे गिरते रहे हैं । इस संबंध में उनके द्वारा समय-समय पर नगर निगम को सूचित किया जाता रहा है । दिनांक 1-5-2001 को अपराह्न 2.00 बजे जब वह घण्टाघर की घड़ी देखने गये तो उसकी गरारी तथा लीवर गायब था । संदेह होने पर आलम पुत्र आलमगीर तथा आसिफ पुत्र अब्दुल हकीम को बुलाकर कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उन्हों बड़ी गरारी केबिल बाक्स के नीचे से बरामद कराई । शमशुल अजीज का यह भी कथन है कि वह दिनांक 2-5-2001 को उक्त दोनों लड़कों को लेकर थाना देहलीगेट पर गये तथा बताया कि उन्होंने घड़ी की बड़ी गरारी बरामद करा दी है तथा अन्य के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है । यह लोग बेकसूर लग रहे हैं । श्री शमशुल अजीज के द्वारा थाने पर घड़ी के कल पुर्जे गायब होने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की जिसके कारण स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं गयी । दिनांक 24-5-2001 को श्री मारूफ खां, सहायक नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ ने गरारी चोरी होने की घटना के सम्बन्ध में दिनांक 23-5-2001 अंकित करते हुए थाना देहली गेट पर एक लिखित तहरीर दी जिसके आधार पर मु० अ० सं० 196/2001 धारा 380 भा० दं० वि० बनाम आलम व आसिफ पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रचलित है ।]

जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में जिला योजना में प्रस्तावित अधूरी पड़ी सड़कों को पूरा कराये जाने के संबंध में श्रीमती माया प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

[उक्त सूचना के माध्यम से मा० सदस्य विधान सभा द्वारा जनपद खीरी के अन्तर्गत, 71 श्रीनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत, जिला योजना में वर्ष 1996 से 2000 तक प्रस्तावित, विकास खण्ड नगहा, फूल बेहड़ तथा बिजुआ में सड़कों का निर्माण अधूरा पड़े होने, गहरे गड्ढे होने से आ रही कठिनाईयों का उल्लेख करते हुए अधूरी सड़कों को पूरा किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र, 71 श्रीनगर के विकास खण्ड, नकहा फूलबेहड़ तथा बिजुआ के अन्तर्गत जिला योजना सामान्य तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 8 कार्य अपूर्ण है, जिनकी कुल लम्बाई 19.5 कि०मी० है इसमें से 6.10 कि०मी० मार्ग निर्माण का कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण किया जा चुका है । वित्तीय वर्ष 2001-2002 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष रायपुर सम्पर्क मार्ग एवं सिंगारपुर सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उक्त विभिन्न स्तर तक निर्मित मार्गों पर यातायात चलने के कारण वाटर बाउण्ड सतह कहीं-कहीं पर क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक है, जिसकी मरम्मत करा दी जाती है । परन्तु इन मार्गों पर गड्ढे नहीं हैं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत गेहूं खरीद में की जा रही शासन के आदेशों की अवहेलना के संबंध में श्री ओंकारार सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

[रबी विपणन वर्ष 2001-2002 में जनपद बदायूं के लिये गेहूं खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 1,40.000 मी० टन निर्धारित है जिसके सापेक्ष दिनांक 29-5-2001 तक नामित क्रय एजेन्सियों यथा हाट शाखा, पी०सी०एफ०, यू०पी० एग्रो, एस० एफ० सी० एवं यू०पी०एस०एस० के माध्यम से किसान जोत-बही के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 610/- प्रति कुन्तल की दर से कुल 30,716 मी० टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है । शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार गेहूं की खरीद की जा रही है । बिचौलियों से गेहूं खरीद नहीं की जा रही है । किसी किसान को परेशान नहीं किया जा रहा है ।]

जनपद हरदोई में सवायजपुर एवं बरवन रजबहों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बाबू खां द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

[मा० सदस्य द्वारा जनपद हरदोई की सवायजपुर रजबहा तथा बरवन रजबहा (नहरों) में पानी 20 वर्षों से न आने से किसानों की मन्ना की फसल सूखने तथा करोड़ों रुपये के नुकसान होने की सम्भावना तथा किसानों में एक आन्दोलनात्मक स्थिति पैदा होने की सूचना दी गई है, उक्त के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

1–बरबन रजबहा :–बरवन रजबहा हरदोई जनपद में शाहजहांपुर शाखा नहर के टेल से निकलती है । शाहजहांपुर रजबहा 110.32 किमी० लम्बी है तथा शीर्ष पर इसका अधिकृत डिस्चार्ज 1219 क्यूसेक है । बरवन रजबहे की लम्बाई 33.90 कि०मी०, अधिकृत डिस्चार्ज 85 क्यूसेक, सी०सी०ए० 8866 हेक्टेयर, प्रस्तावित सींच खरीफ 2311 हेक्टेयर, रबी 2264 हेक्टेयर है । बरवन रजबहे में पिछले 11 वर्षो से टेल तक पानी नहीं पहुंचा है तथा प्रस्तावित सींच के सापेक्ष सिंचित क्षेत्र भी नगण्य है ।

2–सवायजपुर रजबहा :–सवायजपुर रजबहा भी हरदोई जनपद में शाहजहांपुर शाखा नहर के टेल भाग से निकलती है । इसकी लम्बाई 24.74 किमी०, अधिकृत डिस्चार्ज 89 क्यूसेक, सी०सी०ए० 6933 हेक्टेयर, प्रस्तावित सींच खरीफ 1725 हेक्टेयर, रबी 1930 हेक्टेयर है । इस रजबहे में विगत सात वर्षों से टेल तक पानी नहीं पहुंचा है तथा प्रस्तावित सींच के सापेक्ष वास्तविक सींच भी नगण्य है ।

उक्त दोनों रजबहों में पिछले कई वर्षों से पानी की अनुपलब्धता का मुख्य कारण शाहजहांपुर शाखा की जल प्रवाह क्षमता में अत्यधिक कमी होना है । शाहजहांपुर शाखा में अधिकृत डिस्चार्ज 1219 क्यूसेक के विरुद्ध 900–950 क्यूसेक डिस्चार्ज ही प्रवाहित हो पाता है । जिसके फलस्वरूप टेल पर स्थिति बरवन रजबहा तथा सवायजपुर रजबहे में या तो जल उपलब्ध नहीं हो पाता अथवा इतना कम जल उपलब्ध होता है, जोकि नहर में कुछ दूरी पर ही समाप्त हो जाता है ।

शाहजहांपुर शाखा में विगत कई वर्षों से इसके आन्तरिक सेक्शन के सकरे हो जाने के कारण जल प्रवाह क्षमता में कमी आयी है । शाहजहांपुर शाखा को पूर्ण अधिकृत क्षमता से चलाने हेतु शाखा के शीर्ष से कि०मी० 46.46 तक आन्तरिक सेक्शन का सुधार कार्य राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना प्रथम चरण

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

एवं अन्य मदों के अन्तर्गत किया गया है । आन्तरिक सेक्शन सुधार के पश्चात् ही प्रश्नगत नहरों के टेल तक पर्याप्त पानी पहुंचाया जाना सम्भव होगा ।]

फैजाबाद जिले की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति से सत्तारूढ़ तथा प्रतिपक्ष के विधायकों के मध्य विभेद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[फैजाबाद जनपद के अन्तर्गत 5 पूर्ण विधान सभा क्षेत्र एवं दो विधान सभा क्षेत्रों का आंशिक क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें आयोध्या एवं रुदौली क्षेत्र से सत्तारूढ़ पक्ष एवं अन्य विधान सभा क्षेत्रों से प्रतिपक्ष के माननीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हैं ।

माननीय सदस्य द्वारा फैजाबाद जनपद के विकास कार्यों यथा ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं वनीकरण आदि से सम्बन्धित कार्यों में सत्तारूढ़ तथा प्रतिपक्ष के विधायकों के मध्य विभेद किये जाने के बिन्दु को उठाया गया है, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फैजाबाद से आख्या प्राप्त की गई ।

जल निगम द्वारा 1 अप्रैल, 2000 से मई, 2001 तक की अवधि में विधान सभा क्षेत्रों यथा अयोध्या में 249, रुदौली में 287, सोहावल में 212, बीकापुर में 203, मिल्कीपुर में 341 और कटेहरी (आंशिक) में 25 हैण्डपम्प स्थापित किये गये ।

लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2000-2001 में विधान सभा क्षेत्रों यथा अयोध्या में 18 कि०मी० लागत, रु० 228 लाख, रुदौली में 12 कि०मी० लागत, रु० 246 लाख, मिल्कीपुर में 17 कि०मी०, लागत, रु० 235 लाख, बीकापुर में 8 कि०मी०, लागत 153 लाख, सोहावल में 18 कि०मी० लागत, रु० 171 लाख, कटेहरी (आंशिक) में 3 कि०मी०, लागत, रु० 20 लाख में लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य किया गया कुछ कार्य आंशिक रूप से पूर्ण हुये हैं ।

वन विभाग द्वारा वर्ष 2000-2001 में विधान सभा क्षेत्रों यथा अयोध्या में 37 हे० क्षेत्र में, 2.77 लाख पौधशाला, जिसके लिए रु० 3.34 लाख पौधशाला में तथा रु० 3.54 लाख वनीकरण पर, रुदौली में 115 हे० क्षेत्र में 2.78 लाख पौधशाला, जिसके लिए पौधशाला पर रु० 3.83 लाख एवं वनीकरण पर रु० 8.85 लाख, सोहावल में 94 हे० क्षेत्र में 4 लाख पौधशाला, जिसके लिए रु० 4.32 लाख पौधशाला पर एवं रु० 2.84 लाख वनीकरण पर, बीकापुर में 85 हे० क्षेत्र में 3.25 लाख पौधशाला, जिसके लिए रु० 5.46 लाख पौधशाला पर एवं रु० 10.25 लाख वनीकरण पर, मिल्कीपुर में 155 हे० क्षेत्र में 6 लाख पौधशाला, जिसके लिए रु० 7.40 लाख पौधशाला पर एवं रु० 19.72 लाख वनीकरण पर व्यय किया गया ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच ग्राम तथा वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्रों यथा अयोध्या में 3 ग्राम, रुदौली में 5 ग्राम, सोहावल में 4 ग्राम, बीकापुर में 5 ग्राम, मिल्कीपुर में 5 ग्रामों का विद्युतीकरण कराया गया । वर्ष 2000-2001 में किसी भी विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण नही हुआ है ।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि जिला स्तर पर सत्तारूढ़ पक्ष एवं प्रतिपक्ष में कोई विभेद नहीं किया जाता है । जनपद स्तर पर सभी मा० विधान सभा सदस्यों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कर विभिन्न समितियों की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मथुरा में चकबन्दी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

[उपर्युक्त संदर्भ में मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि चकबंदी प्रदेश में चल रही है परन्तु जिस उद्देश्य को लेकर चकबंदी की प्रक्रिया है वह ठीक नहीं चल रही है जनता किसान काफी त्राहि–त्राहि कर रहा है, मथुरा में चकबंदी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार अपनाया जा रहा है, लगभग बीस वर्ष से प्रक्रिया को चला कर किसानों का राहत के नाम पर शोषण ही हो रहा है, उसे अन्तिम रूप देकर समाप्त किया जा रहा है सदर तहसील के ग्राम पेठा में आक्रोश अधिक है किसानों की जमीन से खिलवाड़ किया जा रहा है, कभी भी अप्रिय घटना का घटित होना निश्चित हो गया है मेरे द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है जिससे किसानों को राहत मिल सके तथा जन हानि को रोका जा सके परन्तु मुख्य मंत्री सहित आयुक्त को भी लिखा गया किन्तु जिला मुख्यालय से निरस्त किये जाने की आख्या शासन को भेजा जाना उचित नहीं समझा गया, यह जानबूझ कर किया जा रहा है, उड़ान चक तथा अच्छी भूमि का मूल्य कम लगाकर किसानों को एक दूसरे के सामने लाया गया है, निरस्त चकबन्दी ग्राम पेठा की जानी अति आवश्यक हो गयी है जिसपर शासन को ही सीधे आदेश किया जाना उचित होगा, मथुरा जनपद से स्टाफ हटा लिया गया है जिसके कारण लम्बित वादों का निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है, एक निश्चित समय का निर्धारण करके समस्त सुनवाई निश्चित हो यह भी जनहित में हो गया है, गोबर्धन गोरवा में जहां पार्किंग एवं अन्य जन उपयोगी भूमि का आवश्यक है जहां लाखों तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए छोड़ी जानी चाहिए उसमें गम्भीर अनियमितताओं को जन्म दिया गया है नियम विरुद्ध होने से व्यक्ति विशेष को लाभ की दृष्टि से पूर्व के सी० ओ०, एस० ओ० सी० स्तर पर करने के उपरान्त पर डी० डी० सी० स्तर पर न्याय के लिए लोग भटक रहे हैं इसके लिए वहां पर भी प्रारम्भ से ही चकबन्दी की प्रक्रिया समाज हित में आवश्यक है, ग्राम भैंसा में नपत कराकर कब्जा तक नहीं दिया गया है यही हाल अन्य ग्रामों का है, जिन ग्रामों की चकबन्दी निरस्त की सूचना जारी हो चुकी है उसके प्रपत्र तहसील तक को भेजा जाना उचित नहीं समझा गया है, जो खेद जनक है, चकबन्दी की प्रक्रिया को प्रभावित लोगों को न्याय प्रदान किया जाना आवश्यक है गोवर्धन गोरेवा के ही फर्जी वसीयतों के नाम पर कराना प्रकाश में आया है पीड़ित रामकिशोर नाई को न्याय दिलाया जाना भी आवश्यक है जिससे चकबन्दी के प्रति विश्वास बना रहे तथा शासन की छवि खराब न हो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक है । प्रश्नगत संदर्भ में चकबन्दी निदेशालय से आख्या प्राप्त की गई उन्होंने जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, मथुरा की आख्या के अनुसार ग्राम पैठा के कृषकों द्वारा इस ग्राम को चकबन्दी से पृथक करने का प्रयास किया गया था लेकिन कुछ कृषकों द्वारा चकबन्दी से पृथक करने की कार्यवाही का विरोध किया गया । ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया जारी रहने के पक्ष में ग्राम में कृषकों द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया । श्री अजय कुमार पोइया, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा अपने उक्त पत्र दिनांक 11-8-2000 व 11-9-2000 में चकबन्दी प्रक्रिया जारी रखने की अपेक्षा की गयी है । ऐसी स्थिति में ग्राम में जाकर चकबन्दी प्रक्रिया जारी रखने का प्रयास किया गया लेकिन ग्राम में चकबन्दी चाहने व विरोध करने वालों के दो दल बने हुए हैं इसलिए चकबन्दी कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । वर्तमान में ग्राम पैठा में कब्जा परिवर्तन पर विरोध है । जिलाधिकारी, मथुरा को निर्देशित किया गया है

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कि इस ग्राम में पुलिस बल के साथ किसी वरिष्ठ अपर जिला मजिस्ट्रेट की देख-रेख में सीमांकन एवं कब्जा परिवर्तन का कार्य इसी समय सम्पन्न करा दें।

ग्राम भैंसा का जो० च० अ० की धारा 52(1) के अन्तर्गत दिनांक 3-4-99 को प्रकाशन हो चुका है तथा ग्राम के समस्त भू-अभिलेख तहसील व माल अभिलेखागार में जमा किये जा चुके हैं। पैमाइश सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं है।

ग्राम गोवर्धन गोरवा का जो० च० अ० की धारा–52(1) के अन्तर्गत दिनांक 25-12-93 को प्रकाशन हो चुका है। इस ग्राम के भी समस्त भू-अभिलेख तहसील व माल अभिलेखागार में जमा किये जा चुके हैं। इस ग्राम से सम्बन्धित एक वसीयत का वाद चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन है जिसे गुण-दोष के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निस्तारित किया जायेगा।

कृपया ऊपर उल्लिखित स्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।]

जनपद–संत रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां में बरुना नदी पर गोपीपुर घाट के एप्रोच रोड के ध्वस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[संत रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड–सुरियावां में बरुना नदी के गोपीपुर घाट पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 2–स्थान का आर० सी० सी० पुल के निर्माण हेतु वर्ष 96-97 में 10.00 लाख रु० तथा वर्ष 97-98 में 1.80 लाख रु० अर्थात् कुल 11.80 लाख रु० प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध उक्त पुल का निर्माण कराया गया।

2–उक्त पुल के दोनों तरफ सड़क/एप्रोच निर्माण हेतु अर्थात् कस्तुरीपुर–गोपीपुर गांव से नदी के पुल तक तथा गोपीपुर घाट से आलमगंज सम्पर्क मार्ग तक कुल 1.50 कि०मी० लम्बाई में सोलिंग स्तर तक मार्ग का निर्माण कराया जाना था, जिसके लिए वर्ष 98-99 में रु० 6.75 लाख की स्वीकृति मिली थी, जिसके सापेक्ष वर्ष 98-99 में 3.40 लाख रु० का आवंटन प्राप्त हुआ। इस धनराशि से 0.00 कि०मी० से 1.40 कि०मी० लम्बाई में (कस्तुरीपुर से आलमगंज की तरफ) मिट्टी का कार्य, 0.00 कि०मी० से 1.00 कि०मी० में 40–63 एम० एम० गेज पत्थर की गिट्टी की आपूर्ति एवं कुटाई का कार्य एवं दो ह्यूम पाइप पुलिया का कार्य कराया गया। उस समय गोपीपुर घाट से आलमगंज के तरफ का मार्ग जनपद–भदोही के अन्तर्गत था। शेष धनराशि अर्थात् रु० 3.35 लाख का आवंटन वर्ष 99-2000 में हुआ, इसके पूर्व गोपीपुर घाट से आलमगंज के तरफ का मार्ग जनपद–जौनपुर के अन्तर्गत चला गया। इस स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी, संत रविदास नगर (भदोही) द्वारा मार्ग के इस भाग को दूसरे जनपद में होने के कारण कार्य कराने से मना कर दिया। अतः कस्तुरीपुर से गोपीपुर पुल तक 845 मी० लम्बाई में, जिस पर केवल गिट्टी स्तर तक का कार्य कराया जाना था, प्राप्त धनराशि से 25–50 एम० एम० गेज की गिट्टी से आपूर्ति एवं कुटाई कराते हुए दो कोट पेंटिंग स्तर तक का कार्य करा दिया गया। इस प्रकार मार्ग/एप्रोच के निर्माण हेतु प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग कर लिया गया है।

3–इस समय स्थिति यह है कि जनपद–जौनपुर के भाग में एप्रोच मार्ग के कट जाने से आवागमन बाधित हो गया है। गोपीपुर घाट के पास 4–ह्यूम पाइप ग्राम सभा की पड़ी हुई है। इस संबंध में ब्लाक

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सुरियावां, संत रविदास नगर (भदोही) ने अपने पत्र दिनांक 25-5-2001 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, परिमण्डल वाराणसी को लिखित रूप से अवगत कराया है कि इस मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग के निर्माण हेतु प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत की होने वाली बैठक दिनांक 4-6-2001 में पारित कराकर क्षेत्र समिति के धन से ठीक करा दिया जायेगा ।

4–प्रश्नगत पुल के बिंगवाल के ध्वस्त हो जाने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, परिमण्डल–वाराणसी द्वारा जांच की गयी है । जांचाख्या एवं दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर दिनांक 31-5-2001 को प्राप्त हुआ है, जिसका गहन परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।]

जनपद अलीगढ़ में अपराध संख्या 435/90 कोतवाली अलीगढ़ में बरामद बाल विकास अधिकारी अलीगढ़ की जीप को बिना नीलामी बेचे जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय सदस्य विधान सभा श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत सूचना जनपद अलीगढ़ ने अपराध संख्या–435/90 कोतवाली अलीगढ़ में बरामद बाल विकास परियोजना, अलीगढ़ की जीप कोतवाली, बन्नादेवी में केस प्रापर्टी के रूप में जमा थी और अब तक उस जीप की रखवाली यथावत बनी रही जिसका उपरोक्त अभियोग संख्या में उल्लेख है । फरवरी, 2001 में उक्त जीप थाने से बिना किसी लिखा-पढ़ी एवं बिना नीलाम के अलीगढ़ के कबाड़ियों के हाथ बेच दी गई जो गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है । उक्त सूचना के साथ यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है । उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी, अलीगढ़ से प्रकरण की वास्तविक एवं अध्यतन स्थिति की जानकारी की गई । जिलाधिकारी के पत्र संख्या 152 दिनांक 30-5-2001 के साथ प्राप्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ की आख्या दिनांक 30-5-2001 के अनुसार अपराध संख्या मु०अ०स० 435/90 के अन्तर्गत 14-15 सौ मुस्लिम सम्प्रदाय के व्यक्तियों के विरुद्ध अज्ञात में दर्ज मुकदमा जीप प्रकरण से अलग है । बल्कि प्रश्नगत जीप संख्या यू०पी०–32 एच–3107 जो तहसील कोल अलीगढ़ से सम्बद्ध थी एवं बाल विकास परियोजना, मुरसान अलीगढ़ के प्रति आवंटित थी, दो चालक श्री सुरजीत सिंह एवं श्री सोमदत्त शर्मा, नायब तहसीलदार आदि के साथ ग्राम असदपुर कार्य सरकार के उपरोक्त तहसील कोल वापस आ रही थी, तभी सब्जी मण्डी के मध्य बाजार में आतिशबाजी की दुकानों में अचानक आग लग जाने तथा उससे उठी चिंनगारी से सरकारी जीप पूर्णतः जल गई, जिसकी रपट दिनांक 20-10-94 को 9.30 बजे पूर्वाह्न श्री शरदचन्द्र पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा अंकित करते हुए जीप को क्रेन से उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में उठवाकर थाना–बन्नादेवी, अलीगढ़ लाया गया जिसका इन्द्राज रो०आग रपट नं० 17 समय 12.30 पी०एम० पर तद्दिनांक को ही अंकित किया गया । उक्त जीप थाना बन्नादेवी पर लावारिश दशा में और न ही माल मुक्दमती के रूप में दाखिल की गई । सम्पूर्ण प्रकरण की छानबीन एवं कोतवाली अलीगढ़ के अभिलेखों के आधार पर चालक श्री सुरजीत सिह द्वारा दिनांक 30-5-2001 को प्रस्तुत बयानों के आधार पर जीप को थाना बन्नादेवी परिसर में दाखिल कराने एवं वर्तमान में थाना बन्नादेवी परिसर एवं उसके बाहर न होने की पुष्टि की गयी, वहां दूसरी ओर प्रभारी निरीक्षक

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बन्नादेवी श्री सोहनपाल वाष्णेय द्वारा संदर्भित जीप के संदर्भ में अनियमितता प्रकट की गई है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार उपरोक्त सन्देहजनक परिस्थितियों के परिदृष्य में पुलिस अधीक्षक, नगर श्री गोविन्द अग्रवाल द्वारा दायित्वों का निर्धारण करने हेतु तथा सही वस्तुस्थिति की जानकारी करने हेतु प्रारम्भिक जांच के आदेश पारित कर दिये गये हैं । प्रारम्भिक जांच पूर्ण होने पर दायित्वों का निर्धारण किया जायेगा ।]

प्रदेश में 11-11-97 के नियमित शुल्क सम्बन्धी शासनादेश तथा 30-8-2000 के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से पूर्व के अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विषयों को अब स्ववित्त पोषित करने में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० सत्यनारायण सक्सेना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि इस्पाईल पी० जी० गर्ल्स कालेज, मेरठ को 1-7-95 से अस्थायी सम्बद्धता देने का प्रस्ताव शासन को 3-2-2000 को भेजा गया था । शासन द्वारा स्थायी सम्बद्धता न देकर इसलिए अस्थायी सम्बद्धता का विस्तरण कर दिया गया कि महाविद्यालय में आयोग द्वारा चयनित अध्यापक कार्यरत नहीं है । यह भी उल्लेख किया गया है कि इस बार उक्त दोनों पाठ्यक्रमों को स्ववित्त पोषित के रूप में मान्यता दे दी गई जबकि स्ववित्त पोषित सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 11-11-97 तथा दिनांक 30-8-2000 का है तो यह पूर्वगामी प्रभाव से कैसे लागू होगा । सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक ही पी० जी० कालेज में एक एम० ए० पूर्व की फीस दर पर तथा दूसरा एम० ए० 5000 रुपये प्रतिवर्ष की दर पर फीस ली जायेगी । सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि इसी विषय तथा इसी कालेज में बी० ए० कक्षाओं को बीस वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक एम० ए० को नहीं पढ़ायेंगे । यह असन्तोष का कारण बन रहा है तथा महिला शिक्षा पर कुठाराघात हो रहा है ।

2–इस सम्बन्ध में मा० सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूं कि उक्त कालेज को स्नातकोत्तर स्तर पर चित्र कला एवं संगीत विषयों की दिनांक 1-7-95 से 2 वर्ष के लिए वित्त विहीन आधार पर अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी थी । पुनः राज्यपाल सचिवालय के आदेश दिनांक 31-8-99 के द्वारा उक्त विषयों की अस्थायी सम्बद्धता की अवधि दिनांक 1-7-97 से 30-6-2000 तक विस्तरित की गयी । कुल सचिव, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्र दिनांक 3-2-2000 द्वारा उक्त विषयों में स्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव प्राप्त हुआ । सम्बन्धित विषय में प्रवक्ता विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हैं अथवा नहीं । उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के गठन के पश्चात् नियुक्त प्रवक्ता आयोग द्वारा चयनित/विनियमितीकृत हैं अथवा नहीं, की सप्रमाण सूचना उपलब्ध न होने के कारण शासन द्वारा स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति नहीं की गई । राज्यपाल सचिवालय के आदेश दिनांक 24-8-2000 के द्वारा उक्त विषयों में अस्थायी सम्बद्धता की अवधि दिनांक 1-7-2000 से 30-6-2002 तक विस्तृत कर दी गई है । शासन द्वारा जिन अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर पदों का सृजन किया गया है उनमें से राज्य सरकार द्वारा अनुदानित महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क लिया जाता है तथा वित्त विहीन श्रेणी में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क लागू है । जहां तक बी० ए० कक्षाओं को 20 वर्ष से पढ़ा रहे शिक्षकों द्वारा एम० ए० स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षण पर रोक लगाए जाने का प्रश्न है वह रोक केवल इसलिए लगाई गई है ताकि स्नातक स्तर पर

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अध्यापन करने वाले अध्यापक अपने स्नातक स्तर की कक्षाओं में नियमित रूप से अध्यापन करें तथा अतिरिक्त लाभ के लिए अपनी नियमित कक्षाओं में अध्यापन से विमुख न हों । इस प्रकार नियमित शिक्षण तथा शिक्षण में गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से उपरोक्तानुसार व्यवस्था की गई है । इससे महिला शिक्षा पर कुठाराघात होने का प्रश्न नहीं उठता ।]

जनपद अम्बेडकरनगर में विद्युत परिषद् इण्टर कालेज, विद्युत नगर टाण्डा के एल० टी० ग्रेड के शिक्षकों को देय सम्बन्धित वेतनभान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

[इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि टाण्डा विद्युत परियोजना भारत सरकार के उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन को वहां स्थित विद्युत परिषद् इण्टर कालेज सहित दिनांक 14 जनवरी, 2000 को हस्तान्तरित की जा चुकी है ।

टाण्डा तापीय परियोजना को नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन को हस्तान्तरण के समय यह सहमति बनी थी कि उक्त इण्टर कालेज को जब तक उत्तर प्रदेश शासन का शिक्षा विभाग अपने अधीन सहायता प्राप्त विद्यालय के रूप में न लें तब तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में उक्त विद्यालय का प्रबन्धन नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन करेगा । उक्त इण्टर कालेज के शिक्षकों, कर्मचारियों आदि के वेतन का भुगतान वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है । उक्त विद्यालय नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के अधीन होने तथा उस पर अभी तक राज्य सरकार का नियंत्रण न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा उक्त विद्यालय के मामलें में सीधा हस्तक्षेप नहीं है ।]

जिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा ग्राम सभा सौज के प्रधान को कथित रूप से झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० विधायक द्वारा ग्राम पंचायत सौज के पूर्व प्रधान श्री तिलक सिंह यादव व वर्तमान प्रधान श्रीमती सावन श्री को जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा निहित स्वार्थवश झूठे केस में फंसाये जाने की कार्यवाही किये जाने की सूचना दी गयी है ।

2–इस सम्बन्ध में आयुक्त, आगरा मण्डल से रिपोर्ट प्राप्त की गयी । रिपोर्ट के आधार पर वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 26-8-2000 को जिलाधिकारी द्वारा मानसून भ्रमण के दौरान उक्त गांव सभा का निरीक्षण किया गया । दिनांक 26-8-2000 को किये गये भ्रमण के समय जिलाधिकारी के समक्ष ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई कि ग्राम सभा की सम्पत्ति पर अनेक लोगों ने अवैध कब्जे पर रखे हैं । इन कब्जों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि ग्राम सभा की भूमि की पैमाइश कराकर अवैध कब्जों को हटा दिया जाय । दिनांक 14-2-2001 को इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा शीतकालीन भ्रमण के समय उक्त ग्राम सभा के ग्रामवासियों के समक्ष गहन जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि दिनांक 31-5-1997 को इस ग्राम में ऐसे अनेक लोगों को पट्टे दिये गये जो ज० वि०

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अधि० के अन्तर्गत आवंटन पाने के पात्र नहीं थे तथा उनके पास $3\frac{1}{8}$ एकड़ से अधिक भूमि थी और आवंटन की तिथि को नाबालिग थे, फर्जी नाम पते के लोगों को भी आवंटन किया गया था । ऐसे लोगों को भी पट्टे दिये गये थे जो नौकरी करते थे । जांच में यह भी पाया गया कि ऐसे लोगों को भी पट्टे किये गये हैं, जिनकी मृत्यु पट्टा देने से पहले हो चुकी थी । अतः इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी को विस्तृत जांच करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक मामला पंजीकृत कराने तथा धारा 198(4) ज० वि० एवं भू व्य० अधिनियम के अन्तर्गत पट्टे निरस्तीकरण के आदेश दिये गये । इसी क्रम में दिनांक 16-4-2001 को थाना कुर्रा में धारा 419, 420, 467 एवं 471 आई०पी०सी० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा क्षेत्रीय लेखपाल को निलम्बित किया गया । वर्तमान में अवैध पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही न्यायालय में प्रगति पर है ।]

जनपद फतेहपुर के धाता कस्बे में कुख्यात दस्यु ददुआ के पुत्र की शादी में सत्तारूढ़ दल के कतिपय मंत्रियों तथा वरिष्ठ नेतागण के शामिल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[दिनांक 24-5-2001 को कस्बा धाता, थाना धाता, जनपद फतेहपुर में पेशे से अध्यापक श्री विमल सिंह की पुत्री सरिता सिंह का विवाह वीर सिंह पुत्र श्री बद्री सिंह, निवासी घटईपुर के साथ सम्पन्न हुआ है । जनचर्चा के अनुसार वीर सिंह को कुख्यात इनामी अपराधी शिव कुमार उर्फ ददुआ का लड़का होना बताया जाता है । श्री विमल सिंह की पत्नी श्रीमती संतोष कुमारी के द्वारा यह जानकारी दी गयी कि उनकी पुत्री सरिता सिंह के विवाह में जो भी प्रतिष्ठित/सम्भ्रान्त व्यक्ति आये थे, उन्हें उनके पति श्री विमल सिंह द्वारा आमंत्रित किया गया था । श्री विमल सिंह की पुत्री कु० सरिता सिंह का विवाह कुख्यात अपराधी शिव कुमार उर्फ ददुआ के पुत्र के साथ होने की जनचर्चा के परिप्रेक्ष्य में जनपद के अनेक थानों की पुलिस वर्दी तथा सादे वस्त्रों में इस निर्देश के साथ लगायी गयी थी कि यदि ददुआ इस विवाह में सम्मिलित होता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाये । गोपनीय सूत्रों के अनुसार कुख्यात अपराधी ददुआ इस विवाह में सम्मिलित नहीं हुआ है । कु० सरिता सिंह का विवाह जिस व्यक्ति (वीर सिंह) के साथ हुआ है उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है ।]

जनपद चित्रकूट में थानाध्यक्ष मऊ द्वारा कथित रूप से की जा रही मनमानी तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री बबूबू प्रसाद द्वारा नियम –51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का कथन वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जनपद चित्रकूट में थानाध्यक्ष मऊ द्वारा कथित रूप से की जा रही मनमानी तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट से आख्या प्राप्त की गयी । पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी मऊ से जांच करायी गयी । उसके आधार पर प्राप्त आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है :–

ग्राम लवेद मौजा खण्डेहा थाना मऊ, जनपद चित्रकूट की श्रीमती राजरानी पत्नी श्री ज्ञान सिंह के सगे देवर टमचुवा के वांछित अपराधी अभिमान सिंह के साथ गैंग बनाकर रहने की जानकारी थानाध्यक्ष

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मऊ को होने पर पतारसी, सुरागरसी में दिनांक 2-3-2001 को उसके घर पर तलाश व परिजनों से पूँछताँछ स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी थी । इसीलिए आवेदिका श्रीमती राजरानी जो टमचुवा की सगी भाभी हैं, ने पेशबंदी में पुलिस के विरुद्ध झूठा, मनगढ़न्त आरोप लगाते हुए प्रार्थना–पत्र दिया है । स्थानीय पुलिस कर्मियों पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये ।

दिनांक 3-3-2001 को ग्राम चकोर थाना मऊ निवासी श्री बृजमोहन पुत्र छोटई के प्रार्थना पत्र की जांच से पाया गया कि प्रार्थी के भतीजे बबलू व उसी गांव के भेज सिंह पुत्र चन्द्रभूषण सिंह के बीच चना तोड़ने को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी । बृजमोहन के भतीजे को भेजसिंह द्वारा थप्पड़ मारने, डण्डों से मारने–पीटने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने विषयक आरोप जांच से प्रमाणित नहीं पाये गये । श्री बृजमोहन द्वारा थाने पर जाकर थानाध्यक्ष को प्रार्थना–पत्र दिये जाने का तथ्य भी जांच से प्रमाणित नहीं पाया गया और न ही थानाध्यक्ष द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाना पाया गया । ग्राम प्रधानी के चुनाव में हुई पार्टीबन्दी व स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण कतिपय लोगों के उकसावे में आकर बढ़ा चढ़ाकर तथ्यों से परे आरोप अंकित कर विपक्षियों को परेशान करने की नीयत से प्रार्थना–पत्र दिया जाना पाया गया ।

थानाध्यक्ष मऊ द्वारा व्यापारियों को आतंकित कर धन उगाही किये जाने के सम्बन्ध में डा० राजबहादुर सिंह पुत्र जगतपाल सिंह, निवासी कस्बा व थाना मऊ द्वारा अपने बयान में यह बताया गया कि वह आयुर्वेद का डाक्टर है और कस्बा मऊ में वर्ष 1964 से प्रेक्टिस कर रहा है । थानाध्यक्ष मऊ द्वारा उससे कभी पैसा आदि नहीं मांगा गया और न ही उसके पुत्र राघवेन्द्र सिंह से गाली–गलौज किया गया । इसी प्रकार थानाध्यक्ष मऊ द्वारा व्यापारियों को आतंकित कर उनसे धन उगाही की शिकायत भी गोपनीय छानबीन से प्रमाणित नहीं पायी गयी ।]

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुरवा जनपद उन्नाव का वर्ष 1972 से अब तक विद्यालय भवन न बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम –51 के अन्तर्गत सूचना पर शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

माध्यमिक शिक्षा, भाषा मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

[राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरवा जनपद उन्नाव किराये के भवन में संचालित है । विद्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि वर्ष 2000 में विद्यालय के नाम जिला प्रशासन द्वारा हस्तान्तरित की गयी । उक्त भूमि पर भवन निर्माण हेतु मार्च, 2001 में रु० 42.65 लाख के आगणन/लागत के आधार पर रु० 11.48 लाख प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत किया ज़ा चुका है ।]

मेरठ महानगर में पेयजल हेतु भोला नहर से भूतल जल आपूर्ति तथा जल निकासी हेतु नया कच्चा रिंग नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम –51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

इस मद संख्या–53 पर स्थगन का अनुरोध हुआ है, इसलिये इसको स्थगित किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–54 पर अंकित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अम्बेडकर नगर मुख्यालय स्थित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय की दयनीय स्थिति व अधिकारियों की लापरवाही के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

[माननीय सदस्य विधान सभा श्री राम अचल राजभर के द्वारा मुख्य रूप से जनपद अम्बेदकर नगर मुख्यालय स्थित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय की दयनीय स्थिति व अधिकारियों की लापरवाही के संबंध में दिनांक 29 मई, 2001 को जो सूचना दी गयी है उसके बारे में मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम भेजकर जांच करायी जा रही है, जांच आख्या के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।]

जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर व बीकापुर तहसीलों की कतिपय ग्राम पंचायतों में सरकारी व ग्राम समाज की भूमि तथा पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर अवैध कब्जेदारी के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम –51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–55 पर भी स्थगन का अनुरोध आया है, इसलिये इसको स्थगित किया गया है ।

जनपद मिर्जापुर में आदर्श गृह निर्माण समिति पहाड़िया, जनपद वाराणसी तथा कतिपय अधिकारियों द्वारा वाटर शेड योजनान्तर्गत लगभग 2.50 करोड़ रुपये हड़पने के सम्बन्ध में डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–56 पर अंकित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

[मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वाटरशेड विकास कार्यक्रमों हेतु जनपद मिर्जापुर को आवंटित धनराशि के सापेक्ष संचालित परियोजना/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये गये कार्यो की जांच किये जाने के विस्तृत आदेश निर्गत किये जा चुके हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।]

प्रदेश के बिजली के देयों के दस मुख्य बकायेदार तथा उनसे बकाये की धनराशि की वसूली किये जाने विषयक दिनांक 4 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1, भत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष–

नागर जी, कृपया चर्चा प्रारम्भ कीजिये ।

(श्री नवाब सिंह नागर के खड़े होने पर)

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री हुकुम सिंह–

मेरा एक आग्रह है । चूँकि यह एक घन्टे की चर्चा है और कई माननीय सदस्यगण को आज जाना भी है, आज अन्तिम दिन भी है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, थोड़ा सा बोल दें, चर्चा जारी रखेंगे । अच्छा चर्चा जारी रखते हैं ।

मण्डल/जिला अथवा विकास खण्ड को एक इकाई के रूप में मानकर प्रदेश के कृषकों के लिये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को स्वैच्छिक एवं व्यक्तिगत रूप में लागू किये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 को पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की निर्धारित चर्चा

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

इस पर तो पहले से ही चर्चा जारी है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, यह चर्चा जारी रहेगी ।

सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों को श्री अध्यक्ष का धन्यवाद

श्री अध्यक्ष–

अब हम मद संख्या–59 लेते हैं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इससे पूर्व हम धन्यवाद देना चाहेंगे । मान्यवर, यह बजट सत्र जो आपके मार्गदर्शन में चला, अद्भुत था, कई प्रकार से, माननीय सदस्यों ने जितनी रुचि ली, कई अवसर ऐसे आए हैं कि 9-10 बजे तक माननीय सदस्यगण बैठे और चर्चाओं में हिस्सा लिया है । मैं आभारी हूं नेता प्रतिपक्ष का, नेता बसपा का, नेता कांग्रेस, नेता लोकदल और सभी सम्मानित सदस्यगण का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय और सुझाव देकर कई अवसरों पर हमारा मार्ग प्रशस्त किया । मान्यवर, नेता सदन जब निर्वाचित हुए उनके समक्ष भी यह पहला बजट सत्र है और जिस प्रकार उन्होंने सदन में रह करके, जितनी संवेदनशीलता के साथ समय देकर उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया और महत्वपूर्ण अवसरों पर आकर यहां पर कार्यवाही में भाग लिया है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं । मान्यवर, कई बातें यहां देखने को आयीं, कई ब्लाक यहां विकसित हुए । एक ब्लाक सामने विकसित हुआ, सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों की ओर इशारा कर जब भी सामने विपक्ष नहीं होता था तो सारी भूमिका आपको अदा करनी होती थी और जब मौका आता था तो सरकार के साथ रहते थे लेकिन जब मौका इस बात का आता था कि किस प्रकार से

समीक्षा की जाये, कभी भी इन्होंने आपकी कमी को खलने नहीं दिया । (विपक्ष की ओर इशारा करके) । मान्यवर, एक ब्लाक यहां (पीछे की तरफ इशारा करके) पर विकसित हुआ, माननीय जैन साहब के नेतृत्व में, जब कभी भी तनाव आया, सदन में कभी भी गम्भीर चर्चा हुई, जैन साहब ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया, कोई मौका रहा हो खड़े होकर इनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, हमें भी और पीछे वालों को भी प्राप्त होता रहा है । मान्यवर, इस बेला में कई भाव मन में आते हैं । मान्यवर, कई अवसरों पर तनाव भी आते हैं, कटुता भी आती है लेकिन जब ऐसे विषय आते हैं तो सामंजस्य भी होता है, ये घड़ियां भुलाई नहीं जाती हैं । 13वीं विधान सभा है और कई मौके आपने भी दिए । यह पहला अवसर है जब सदन के माननीय सदस्यों के नाम आपने शिलापट पर लिखवायें हैं । कई कठिनाइयां आती थीं, हमारे सदस्यगण को भोजन की शिकायत रहती थी, आपके मार्गदर्शन में उनकी शिकायत भी दूर हुई है और सभी ने आनन्दपूर्वक भोजन भी लिया और कभी-कभी ऐसी घड़ी भी आई, जबकि आवश्यकता नहीं थी, सबका सहयोग प्राप्त हुआ और ठीक 2.00 बजे सदन को स्थगित कराने का सहयोग प्रदान किया (विपक्ष की ओर इशारा करके) इसलिए हम आपके आभारी हैं । पहले ऐसा अवसर नहीं मिलता था हम लोग अलग-अलग भोजन करते थे, अब कम से कम इकट्ठे बैठते हैं और आगे साथ बैठा जायेगा तथा जो संवादहीनता की बात थी उसे भी दूर करने का अवसर प्राप्त हुआ है । मान्यवर, मैं आपके प्रति, नेता सदन के प्रति, नेता प्रतिपक्ष के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास है कि आगे जब भी हम मिलेंगे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलेंगे और इस प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिलेगा । इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम लोग अनिश्चितकाल के लिए उठ रहे हैं । बहुत लम्बे समय तक सदन चला और इस बीच तमाम ऐसे अवसर आये जिसमें आपस में थोड़ा-बहुत संवाद भी हुआ । लेकिन खुशी की बात यह है कि हम सब लोग मिलकर चाहे हम लोग विपक्ष में बैठे हों या सत्तापक्ष में बैठे हुए हमारे साथी हों सभी लोगों ने बड़े सौहार्दपूर्वक उन सबको सुलझाया । श्रीमन्, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का और माननीय मुख्य मंत्री जी तथा समस्त मंत्रीगणों और विधायक साथियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए और आपके प्रति विशेष आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहूंगा कि आपने जिस ढंग से, जिस सुचारु रूप से और शालीनता के साथ सदन की कार्यवाही संचालित की, यह अपने में एक विशेष महत्व रखती है । मैं बार-बार धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, काफी दिनों बाद जब हम अनिश्चितकाल के लिए उठ रहे हैं और इतने लम्बे समय तक बजट सत्र में चर्चा हुई है । यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है । तेरहवीं विधान सभा में अगर यह अन्तिम सत्र नहीं है तो यह अन्तिम बजट सत्र अवश्य है । कई माननीय सदस्यों के मन में आशंकायें हैं कि यह आखिरी सत्र न हो । मान्यवर, आपने आश्वस्त किया है तो हम यह मानते हैं कि यह आखिरी सत्र नहीं है । इतने लम्बे समय तक सभी विभागों पर बजट पेश किया गया और कई समस्याओं पर चर्चा हुई है । मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता है कि इस बार जैसा सदन चला, शांतिपूर्ण माहौल में चला और जितने समय तक चली, अगर बारहवीं और ग्यारहवीं विधान सभा को जोड़ लिया जाये तो कदाचित इसके पूर्व इतना काम किसी दूसरे सत्र ने नहीं किया है मान्यवर, यह आपके संरक्षण में ही हो सका । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, इस बात के लिए कि वह बड़े चातुर्यपूर्ण ढंग से [× × ×] और शान्त भी करा देते थे, कई बार आपकी

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उदारता से उन्हें परेशानी जरूर हुई लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि आपने उदारता में कोई कटौती नहीं की । बजट में कटौती प्रस्तुत करने का काम हो आपने कई बार अपनी नाराजगी दिखाते हुये कहा कि अब इतनी उदारता नहीं करूंगा लेकिन अगले दिन उससे ज्यादा उदार मिले, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं । सभी दलों के माननीय नेतागण जिस तालमेल की आवश्यकता होती है (फ्लोर कोआर्डीनेशन) उसके अनुरूप सभी का सहयोग मिला, इसलिए उन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । सभी माननीय सदस्यगण के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, चाहे कटौती प्रतुस्त करने के लिए या औचित्य का प्रश्न उठाने के क्रम में तैयारी के लिए साहित्य उपलब्ध कराने में पुस्तकालय के कर्मचारियों ने जो योगदान दिया, सेवा करने का काम किया, जिस किसी माननीय सदस्य को आवश्यकता हुई पूरा सहयोग दिया, जो कर्मचारी/अधिकारी नजर आ रहे हैं उन सबको धन्यवाद करता ही हूं परन्तु पुस्तकालय के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं । इस सदन को चलाने में नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो दिशा-निर्देश दिया है उसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा । मान्यवर, एक अनुरोध अपने सभी साथियों के माध्यम से करना चाहता हूं कि और ज्यादा सौहार्दपूर्ण तरीके से इस विधान सभा के माध्यम से जनता की समस्यायें रख सके और गम्भीरता बना सकें इसके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अख्तियार करके अगर कोई कमियां रह गयी हैं तो माननीय नेतागण विचार कर लेंगे और नेता सदन का मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्होंने काफी समय दिया इस सदन को और मैं कह सकता हूं कि जिन विषयों पर हमारी अपेक्षा थी नेता सदन स्वतः आयें और कई मामलों में स्वतः आकर जरूरी घोषणायें भी की, चाहे विपक्ष की मांग पर ही सही लेकिन कई जगहों पर यहां जो मांग रखी है उसे जमीन पर उतारने का काम किया । मान्यवर,आपके प्रति विशेष रूप मे बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि 13वीं विधान सभा का बजट सत्र इन उपलब्धियों के साथ समाप्त हो रहा है, जहां एक दूसरे को अभी अलविदा नहीं कहेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत ही नियमित और संयमित तरीके से विधान सभा की कार्यवाही का संचालन आपके सभापतित्व में हुआ है इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं । साथ ही साथ विशेष रूप से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने समय-समय पर अपनी वाणी भाषा का प्रयोग करते हुए सदन को व्यवस्थित करने में अपना सहयोग देते रहे हैं और साथ ही साथ जो यहां कभी-कभी खट्टा वातावरण हो जाता था तो उसको ठीक करने के लिए दूसरे ही क्षण हास-परिहास भी होता था । कभी-कभी पक्ष-विपक्ष के तर्क और व्यवहार से यद्यपि सदन के अन्दर गर्माहट भी आती थी लेकिन मान्यवर, सत्तापक्ष कभी-कभी अपना बीच बचाव करने के लिए मीठी-मीठी बातों का सहारा लेता था तो हम भी अपनी जिस बिना पर यहां पर आये हैं उसके लिए सत्तापक्ष पर दबाव डालते थे । लेकिन कुल मिलाकर हम सभी लोगों ने सदन का भरपूर सदुपयोग उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिये तमाम माननीय नेतागण जिस तरीके से कभी-कभी सदन में अपनी चिन्ता व्यक्त करते थे, सदन की उपस्थिति के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करते थे उसके लिए सरकार को गम्भीर देखा और विशेष रूप से आपने सदन की गरिमा बनाये रखने के लिए निरन्तर दलीय नेताओं की बैठकें की और यहां की उपस्थिति को पूरा करने के लिए समय-समय पर निर्देश देते रहे । यह एक अच्छी बात रही कुल मिलाकर सदन का इतना लम्बा कार्यकाल आपकी छत्रछाया में चला और जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण मे आज अपना अन्तिम दिन पूरा कर रहा है इसके लिए हम अपनी और अपनी समस्त बहुजन समाज वादी पार्टी के सदस्यों की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मा० अध्यक्ष जी, मैं इस बजट सत्र की समाप्ति पर परम्परानुसार सबसे पहले आपको सहृदय बधाई देता हूं कि बहुत सफलतापूर्वक आपने सदन का संचालन किया । अगर आप हमारा संरक्षण नहीं करते, अपनी योग्यता और विद्वता से सदन को नहीं चलाया होता तो शायद कई बार ऐसी परिस्थितियां आयी जिनसे लगा कि सदन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पायेगा, बीच में ही उठ जायेगा, परन्तु आपने सब को बुलाकर समझदारी से एक ऐसा वातावरण पैदा किया कि सभी खुश होकर सदन में आये । हम आज एक ऐसे वातावरण में उठ रहे हैं, मैं माननीय नेता सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वह अपनी सरलता से, सहृदयता से अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं । किसी अवसर पर मैंने उनको उत्तेजना में नहीं देखा है । जब वह सदन में आये तो वह सम्मानित सदन के सदस्य नहीं थे, इसी सदन ने उनको सम्मानित सदन का सदस्य बनते देखा है । उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी वह एक नयी नवेली दुल्हन की तरह सदन में आये जिनके कदम सदन में पड़ते ही थोड़ी बहुत उपलब्धि हुई । मैं उनकी तुलना ऐसी नयी नवेली दुल्हन से करता हूं जिसका कदम शुभ पड़े हैं । लेकिन जैसा नयी नवेली दुल्हन में संकोच होता है मैं समझता हूं कि वक्त के साथ वह खत्म हो जायेगा और वह भी लोगों की बातों को मानेंगे । हम लोगों को इतना नहीं कहना पड़ेगा और इतना मनाना नहीं पड़ेगा । मैंने आज बहुत कहा लेकिन वह पसीजे नहीं, धीरे-धीरे यह संकोच भी खत्म हो जायेगा । एक सुझाव मेरा और मा० मुख्य मंत्री जी से कि संसदीय कार्य मंत्री जी वाकई में कुशल और बुद्धिमान हैं, लेकिन वह इसका दुरुपयोग करते हैं कभी-कभी सरकार के उनके अगल-बगल के लोग जवाब नहीं दे पाते हैं तो जिम्मेदारी उन पर आती है और वह तत्परता के साथ जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं और इसीलिए सत्य से परे तमाम बातें उनको टालनी पड़ी । मैं नहीं जानता जब यहां से रुखसत होंगे तो कहां जायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं इनके पीछे रहूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, स्वर्ग आगे है और नर्क पीछे है आप तो वहां रहेंगे ही । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कई बार सरकार की रक्षा की । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि कल उनको हवाई जहाज से संगम भेज दें, ताकि वह नहाकर अपने पाप धो सकें । इन्हें चारों धाम की यात्रा कराइये । आज सबेरे मैंने भाभी जी को फोन किया तो उन्होने कहा कि सदन क्या बढ़ नहीं सकता है । मैंने कहा बढ़ नहीं सकता तब उन्होंने कहा जितने दिन घर में रहते हैं शान्ति नहीं रहती है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मा० संसदीय कार्य मंत्री जी जब यहां रहते हैं तो भाभी जी के माध्यम से यह जानकारी लेते हैं, तो क्या चक्कर है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं गारण्टी से कहता हूं कि हुकुम सिंह जी की पत्नी बहुत ही सीधी-सादी, सरल और सौम्य महिला हैं । अगर वह न होती तो इनकी न जाने क्या स्थिति होती ? मैं सभी सम्मानित सदस्यों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया, हो सकता है कि कर्तव्य पालन में हमसे गलती हुई हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं । हमने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया, हमारा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है । आलोचना इस लिए करते हैं, आलोचना के आधार पर यह प्रयास करते हैं कि सरकार को एक दिशा दे सकें । मैं नेताओं, सभी सम्मानित सदस्यों की प्रशंसा करता हूं कि सभी का सहयोग रहा । मैं राज्य मंत्रियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जवाब देने में योग्यता का प्रदर्शन किया । मैं समझता हूं कि अगले सत्र में वह और गम्भीरता से उत्तर देंगे ।

मान्यवर, यह सत्र कुछ ज्यादा देर तक चला । 10 बजे के बाद भी सदन चला है । सदन के कर्मचारियों ने अपने दायित्व के निर्वहन में पूर्ण दक्षता दिखायी है । मैं आपके माध्यम से आपके कर्मचारियों को इसके लिये बधाई देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आपसे मुख्य मंत्री ज्यादा खुले हैं, पुराने हैं अब मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कोई विशेष बोनस के रूप में कर्मचारियों को अवश्य दें । विपक्ष का यह अग्रह है, आप स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी । मान्यवर, 2 सदस्यों की बड़ी कमी रही है, माननीय जगदम्बिका पाल जी के परिवार में अस्वस्थता के कारण वह सदन में काफी दिनों तक नहीं रहे । इसी तरह से माननीय सुबाष श्रीवास्तव जी सदन में नहीं रहे और सदन उनकी सेवाओं से महरूम रहा ।

मैं बारम्बार प्रणाम करता हूं नेता प्रतिपक्ष को, अगर वह नहीं होते तो विरोध पक्ष न होता । उनकी योग्यता, सौम्यता के लिये मैं उनको प्रणाम करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से उन्होने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया और हमारा नेतृत्व किया । अबकी बार मैंने महसूस किया, अबकी बार हमारे नेता विरोधी दल को गुस्सा कभी नहीं आया । मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने जिस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है उसमें जरूर कोई राज होगा अगर वह कोई दवा खाते हों तो हमें बता दें हम भी उसका सेवन करेंगे । इसी के साथ मैं सदन के सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि एक परिवार की तरह हम यहां रहे ।

मैं डा० सरजीत सिह डंग जी को जरूर याद करूंगा खास तौर से सही समय पर, मैं नहीं कहता कि कितने बजे । जैन साहब को भगवान लम्बी उम्र दे अगले सत्र तक बने रहें और इसी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें । हरीश जी के लिये कह सकता हूं कि वह निरन्तर फाइलें, पत्रावलियां लिये मौजूद रहे । माननीय शिवप्रताप शुक्ल जी ने हाफ टिकट में पूरा तमाशा दिखाया । यह अन्दाजा नहीं होता था कि कब वह खड़े होकर बोलते हैं और कब वह बैठकर बोलते हैं । कोई फिल्म पूरी नहीं होती अगर उसमें ....का रोल न हो । मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और इस आशा और विश्वास के साथ विदा होता हूं कि हम सब फिर मिलेंगे और अच्छी तरह से मिलेंगे । मान्यवर, एक परिवर्तन होना चाहिए आप लोग उधर बैठे-बैठे थक गये होंगे हम इधर बैठे-बैठे थक गये हैं ऐसा करें कि आप इधर आ जायें और हम उधर आ जायं ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि इस सदन ने कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं । मैं कारागार मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने [× × ×] सदन की गरिमा और सम्मान बढ़ाया है इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, बड़ी खुशी के साथ यह सदन चला । बजट सेशन में कुछ लम्हात ऐसे आए जब थोड़ा अवरोध हुआ लेकिन वह देर तक नहीं रहा । आपके मार्ग दर्शन में वह दौर भी निकल गया और एक अच्छे माहौल में हम इसे खत्म कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम जल्दी मिलेंगे । एक शेर के साथ बात समाप्त करता हूं । "मेहरवाँ होकर बुलाओगे जिस दम मैं गया वक्त नहीं हूँ कि आ न सकूँगा ।"

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपकी योग्यता और अनुभव आपकी उदारता व आपके मार्ग दर्शन में यह सदन बहुत शांतिपूर्वक चला और अपने कार्यों का निर्वहन किया । मैं इसके लिए आपका अभिनन्दन करता हूँ । आपका आभार व्यक्त करता हूँ । जब जब सदन में दुरूह क्षण आए आपने जिस निष्ठा के साथ जिस ईमानदारी के साथ उन दुरूह क्षणों का जिस तरह से निस्तारण किया वह हमेशा याद

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

किए जाते रहेंगे । माननीय सदस्यों ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में जिस अच्छाई के साथ अपनी बात सदन में रखने की चेष्टा की उन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ । श्रीमन् सब एक दूसरे के प्रति सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में यहाँ से जाएं और एक अच्छे मन से इस प्रदेश की अच्छाई और भलाई में लग जाएं आपके मार्गदर्शन और आपसे प्रेरणा लेकर जाएं । आपके सचिवालय के कर्मचारियों ने जिस प्रकार से निष्ठा के साथ 11–11 बज़े रात तक काम किया यदि आपका और मुख्य मंत्री में समावेश हो जाए तो उन बेचारों को कुछ बोनस के रूप में जरूर दिया जाना चाहिए । इनके प्रति धन्यवाद देता हूँ । इन्होंने हमारे सदन के कार्यक्रम में बड़ी निष्ठा के साथ काम किया । मैं इन शब्दों के साथ माननीय नेता सदन नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय नेताओं के प्रति, माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । अभिनन्दन करता हूँ, एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण मे हम पुनः मिलेंगे ।

डा० पूर्णमासी पंकज–

आपने इस बजट सत्र के समापन के समय धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे एक अवसर दिया मैं चन्द शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करुँगा । मैं सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात प्रारम्भ करता हूँ ।

'तेरहवीं विधान सभा रहेगी याद सभी को
तेरहवीं विधान सभा रहेगी याद सभी को
आपकी उदारता का मिला स्वाद सभी को
सेना सदन, नेता विपक्ष और आपको आभार
सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद सभी को ।'

श्री गौरी शंकर ''एडवोकेट''–

मान्यवर, नेता सदन, नेता विरोधी दल अन्य सभी माननीय नेतागणों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूँ । अध्यक्ष जी आपने जिस स्नेही वातावरण में इस सदन को चलाने का काम किया है उसको यदि न कहा जाए तो उचित नहीं होगा । यह हम सभी लोगों के लिए जिसकी स्मृति रहेगी । मैं अपनी बात को लम्बा नहीं करूंगा केवल इतना कहूंगा कि भोगे न मुक्ता वयमेव मुक्ता तपो न तप्त वयमेव तप्ता काजो न युक्तों वयमेव युक्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा । हमारी तृष्णा लगी रहेगी । हम फिर मिलेंगे अच्छे स्वास्थ्य के साथ ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के इस बजट को पास कराने में आप सहित सभी लोगों का बहुत ही रचनात्मक सकारात्मक सहयोग रहा है । मैं सबके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं । बजट समाप्ति के बाद परम्परा के अनुसार मेरे आवास पर भोजन के लिए आप सभी को मैं हाथ जोड़ कर निमंत्रण दे रहा हूं ।

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

मान्यवर, यह बजट सत्र बहुत ही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ है और श्रीमन् यहां पर इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का सहयोग रहा है शान्तिपूर्ण सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाये रखने में । वहीं पर मैं मानता हूं आपके व्यक्तित्व का करिश्मा भी रहा है । जिस कुशलतापूर्वक आपने सदन की कार्यवाही का संचालन किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाय कम होगी । नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा, नेता कांग्रेस, नेता लोकदल सहित सभी माननीय सम्मानित सदस्यों का इस सत्र की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में भरपूर सहयोग रहा है । मैंने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही देखी है एक वर्ष का अवसर मिला और एक सदन में तो छः वर्ष तक कार्यवाही देखने का अवसर प्राप्त हुआ ।

कल्पना नहीं आई मुझे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में इतने योग्य सक्षम और प्रभावी भूमिका निभाने वाले हमारे सम्मानित सदस्य होंगे । हमारी नजर में सचमुच इस सदन का सम्मान बढ़ा है । मैं इस सदन में दूसरी बार आया हूं पहली बार 77 में और इस बार । कभी-कभी चिंता जरूर होती थी इस बात की जबकि विपक्ष कुयें में कूद पड़ता था लेकिन मैंने देखा मर्यादा का अतिक्रमण कभी नहीं किया भाषण के दौरान । मैं यह कह सकता हूं जब भी चर्चा हुई केवल चर्चा आलोचनात्मक ही नहीं समालोचनात्मक रही । हास परिहास के क्षण आये । मैं जब भी सदन में उपस्थित रहा कभी परस्पर कटुता नहीं देखी । बहुत से माननीय सदस्यों के साथ इस सत्र के दौरान मेरा भावनात्मक सम्बन्ध बना है । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह हमारा अंतिम सत्र नहीं है हां बजट सत्र अंतिम हो सकता है हम फिर मिलेंगे । यहां के सचिवालय के सभी अधिकारीगण कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहा है । इस सचिवालय के रक्षकों को भी मैंने अपनी प्रभावी भूमिका निभाते हुए कुशलतापूर्वक निभाते हुए देखा है । श्रीमन्, जैसी अपेक्षा की थी इस सदन के सभी दलों के नेतागण ने आपसे परामर्श करके मैं निश्चित रूप से जो कुछ भी उनकी कुशलता के लिये पारितोषिक के रूप में मैं कहूंगा, दिया जा सकता है और दिया जायेगा । (मेजें थपथपाई गई) यह मैं आश्वस्त करता हूं ।

मैं क्षमा चाहूंगा कि सत्र के दौरान कुछ ऐसा घटा, बहुत अनजाने में मुंह से निकल गया हो, उसके लिये भी सभी सम्मानित नेतागण, सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि क्षमा करेंगे । वैसे मुझे जितना उपस्थित सदन में रहना चाहिए था, चाहते हुए भी नहीं रह सका क्योंकि मुझे बहुत से शासकीय कार्यों का भी निर्वहन करना होता है । मैं महसूस करता हूं कि मुझे और अधिक समय सदन की कार्यवाही में भाग लेने का मिला होता तो उससे मेरा ज्ञानवर्धन होता । ऐसे विद्वान सदस्य, इस सम्मानित सदन में उपस्थित हैं श्रीमन्, इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय श्री अम्बिका चौधरी, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय प्रमोद कुमार, माननीय कौकब हमीद, माननीय रघुवर दयाल वर्मा, माननीय गौरी शंकर जी, पंकज जी, वित्त मंत्री जी और सभी सम्मानित सदस्यों मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता है कि बड़े सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में इस बजट सत्र का समापन हो रहा है । 20 मार्च से यह सत्र प्रारम्भ हुआ था और 22 मार्च को अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुआ था उसके उपरान्त 23 अप्रैल से और आज तक यह सत्र चला । कुल 29 बैठकें हुई और हमने लगभग 206 घण्टे कार्य किया । अपने दायित्वों के निर्वहन में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ी । हो सकता है कि कभी-कभी कुछ ऐसे क्षण आये हैं, जहां मैंने अपनी खिन्नता प्रदर्शित की हो । एक अवसर का मुझे स्मरण है कि मैंने कुछ सख्त टिप्पणी भी कर दी थी और बाद में मैने कहा था कि कार्यवाही से मैं स्वयं उस टिप्पणी को निकाल दूंगा । उसके पीछे किसी भेदभाव, कोई द्वेष, कोई दुर्भावना नहीं थी । मेरे मन के अन्दर सदैव यह इच्छा रही कि देश का यह सबसे बड़ा सदन सबसे अधिक गरिमामय स्वरूप अख्तियार कर ले इसलिये मै कभी नियमों के पालन पर जोर देता था । जितना जोर देता था उससे ज्यादा शिथिलता मैं नियमों में कर देता था । हम सब यहां पर आये हैं विचार विमर्श करने के लिये, अपनी बात कहने के लिये । नियम बाधा न बन जायं और हमारे स्वर को दबा न दें इसलिये प्रायः नियमों को शिथिल करके आप सबको बात करने का अवसर देता था । जैसा माननीय नेता सदन ने कहा है, हमारे बहुत से माननीय विधायक किसी भी दूसरी विधान सभा के विधायकों की तुलना में बहुत श्रेष्ठ हैं । उनका अध्ययन, उनकी वाक्पटुता, अपनी बात को रखने का तरीका और क्षमता बहुत ही प्रशंसनीय है । जब लम्बा सत्र होता है ऐसे लोगों को अवसर देने के बाद मालूम होता है कि इतने रत्न हमारे पास हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है । सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कई माननीय

सदस्यों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके भाषण बहुत उत्कृष्ट रहे हैं, अध्ययन के साथ रहे हैं। विपक्ष ने भी अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन किया। जहां जिस बात पर अड़ना है, उठाना है, उसको जोर शोर से उठाया, उस मुद्दे को बल देने के लिये सदन के वेल में भी आये। कभी बहिष्कार भी किया, लेकिन निश्चित रूप से अपनी शालीनता का परिचय देते हुए बाद में सदन के वातावरण को ठीक करने में सहायता भी प्रदान की मैने इस बार एक विशेष बात देखी, बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न आये यद्यपि संख्या में कम हुए, लेकिन बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न आये, मैं समझता हूं कि यह क्रम जारी रहेगा। कुछ प्रश्न कई बार उठाये गये। कभी मुझे लगता था कि अनावश्यक रूप से उठाये जा रहे हैं। कई मुद्दों पर, कई बार प्रश्न उठाये गये, लेकिन यह अपना-अपना विश्वास था, अपना-अपना कर्तव्य था, अपना-अपना धर्म था। भोजन व्यवस्था का उल्लेख किया गया, यह व्यवस्था संसदीय कार्य मंत्री जी ने की। इसका पूरा श्रेय संसदीय कार्य मंत्री जी को जाता है। जब मुझे कोई इसका श्रेय देता था तो मैं मुस्कुरा देता था क्योंकि मैं इसका पात्र नहीं हूं। वास्तव में इसके पात्र संसदीय कार्य मंत्री जी हैं। उन्होने इस व्यवस्था को करने में बहुत योगदान दिया। एक उपलब्धि हमने विधान सभा में यह की कि विधान सभा में बेबसाइट लांच हुआ, शिलापट्ट भी लिखा गया। इस विधान सभा के कुछ सत्र और होंगे इसमें मुझे संदेह नहीं है। किसी और के मन में संदेह हो तो वह इसको दूर कर ले। मैं विशेष रूप से कह रहा हूं कई वर्षों के बाद नियमावली में संशोधन किया गया है, संशोधन के माध्यम से जो प्रयास किया है उससे भी समस्या दूर होगी। अब दो माह के बाद दस दिन का सत्र अवश्य बुलाया जायेगा। मुख्य मंत्री जी इस दिशा में विचार करके पहल करेंगे, क्योंकि मंत्रि-परिषद् की संस्तुति पर राज्यपाल महोदय सदन को आहूत करते हैं। इस दिशा में वह सहयोग अवश्य करेंगे। एक चिन्ता का भी कारण बना है माननीय सदस्यों के द्वारा किन्हीं कारणों से इस सत्र में प्रश्न कम आये। मैं समझता हूं अगले सत्रों में यह समस्या दूर हो जायेगी। माननीय प्रमोद जी ने नई बहू के रूप में नेता सदन को कहा, माननीय प्रमोद जी की विशेषता है कि बहुत जल्दी चूल्हे तक पहुंच जाते हैं। माननीय नेता सदन ने बहू-भोज तो नहीं कराया लेकिन 50-50 हैण्डपम्प देकर पानी जरूर पिला दिया।

(हंसी, मेंजे थपथाई गई)

श्री प्रमोद कुमार–

यह पानी मैंने अकेले नहीं पिया है। आपको भी पिलाया है।

श्री अध्यक्ष–

प्रतापगढ़ की एक कहावत है–"न सौ पढा, न एक प्रतापगढ़ा"। इस कहावत के अनुसार प्रमोद जी डमरू को जोर से खुश होकर बजाते रहे। सारे विपक्ष के लोग माननीय प्रमोद जी के इशारे पर काम करते रहे। जब कभी मुझे दिखाई दिया कि गतिरोध होने वाला है तो इसमें नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो सहयोग दिया गया, सबके द्वारा बराबर का योगदान दिया गया, उसके लिए मैं सबका आभारी हूं। सबके सहयोग से यह सत्र सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ, लोगों के मन में आशंका थी कि बीच में सत्र समाप्त हो जायेगा वह आशंका निर्मूल साबित हुई। मुझे कष्ट हुआ जब यह प्रस्ताव लाने का कारण बन रहा था कि एक दिन में सारे बजट पास हो जायें तो मुझे आक्रोश हो रहा था कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। ईश्वर ने सुन ली और सारे बजट नियमानुसार पास हुए। सचिव महोदय ने अधिकारीगण ने हमारे कर्मचारीगण ने बहुत सहयोग दिया है। कभी-कभी सदन रात में देर तक चला, 10-11 बजे तक भी सदन चला, तो भी सबने अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार किया। जैसा नेता सदन ने कहा कि पुरस्कृत करने के लिए, इस पर नेताओं के साथ विचार करेंगे। मैं पुनः सबका आभार प्रदर्शित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि अनिश्चितकाल के लिये उठने के पहले हम सब राष्ट्रगान गायेंगे।

राष्ट्र-गान

श्री अध्यक्ष–

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठने से पहले राष्ट्रगान करेंगे ।

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे ।
भारत–भाग्य–विधाता ।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग ।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग ।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ।।
गाहे तब जय गाथा ।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता ।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।

अब हम अनिश्चिकाल के लिए उठते हैं ।

(सभी सदस्यों ने सामूहिक राष्ट्र-गान किया ।)

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 7 बजकर 25 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक 1 जून, 2001

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता०प्र०सं०–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10-12 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के पांचवें शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री गोरखनाथ पाण्डेय, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री राम औतार शाक्य, श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर का

संलग्नक–1

नये तीन मंजिले अथवा 12 मीटर ऊंचे भवन तथा 500 वर्गमीटर, से अधिक भू–आच्छादन वाले सभी महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था के प्रमुख प्राविधानः–

1–भवन निर्माण हेतु भारतीय मानक संस्थान के आई०एस० कोड के सुसंगत कोड का अनुपालन अनिवार्य ।

2–भवन मानचित्र के समय अर्ह वास्तुविद तथा स्ट्रक्चरल डिजाइनर का प्रमाण–पत्र कि स्ट्रक्चरल डिजाइन में आई०एस० कोड का अनुपालन किया गया है तथा संगत स्ट्रक्चरल डिजाइन सम्बन्धी निर्धारित विवरण ।

3–निर्माण के समय निम्नलिखित व्यवस्था की अनिवार्यता :–

निर्माण का सुपरविजन अर्ह सिविल इंजीनियर द्वारा अनिवार्य ।

निर्माण सामग्री की स्थल पर टेस्टिंग सुविधा आवश्यक ।

सामग्री परीक्षण के परिणाम निर्माण स्थल पर उपलब्ध रहेंगे । स्थल पर निरीक्षण हेतु सभी आवश्यक ब्यौरा उपलब्ध रखा जायेगा ।

स्वतंत्र तकनीकी एक्सपर्ट के पैनल में से किसी विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विधिनुसार विस्तृत आकस्मिक निरीक्षण की व्यवस्था । निर्माण में शिथिलता पाये जाने पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था ।

4–निर्माण के उपरान्त पूर्णता प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा :–

पूर्णता प्रमाण–पत्र के आवेदन के साथ आई०एस० कोड के अनुपालन का प्रमाण–पत्र वास्तुविद एवं सुपरविजन अभियन्ता द्वारा ।

बिना कम्पलीशन सर्टिफिकेट के भवन उपयोग पर सील करने की व्यवस्था ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 1 विधान सभा ( )–2001–813प्रतियां ।